ष्टम माला, खंड 6, अंक 41

शुक्रवार, 10 मई, 1985
20 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 6 में अंक 41 से 48 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 6, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 41, शुक्रवार, 10 मई, 1985/ 20 वैशाख, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
विषय संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—26
*तारांकित प्रश्न संख्या : 793, 795 से 798, 800, 801, 804, 806 और 807	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	26—183
तारांकित प्रश्न संख्या : 791, 794, 799, 802, 803, 805, 808 से 810	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5964 से 5969, 5971 से 6003, 6005 से 6116, 6118 से 6122 और 6124 से 6132	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	192—194
राज्य सभा से संदेश	195—197
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	199—230
देश के विभिन्न भागों में पेयजल की भारी कमी होने से उत्पन्न स्थिति	
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	199
श्री अब्दुल गफूर	199
श्री जयप्रकाश अग्रवाल	209
श्री हरीश रावत	215
श्री जैनुल बशर	221

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

सभा का कार्य	230—235
आंध्र प्रदेश विधान परिषद् के उत्सादन के बारे में वक्तव्य	235—236
श्री एच० आर० भारद्वाज	235
कार्य मंत्रणा समिति	236
सातवां प्रतिवेदन	
वित्त विधेयक, 1985	236—263, 318—325
विचार करने के लिए प्रस्ताव—	
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	237
खंड 2 से 50 तक तथा 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	256
श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी	281
श्री मूल चन्द डागा	282
विधेयक—पुरःस्थापित	
(1) संविधान (संशोधन) विधेयक	
(अनुच्छेद 130 में संशोधन)	
प्रो० पी० जे० कुरियन	263
(2) कलकत्ता स्थित उच्च न्यायालय (सिलीगुडी में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	
श्री पीयूष तिरकी	263
(3) गोवा, दमण और दीव राज्य विधेयक	
श्री एडुआर्डो फैलीरो	264
(4) ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) संशोधन विधेयक	
(धारा 1 में संशोधन, आदि)	
श्री बसुदेव आचार्य	264

(5) सरकारी सेवाओं में पदों का और शिक्षण संस्थाओं में स्थानों का (समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए) आरक्षण विधेयक

श्री राम नगीना मिश्र — 265

(6) संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये भाग 9क का अन्तःस्थापन)

श्री एस० एम० भट्टम — 265

(7) संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये अनुच्छेद 47क का अन्तःस्थापन)

श्री दिग्विजय सिंह — 266

(8) न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक

(धारा 2 में संशोधन, आदि)

श्री अजय बिश्वास — 266

(9) संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 244 में संशोधन, आदि)

श्री पीयूष तिरकी — 267

(10) परिवार कल्याण विधेयक

श्री दिग्विजय सिंह — 267

श्रमजीवी महिला कल्याण विधेयक—वापस लिया गया — 268—303

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री मनोज पाण्डे — 268

श्रीमती फूल रेणु गुहा — 270

श्री ए० सी० शनमुगम — 273

श्री मूल चन्द डागा — 277

श्री राम आश्रय प्रसाद सिंह — 283

श्री राम प्यारे पनिका 284

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 289

श्री राजमंगल पाण्डे 292

श्रीमती प्रभावती गुप्ता 293

श्री पी० आर० कुमारमंगलम 295

श्री टी० अंजैया 297

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी 299

श्रीलंका पर वक्तव्य 303—304

श्री खुर्शीद आलम खां 303

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 305—306

(धारा 125 और 127 में संशोधन)

श्री जी० एम० बनातवाला 305

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री जी० एम० बनातवाला 305

आधे घंटे की चर्चा 306—317

रोजगार कार्यालयों में दर्ज शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति

श्री जितेन्द्र प्रसाद 306

श्री टी० अंजैया 310

श्री मूल चन्द डागा 312

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव 314

श्री हरीश रावत 315

राज्य-सभा से संदेश 317

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक 317

राज्य सभा द्वारा यथापारित

लोक सभा

शुक्रवार, 10 मई, 1985/20 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समा वेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री बलबीर सिंह जो 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा के सदस्य थे और पंजाब के होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे के दुखद निधन का समाचार देना है।

योग्य सांसद के रूप में वे सभा की कार्यवाहियों में गहरी दिलचस्पी रखते थे तथा दलित और कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए।

श्री सिंह को आज सुबह होशियार पुर में एक हत्यारे ने गोली मार दी।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं जो अपने ढंग के एक महान नेता थे। वह अपनी जिन्दगी में कभी किसी चीज से नहीं डरे और उन्होंने जनता के लिए काम किया।

सभा की ओर से हम शोकग्रस्त परिवार को समवेदनाएं भेजते हैं। मुझे आशा है कि सभा मुझसे सहमत होगी।

अब सदस्य गण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहेंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

1982-83 से 1984-85 तक की अवधि में सोने का उत्पादन

*793. श्री एस० जी० घोलप : क्या इस्पात खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक की अवधि में भारत में सोने का कितना वार्षिक उत्पादन हुआ;

(ख) आंध्र प्रदेश में येप्पामाना खान में कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) कौन-कौन से नए स्थानों में सोना पाया गया है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) वर्ष 1982-83 से 1984-85 के दौरान कुल स्वर्ण उत्पादन इस प्रकार रहा :—

वर्ष	उत्पादित स्वर्ण (किलोग्राम)
1982-83	2241
1983-84	2078
1984-85	2036

(ख) येप्पामाना स्वर्ण खान में 1984-85 में 25.7 किलोग्राम स्वर्ण उत्पादन हुआ।

(ग) विगत कुछ वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में कोलार गोल्ड फील्डस के दक्षिणी विस्तार में किए गए स्वर्ण के गवेषण के फलस्वरूप स्वर्ण के दो नये निक्षेपों एक—चिकारगुंटा और दूसरा ओसेप्पाकोंडा का पता चला है।

श्री एस० जी० घोलप : वर्ष 1982-83 में 2,241 किलोग्राम सोने का उत्पादन हुआ और फिर 1983-84 में 2,078 किलोग्राम उत्पादन हुआ था। वर्ष 1984-85 में यह 2036 किलोग्राम तक घट गया। जबकि हम काफी सोना पैदा कर रहे हैं फिर इसके क्या कारण हैं, यहां तक की भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को भी नुकसान हो रहा है? उसे कितना नुकसान हो रहा है?

श्री वसन्त साठे : महोदय, यह सच है कि सोने का उत्पादन कम होता जा रहा है, क्योंकि मुख्य क्षेत्र जहां सोना पाया गया था वह कोलार की सोना-खानें ही हैं जिसका संचालन भारत गोल्ड माइन्स करती हैं। हम गहरे से गहरा खोदते जा रहे हैं और स्वर्ण भंडार में भी धीरे-धीरे कमी आती जा रही है। मैं कुछ ऐसे ब्यौरे पेश करूंगा जिससे यह दिलचस्प बात पता लगेगी कि इस वर्ष स्वर्ण भंडार में कितनी तेजी से कमी आई है। इससे स्पष्ट होगा कि स्वर्ण भंडार में कमी के कारण ही सोने के उत्पादन में लाभ नहीं हो रहा है। कोलार की खान सबसे पुरानी खान है बल्कि पूरे संसार में सबसे पुरानी खानों में है। इसमें 1880 से उत्पादन शुरू हो गया था। 1881 से 1900 के बीच इसके उत्पादन का स्तर 89 टन था। वर्ष 1901 से 1910 तक दस वर्षों में यह स्तर 170 टन था। अगले दस वर्षों अर्थात 1911 से 1920 तक 125 टन था। वर्ष 1921 से 1930 तक 117 टन था। वर्ष 1931 से 1940 तक यह 99 टन हो गया। वर्ष 1971 के बाद से तो इसमें बड़ी तेजी से कमी आती गई है और 1981 से 1983 की अवधि में तो यह 4.4 टन तक कम हो गया, हालांकि हम आजकल तीन किलोमीटर गहराई में खुदाई कर रहे हैं। अब मुख्य कारण यह है कि हम अभी तक ऐसे क्षेत्र नहीं खोज पाए हैं जहां सोने के लिए खुदाई करना आर्थिक दृष्टि से लाभकर होगा। यही प्रमुख कारण है जिसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष भारत गोल्ड माइन्स को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसे अभी भी 12 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। पिछले वर्ष भी इसे नुकसान हुआ था। अत: इसी तरह से हमें लगातार नुकसान हो रहा है।

श्री एस० जी० घोलप : महोदय, दो नए स्थानों का पता लगाया जा चुका है और वे भी आंध्र प्रदेश में ही हैं। उन स्थानों में सोने के उत्पादन में क्या प्रगति हुई है और वहां कितनी मात्रा में सोना उपलब्ध होगा और क्या आर्थिक दृष्टि से वे लाभकर होंगे?

श्री वसन्त साठे : महोदय आंध्र प्रदेश में चिगार गुंटा में जो स्वर्ण भंडार मिले हैं वहां हमें 4.19 लाख टन सोना युक्त अयस्क प्राप्त हुआ है। इस अयस्क में प्रति टन 4 से 5 ग्राम सोना मिलने की सम्भावना है अत: अयस्क की इस श्रेणी की खुदाई लाभकारी और व्यवहारिक है। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक दृष्टि से हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मालप्पाकोंडा और येप्पामाना, दोनों ही खानों में खुदाई की जा रही है तथा साथ ही कर्नाटक में हट्टी खान खंड और होसार खंड तथा केरल में नीलाम्बूर जो कि नदी क्षेत्र है—में भी खोज का काम जारी है।

श्रीमती बसव राजेश्वरी : महोदय, मंत्री महोदय ने यह मानकर अपनी विनम्रता दिखाई है कि उत्पादन कम होता जा रहा है, हालांकि खान में काफी गहराई पर काम हो रहा है फिर भी सोना भारी मात्रा में नहीं निकल पा रहा है। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकती हूं कि कर्नाटक में सोने के उत्पादन की कमी का कारण क्या बिजली की अत्याधिक कमी है? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि कर्नाटक की हट्टी स्वर्ण खानों में कैसा काम चल रहा है और वे लाभ दे रही हैं या नुकसान में चल रहीं हैं।

श्री वसन्त साठे : 'हट्टी स्वर्ण खानों' के बारे में मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बसंत साठे : इसके बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए मुझे पहले सूचना दी जाए।

श्रीमती बसव राजेश्वरी : 'हट्टी स्वर्ण खानों' में सोने का उत्पादन होता है।

श्री बसंत साठे : मुझे मालूम है कि 'हट्टी स्वर्ण खानों' में सोने का उत्पादन हो रहा है। किन्तु आप बिजली की कमी के बारे में पूछ रहीं थीं। हाल ही में जब माननीय मुख्यमंत्री से मिला था तो इसके बारे में मैंने उनसे बात की थी, इस सोने की खान के लिए काफी समय पहले रियायती दर पर पन-बिजली के लिए समझौता किया गया था और यह बिजली कुल मिलाकर उसी के लिए बनी थी। अब अचानक उन्होंने दर बढ़ा दी है और वे चाहते हैं कि इसी स्त्रोत से हम अत्याधिक बढ़ी दर पर बिजली प्राप्त करें। इससे हमारी लागत में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है और वास्तव में इससे कम चलाना बहुत कठिन हो गया है। किन्तु ऐसा बिजली की कमी से नहीं हुआ है वरन् यह बिजली की लागत में भारी वृद्धि के कारण ही खानों के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी वजह से यह महंगा होता जा रहा है और लागत बढ़ती जा रही है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : आंध्र प्रदेश से येप्पामाना स्वर्ण स्थानों पर कुल कितना निवेश किया गया है? यह बताया गया है कि उसमें केवल 25.7 किलोग्राम सोना ही निकला है। वर्ष 1983-84 में कितना उत्पादन हुआ था।

उसके निकट ही वज्र करीर खानें हैं जहां कहा जाता है कि प्राचीन काल से हीरे-जवाहरात प्राप्त होते रहे हैं। क्या माननीय मंत्री यह भी बताएंगे कि वज्र करीर और अन्नतपुर जिले में क्या किसी प्रकार का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

श्री बसंत साठे : मुझे इसके लिए पहले से सूचना दीजिए। यह एक खास क्षेत्र से सम्बन्धित खास प्रश्न है और मैं इसका सामान्य उत्तर नहीं देना चाहता हूं।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : आपने बताया कि आंध्र प्रदेश येप्पामाना स्वर्ण खानों से 25.7 किलोग्राम सोना ही प्राप्त हो सका है। उस पर किया गया कुल निवेश कितना है।

श्री बसंत साठे : मैं आंकड़े एकत्र करके आपके पास भेज दूंगा। इस समय वे मेरे पास नहीं हैं।

मयूरभंज जिले (उड़ीसा) में गोरुमहिसानी बादाम पहाड़ क्षेत्र में लौह अयस्क की खानों का बन्द होना

*795. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के मयूरभन्ज जिले में गोरूमहिशानी-बादाम-पहाड़ क्षेत्र में कुछ लौह-अयस्क खानें बन्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन खानों को बन्द करने के क्या कारण हैं;

(ग) ये खानें कब बन्द की गई हैं; और

(घ) इन खानों में खनन कार्य पुनः शुरू करने के लिये क्या कोशिशें की गई हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ख) : पिछले तीन वर्षों की अवधि में इस जिले में औसतन 6 खानों में काम होता था। इस समय इस जिले में केवल तीन खानों में काम हो रहा है। अन्य खानों से बन्द करने के बारे में नोटिस प्राप्त नहीं हुए हैं। अस्थायी रूप से परिचालन बन्द करने के लिए एक खान से प्राप्त हुए नोटिस में इस कारण का उल्लेख किया गया कि बादाम पहाड़ से लौह अयस्क का अपक्रय कम हो रहा था। इस क्षेत्र में लौह अयस्क का उत्पादन रोक देने का सामान्य कारण यही बताया जाता है।

(ग) चूंकि अन्य खानों से बन्द करने के बारे में नोटिस प्राप्त नहीं हुए हैं और न ही वर्ष 1981-82 से इन खानों द्वारा उत्पादन सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किये गये हैं, अतः यह बताना सम्भव नहीं कि इन खानों ने कब से उत्पादन करना बन्द कर दिया है।

(घ) वर्ष 1984-85 में खनिज व धातु व्यापार निगम ने इस जिले से 1.88 लाख टन लौह अयस्क प्राप्त किया जो वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में इस जिले से प्रति वर्ष प्राप्त किये गये लौह अयस्क की मात्रा की तुलना में अधिक है। बढ़े हुए निर्यात वायदों को पूरा करने के लिए खनिज व धातु व्यापार निगम ने वर्ष 1984-85 के स्तर की तुलना में वर्ष 1985-86में अधिक मात्रा में लौह अयस्क प्राप्त करने की योजना बनायी है। आशा है कि खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क की प्राप्ति में वृद्धि, इस जिले में लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये प्रेरित करने का कार्य करेगी।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : माननीय मन्त्री ने उत्तर दिया है कि मयूरभन्ज जिले के गोरूमहिशानी बादाम-पहाड़ सेक्टर में इस समय तीन खानों में काम चल रहा है। उन्होंने पहले ही बताया है कि इस जिले में औसतन छः खानों में खुदाई हुआ करती थी।

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि ऐसी कितनी खानें हैं जिनमें दस साल पहले खुदाई हुआ करती थी तथा क्या यह भी बतायेंगे कि इस वर्ष कुल कितना लौह अयस्क निकला है ?

मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने प्रश्न के भाग 'घ' के उत्तर में बताया है कि खनिज और धातु व्यापार निगम ने 1984-85 की अपेक्षा 1985-86 में ज्यादा मात्रा में खरीद करने की योजना बनाई है और मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि हम जन-जातीय समुदाय के कल्याण के लिए बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध हैं और यह हमारा नैतिक दायित्व भी है कि उन्हें समुचित रोजगार दिलायें।

मैं माननीय मंत्रीं से यह जानना चाहती हूं कि क्या इस्पात मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय 1985-86 के दौरान अतिरिक्त 15000 टन की खरीदारी करेगा और उसके लिए क्या बन्द की गई खानों को मन्त्रालय के निर्देश से फिर खोला जायेगा।

मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या जिन खानों को अस्थायी रूप से बन्द किए जाने का नोटिस दिया गया है उन्हें भी खोला जाएगा।

श्री के० नटवर सिंह : खानों में खुदाई का काम पूरी तरह से उद्योग की आवश्यकता पर निर्भर है। पिछले कुछ वर्षों में लौह अयस्क की दृष्टि से बाजार खरीदारों पर ही निर्भर है और इसके निर्यात में हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर से पारादीप पत्तन पर क्योंकि वहां केवल 55000 डी० डब्ल्यू० टी० के आधार के जहाज ही ठहर सकते हैं जबकि ब्राजील और आस्ट्रेलिया जो लौह अयस्क सप्लाई करने वाले दो और देश हैं—वहां के पत्तनों पर 200,000 डी० डब्ल्यू० टी० के आकार के जहाज भी ठहर सकते हैं। मुझे माननीय सदस्या को यह कहते हुए खुशी हो रही है कि खनिज एवं धातु व्यापार निगम जापानी इस्पात मिलों को पारादीप पत्तन से 5 लाख टन लौह अयस्क का निर्यात करने में सफल हो गया है और अन्य देशों खासतौर से दक्षिणी कोरिया, चेकोस्लोवाकिया और जर्मन जनवादी गणतंत्र को हो रहे निर्यात में वृद्धि करने में भी सफल हुआ है। खनिज एवं धातु व्यापार निगम 1985-86 में पारादीप पत्तन से लगभग 23 लाख टन का निर्यात करेगा। स्वाभाविक है कि इसके परिणाम स्वरूप चालू खानें ज्यादा काम करेंगी। दस वर्ष पहले कितनी खानों में काम हो रहा था इसके बारे में कोई आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं। किन्तु मैं यह जानता हूं कि 1:-16 ऐसे क्षेत्र हैं जहां खानों में काम हो रहा था। इनमें से 1981-82 में तीन बन्द कर दिए गए थे।

श्रीमती जयंती पटनायक : भारत सरकार की एक नीति है कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाए, तो क्या मैं यह जान सकती हूं कि इस्पात मंत्रालय ऐसे क्षेत्र में कच्चा लोहा संयंत्र की स्थापना की व्यवहारिकता पर विचार करेगा जहां दीर्घकालीन आधार पर लौह-अयस्क का उपयोग सुनिश्चित हो ?

श्री के० नटवर सिंह : हम निश्चित रूप से इसे ध्यान में रखेंगे।

श्री सोमनाथ रथ : मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि इन खानों के अस्थायी रूप से बन्द होने के कारण कितने कामगार बेरोजगार हो गए हैं और उन्हें रोजगार देने के लिये क्या उपाय किए गए हैं।

श्री के० नटवर सिंह : मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। मैं इसे प्राप्त कर भेज दूंगा। मैं पता लगाऊंगा और स्थानीय जनता की कठिनाइयों को हर हालत में दूर किया जाएगा।

श्री दिग्विजय सिंह : क्या मन्त्री महोदय जानते हैं कि ताबांड से बांगरी पोसी और बांगरी पोसी से बाड़ीपद और फिदा रुप्सा तक इस लौह-अयस्क को ले जाने वाला रेल-मार्ग बन्द है यदि वह रेल-मार्ग खोला जायेगा तभी इन स्थानों का बेहतर उपयोग हो पाएगा।

श्री के० नटवर सिंह : यह पूरी तरह से लौह-अयस्क की मांग पर निर्भर करेगा। यदि मांग बढ़ती है और यदि सरकार महसूस करती है कि वह रेल-मार्ग का खोला जाना लाभकारी और व्यावहारिक है तो हम ऐसा ही करेंगे।

केरल में निलम्बूर के समीप चलियार नदी में सोने के निक्षेप

*796. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल में निलम्बूर के समीप चलियार नदी में सोने का निक्षेप के समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या ये निक्षेप इस मात्रा में है कि उनका विदोहन किया जा सके;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सोने के खनन की परियोजना को मन्जूरी देने का अनुरोध किया है; और

(घ) इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात खान, और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) सरकार को मालूम है कि केरल में नीलाम्बर के निकट चेलियार नदी क्षेत्र में स्वर्णधारी कंकड़ हैं। इन निक्षेपों की वाणिज्यिक उपादेयता की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

(ग) और (घ) : कच्छारी स्वर्ण निक्षेपों के खनन की साहायता का पता लगाने के लिए राज्य सरकार का प्रायोगिक स्तर खनन करने का प्रस्ताव है तथा परियोजना से पहले संयुक्त राष्ट्र

विकास कार्यक्रम की सहायता प्राप्त है, के वित्त पोषण के लिए वह केन्द्र सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : दशकों से लोग निलम्बूर में नदी के तल से सोना एकत्र करते रहे हैं। बीच में कुछ समय के लिए यह कार्य बन्द हो गया था। पिछले कुछ वर्षों से यह दोबारा शुरू हो गया है। नदी के दोनों ओर स्थित क्षेत्रों के विषय में अनेक गाथायें हैं कि चलियार नदी में से सोना निकाल कर किस प्रकार लोग अमीर हो गए। परन्तु दुर्भाग्यवश भारत सरकार अथवा केरल सरकार ने इस परियोजना को गम्भीरता से नहीं लिया। मुझे यह भी बताया गया है कि सोना निकालने की हमारी वर्तमान प्रणाली और प्रौद्योगिकी कच्छारी स्वर्ण निक्षेपों से सोना निकालने में सहायक नहीं है। जैसा कि मन्त्री जी ने बताया है भारत गोल्ड माइन्ज को घाटा हो रहा है। सोने के अनेक प्रमुख भन्डार जैसे कोलार स्वर्ण खानें बेकार पड़ी हैं। हमारे सामने यह समस्या है कि हमारे देश में सोने के अनेक भण्डार हैं परन्तु इनमें से कुछ भण्डार ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां खनन कार्य कठिन है जैसे इन नदी के स्वर्णधारी कंकड़ पाए जाने वाले क्षेत्र हैं। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इस परियोजना पर गम्भीरता से कार्य कर रहा है और क्या वे नवीनतम प्रौद्योगिकी प्राप्त कर रहे हैं ताकि वे इन भण्डारों से सोना निकालने का कार्य कुछ उत्साह से कर सकें ;

श्री वसंत साठे : बात बिल्कुल यही है। इसीलिए हम प्रस्तावित योजना में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि सोना निकालने के लिए कंकड़ों का बेहतर इस्तेमाल किस प्रकार किया जा सकता है। क्योंकि वास्तव में यही समस्या है। यद्यपि हम जानते हैं कि नदी के मोड़ को 50 से 60 कि०मी० तक फैले विस्तृत क्षेत्र में प्लेसर के भण्डार हैं और इनका विदोहन किया जा सकता है। परन्तु इस क्षेत्र की विशालता के कारण उपयुक्त प्रौद्योगिकी के बिना हम इस मिट्टी का लाभप्रद ढंग से विदोहन नहीं कर पायेंगे। इसीलिए हम इस विषय में आस्ट्रेलिया सरकार की सहायता प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बारे में विशेषज्ञता प्राप्त है। अत: जहां कहीं से भी हमें नवीनतम प्रौद्योगिकी और जानकारी मिलती है। हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि हम यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक हैं कि निलम्बूर नदी में पाए गए सोने के भण्डारों से सोना प्राप्त किया जाये।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं मन्त्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि वे इस कार्य में कुछ रुचि ले रहे है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा दशकों से यह भण्डार व्यर्थ जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे इस परियोजना के लिए कितनी आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। किस प्रकार की सहायता दे रहे हैं और यह परियोजना कब तक शुरू हो जायेगी।

श्री वसंत साठे : परियोजना को गम्भीरता से लिया जा रहा है। जहां तक गम्भीरता का प्रश्न है ···

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : गम्भीरता की कमी नहीं है।

श्री वसंत साठे : जहां तक साधनों का सम्बन्ध है…

अध्यक्ष महोदय : उनकी कमी है।

श्री वसंत साठे : इस विषय में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस परियोजना के लिए समुचित संसाधन उपलब्ध हों। इस प्रयोजनार्थ फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई परियोजना रिपोर्ट नहीं है जिसमें संसाधन सम्बन्धी आवश्यकताओं को दर्शाया गया हो। जब तक आस्ट्रेलिया और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के विशेषज्ञ नहीं बताते कि उपकरणों और अन्वेषण कार्यों के लिये कितनी धनराशि आवश्यक होगी। यह एक प्रायोगिक परियोजना है और इसकी सम्भाव्यता रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

यह कार्य पूरा हो जाने के बाद, संसाधनों की कमी नहीं रहेगी। समय-सीमा निर्धारित करना अत्यन्त कठिन है लेकिन मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि स्वर्ण की प्राप्ति के लिए हम भी उतने ही उत्सुक हैं जितना कोई और व्यक्ति। स्वर्ण कौन नहीं चाहता।

'ग्वार' पर आधारित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना

[हिन्दी]

*797. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों, गुजरात के मेहसाणा और बनासकांठा जिलों तथा हरियाणा और पंजाब राज्यों में 'ग्वार' की अच्छी फसल होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन राज्यों में ग्वार पर आधारित ऐसे कई कारखाने हैं, जो 'गवारगम' और 'गवार पाउडर' बना रहे हैं; और विदेशों को उनका निर्यात कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान से होने वाली कड़ी प्रतियोगिता के फलस्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए क्या सरकार कुछ ठोस कदम उठाने और 'ग्वार' पर आधारित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता देने पर विचार करेगी ?

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) ग्वार की पैदावार आम तौर पर शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में की जाती है । राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कतिपय जिलों में ग्वार की अच्छी फसल पैदा होती है ।

(ख) ग्वार गोन्द के प्रोसेसिंग एकक मुख्यत: राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में स्थित है । ये एकक ग्वार गोन्द और ग्वार पाउडर का उत्पादन कर रहे हैं जिनका कि विदेशों को निर्यात भी किया जा रहा है ।

(ग) सरकार ने ग्वार गोन्द और इसके उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए अनेक उपाय किए हैं । इनमें पर्याप्त नकद मुआवजा सहायता तथा आयात प्रतिपूर्ति की सुविधाएं बढ़ाना, प्रमुख आयातक देशों में बाजार सर्वेक्षण करना आदि शामिल हैं । बाजार, कीमत निर्धारण नीति, अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा और नए अन्तिम प्रयोगों, विशेषतौर पर खाद्य. उद्योग में विकसित करने की संभाव्यता की जांच करने के उद्देश्य से एक विस्तृत अध्ययन भी आरम्भ कर दिया गया है ।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार गवार गम और गवार पाउडर के एक्सपोर्ट करने वालों को इन्सैंटिव दे रही है । इसकी हम प्रशंसा करते हैं । प्रश्न यह है कि गवार पाउडर के लिए पाकिस्तान भी कम्पीटिशन में है, तो क्या भारत सरकार इन्सैंटिव को और बढ़ाकर कम्पीटिशन में पाकिस्तान से आगे बढ़ने का प्रयास करेगी और कुछ ठोस कदम उठाएगी ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : यह एक आम भावना है कि जो प्रोत्साहन या सहायता हम अभी दे रहे हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं । इसमें वृद्धि की मांग की गई है । सरकार इस पर विचार कर रही है ।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : दूसरा प्रश्न यह है कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और पंजाब के किसानों को गवार की कीमत अधिक मिले और गवार, गम और पाउडर से देश को फौरेन एक्सचैन्ज अधिक मिले, इसके लिए बाजार, गवार की कीमत निर्धारण नीति, अन्य देशों से कम्पीटिशन, खाद्य उद्योग को विकसित करने के लिए जांच के उद्देश्य से जो अध्ययन आरंभ किया था, उस की क्या प्रगति है और कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर के उन्हें रिलीफ पहुंचाया आएगा ।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : जहां तक इस पहलू का संबंध है, यह कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। मेरा संबंध केवल तैयार माल के निर्यात से है। इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : जब राजस्थान और हरियाणा का सवाल आया, तो आप ने यह कह दिया कि एक्सपोर्ट होता है। आप मेहरबानी करके यह बताइए कि कितनी कीमत का एक्सपोर्ट पिछले साल और इस साल किया है और एक्सपोर्ट करने के लिए आप इन्सेंटिव क्यों नहीं देते हैं और अगर देते हैं तो क्या क्या देते हैं और जिससे ज्यादा माल एक्सपोर्ट हो सके।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : 1981-82 में 108 करोड़ रुपये मूल्य के गवार गम का निर्यात किया गया जोकि एक रिकार्ड है। 1982-83 में यह घट कर 35 करोड़ रुपये हो गया। 1983-84 में यह राशि 16 करोड़ रुपये थी। 1984-85 में यह थोड़ा बढ़ कर 24 करोड़ रुपये हो गया। जहां तक प्रोत्साहन का सम्बन्ध है, मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं। हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। परन्तु अभी भी यह भावना है कि और प्रोत्साहन दिये जाने चाहिये। हम इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : सरकार की यह नीति होनी चाहिए कि यह ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। यह जो अपने यहां दो-तीन साल में एक्सपोर्ट गिरा है, इस को बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किये गए और आगे क्या करने वाले हैं जिससे उत्तर भारत और राजस्थान के क्षेत्र में इस को प्रोत्साहन मिले। क्या कान्क्रीट स्टेप्स सरकार ने लिये हैं, मैं यह जानना चाहता हूं। एक्सपोर्ट इतना रेपिडली गिरा है और उस के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। इन्होंने इस बारे में कोई कदम क्यों नहीं उठाया, यह हम को जानने का हक है और मंत्री जी, इसे हमें बताएं।

अध्यक्ष महोदय : अभी बताया है मंत्री जी ने।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : मेरे विचार में, मैंने गवारगम के निर्यात में आई कमी के कारण बता दिए हैं। इस उत्पाद का इस्तेमाल मुख्यत: तेल की खुदाई के लिए किया जाता है और 1981-82 के दौरान इसका 108 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात किया गया, क्योंकि उस दौरान तेल के

मूल्यों में तेजी थी और बहुत से देश तेल की खुदाई में लगे थे । परन्तु अब स्थिति बहुत भिन्न है। अनेक देशों ने तेल की खुदाई का काम धीमा कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप मांग घट गई है । इसीलिए इसका निर्यात नहीं बढ़ रहा है। जहां तक और प्रयासों का सम्बन्ध है, हमने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा एक अध्ययन शुरू कराया है जो सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है जिसमें यह भी शामिल है कि हम अन्य देशों की चुनौतियों का कैसे सामना कर सकते हैं ।

सिंगापुर को भारतीय निर्यात

*798. श्री एम० अरुणाचलम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1985 में सिंगापुर के व्यापारिक शिष्टमंडल की यात्रा भारतीय निर्यात व्यापार के लिए लाभकारी रही;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सिंगापुर से व्यापारिक शिष्टमण्डल के साथ हुई बातचीत के परिणामस्वरूप आगामी पांच वर्षों के दौरान निर्यात में कितनी वृद्धि होने की आशा है; और

(घ) सिंगापुर को कौन-कौन से नए उत्पादों का निर्यात किए जाने की सम्भावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) दल में अधिकांशतः व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल थे और वे अपने भारतीय प्रतिपक्षों के साथ सम्पर्क स्थापित करने और भारत में हुई प्रगति, विशेष रूप से इंजीनियरी क्षेत्र में हुई प्रगति की अद्यतन जानकारी लेने आए थे । दल ने दोनों देशों के बीच संयुक्त उद्यम के अवसरों का पता लगाने और व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली, बम्बई, मद्रास और बंगलौर में बहुत से औद्योगिक एककों का दौरा किया ।

(ग) सिंगापुर व्यापार दल के साथ विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप निर्यातों में अनुमानित वृद्धि की सीमा का पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

(घ) सिंगापुर को निर्यात किए जाने वाले नए उत्पादों में शामिल हैं, उच्च-तकनीकी उत्पाद, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, इलैक्ट्रानिक संघटक, भारी इंजीनियरी मदें, ग्रेनाइट, मैरोल, वि-निर्माण सामग्री तथा स्कूटर ।

श्री एम० अरुणाचलम : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि सरकार ने सिंगापुर को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में कुछ नए उत्पाद भी शामिल किए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि सिंगापुर से किया जाने वाला आयात उस देश को हमारे देश से किए जाने वाले निर्यात का तीन गुना है। यदि ऐसा है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिंगापुर को निर्यात किए जाने के लिए कुछ और वस्तुओं को चुना गया है ताकि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य कम से कम आयातित वस्तुओं के मूल्य के बराबर हो सके।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, मैं आयात और निर्यात संबंधी आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं। मुझे यह नहीं मालूम कि यह तीन गुना अधिक है अथवा नहीं। मेरे विचार में यह तीन गुना अधिक नहीं है। वर्ष 1982-83 में हमारा निर्यात 121 करोड़ रुपये था और आयात 395 करोड़ रुपये; वर्ष 1983-84 में निर्यात 195.17 करोड़ रुपये और आयात 384.96 करोड़ रुपये था और 1984-85 में अप्रैल-सितम्बर तक के अन्तिम आंकड़ों के आधार पर निर्यात 84.12 करोड़ रुपये और आयात 270-62 करोड़ रुपये है। और मैं समझता हूं कि यदि आप हिसाब लगायें तो यह तीन गुना नहीं बैठेगा।

श्री एम० अरुणाचलम : क्या यह सत्य है कि सिंगापुर सरकार भारत से वस्तुओं का आयात कर रही है और वही वस्तुएं अन्य विकासशील देशों को अपने ट्रेड नाम के साथ निर्यात कर देती है ? यदि हां, तो उन देशों में ऐसी मंडियां ढूंढ़ने के लिए और वहां पर सीधे भारत द्वारा निर्यात करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ?

श्री पी० ए० संगमा : बहुत से देशों द्वारा ऐसी ही व्यापार व्यवस्था अपनाई गई है। सिंगापुर भी ऐसा कर सकता है। हम भी ऐसा कर सकते हैं। हम एक देश से आयात करके उसे दूसरे देश को निर्यात कर सकते हैं। यह व्यापार की व्यवस्था है और मेरे विचार में हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री एडुआर्डो फैलिरो : 7 अप्रैल को लखनऊ में हुए एक प्रेस सम्मेलन में वित्त मंत्री ने जो कहा था मैं उसे यहां उद्धृत कर रहा हूं—

> "केन्द्रीय वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आज लोगों को विदेशी मुद्रा की स्थिति बिगड़ने की भावी आशंका के प्रति सचेत किया और कहा कि अब वह समय आ गया है जब देश को ऐसा व्यापार बंद कर देना चाहिए जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती हो।"

यह उनके शब्द हैं और अब विदेशी मुद्रा की स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए केवल यही रास्ता है कि हम निर्यात काफी हद तक बढ़ायें और यदि सम्भव हो तो आयात कम कर दें। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह कैसे हो जाता है कि एक ओर तो हम कहते हैं कि हमारा देश विश्व में दसवां सबसे बड़ा औद्योगिक और तीसरा सबसे अधिक वैज्ञानिकों और तकनीशियनों वाला देश है और दूसरी ओर विश्व के नक्शे में जहां तक विदेश व्यापार का संबंध है

वस्तुओं तथा परामर्शदाता सेवाओं दोनों के क्षेत्रों में हमारा नम्बर बहुत पीछे रह जाता है ? केवल एक करोड़ रुपये का निर्यात बढ़ाना काफी नहीं है । इस दिशा में पर्याप्त प्रयास किए जाने चाहियें ताकि विदेशी मुद्रा की स्थिति को बिगड़ने से बचाया जा सके ।

श्री पी० ए० संगमा : मेरे विचार में यह प्रश्न इस प्रश्न विशेष से उत्पन्न नहीं होता, लेकिन मैं माननीय सदस्य को याद दिला दूं कि यद्यपि हमारा देश विश्व में दसवां सबसे बड़ा औद्योगिक देश है, हमारा देशी बाजार भी विश्व में दूसरे स्थान पर है । देशी बाजार में हमारा नम्बर चीन के बाद ही आता है ।

श्री के० रामर्मूति : अध्यक्ष महोदय सिंगापुर से हमारे देश में आने वाले व्यापारिक शिष्ट-मंडल में सिंगापुर में बसे हुए इलेक्ट्रानिक उद्योग के कुछ लोग और कुछ अन्य उद्योगपति भी थे जो हमारे देश से पारम्परिक वस्तुओ जैसे कि दस्तकारी, मसालें और अन्य चीजों के अतिरिक्त अन्य सामान प्राप्त करना चाहते थे । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सिंगापुर से आने वाले व्यापारिक शिष्टमंडल ने अपने आयात के लिए इंजीनियरिंग तथा इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में कुछ निर्मित वस्तुओं का आयात सिंगापुर करने की भी इच्छा व्यक्त की है । यदि ऐसा है तो क्या इस समस्या के समाधान के लिए निकट भविष्य में भारतीय दल द्वारा सिंगापुर का दौरा किए जाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री पी० ए० संगमा : यह व्यापार दल सरकारी दल नहीं था । यह एक गैर सरकारी दल था । परंतु मैं समझता हूं कि यह दल पिछले वर्ष सितम्बर में मेरे सिंगापुर के दौरे के समय वहां के वाणिज्य मंत्री से किए गए व्यक्तिगत अनुरोध के फलस्वरूप यहां आया था । हमने पाया कि सिंगापुर के लोगों को भारत की क्षमता के बारे में जानकारी नहीं है कि वहां क्या अच्छा है और क्या बुरा है । अत: हमने उन्हें आमंत्रित किया कि वह एक व्यापारिक दल भारत भेजें और इसके फलस्वरूप उन्होंने इस दल को भेजा । वे यहां 4 से 17 तारीख तक रहे । उन्होंने बम्बई, मद्रास और बंगलौर सहित देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और उद्योग के सभी पहलुओं को देखा और कुछ नई वस्तुओं को चुना जिनके बारे में मैंने अपने मुख्य प्रश्न के भाग 'घ' में बताया है ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के लिए ऊन की उपलब्धि

*800. **श्री हरीश रावत :** क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में धारचूला, मुनसयारी डीडीहाट क्षेत्रों के व्यापारी नेपाल से भारी मात्रा में ऊन खरीदते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन व्यापारियों का पिछले दो वर्षों से खरीदने के लिए नेपाल से

वांछित मात्रा में ऊन नहीं मिल रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में अच्छी किस्म की ऊन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ताकि स्थानीय ऊन व्यापारियों और बुन-करों के हितों की रक्षा की जा सके ?

[अनुवाद]

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) : सरकार को उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जिनमें धेरचुला मुसयारी और डिडीहाट शामिल हैं, नेपाली ऊन की कमी के बारे में समाचार प्राप्त हुए हैं।

(ग) उक्त क्षेत्रों में नेपाली ऊन की कमी से उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग ने पहले ही निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(1) 1984-85 के दौरान खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग ने बिना हानि बिना लाभ आधार पर स्थानीय शिल्पियों को राजस्थान से अपेक्षित क्वालिटी की तथा मात्रा में कच्चे ऊन की खरीद तथा सप्लाई के लिए 15 लाख रु० की व्यवस्था की है।

(2) 3000 किलोग्राम नेपाल ऊन के जिसे गत वर्ष के दौरान खरीदा गया था, मुंसयारी भेज दिया गया है और स्थानीय शिल्पियों को उसे उपलब्ध कराया गया है।

(3) लम्बे स्टेपल वाली संकर किस्म की शुद्ध की हुई 2039 किग्रा० ऊन सप्लाई की गई है और उसे स्थानीय शिल्पियों में वितरण के लिए पिथोरागढ़ के निकट रखा गया है।

(4) उत्तराखण्ड क्षेत्र और देश के अन्य भागों से कच्चे ऊन की खरीद करने के लिए एक ऊन बैंक की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश राज्य खादी तथा ग्रामीण उद्योग बोर्ड को 20 लाख रु० की राशि उपलब्ध कराई गई है। यह ऊन उत्तराखण्ड क्षेत्र में स्थानीय शिल्पियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को मालूम है कि हिन्दुस्तान के

दस्तकार एक्सपोर्ट क्वालिटी की ऊनी वस्तुएं बनाते हैं। उनको जो ऊन मिलता था वह अच्छी क्वालिटी का और कम दाम का मिलता था। लेकिन राजस्थान से के० वी० आई० सी० जो ऊन उपलब्ध करवा रही है, वह उस क्वालिटी का नहीं है और उसके दाम भी अधिक हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या जब तक वे चीन के साथ कोई ऐसा इस क्षेत्र में व्यापार समझौता नहीं हो जाता तब तक के लिए नेपाल सरकार से बातचीत करके यहां के दस्तकारों की आवश्यकता के अनुरूप ऊन उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रबन्ध करायेंगे ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : इस मुद्दे को लेकर जो कठिनाई है, उससे हम लोग अच्छी तरह परिचित हैं। नेपाल से जो रॉ-वूल आता था वह कोई बाइलेटरल अरेन्जमेंट के अन्दर नहीं आता था और उस पर इम्पोर्ट प्रोसीजरल रेस्ट्रीक्शन भी नही थी। किसी कारणवश पिछले दो-तीन वर्षों से उसके आने में कठिनाई हो रही है। इस संबंध में जो उत्तर में कहा गया है, मैं इस बात से सहमत हूं कि उससे पूरी मदद दूं जो कि आर्टिसन्स को नहीं मिल रही है। हमने राज्य सरकार को प्रश्न मिलने के बाद यह आग्रह किया है कि इस प्रश्न को देखने की कोशिश करे और भारत सरकार से जो मदद की आवश्यकता हो वह हम लोग देने के लिए तैयार हैं।

श्री हरीश रावत : मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो असली पार्ट था कि नेपाल से क्या इस प्रकार की बातचीत करेंगे ताकि आपूर्ति हो सके, उसका उत्तर नहीं दिया। मेरा जो दूसरा सप्लीमेंटरी है, वह यह है कि इसका स्थाई हल यह है कि वहां के जो भेड़ पालक हैं, उनकी मदद की जाए तो क्या आप वहां के लिए कोई केन्द्र पोषित योजना प्रारम्भ करेंगे ताकि भेड़ पालन का काम बड़े पैमाने पर शुरू हो सके।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : यह प्रश्न ऐसा है कि हमारे मन्त्रालय से इसका बहुत ही मार्जिनल संबंध है। कृषि और उद्योग मन्त्रालय से इसका अधिक संबंध है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकार इसकी पूरी जांच और सर्वेक्षण करके तथा क्या आवश्यकता है और किन मन्त्रालयों से मदद लेने की आवश्यकता होगी, यह प्रपोजल हमारे पास भेजे तो हम लोग उसके सभी पहलूओं पर विचार करके कोई निर्णय लेंगे। हम यह समझते हैं कि जो के० वी० आई० सी० की तरफ से मदद दी जा रही है, वह अपर्याप्त है इसलिए इसकी अहमीयत को समझते हुए हम लोगों ने राज्य सरकार को लिखा है। उनका उत्तर आने के बाद शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : माननीय सदस्य श्री हरीश रावत ने माननीय मन्त्री जी से पूछा है कि क्या उनका मन्त्रालय उस व्यापार के बारे में कुछ कार्यवाही करेगा अथवा नेपाल सरकार के साथ इसके लिए कोई व्यवस्था करेगा। अब तक उनके साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। माननीय सदस्य श्री हरीश रावत सीमा क्षेत्र के हैं और वह यह जानते हैं कि नेपाल से आने वाली ऊन से अर्थव्यवस्था का गहरा सम्बन्ध है। अब क्या उनका मन्त्रालय नेपाल के साथ ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करेगा अथवा नहीं ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : यदि उससे स्थिति में सुधार होता है तो हम अवश्य इस पर विचार करेंगे।

माल के अन्तर्राज्यीय अन्तरण पर कराधान सम्बन्धी नियम

*801. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :**
श्री वसुदेव आचार्य : } क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार माल के अन्तर्राज्यीय अन्तरण पर कराधान के सम्बन्ध में उपयुक्त कानून लाने और नियम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस सम्बन्ध में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) 28-5-1984 को आयोजित मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में अन्तर्राज्यीय परेषण अंतरणों पर कर लगाने के लिए कानून बनाने के विभिन्न पहलुओं की एकमत से सिफारिश की थी। सरकार ने, इसमें ग्रस्त विभिन्न मुद्दों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : सम्बन्धित विधान सभी राज्यों के लिए अत्यन्त महत्व का विषय है। यह कोई क्षेत्रीय अथवा स्थानीय मुद्दा नहीं है। अतः सरकार को अपने पहले उत्तर में ही अधिक विस्तार से जानकारी देनी चाहिए थी। बहरहाल 28 मई 1984 को हुए मुख्यमन्त्रियों के सम्मेलन का संक्षिप्त रिकार्ड मेरे पास है। इसमें एकमत से की गई कुछ सिफारिशें हैं और इसकी अन्तिम पंक्ति इस प्रकार है :—

"उपरोक्त के कार्यान्वयन के लिए विधान यथा सम्भव शीघ्रता से लागू किया जाए"

उपरोक्त और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक विधान बनाने में असफलता के कारण राज्य सक्षम स्रोतों का एक बड़ा भाग गंवा रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सत्र में यह विधान सभा में लाएगी और इसी सत्र से उसे पारित करेगी।

श्री जनार्दन पुजारी : यहां मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री की अध्यक्षता में बनाए गए मुख्य मन्त्रियों का दल प्रस्तावित विधान पारित करने में पारेषण···बारे में एकमत नहीं हो सका···

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : यह आवश्यक नहीं है। ऐसा बाद में किया गया था।

श्री जनार्दन पुजारी : मेरा आशय उनके वितरण से है। अतः 28-5-1984 को मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कुछ सिफारिशें की गई, परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि जनवरी 1985 में नई सरकार अस्तित्व में आई है। हम इसके सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। इस पर नए सिरे से विचार किया जाएगा और सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। यह मामला विचाराधीन है।

प्रो० मधु दण्डवते : सरकार तो एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

(व्यवधान)

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री द्वारा प्रधान मन्त्री को लिखे गये एक पत्र के उत्तर में 5 अक्तूबर 1984 को तत्कालीन वित्त मन्त्री द्वारा लिखे गए पत्र में यह कहा गया है कि :—

मैं उद्धृत करती हूं :

"केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त संसाधनों की गतिशीलता के लिए राज्यों की बढ़ती हुई आवश्यकता के संदर्भ में राज्य सरकारों की पारेषण शुल्क की प्रस्तावित लेवी को अन्तिम रूप दिए जाने के प्रति चिंता के सम्बन्ध में जानती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 25-8-84 को मुख्यमन्त्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत संकल्प में प्रस्तावित पारेषण शुल्क की लेवी सम्बन्धी योजना की मुख्य-मुख्य बातें दी गई हैं। इन पर काम करते समय अनेक महत्वपूर्ण संवैधानिक, कानूनी और अन्य मुद्दे सामने आए जिन्हें सुलझाने के लिए समय की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त विधि मन्त्रालय कुछ अन्य वैधानिक मामलों के कारण अत्यन्त व्यस्त था। इन कारणों से प्रस्तावित विधेयक को संसद के पिछले सत्र के दौरान पुरःस्थापित करने के लिये तैयार नहीं किया जा सका।"

पिछले सत्र का मतलब, पिछले वर्षाकालीन सत्र से है।

मूलतः राष्ट्रीय विधि आयोग ने सिफारिश की थी और उस सिफारिश के आधार पर संविधान में 46वां संशोधन किया गया था। इसलिए, क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकती हूं कि वास्तव में वे मुद्दे क्या हैं जिन्हें पिछले सात महीनों से अधिक अवधि के दौरान सुलझाया नहीं जा सका।

श्री जनार्दन पुजारी : यह सही है कि विधि आयोग ने एक प्रतिवेदन दिया था और 61वें प्रतिवेदन में उन्होंने इसकी सिफारिश की है और हमने संविधान में संशोधन कर दिया है।

46वां संशोधन भी इस बारे में था। अब, जैसा कि मैंने पहले कहा, हम सभी पहलुओं अर्थात् इसके प्रभाव आदि पर नये सिरे से विचार कर रहे हैं। अतएव, नई सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

श्री सी० माधव रेड्डी : हमें पता चला है कि करों के बंटवारे के बारे में पहले ही आम हमति थी; और उस समय आम सहमति के अनुसार समस्त आय राज्यों को जानी थी। इस बात को देखते हुए कोई निर्णय लेने तथा संसद में एक विधेयक लाने के बारे में क्या अड़चन थी ?

श्री जनार्दन पुजारी : सिफारिशों के अनुसार जहां तक आवंटन राशि अर्थात प्रस्तावित प्रेषण कर से होने वाली आय का सम्बन्ध है, उपदल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। इस बारे में एक विवाद था और जब इसे मुख्यमन्त्री के समक्ष रखा गया था। मुख्यमन्त्रियों का सम्मेलन 28-5-84 को बुलाया गया था उस समय कई सिफारिश की गई थी। उस सिफारिश के अनुसार आय का 50 प्रतिशत भाग कर-निर्धारण करने वाले राज्यों को जाना चाहिए और शेष कुछ प्रतिशत मूल को आना चाहिए जहां से वितरण किया जाता है। इस बीच हमें केन्द्र सरकार के प्रशासनिक मंत्रालयों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। उन्हें भी कठिनाइयां महसूस हुई और उस पर भी हमें विचार करना है, इसलिए मैंने कहा कि हम इसे फिर से देखेंगे, और यह विचाराधीन है, हम इसके सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह मानते हुए कि यह सरकार बनी रहती है और कोई नई स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, तो क्या मन्त्री महोदय हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कानून यहां कब पेश किया जाएगा और पास किया जाएगा ?

प्रो० मधु दण्डवते : वे यह आश्वासन कैसे दे सकते हैं कि सरकार चलती रहेगी ?

श्री जनार्दन पुजारी : चूंकि इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। मैं नहीं समझता कि मुझे उसे दोहराना होगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या यह सच नहीं है कि भूतपूर्व वित्त मन्त्री, श्री प्रणव मुखर्जी ने कई राज्य सरकारों को यह वचन दिया था कि इस मामले पर तुरन्त कार्यवाही की जाएगी ? अब आप यह कह रहे हैं कि आप इस पर नये सिरे से विचार करेंगे। आपने ऐसा करने का निर्णय कब लिया था ? क्या ऐसा निर्णय आपने इस सरकार के जनवरी में सत्ता में आने के बाद लिया है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। मेरे विचार से आपने सुना नहीं। नई सरकार के बनने के बाद हम इस पर नये सिरे से विचार कर रहे है; हम इसके सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं।

विकासशील देशों की ऋण-ग्रस्तता

*804. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1985 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अन्तर्राष्ट्रीय विकास समिति और विश्व बैंक की बैठक में विकासशील देशों की ऋण-ग्रस्तता पर चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सरकार ने क्या रुख अपनाया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां, ऋण-समस्या के बारे में मुख्यत: अन्तरिम समिति (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नरों की समिति) में चर्चा की गई थी। विकास समिति (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के गवर्नरों की मन्त्री-स्तर की संयुक्त समिति) में भी इस विषय पर संक्षेप में चर्चा की गई थी, और उसने भी मुख्य रूप से अंतरिम समिति के निष्कर्षों और उनकी सिफारिशों का समर्थन किया।

(ख) अन्तरिम समिति ने कई विकासशील देशों को पेश आने वाली ऋण परिशोधन संबंधी गम्भीर कठिनाइयों पर चिंता व्यक्त की और ऋणदाता और ऋणकर्ता दोनों से आपसी सहयोग के लिए अनुरोध किया ताकि यथार्थवाद शर्तों पर पर्याप्त नए ऋणों के प्रवाह के द्वारा और निजी तथा सहकारी ऋणदाताओं द्वारा पहले दिए गए ऋणों की परिपक्वता अवधियों को पुन: निमित करके इन देशों के ऋण सम्बन्धी साख और निवेश वातावरण को बहाल किया जा सके।

(ग) समिति द्वारा व्यक्त किए गए विचार ऋण सम्बन्धी समस्या पर भारत सरकार की विचारधारा के समान थे।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा सुझाव है कि श्री सिंह और श्रीमती सिंह के प्रश्न एक साथ लिये जायें।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अभी भी यही महसूस करते हैं कि वे अलग-अलग हैं ? आप उनके बीच दरार क्यों पैदा करना चाहते हैं ? प्रोफेसर साहब के इरादे अच्छे प्रतीत नहीं होते हैं।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : प्रश्न एक जैसे नहीं हैं। मैंने विवरण को पढ़ा है और मैं स्वीकार करता हूं कि मैं उत्तर को समझ नहीं पाया। अन्तरिम समिति द्वारा किन ठोस कदमों के उठाये जाने का सुझाव दिया गया था और दूसरे निकाय की क्या प्रतिक्रिया थी ?

श्री जनार्दन पुजारी : यदि उत्तर के भाग (ख) को पढ़े तो आप पाएँगे कि "अन्तरिम समिति ने यह नोट किया था......" अंतरिम समिति और विश्व बैंक की विकास समिति, ये दो

समितियां हैं और दुर्भाग्यवश माननीय सदस्य इन दो समितियों के बीच अन्तर नहीं कर सके और इसलिए हमने इस बात को स्पष्ट किया है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मैं अन्तरिम समिति और विकास समिति के बीच अन्तर को जानता हूँ और मैं जानता हूं कि अन्तरिम समिति, जिसमें 24 सदस्य हैं, की बैठक हुई थी और उसने एक मांग-टिप्पण तैयार किया था जिस पर अन्तरिम समिति ने विचार किया था। समिति की यही उपलब्धि रही है। इसलिये मैं कहता हूं कि आप केवल भावनायें और सहानुभूति व्यक्त कर रहे है। कौन से ठोस कदम उठाने का सुझाव दिया गया था और क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जनार्दन पुजारी : उन्होंने यह आक्षेप लगाया था कि वे उत्तर को नहीं समझ सके हैं। इस बारे में मेरा यह निवेदन है कि प्रश्न ही कुछ इस प्रकार बनाया गया था। प्रश्न यह है :

> "क्या अप्रैल, 1985 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अन्तराष्ट्रीय विकास समिति और विश्व बैंक की बैठक में विकासशील देशों की ऋण-ग्रस्तता पर चर्चा की गई थी।"

मैं यह कह रहा हूं कि दो भिन्न-भिन्न बैठकें हुई हैं। एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो कि एक अन्तरिम समिति है और दूसरी विश्व बैंक की विकास समिति थी, दो बैठकें हुई थीं। उत्तर में मैंने उठाए गए कदमों के बारे में यह कहा है :—

> "अन्तरिम समिति ने कई विकासशील देशों को पेश आने वाली ऋण परिशोधन सम्बन्धी गम्भीर कठिनाइयों पर चिन्ता व्यक्त की और ऋणदाता और ऋणकर्ता दोनों से आपसी सहयोग के लिए अनुरोध किया ताकि यथार्थबद्ध शर्तों पर पर्याप्त नए ऋणों के प्रवार के द्वारा और निजी तथा सरकारी ऋणदाताओं द्वारा पहले दिए गए ऋणों की परिपक्वता अवधियों को पुनः निमित करके इन देशों की ऋण सम्बन्धी साख और निवेश वातावरण को बहाल किया जा सके।"

एक माननीय सदस्य : यह एक लम्बा उत्तर है।

श्री जनार्दन पुजारी : इसीलिये मैंने कहा कि उत्तर बहुत विस्तृत है। इसे सरल बनाने के लिए मैं यह कह सकता हूं कि वहां दिए गए सुझावों को यह देखने के लिए स्वीकार किया जाता है कि विकासशील देशों को मुक्त रूप से ऋण दिया जाना जारी रखना चाहिए। यह एक बात है और सहायता की शर्तें उदार और यथार्थवादिता के आधार पर होनी चाहिये। मेरे विचार में मैंने जो पहले कहा था उससे यह बात अधिक सरल है। जो ऋण देय होते हैं उनको

साधारण ऋणों के रूप में पुन: संरचना की जाए और इसलिये उन्हें पुन: निर्धारित अथवा संशोधित किया जा सकता है। यही बात स्वीकार की गई थी।

* (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। उन्हें अनुमति नहीं है। आप बैठ जाइए।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : यह आक्षेप नहीं था। यह केवल कल्पना थी। मेरा केवल यह मतलब था कि उत्तर स्पष्ट नहीं है।

24 देशों के समूह ने कुछ विशिष्ट सुझाव दिए थे और एक सुझाव यह था कि ऋण देने की दरें आसान होनी चाहिए और शर्तों में छूट दी जानी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सुझाव दिया गया था कि ऋण के भार को कम करने के लिए कदम उठाने हेतु समग्र स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक तदुद्देशीय बल नियुक्त किया जाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अन्तरित समिति अथवा विकासशील समिति द्वारा वास्तव में क्या निर्णय लिए गए थे। मैं समझता हूं कि उन्होंने कहा था कि, इस मामले में कोई चर्चा, कोई शर्तें आदि नहीं होंगी। इसलिए, मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या ऐसी बात है?

श्री जनार्दन पुजारी : जैसाकि मैंने पहले कहा है, जो सुझाव दिए गए हैं उन्हें समिति ने स्वीकार कर लिया है।

उत्तर में भी मैंने कहा है कि ऋणों का मुक्त रूप से दिया जाना जारी रहना चाहिए और ऋण की शर्तें भी उदार बनाई जाना चाहिए तथा उदारता के आधार पर पुन:निर्धारित की जानी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : सरल भाषा अधिक अस्पष्ट होती है।

अध्यक्ष महोदय : श्री गदाधर साहा। अनुपस्थित।
श्रीमती किशोरी सिंह।

श्रीमती किशोरी सिंह : महोदय मैं मौजूद हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप पीछे कैसे रह सकती हैं?

एक माननीय सदस्य : इन्हें पीछे का स्थान दिया गया है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में परिवर्तन

***806 श्रीमती किशोरी सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यूरोपियन मैनेजमैंट फोरम के तत्वाधान में अप्रैल, 1985 में नई दिल्ली में आयोजित "राउंड टेबल" में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में परिवर्तन की मांग की गई है।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ख) क्या उसमें यह भी मांग की गयी थी कि विदेशी इक्विटी में 40 प्रतिशत की भागीदारी की सीमा को भी हटा दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

यूरोपीय प्रबन्ध मंच के तत्वाधान में 15/16 अप्रैल, 1985 को नई दिल्ली में व्यापार क्षेत्र के कार्यकारी अधिकारियों की जो बैठक हुई थी वह किसी सरकारी अभिकरण के द्वारा आयोजित नहीं की गई थी । प्रेस सूचनाओं से यही जानकारी प्राप्त होती है कि उस बैठक में इस आशय का सुझाव दिया गया था कि विदेशी सामान्य शेयर पूंजी सम्बन्धी भागीदारिता के लिए निर्धारित 40 प्रतिशत की वर्तमान सीमा में सारवान वृद्धि की जानी चाहिए ताकि भारतीय उद्यमों को सार्थक विदेशी सहयोग प्राप्त हो सके । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी निवेश की कोई सीमा नहीं है । उस अधिनियम की धारा 26 (7), 28, 29 और 31 में यह प्रावधान है कि भारत में कार्य कर रही उस विदेशी कम्पनी को जिसके पास 40 प्रतिशत विदेशी पूंजी हो उसे अपने औद्योगिक वाणिज्यक अथवा व्यापारिक कार्यकलापों में विस्तार अथवा परिवर्तन लाने; अन्य भारतीय कम्पनियों की ओर से एजेंसी कार्य करने; अचल सम्पत्ति आदि ग्रहण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी होती है । इस सम्बन्ध में यह बात भी उल्लेखनीय है कि विदेशी निवेश के सम्बन्ध में सरकार ने चयनात्मक आधार की नीति को अपना रखा है और इसी बात को 1983 के प्रौद्योगिकी विषयक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में भी दोहराया गया था । इस नीति के अधीन हम सामान्य रूप से स्वल्प मात्रा में विदेशी भागीदारिता की उपलब्धि को ही पसंद करते हैं जो कि 40 प्रतिशत से अधिक न हो ।

श्रीमती किशोरी सिंह : उत्तर के अन्त में मंत्री महोदय ने कहा है कि विदेशी निवेश के सम्बन्ध में सरकार ने चयनात्मक आधार की नीति को अपना रखा है । क्या मैं यह जान सकती हूं कि सरकार ने किन उद्योगों में 40 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता की अनुमति दे रखी है ।

श्री जनार्दन पुजारी : जिन मामलों में काफी उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है और जो एकक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख होते हैं तो ऐसे मामलों में नीति में इस बात की ढील दी जा रही है कि विदेशी निवेशकर्त्ता यहां आकर 40 प्रतिशत से अधिक शेयर ले सकते हैं । इन उद्योगों का ब्यौरा मेरे पास नहीं है । लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि 1984 में जिन कुल 752 उद्योगों को विदेशी सहयोग के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी उनमें से 151 उद्योगों में 40 प्रतिशत तक शेयर थे ।

श्रीमती किशोरी सिंह : मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। कोई बात नहीं, मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ रही हूं। क्या सरकार ने सहयोग की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाने के अनुरोध पर विचार किया है ? सरकार के किन क्षेत्रों में ईक्विटी भागीदारिता के आधार पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की अनुमति देने पर विचार किया है।

श्री जनार्दन पुजारी : इसमें उच्च प्रौद्योगिकी और 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख मामलों में छूट दी जा सकती है। इन मामलों में यह नीति लचीली है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट की गई है। सहयोग की अवधि आमतौर पर 8 वर्ष होती है। और गुणावगुणों के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक मामले की गुणावगुणों के आधार पर जांच की जाएगी और इसमें छूट भी दी जा सकती है। इसीलिए हमने कहा है कि और कानून की आवश्यकता नहीं है। यह लचीली है।

[हिन्दी]

सरकार के विभिन्न विभागों के लिए खरीदी गई वस्तुएं

*807. श्री मूल चन्द डागा : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के विभिन्न विभागों के लिए खरीदी गई वस्तुओं का वर्ष-वार मूल्य क्या था;

(ख) प्रति वर्ष, लघु उद्योगों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और खुले बाजारों से कितनी मात्रा में वस्तुएं खरीदी गई;

(ग) क्या सरकार लघु उद्योगों के पास उपलब्ध वस्तुओं को भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से खरीदती है; और

(घ) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में यह वस्तुएं वहां से खरीदी जाती हैं ?

[अनुवाद]

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विभिन्न सरकारी विभागों तथा राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र के उपक्रम की ओर से, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा, पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई कुल खरीदों का मूल्य निम्न प्रकार है :—

वर्ष		मूल्य (करोड़ रु० में)
1982-83	...	1872.09
1983-84	...	2294.28
1984-85 (अनन्तिम)	...	1651.10

(ख) लघु उद्योगों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि किसी विशेष क्षेत्र से खरीदी गई वस्तुओं की मात्रा के सम्बन्ध में विवरण देना सम्भव नहीं है, क्योंकि मात्रा सम्बन्धी आंकड़ों को जोर नहीं किया जा सकता, मात्रा का एकक हर मद के लिए अलग-अलग होता है। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से की गई कुल खरीद के मूल्य का विवरण निम्नलिखित है:

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

	1982-83	1983-84	1984-85 (अनन्तिम)
लघु उद्योग	218.04	270.42	184.03
सरकारी क्षेत्र	794.23	1021.70	786.06
गैर सरकारी क्षेत्र	859.82	996.16	681.01

(ग) जी, हां।

(घ) सिवाय उन मदों के, जो कि केवल लघु उद्योग एककों से खरीद के लिए आरक्षित हैं, ऐसे मामलों में प्रतियोगी दरों तथा आवश्यक मात्रा में भण्डार को सप्लाई करने की क्षमता को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : आपने यह निर्णय लिया है और आपने यह उत्तर भी दिया कि छोटे उद्योगों से, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज से करीब 60 परसेंट सामान लेंगे। आपके कई सरकुलर भी निकल चुके हैं कि सप्लाई विभाग को जहां तक स्माल स्केल इंडस्ट्रीज से सामान मिले, वह खरीदना चाहिए। लेकिन आपने जो यह उत्तर दिया है इसमें अपने नियमों के विरुद्ध ही आपने फिगर्स बता दिये हैं। मैंने क्वेश्चन किया था और आपने उत्तर दिया है।

[अनुवाद]

किसी विशेष क्षेत्र, लघु उद्योग, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि, से खरीदी गई वस्तुओं की मात्रा के बारे में विवरण देना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

आप मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे पाते हैं। मैंने यह पूछा था कि आपका सप्लाई विभाग करोड़ों रुपये का सामान खरीदता है, उसको चाहिए कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए वह अपना सामान पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज से न ले कर के पहले स्माल स्केल इंडस्ट्रीज से लें। आपने दिया क्या है उत्तर में? उसका फिगर दे दिया है। क्या कारण है कि आप इतना कम सामान स्माल स्केल इंडस्ट्रीज से खरीदते हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बुन्देलखंड क्षेत्र (मध्य प्रदेश) में खनन सर्वेक्षण

[हिन्दी]

*761. श्री डालचन्द्र जैन : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में खनन सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो जिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया गया है उनके नाम क्या हैं तथा क्षेत्र-वार कितना खनिज पाये जाने की सम्भावना है और उनके खनन के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) अभी कितने स्थानों में सर्वेक्षण किया जाना है और सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जिन क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया गया है, वे हैं छत्तरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सागर तथा

दमोह जिले । इन सर्वेक्षण के आधार पर क्षेत्र में मुख्य खनिजों के अनुमानित भंडार निम्नलिखित है :—

खनिज का नाम	भंडार(लाख टनों में)	क्षेत्र जिला जहां पाये जाते हैं
फासफोराइट	170(25 प्रति०पी$_2$ ओ$_5$)	छत्तरपुर तथा सागर
पायरोफिलाइट	5.7	टीकमगढ़
चीनीमिट्टी	0.12	छत्तरपुर
	8.16	ग्वालियर
बैराइट	0.59	टीकमगढ़
	0.30	शिवपुरी
फायरक्ले	1.96	पन्ना
बाक्साइट	0.30	शिवपुरी
लौहअयस्क	7.7 (लगभग 38 प्रति० लौह)	ग्वालियर
हीरा	5.3 लाख केरेट	पन्ना
चूनापत्थर	10	सागर
	170	दमोह

इसके अतिरिक्त, टीकमगढ़ में डायस्फोर तथा छत्तरपुर में पाइराइट के छुट-पुट खनिजीकरण का भी पता चला है ।

मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम पहले ही फास्फोराइट तथा पायरोफिलाइट निक्षेपों का दोहन कर रहा है । हीरों का खनन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० द्वारा किया जा रहा है । क्ले और गेरु (ओकर) का भी दोहन किया जा रहा है । अन्य खनिजों का वाणिज्यिक विदोहन उनकी प्रौद्यो-आर्थिक उपादेयता पर निर्भर करेगा ।

(ग) भूवैज्ञानिक मानचित्रण सर्वेक्षण और अन्य सम्बन्धित कार्य लगातार चलने वाले कार्य हैं और इसलिए इन्हें पूरा करने की कोई तारीख निश्चित नहीं की जा सकती । चालू फील्ड सत्र

(1984-85) के दौरान, छत्तरपुर, सागर और पन्ना जिलों में क्रमबद्ध भूवैज्ञानिक मानचित्रण के अलावा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण दमोह और छत्तरपुर में आधार धातुओं हेतु तथा पन्ना और सतना जिलों में पोटाश हेतु भी खोज में लगा हुआ है।

ग्लिसरीन, साबुन, डिटर्जेन्ट और सौन्दर्य प्रसाधनों के निर्यात में कमी

[अनुवाद]

*794. श्रीमती उषा चौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लिसरीन, साबुन, डिटर्जेन्ट और सौन्दर्य प्रसाधनों जैसी वस्तुओं के निर्यात में काफी कमी आयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं और इन मदों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) गिरावट का मुख्य कारण प्रमुख बाजारों में उठान कम होना है।

निर्यातों में वृद्धि के लिए ये कदम उठाए हैं : पश्चिम यूरोप, मध्य-पूर्व, सुदूरपूर्ण तथा अफ्रीका जैसे अन्य बाजारों में विविधीकरण के लिए प्रयास करना, अध्ययन-सह-बिक्री दल भेजना, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों आदि में भाग लेना।

विदेशी मुद्रा का संकट

*799. श्री पी० अप्पाला नरसिंहम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी मुद्रा के संकट की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आसन्न संकट का सामना करने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

अफीम की खेती और उसकी पैदावार

*802. श्री अमरसिंह राठवा
श्री कमला प्रसाद रावत } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो देश में अफीम का उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) क्या देश के भीतर तथा निर्यात प्रयोजन के लिए भी अफीम की अत्यधिक मांग है;

(ग) देश में अफीम की और अधिक खेती करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या पोस्त की खेती के लिए उपयुक्त भूमि का पता लगाने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) देश में इस समय पोस्त की काश्त मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में की जाती है ।

(ख) भारत में अफीम का उत्पादन लाजिमी तौर पर निर्यात के लिए किया जाता है । अफीम की कुछ मात्रा का अफीम एल्कालायड, औषधीय अफीम केक/चूर्ण आदि के उत्पादन के लिए देशों में इस्तेमाल किया जाता है । पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से निर्यात की गई और देश में इस्तेमाल की गई अफीम की मात्रा इस प्रकार है :—

(90 डिग्री गाढ़ेपन पर मीट्रिक टनों में)

वर्ष	निर्यात की गई अफीम की मात्रा	देश में इस्तेमाल की गई अफीम की मात्रा
		(लगभग)
1982-83	845	137.2
1983-84	676.7	130.2
1984-85 (अनन्तिम)	684.8	93.7

(ग) से (ङ) : भारतीय अफीम के लिए वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार स्थिति और हमारे कारखानों में जमा हुए अफीम के बड़े स्टाक को देखते हुए पोस्त की काश्त के रकबे में वृद्धि करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । इसलिए, पोस्त की काश्त के लिए उचित भूमि का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

केरल में स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत जरूरतमंद लोगों को ऋण प्रदान करने के सम्बन्ध में

*803. **श्री के० मोहनदास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हे केरल से स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत जरूरतमंद लोगों को ऋण प्रदान करने में बैंकों के द्वारा सहयोग न करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1983-84 में शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार देने की योजना के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों को बैंकों के साथ आने वाली कठिनाइयों के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त है। बैंकों को ऋण आवेदनों का शीघ्र निपटान करने के लिए होती रहती समय-समय पर निर्देश दिए गए हैं। राज्य स्तर बैंकर समिति की बैठकों में कभी-कभी इस योजना पर विचार विमर्श भी किया जाता है। राज्य सरकारों को ये अनुदेश दे दिए गए हैं कि जिला सलाहकार समितियों को इस योजना की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए महीने में कम से कम एक बार बैठक करने के लिए कहा जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में भूविज्ञान सर्वेक्षण

*805. **श्री गदाधर साहा** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में कोयला और इस्पात खनिजों के भण्डारों का पता लगाने हेतु कोई भूविज्ञान सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसे भण्डारों का पता चला है;

(ग) क्या कोयला आदि निकालने हेतु कोई कार्य किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) से (घ) : पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा खनिजों के लिए सर्वेक्षण के परिणाम-स्वरूप लगभग 533 मिलियन टन कोयले के कुल भण्डार का अनुमान लगाया गया है। गोंडवाना सेडिमेंट्स से संबद्ध इलाके में घटिया ग्रेड के लोह-अयस्क हैं जिनमें लोहे का अंश 28 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक अलग-अलग है।

बीरभूम के औरंग-कंवरतला (कस्टा एरिया) और गंगरन चक-भदुलिया क्षेत्रो में कोयला होने की जानकारी के अलावा, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अभी हाल ही में सूरी के समीप दीवानगंज क्षेत्र में कोयले की मोटी सीमों का पता लगाया है। इस समय कोल इंडिया लि० की सहायक कम्पनी केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० कास्टा क्षेत्र में कोयले का विस्तृत समन्वेषण कर रही है और भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण दिवानगंज क्षेत्र में कोयले के लिए आगे जांच-कार्य कर रहा है।

जम्मू तथा कश्मीर को ऋण/अनुदान

*808. **प्रो० सैफुद्दीन सोज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1985 को समाप्त हुई तीन वर्षों की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू तथा काश्मीर राज्य को अनुमानों के रूप में प्रति वर्ष कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि में प्रति वर्ष ऋण के रूप में कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) ऋण और अनुदानों के बीच अनुपात क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1982-85 के दौरान जम्मू तथा कश्मीर सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता तथा ऋण और अनुदान का प्रतिशत

	1982-83		1983-84		1984-85	
	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
राज्य योजना के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु०)	132.30	65.62	157.71	77.26	173.73	86.88
ऋण और अनुदान का प्रतिशत	66.85	33.15	67.12	32.88	66.66	33.34

इसके अतिरिक्त, राज्य को 1984-85 के दौरान 10 करोड़ रु० का मध्यावधि ऋण दिया गया ।

भारत और मैक्सिको के बीच व्यापार

*809. श्री यशवंतराव गडाख पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों के दौरान भारत और मैक्सिको के बीच व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) : जी नहीं। 1981-82 की तुलना में 1982-83 तथा 1983-84 के वर्षों के दौरान भारत तथा मैक्सिको का द्विमार्गी व्यापार नहीं बढ़ा है । 1984-85 के लिए पूरे वर्ष के आंकड़े अभी उपलब्ध नपीं हैं ।

खनन कार्य के तरीकों को आधुनिक बनाया जाना

*810. कुमारी पुष्पा देवी : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में खनन कार्य के तरीकों को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) इसके लिए क्या योजनायें बनाई गई हैं; और

(घ) छठी पंचवर्षीय योजनावधि में इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) से (घ) : खनन तरीकों का आधुनिकीकरण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है । खनन हेतु उठाए जाने वाले कदम सामान्यतः खनन परियोजना के हिस्से होते हैं । अतः इस सम्बन्ध में निश्चित निवेश बताना संभव नहीं है ।

कोयला खानों के सम्बन्ध में छठी योजना में जो कदम उठाये गए और सातवीं योजना में चलते रहने हैं उनमें उल्लेखनीय है अधिक क्षमता वाले उत्खनन उपकरण, यांत्रिकरण, आधुनिक पावर सपोर्ट लांगवाल उपकरण, टेली-मानिटरिंग प्रणाली शुरू करना आदि । योजना में कदम उठाये गए ।

इसी प्रकार अलौह धातुओं के उत्पादन में लगी सरकारी क्षेत्र की यूनिटों की खानों में, जहां संभव है वहां आधुनिक उपकरण तथा तकनीकों का प्रयोग शुरू किया जा रहा है ।

[अनुवाद]

तस्करी तथा उसके कुप्रभाव के बारे में जनता को शिक्षित करना

5964. श्रीमती फूलरेणु गुहा : क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तस्करी तथा अर्थ व्यवस्था पर इसके कुप्रभाव के बारे में जनता में जागृति पैदा करने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) विदेशी वस्तुओं के प्रति मोह को भंग करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : तस्करी के कारण अर्थ व्यवस्था पर पड़ने वाले हानिकर प्रभावों के विषय में जनता को जानकारी देने और विदेशी माल के प्रति ललक को हतोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं—

(I) अखिल भारतीय स्तर पर समाचार-पत्रों में उचित सामग्री का प्रकाशन करना और समाचार-पत्रों द्वारा विशेष पूरक परिशिष्टों का प्रकाशन करना;

(II) आकाशवाणी द्वारा सीमाशुल्क विभाग की ओर से तैयार किए गए "फेरन पेडलर्स" नामक फीचर का रेडियो-प्रसारण करना;

(III) फिल्म डिविजन द्वारा तस्करी के विषय में मुख्य-मुख्य भारतीय भाषाओं में तैयार किए गए दो वृत्त-चित्रों का देश भर के सिनेमाओं में प्रदर्शन करना;

(IV) स्थिर चित्रों तथा चल-चित्रों का दूरदर्शन द्वारा प्रसारण करना;

(V) भिन्न-भिन्न लोगों और व्यापारियों को भेजी जाने वाली अधिसूचनाओं और अन्य सामग्री के लेबलों पर इस संदेश का मुद्रण करना—"तस्करी देश के लिए घातक है";

(घ) विदेशी माल के लिए ललक को समाप्त करने हेतु, घड़ियों, इलैक्ट्रानिकी के सामान आदि जैसी तस्करी के आकर्षण वाली कतिपय मदों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्यों पर क्वालिटी माल का स्वदेश में ही उत्पादन बढ़ाने के लिए आर्थिक तथा राजस्व सम्बन्धी उचित उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विदेशी माल के सरेआम प्रदर्शन और बिक्री

को रोकने के लिए गुप्त सूचना के आधार पर संगठित छापे मारने के साथ-साथ तलाशियां भी ली जाती हैं।

नागदा औद्योगिक बस्ती में अमोनिया गैस का रिसाव

5965. डा० जी० विजय रामाराव : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में नागदा औद्योगिक बस्ती में बिड़ला के स्वामित्वधीन ग्रेसर्स कारखाने से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था;

(ख) क्या सरकार को गैस के इस रिसाव की जानकारी है जैसा कि 22 अप्रैल, 1985 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) कम्पनी ने सूचना दी है कि इस मामले में पर्याप्त एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं तथा घटना की सूचना सम्बन्धित राज्य सरकार के प्राधिकारियों को दे दी गई है, जिन्होंने उसी दिन रिसने के स्थान का निरीक्षण किया। मामले को आगे की आवश्यक कार्यवाही करने के लिए टिप्पणी के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

तराशे गये और पालिश किये गये हीरों का निर्यात

5966. श्री हरिहर सोरन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तराशे गये और पालिश किये गये हीरों के निर्यात में 1984-85 में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में भारत से कुल कितने मूल्य के तराशे गये और पालिश किये गये हीरों का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) तराशे गये और पालिश किए गए हीरों के निर्यात में हुई मामूली गिरावट के लिए कुछ कारणों में शामिल हैं। विदेशी बाजारों में ब्याज की दरों में वृद्धि, दीर्घावधि ऋणों पर माल

बेचने में भारतीय निर्यातकों की अनिच्छा, और डालर की शक्ति में वृद्धि के अतिरिक्त मंदी का सामान्य बाजार स्थितियां ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत से तराशे हुए तथा पालिश किए हुए हीरों के निर्यात पर अनन्तिम मूल्य निम्न प्रकार था :

	(मूल्य करोड़ रुपयों में)
अप्रैल, 1982—मार्च 1983	912.83
अप्रैल, 1983—मार्च 1984	1188.89
अप्रैल, 1984—मार्च 1985	1172.10

उत्तर प्रदेश में दून घाटी और शिवालिक पहाड़ियों की उर्वरता को समाप्त होने से बचाने के लिए उठाए गए कदम

[हिन्दी]

5967. श्री धर्मवीर सिंह त्यागी : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लकड़ी-पत्थर और अन्य खनिज प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश स्थित दून घाटी और शिवालिक पहाड़ियों को भी नष्ट किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भविष्य में मेरठ डिवीजन में मैदानों की उर्वरता पर भी बुरी तरह प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो मैदानों की उर्वरता को समाप्त होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) जी नहीं । गढ़वाल डिवीजन की दून घाटी में चूना पत्थर/राक फास्फेट के खनन कार्यों में काफी कटौती कर दी गई है, ताकि पर्यावरण और परिवेश पर इन कार्यों के कुप्रभावों को कम किया जा सके । उच्चतम न्यायालय के 12-3-85 के आदेश के अनुसरण में अनेक खानें हमेशा के लिए बन्द कर दी गई हैं, 19 खानों की उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच की जा रही है और अब केवल 5 खानों में ही खनन कार्य जारी रखने की अनुमति है । त्यागी गई खानों का

पर्यावरण-विभाग के टास्कफोर्स द्वारा पुनरुद्धार किया जा रहा है। 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई अथवा 30 डिग्री से अधिक तेज ढलानों पर खड़े हरे-भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगी हुई है।

(ख) व (ग) चूंकि मेरठ डिवीजन से संलग्न शिवालिक पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढलानों पर कोई खनन कार्य नहीं किया जा रहा है, इसलिए मेरठ डिवीजन के मैदानों की उर्वरता पर खनन के बुरे प्रभाव का प्रश्न ही नहीं उठता।

पोलिस्टर फिलामेन्ट रेशे का आयात

[अनुवाद]

5968. **प्रो० विमल कान्ति घोष :** क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पोलिस्टर फिलामेंट रेशे के आयात के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में इसकी कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(ख) क्या वास्तव मे उक्त अवधि के दौरान इसके आयात के प्रारम्भ में निर्धारित किए गए लक्ष्य से अधिक मात्रा में इसका आयात किया गया, उसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में पोलिएस्टर फिलामेंट रेशे की कितनी मांग है तथा उक्त अवधि के दौरान इसका देश में कितना उत्पादन हुआ है;

(घ) सातवीं योजना में पोलिस्टर फिलामेंट रेशे के देश में उत्पादन और आयात के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) उपरोक्त भाग (क) से (घ) तक का वर्षवार विवरण क्या है?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग) और (ङ) : छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पोलिस्टर फिलामेंट यार्न के आयात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। 1984-85 के दौरान (छठी पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त में) पोलिएस्टर यार्न सम्बन्धी मांग का अनुमान 30,000 मी० टन था।

एक विवरण संलग्न है जिसमें पोलिएस्टर फिलामेंटयार्न का स्वदेशी उत्पादन तथा आयात दर्शाए गए हैं।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वस्त्र उद्योग सम्बन्धी कार्य दल ने 1989-90 तक पोलिएस्टर फिलामेन्ट यार्न की मांग का अनुमान 78,000 मी० टन लगाया है।

विवरण

(मात्रा मे० टन में)

वर्ष	पोलिएस्टर फिलामेन्ट यार्न का उत्पादन	पोलिएस्टर फिलामेन्ट यार्न का आयात
1980-81	10,685	11,072
1981-82	15,508	19,620
1982-83	24,687	13,350 (अनन्तिम)
1983-84	47,989	6,202 (अनन्तिम)
1984-85	54,656 (प्राक्कलित)	1,406 (प्राक्कलित)

उत्तर बंगाल के चाय बागानों में कोयले की कमी

5969. श्रीमती इन्दुमती भट्टाचार्य : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० को उत्तर बंगाल के चाय बागानों में कोयले की भारी कमी के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) अपर्याप्त सप्लाई के, यदि हैं, तो क्या कारण हैं;

(घ) उत्तर बंगाल के चाय बागानों में कोयले की वार्षिक मांग कितनी है और 1984 के दौरान यह मांग किस सीमा तक पूरी की गई;

(ङ) जनवरी और अप्रैल, 1985 की अवधि के दौरान की गई सप्लाई की स्थिति 1983 और 1984 की इसी अवधि की सप्लाई की स्थिति से किस प्रकार तुलनीय है; और

(च) उत्तर बंगाल के चाय बागानों की पूरी मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उठाने का विचार है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कु० नटवर सिंह) : (क) से (च) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्रों में और विशेषकर इस्पात संयंत्रों में घटिया कार्य निष्पादन

5971. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान दिनांक 2 मार्च, 1985 के 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने यह कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में और विशेषकर इस्पात संयंत्रों में घटिया कार्य निष्पादन प्रबन्ध के मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण से है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कु० नटवर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) श्री बिलीमोरिया ने ये टिप्पणियां अपनी व्यक्तिगत हैसियत में की है। सरकार उनके इन विचारों से सहमत नहीं है कि तथाकथित हस्तक्षेप के कारण सरकारी क्षेत्र के कार्यकरण में बाधा आती है क्योंकि सरकार अनावश्यक रूप से सरकारी क्षेत्र के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करती है। मुख्यतः बढ़िया क्वालिटी के कोककर कोयले की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति में अड़चनों, अन्य कच्चे माल में गिरावट, बिजली की अपर्याप्त सप्लाई, पुरानी प्रौद्योगिकी और संयंत्र पुराने हो जाने के कारण स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के कारखाने अपनी-अपनी निर्धारित क्षमता पर परिचालन करने में सफल नहीं हो सके हैं। निर्धारित क्षमता प्राप्त करने हेतु बढ़िया क्वालिटी के पर्याप्त मात्रा में आदानों की सप्लाई सुनिश्चित करने, कच्चे माल में सुधार करने, बेहतर रख-रखाव और इस्पात कारखानों को सशक्त बनाकर इनका प्रौद्योगिकीय उन्नयन करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

बैंक अधिकारियों की पत्नियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए बैंक आफ महाराष्ट्र का कार्यक्रम

5972. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक अधिकारियों की पत्नियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए बैंक आफ महाराष्ट्र ने कोई शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया है और इस प्रयोजन हेतु कक्षायें प्रारम्भ कर दी है;

(ख) बैंक अधिकारियों की पत्नियों को किस प्रकार की शिक्षा (विशेष) प्रदान की जाती है;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या बैंक द्वारा इस कार्यक्रम के लिए बैंक के एक भूतपूर्व अधिकारी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और यदि हां, तो उसे दी जाने वाली राशि सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंक आफ महाराष्ट्र ने सूचित किया है कि गत कुछ वर्षों से बैंक अपने कार्यपालकों की पत्नियों के लिए एक अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। इस कार्यक्रम का प्रयोजन समाज सेवा के प्रति जागरूकता पैदा करना और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चलाई जा रही बैंक की योजनाओं में भाग लेने के लिए कार्यपालकों की पत्नियों को प्रेरित करना था।

(घ) यह पाठ्यक्रम मेसर्स बसंतराज कन्सल्टेंटस (प्रा०) लि० द्वारा वर्ष 1980, 1981 और 1982 में चलाया गया था। वर्ष 1983 से यह पाठ्यक्रम बैंक के स्टाफ कालेज के संकाय सदस्यों द्वारा चलाया जा रहा है। मैसर्स बसंत राज कन्सलटेंटस (प्रा०) लि० को होटल के स्थान, सवारी आदि के खर्च के अलावा जो फीस दी गई उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1980	...	27,957.00 रु०
1981	...	14,812.30 रु०
1982	...	10,171.00 रु०

जहाज तोड़क उद्योग की समस्याएं

5973. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या इस्पात खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौराष्ट्र में जहाज तोड़क उद्योग की मुख्य समस्याएं क्या हैं;

(ख) सरकार को प्राप्त अभ्यावेदन के अनुसार इससे कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं; और

(ग) क्या पिछली तारीखों से उत्पादन शुल्क की मांग से यह समस्या और भी गम्भीर हो गई है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) और (ख) सौराष्ट्र क्षेत्र के जहाज तोड़ने वालों ने यह अभ्यावेदन दिया है कि उस क्षेत्र में जहाज तोड़ने वाली इकाइयों को अपर्याप्त अवस्थापना सुविधाओं, जहाजों के वार्षिक आधार पर आवंटन पर प्रतिबन्धों, आक्सीजन तथा एल०

पी० जी० की अपर्याप्त उपलब्धि, जहाज तोड़ने से प्राप्त स्क्रैप आदि पर हाल में लगाए गए उत्पादन-शुल्क आदि के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अनुमान है कि अलग तथा सचना में कुल मिलाकर लगभग 9,000 कामगार कार्य कर रहे हैं।

(ग) जहाज तोड़ने से प्राप्त स्क्रैप पर पूर्वव्यापी आधार पर उत्पादन-शुल्क लगाने के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह मामला इस समय सरकार के विचाराधीन है।

ईस्टर्न एंड फैरो-अलायस लिमिटेड, कटक को उत्पादन शुल्क से छूट

5974. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के हरिदासपुर स्थित ईस्टर्न मेटल एण्ड फैरो-अलायस लिमिटेड नामक कारखाना 'अल्यूमिनो थार्मिक' प्रक्रिया से, बिजली की सहायता के बिना मिश्रित धातुओं का निर्माण कर रहा है;

(ख) क्या सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 209/83 के अनुसार इस कारखाने को उत्पादन-शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है; और

(ग) उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा इस कारखाने के द्वारा उत्पाद-शुल्क का भुगतान करने के लिए दबाव डालने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) मैसर्स ईस्टर्न मेटल एण्ड फैरो-अलायस लिमिटेड, हरिदासपुर, कटक, उड़ीसा, एल्यूमिनो-थर्मिक अथवा थर्माइट प्रक्रिया का प्रयोग करके लौह-मिश्र धातुओं का निर्माण कर रहे हैं। अधिसूचना सं० 209/83, जिसका अब दिनांक 17-3-85 की अधिसूचना सं० 62/75-के०उ०शु० के द्वारा अल्लिंघन किया गया है, की शर्तों के अनुसार जो एकक शक्ति की सहायता के बिना और एल्यूमिनो-थर्मिक अथवा थर्माइट प्रक्रिया का प्रयोग करके लौह-मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं वे उत्पादन-शुल्क से छूट प्राप्त करने के पात्र हैं। समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, भुवनेश्वर ने यह ठहराया है कि उक्त एकक, लौह-मिश्र धातुओं के मिर्माण के लिये शक्ति का प्रयोग कर रहा है और इसलिए उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार उत्पादन शुल्क से छूट प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। उक्त एकक ने, इस निर्णय को नहीं माना है और उसने न्यायालय की शरण ली है। मामला अब न्याय-निर्णयाधीन है।

रायगढ़, मध्य प्रदेश में पटसन मिलों की स्थापना

5975. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में अब तक कितनी पटसन मिलें स्थापित की गई हैं;

(ख) क्या इस जिले में और अधिक पटसन मिलें स्थापित करने की काफी गुंजाइश है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त जिले में स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिये और अधिक पटसन मिलें स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में एक जूट मिल है ।

(ख) और (ग) : मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में कोई नई जूट मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । देश में जूट उद्योग की विद्यमान क्षमता पर्याप्त समझी जाती है ।

गया काटन एंड जूट मिल्स

5976. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा नियंत्रित किया गया काटन एण्ड जूट मिल्स अग्राभग रुग्ण एकक बन चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इस एकक ने पिछले चार वर्षों के दौरान कितना मुनाफा कमाया;

(घ) क्या इन मिलों के मजदूरों को पिछले चार महीने से वेतन नहीं मिला है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) पिछले चार वर्षों के दौरान गया कॉटन एंड जूट मिल्स द्वारा उठाए गए घाटे निम्नोक्त प्रकार रहे :

वर्ष		(लाख रु० में)
1981-82	...	—26.80
1982-83	...	—74.70
1983-84	...	—214.08
1684-85	...	—167.76

इस मिल के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिये निम्नोक्त कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं :—

(1). विभिन्न उपलब्ध माध्यमों से रुई की समय पर अधिप्राप्ति के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं;

(2) नगद घाटे होने की सीमा पर कार्यशील पूंजी की प्रतिपूर्ति की गई है;

(3) संयंत्र तथा मशीनों का आधुनिकीकरण करना; और

(4) कार्यभार तथा श्रमिक बल का सुव्यवस्थीकरण करना।

(घ) जी नहीं। सभी स्थायी कामगारों को नियमित रूप से उनकी मंजूरी दी जाती है।

(ङ) और (च) : प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में बीरभूम में रेशम और टसर कुटीर उद्योगों की स्थापना

5977 **श्री गदाधर साहा** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में बीरभून में रेशम और टसर उद्योग के कच्चे माल का क्या उपयोग है;

(ख) क्या बीरभूम पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में शहतूत के पेड़ों की खेती और कोया उगाने को ध्यान में रखते हुए, जो कि रेशम और टसर उद्योग के विकास के लिए आवश्यक कच्चा माल समझा जाता है, बीरभूम में रेशम और टसर कुटीर उद्योग की केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापना करने की योजनाएं क्या हैं;

(ग) इस उद्योग की स्थापना के लिए अब तक कितनी वित्तीय और संस्थागत सहायता दी गयी है;

(घ) क्या इस उद्योग की संभावनाओं के समुचित अध्ययन के लिये किसी केन्द्रीय एजेंसी द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल में 1983-84 के दौरान 700 मे० टन शहतूती कच्चे रेशम और ग्यारह मे० टन टसर रेशम का उत्पादन हुआ। उत्पादित रेशम का उपयोग पश्चिम बंगाल में हथकरघा बुनकरों तथा खादी संस्थानों द्वारा किया

जाता है लेकिन बीरभूम जिले में शहतूती तथा टसर कच्चे रेशम की खपत के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) : भारत-स्विटजरलैंड तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्तःराज्यीय टसर परियोजना बीरभूम जिले में टसर रेश उद्योग के विकास को भी कवर करती है। परियोजना के अन्तर्गत अब तक 78.32 लाख रु० की राशि रिलीज की गयी है। टसर क्षेत्र के लिए, टसर पालकों को बढ़िया रेशम कीड़ा बीज के आगे बहुगुणन और उसकी सप्लाई के लिए राज्य-स्तरीय प्रायोगिक परियोजना केन्द्रों को टसर बेसिक रेशम कीड़ा बीज के उत्पादन और उसकी सप्लाई की व्यवस्था करने के मोहम्मद बाजार में बेसिक बीज बहुगुणन सह-प्रशिक्षण केन्द्र काम कर रहा है। इसी प्रकार शहतूती क्षेत्र के अन्तर्गत, केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने क्षेत्र के रेशम उत्पादकों की समस्या का हल करने के लिए बीरभूम जिले में बोलपुर में क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त किसानों में शहतूत की खेती और रेशम कीड़ा पालन की सुधरी तकनीकों का प्रसार करने के लिए बीरभूम जिले में शहतूत के लिए एक विस्तार केन्द्र भी स्थापित किया गया है।

(घ) से (च) : बीरभून जिले में शहतूती रेशम उत्पादन विकास की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने एक सर्वेक्षण का आयोजन किया था और बीरभूम जिले के लिए जो गहन रेशम उत्पादन विकास योजना का विचार किया गया है, जिसमें एक हजार एकड़ भूमि में शहतूत का रोपण किया जाएगा, इस सर्वेक्षण का परिणाम है।

आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में खनिज

5978. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकूलम जिले में कौन-कौन से खनिज मिलते हैं ;

(ख) क्या वहां कभी कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा वहां उपलब्ध खनिजों पर आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

इस्पात विभाग में राज्यमंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकूलम जिले में प्राप्त खनिज हैं : क्ले, मैंगनीज, सिलिमेनाइट, ग्रेफाइट, क्वार्टज तथा भवन निर्माण सामग्री।

(ख) जी, हां।

(ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने मैंगनीज का खनन पट्टा लिया है और क्वार्टज का दोहन एक प्रायवेट कम्पनी कर रही है। अन्य खनिजों में केवल क्ले तथा भवन

निर्माण सामग्री ही इस समय आर्थिक महत्व के हैं।

इस्पात के सम्बन्ध में भाड़ा समानीकरण योजना को समाप्त करना

5979. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात के सम्बन्ध में भाड़ा समानीकरण योजना को समाप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल जैसे राज्यों को अब इस मद के लिए अधिक ऊंचे मूल्यों की अदायगी करनी पड़ेगी;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस योजना को समाप्त किये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भाड़ा समानीकरण योजना को समाप्त करने से जिन राज्यों को हानि होगी उनकी प्रतिपूर्ति हेतु कोई अन्य योजना बनाने का है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) और (ख) लोहे और इस्पात के सम्बन्ध में भाड़ा समीकरण योजना को समाप्त करने का निर्णय राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया था। समिति ने सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कहा था कि "पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के मामले पर भाड़ा समीकरण का मामूली प्रभाव पड़ा है। औद्योगिक मदों पर भी भाड़ा समीकरण से वांछित आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती है बल्कि यह उद्योगों को इष्टतमेतर अवस्थिति की ओर ले जा सकता है। अत: हम यह सिफारिश करते हैं कि इस योजना को समाप्त कर दिया जाए।"

लोहे और इस्पात के सम्बन्ध में भाड़ा समीकरण योजना को वापस लेने की प्रक्रिया तथा समय का निर्धारण करने का कार्य सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके किया जा रहा है। योजना को समाप्त करने के लिए प्रक्रिया की रूप-रेखा तैयार करते समय इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि जब यह योजना समाप्त की जाए तब सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों से दूर स्थित उद्योगों/उपभोक्ताओं को केवल न्यूनतम अतिरिक्त लागत देनी पड़े।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी

5980. श्री गंगा राम : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (दिल्ली, पंजाब और राजस्थान) और इसकी मिलों में 1500 रु० और इससे अधिक वेतनमान वाले कितने पद हैं;

(ख) उक्त संगठनों में उक्त पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने प्रतिशत अधिकारी कार्यरत हैं;

(ग) तथा उक्त पदों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सीधे भर्ती करके या एडवर्ड मिल, एन० टी० सी० (डी० पी० आर०) लिमिटेड बीवान और अन्य एककों में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नत करके नियुक्त करने के प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (दिल्ली, पंजाब तथा राजस्थान) तथा इसकी मिलों में 1500 रु० तथा इसके ऊपर के वेतनमान में 49 पद हैं।

(ख) इस समय इस संगठन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी ऊपर के ग्रेडों में कार्य नहीं कर रहा है।

(ग) और (घ) ऊपर के ग्रेडों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को सीधे नियुक्त करने के प्रयास किए गए हैं। इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम (दिल्ली, पंजाब, राजस्थान) के अन्तर्गत मिलों में ऊपर के ग्रेडों में पदोन्नति के लिए विचारणीय जोन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है।

गुलाब के तेल का आयात

5981. श्री जी० जी० स्वैल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हम अत्यधिक मूल्य पर गुलाब के तेल का आयात कर रहे हैं;

(ख) इस प्रकार के आयात के कारण क्या हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं कि गुलाब उत्पादन के लिए जलवायु की अनुकूलता होने के बावजूद हम गुलाब तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर पाते ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) रोज आयल का आयात कम मात्राओं में उचित मूल्यों पर किया जा रहा है।

(ख)) मांग को पूर्ण करने के लिए स्वदेशी उत्पादन काफी नहीं है।

(ग) कम कीमतों और संश्लिस्ट तेल से प्रतिस्पर्धा के कारण रोज आयल का निस्सारण आकर्षक नहीं है।

भारतीय पटसन निगम में लगे नैमितिक कर्मचारियों की नियुक्ति

5982. **श्री अजय बिश्वास** : क्या पूर्ति तथा वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पटसन निगम में वर्ष 1981-83 के दौरान कितने नैमितिक कर्मचारी लगे हैं;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसे कोई अनुदेश हैं कि सभी नियुक्तियां रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाये;

(ग) क्या भारतीय पटसन निगम पश्चिम बंगाल सरकार के अनुदेशों का उल्लंघन कर रहा है और सभी नियुक्तियां रोजगार कार्यालयों की अवहेलना करके की जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार भारतीय पटसन निगम को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का पालन करने के अनुदेश देने का है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) भारतीय जूट निगम में 1981-1982 और 1983 में नैमितिक कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमशः 742, 640 और 668 थी।

(ख) से (घ) भारतीय जुट निगम ने सूचित किया है कि उन्हें पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा जारी किए कोई हिदायतों की जानकारी नहीं है, तथापि, रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 के उपबन्धों के अनुसरण में 800 रु० से अनाधिक के वेतन भाग वाले पदों में सामन्यता सभी नियमित नियुक्तियां स्थानीय रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों में से की जा रही है। यदि रोजगार कार्यालय से उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते तो प्रेस विज्ञापन के द्वारा खुले बाजार से भर्ती की जाती है। मौसमी नैमितिक व्यक्तियों की जब कभी आवश्यकता होती है दैनिक दरों पर बिना काम वेतन नहीं आधार पर नियुक्ति की जाती है। सामान्यतः ऐसी नियुक्तियां स्थानीय तौर पर प्रशिक्षित श्रमिकों में से की जाती हैं और गत अनुभव के आधार पर स्थानीय रोजगार कार्यालयों से ऐसी भर्ती करना न तो सम्भव है और न ही व्यवहारिक।

रेलवे द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण दक्षिण भारत में इस्पात की कमी

5983. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग द्वारा इस्पात के आवागमन पर प्रतिबंध लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में दक्षिण भारत में एक लाख मीट्रिक टन इस्पात की कमी होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस्पात के आवागमन पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने दक्षिण भारत में इस्पात की कमी की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कु० नटवर सिंह) : (क) और (ग) : तूफान के कारण व्यवधान होने पर जिसके परिणामस्वरूप यातायात में रुकावट आयी, नवम्बर, 1984 से दक्षिण भारत को विभिन्न सामग्री (इस्पात भी शामिल है) भेजने के काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सामान्य रूप से जनवरी, 1985 के मध्य से ही माल को भेजना सम्भव हो सका है।

(ख) और (घ) वर्ष 1984-85 के दौरान "सेल" के इस्पात कारखानों से दक्षिणी क्षेत्र में 7.97 लाख टन इस्पात प्राप्त हुआ था। इस्पात की यह प्राप्ति वर्ष 1983-84 के 7.87 लाख टन की प्राप्ति से मामूली अधिक है। वर्ष 1984-85 के दौरान 'सेल' के दक्षिणी क्षेत्र के देशीय उत्पादन तथा माध्यम अभिकरण की मार्फत किये गये आयात दोनों से कुल 10.09 लाख टन इस्पात सप्लाई किया गया, जो वर्ष 1983-84 के 9.63 लाख टन के उत्पादन का 4.8 प्रतिशत से अधिक बैठता है।

सरकारी कर्मचारियों को कम पेंशन

5984. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या वित्त मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त सचिवों और उनसे ऊपर के अधिकारियों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के अंतर्गत यदि वे पेंशन का संराशिकरण स्वीकार नहीं करते हैं; तो उन्हें 31 मार्च, 1985 को या उसके बाद मिलने वाली पेंशन से कम पेंशन मिलेगी; और

(ख) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को जितनी पेंशन मिलनी चाहिए उससे कम पेंशन मंजूर नहीं की जायेगी विशेष रूप से तब जबकि सरकार का आशय उन्हें लाभ पहुंचाने का है और अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की पेंशन को कम करना नहीं है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं। 31 मार्च, 1985 को या उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 568 औसत सूचकांक स्तर तक प्राप्त

महंगाई भत्ते की सम्पूर्ण राशि को महंगाई वेतन के रूप में माने जाने के निर्णय के परिणामस्वरूप सभी कर्मचारियों के लिए एक समान रूप से उच्चतर पेंशन ग्राह्य होगी। तथापि, यदि हम महंगाई राहत को हिसाब में लें तो यह देखा जाता है कि कुछ विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को पुरानी स्कीम के अन्तर्गत पेंशन और महंगाई राहत की अपेक्षा नई स्कीम के अन्तर्गत पेंशन कम हो सकती है। इन मामलों में भी, नये फार्मूले के अन्तर्गत मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान और सारांशकरण मूल्य अधिक होगा।

(ख) सरकार ने सभी कर्मचारियों को विलय के लाभ के बिना पेंशन प्राप्त करने के विकल्प की अनुमति दी है। अतः यदि कोई कर्मचारी महसूस करता है कि पेंशन की संशोधित स्कीम उसके लिए लाभदायक नहीं है तो वह इस स्कीम से बाहर रहने का विकल्प दे सकता है और 31-3-85 से पहले लागू नियमों के अनुसार पेंशन ले सकता है।

रबड़ की खेती के अधीन भूमि

5985. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कितनी भूमि में रबड़ की खेती की जा रही है;

(ख) रबड़ बोर्ड द्वारा पुनर्वर्गीकरण तथा पुनरीक्षण के लिए रबड़ बागान विकास योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या केरल को आवंटित धन राशि पूरी खर्च की जा चुकी है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) रबड की खेती के अन्तर्गत राज्यवार क्षेत्र निम्नांकित प्रकार हैं :—

(हैक्टार में)

केरल	...	2,71,200
तमिलनाडु	...	16,300
कर्नाटक	...	10,100
अन्य	...	10,620
योग :		3,08,220

(ख) रबड़ बागान विकास योजना के अन्तर्गत नये रोपड़ और पुनर्रोपण के लिए 1980-81 से 1984-85 तक रबड़ बोर्ड द्वारा रिलीज की गई उपदान की 1374.81 लाख रु० की राशि में से केरल में लगभग 90 प्रतिशत का उपयोग किया गया है, तमिलनाडु और कर्नाटक में लगभग 5.5 प्रतिशत का उपयोग किया गया है और लगभग 5.5 प्रतिशत का उपयोग अन्य रबड़ उत्पादक राज्यों में किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गृह-निर्माण ऋणों के वितरण में वृद्धि

5986. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मकानों की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इस समय वितरित किये जा रहे गृह निर्माण ऋण की राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) कम आय तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों को दिये गये ऋण की कुल ऋण तुलना में वर्तमान प्रतिशतता क्या है;

(ग) इन ऋणों के सम्बन्ध में बैंकों को वर्तमान अनुदेश क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार वर्तमान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए नए अनुदेश जारी करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक 1979 से समय-समय पर बैंकों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए दिशा-निर्देश जारी करता रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को गृह निर्माण, मरम्मत आदि के लिए हर साल अलग-अलग व्यक्तियों तथा विशेष अभिकरणों को ऋण देने के वास्ते एक खास रकम नियत करने की सलाह दी है। बैंकों से गृह-निर्माण के वित्त पोषण के लिए गत वर्ष के कुल अग्रिमों की लगभग 0.5 प्रतिशत राशि निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1979 के लिए 75 करोड़ रुपए, वर्ष 1981 के लिए 100 करोड़ रुपए और वर्ष 1983 के लिये 150 करोड़ रुपए निर्धारित किए थे।

वर्ष 1983 के लिए विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं के सम्बन्ध में गृह-निर्माण के लिए सुलभ कराई गई राशि इस प्रकार थी :—

(करोड़ रुपए)

	निर्धारित राशि
प्रत्यक्ष वित्त	
1. व्यक्ति/अनु० जाति/अनु०जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के उधारकर्ताओं के समूह	30.00
2. व्यक्ति/निम्न आय वर्ग के उधार-कर्त्ताओं के समूह	20.00
3. अन्य व्यक्ति	15.00
अप्रत्यक्ष वित्त	निर्धारित
1. गारंटी शुदा ऋण पत्रों में/हुडको के बांडों/आवास बोर्डों के बाण्डों में निवेश	75.00
2. आवास विकास वित्त निगम	10.00
जोड़	—150.00

स्कीम में परिकल्पित ब्याज दर और मार्जिन इस प्रकार है :—

ब्याज की दर

5000 रु० तक और उसके समेत अनु० जाति/अनु० जनजाति	4.00 प्रतिशत वार्षिक
5000 रुपये तक और उसके समेत अन्य	12.50 प्रतिशत—तदेव—
5000 रुपये से अधिक और 50,000 रुपए तक	13.50 प्रतिशत—तदेव—
50,000 रुपये ये अधिक	15.00 प्रतिशत—तदेव—

मार्जिन

अनु०जाति/अनु०जनजाति और आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्ग बसर्ते कि ऋण राशि 5 हजार रुपये से अधिक न हो	20 प्रतिशत
आवास वित्त निगम के जरिये दिये गये ऋणों सहित अन्य ।	50 प्रतिशत

इस्पात संयंत्रों में विद्युत संकट

5987. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ इस्पात संयंत्रों को विद्युत की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय किन-किन इस्पात संयंत्रों को विद्युत की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) प्रत्येक संयंत्र को विद्युत की कुल कितनी आवश्यकता है;

(घ) प्रत्येक इस्पात संयंत्र को संबंधित सरकारों से कुल कितने मेगावाट विद्युत मिलती है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) और (ख) जी हां। राउरकेला इस्पात कारखाने को बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है।

(ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अधीन सर्वतोमुखी इस्पात करखानों की कारखाना-वार बिजली की कुल आवश्यकता इस प्रकार है :—

इस्पात कारखाना	संविदागत अधिकतम आवश्यकता एम० वी० ए० (मेगावाट)
1	2
भिलाई इस्पात कारखाना	180 (162.0)
राउरकेला इस्पात कारखाना	160 (144.0)
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	50 (45.0)

1	2
बोकारो इस्पात कारखाना	145 (130.5)
"इस्को' का बर्नपुर इस्पात कारखाना	25 (22.5)

(घ) और (ङ) वर्ष 1984-85 के दौरान स्टील आथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन सभी इस्पात कारखानों को बिजली की उपलब्धता बिजली की सप्लाई की अधिकतम मांग पर लगे प्रतिबन्धों से कम थी, जो कि इस तालिका में बताया गया है :—

कारखाना	अवधि	प्रतिबन्ध		
		एम० वी० ए०	अवधि घंटे	कैलेण्डर घंटों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
भिलाई इस्पात कारखाना	अप्रैल-जून,84	0.70	41	2
	जुलाई-सित०,84	शून्य	शून्य	शून्य
	अक्तू०-दिस०,84	शून्य	शून्य	शून्य
	जनवरी,85	शून्य	शून्य	शून्य
	मार्च,85	110	2	—
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	अप्रैल-जून, 84	0-43	1066	49
	जुलाई-सित०, 84	0-43	998	45
	अक्तू०-दिस०, 84	0-43	864	39
	जनवरी, 85	0-43	347	47
	फरवरी, 85	0-43	537	80
	मार्च, 85	0-43	356	48
राउरकेला इस्पात कारखाना	अप्रैल-जून, 84	0-60 मेगावाट (औसतन)	2184	100
	जुलाई-सित०, 84	5-100 मेगावाट (औसतन)	2208	100

1	2	3	4	5
	अक्तू०-दिस०, 84	20-100 मेगावाट (औसतन)	2208	100
	जनवरी, 85	0-100 मेगावाट (औसतन)	744	100
	फरवरी, 85	30-100 मेगावाट (औसतन)	672	100
	मार्च, 85	0-100 मेगावाट (औसतन)	744	100
बोकरो इस्पात कारखाना	अप्रैल-जून, 84	25-124	1064	49
	जुलाई-सित०, 84	60-124	1000	45
	अक्तू-दिस०, 84	50-124	1363	61
	जनवरी, 85	50-140	378	51
	फरवरी, 85	0-124	543	81
	मार्च, 85	70-140	346	47
"इस्को"	अप्रैल-जून, 84	0-21	1030	47
	जुलाई-सित० 84	11-21	947	43
	अक्तू-दिस०, 84	0-21	875	40
	जनवरी, 85	0-21	359	48
	फरवरी, 85	0-21	510	76
	मार्च, 85	0-21	354	48
"सेल" के कारखानों के लिये कुल	अप्रैल-जून, 84		5385	49
	जुलाई-सित०, 84		5153	47
	अक्तू०-दिस०, 84		5310	48
	जनवरी, 85		1828	49
	फरवरी, 85		2262	67
	मार्च, 85		1802	48

बड़ी रक्षित खुले मुहानों वाली खानों के विकास में विलम्ब और अड़चनें

5988. श्री के० राममूर्ति : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यप्रदेश में सिंगरौली और कोरबा, पश्चिम बंगाल में फरक्का और उत्तर प्रदेश में रिहन्द उच्च ताप विद्युत संयंत्रों को जोड़ने वाली और विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त रक्षित खुले मुहाने वाली खानों का विकास में विलम्ब और अड़चनें आई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की अड़चनों और विलम्ब के कारणों का ब्यौरा क्या है तथा अड़चनों और विलम्ब के कारणों को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) और (ख) सुपर ताप बिजली घरों को कोयले की सप्लाई के लिए जिन ओपेन कास्ट कोयला खानों का विकास किया जा रहा है उनमें से किसी भी खान को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता नही मिल रही है। प्रश्न में उल्लिखित सुपर ताप बिजली घरों को संयुजित कोयला खानें निम्नलिखित हैं :—

सु० ता० बि० घर का नाम		संयुजित कोयला खनन परियोजना का नाम
सिंगरौली सु० ता० बि० घर	...	सिंगरौली कोयला क्षेत्र में जयन्त ओपेनकास्ट-परियोजना
रिहन्ड सु० ता० बि० घर	...	सिंगरौली कोयला क्षेत्र में अमलोरी ओपेन-कास्ट परियोजना
कोरबा सु० ता० बि० घर	...	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में गवेरा ओपेन-कास्ट परियोजना
फरक्का सु० ता० बि० घर	...	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में राजमहल ओपेन कास्ट परियोजना

जयन्त और गेवरा में कोयला खनन परियोजनाओं का विकास कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है और ताप बिजली घरों को कोयले की सप्लाई पहले ही शुरू हो चुकी है। अमलोरी परियोजना के मामले में दो वर्ष की देरी हुई है। इस देरी के कारण हैं—वन-भूमि के अधिग्रहण में और आयातित उपकरण की सप्लाई में विलम्ब। राजमहल खान के विकास-कार्य में तीन वर्ष की देरी होने की संभावना है। इस देरी के कारण निम्नलिखित हैं :—

1. भूमि अधिग्रहण में विलम्ब।

2. हेवी इंजीनियरी कारपोरेशन द्वारा प्रमुख उपकरणों की सप्लाई में विलम्ब ।

3. बिहार राज्य बिजली बोर्ड से बिजली मिलने में विलम्ब ।

4. कठिन जल-भूवैज्ञानिक समस्याओं को हल करने में कठिनाई ।

मंदसौर जिले में पैदा हुई पोस्त की भूसी

5989. श्री विजय एन० पाटिल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गत तीन वर्षों अर्थात् 1982 से 1984 के दौरान कुल कितनी मात्रा में पोस्त की भूसी का उत्पादन हुआ था और इस अवधि के दौरान इस पोस्त की भूसी का क्या उपयोग किया गया ; और

(ख) क्या विदेशी टैक्नालोजी का उपयोग करके एक क्षारीय कारखाना खोलने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पोस्त की भूसी पर राज्य सरकारों का नियंत्रण रहता है और इसलिए इसके उत्पादन के सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन काश्तकारों को पोस्त की भूसी का निपटान या तो लाइसेंसशुदा व्यापारियों को बेचकर अथवा खाद के रूप में इस्तेमाल करके करना होता है ।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्माण और उनके लिये बाजार

5990. श्री एन० डेनिस : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने मूल्य की हस्तशिल्प वस्तुओं का उत्पादन हुआ;

(ख) हस्तशिल्प निर्माताओं को 1984-85 के दौरान अपना निर्माण बढ़ाने हेतु क्या प्रोत्साहन दिए गये;

(ग) क्या हस्तशिल्प निर्माताओं ने शिकायत की है कि उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं के लिए देश में बाजार नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथापि निर्यात आंकड़ों से लगाए गये मोटे अनुमानों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित हस्त शिल्पों (रत्न तथा आभूषण शामिल हैं) के मूल्य निम्नांकित प्रकार हैं :—

वर्ष		मूल्य
1982-83	...	3050 करोड़ रु०
1983-84	...	3250 करोड़ रु०
1984-85	...	3500 करोड़ रु०

(ख) 1984-85 के दौरान शिल्पियों/हस्तशिल्प विनिर्माताओं को निम्नलिखित प्रोत्साहन/सुविधाएं उपलब्ध थी :

1. डी० आई० आर० योजना और संयुक्त ऋण योजना के अन्तर्गत शिल्पियों के लिए ऋण की सुविधाएं।

2. उत्पादन आधार को विस्तृत करने के लिए विभिन्न शिल्पों में संस्थागत तथा प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना।

3. उत्पाद विकास के लिए डिजाइन तथा तकनीकी सहायता।

4. रियायती दरों पर अच्छे औजार की सप्लाई।

5. प्राथमिक हस्तशिल्प सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता।

(ग) तथा (घ) देश में आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि के साथ मशीन से बने उत्पादों में प्रतियोगिता के कारण हस्तशिल्पों के लिए बाजार कम होने लगा है।

(ङ) हस्तशिल्पों की बाजार क्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से सरकारी संगठनों द्वारा प्रदर्शनियां बाजार सम्मेलन तथा उत्पाद संवर्धन आयोजित किए जाते हैं। केन्द्रीय तथा राज्य हस्तशिल्प निगमों के हस्तशिल्पों के विपणन के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी (नाल्को) उड़ीसा के एल्यूमिना संयंत्र और एल्यूमिनियम संयंत्र के विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार

5991. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० ने एल्यूमिना संयंत्र और एल्यूमिनियम संयंत्र के विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी उपक्रम ब्यूरो द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का पालन किया है;

(ख) यदि हां, तो दोनों संयंत्रों में श्रेणी वार और संयंत्र वार कुल कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये गये हैं;

(ग) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० ने विस्थापित अनपढ़ लोगों को संयंत्रों में खपाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु क्या योजनायें और कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं;

(घ) क्या किसी एजेंसी ने विस्थापित व्यक्तियों में से रोजगार के योग्य व्यक्तियों की संख्या जानने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कु० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 69 विस्थापित व्यक्तियों को खानों और एल्यूमिना काम्पलैक्स दामनजोड़ी में श्रमिक श्रेणी में रोजगार दिया गया है तथा ग्रहीत बिजलीघर और प्रदावक डिवीजन अंगुल में किसी को रोजगार नहीं दिया गया।

(ग) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी (नाल्को) ने प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक रोजगार योग्य व्यक्ति को दामनजोड़ी में अर्द्ध-कुशल कार्यों में प्रशिक्षण की योजना बनाई है। प्रशिक्षण पूरा होने पर, उन्हें क्रमशः कम्पनी में नियुक्त करने का प्रस्ताव है। इस एक वर्षीय प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को 400 रु० मासिक वजीफा दिया जाएगा। इस समय दो बैचों में 44 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। अंगुल में इस प्रकार के प्रशिक्षण की कोई योजना चलाने का विचार नहीं है, क्योंकि वहां विस्थापित परिवारों की संख्या केवल 8 से अधिक नहीं होगी।

(घ) और (ङ) नाल्को ने दामनजोड़ी में प्रशिक्षण हेतु रोजगार योग्यता/पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए साक्षात्कार किया था और 130 ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण-योग्य पाया था। शेष परिवारों के एक-एक स्वस्थ व्यक्ति को केवल अकुशल कार्यों पर नियुक्त करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

बैंक कर्मचारियों को अन्त अतिशेष भत्ते (क्लोजिंग एलाउन्स) का भुगतान

5992. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक छमाही के अन्त में राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्धकों और अधिकारियों को ही अन्त अतिशेष भत्ता दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लेखा अद्यतन रखने के लिए केवल प्रबन्धक ही नहीं कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं बैंकों के अन्य कर्मचारियों को भी यह भत्ता देने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अधिकारी सेवा विनियमन, 1979/1982 के नियम 23(II) के अनुसार, सभी अधिकारी जो खातों को बन्द करने से सम्बन्धित कार्य में प्रत्यक्ष रूप से लगे होते हैं अथवा जिन्हें खातों को बन्द करने के ऐसे काम के कारण अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। प्रत्येक छमाही खाते बन्द करने के लिए 150 रुपये के हिसाब से क्लोजिंग भत्ता प्राप्त करने के पात्र होते हैं। जहां तक बैंकों के लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनके वेतन-भत्तों और अन्य सेवा शर्तों को नियन्त्रित करने वाले पंचाटों और समझौतों में, उन्हें क्लोजिंग भत्ता दिए जाने की व्यवस्था नहीं की गई है। अलबत्ता ऐसे अवार्ड कर्मचारियों को, जिन्हें खातों को बन्द करने सहित बैंक के कार्य को पूरा करने के लिये कार्यालय समय के बाद बैठना होता है, समयोपरि भत्ता दिया जाता है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उड़ीसा में पूंजी निवेश के लिये पुनर्वित्त सुविधा

5993. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उड़ीसा में को-आपरेटिव सैंट्रल बैंक के उपभोक्ता व्यापार में पूंजी निवेश के लिये पुनर्वित्त सुविधा प्रदान किये जाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सरकार को कोई विस्तृत योजना प्रस्तुत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी नहीं। सरकार को राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

महाराष्ट्र में 20 कताई मिल स्थापित करना

कि 5994. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने वस्त्र आयुक्त से राज्य में 20 कताई मिल स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वस्त्र आयुक्त ने महाराष्ट्र में कुछ कताई मिल स्थापित करने की मन्जूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो कितनी कताई मिलों की मन्जूरी मिली है; और

(घ) शेष मिलों हेतु कब तक मन्जूरी मिलेगी ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) मार्च 1984 में महाराष्ट्र राज्य सहकारी कताई मिल्स फैडरेशन ने महाराष्ट्र में 20 सहकारी कताई मिलें स्थापित करने के निर्णय की सूचना दी थी। लाइसेंस समाप्त करने की योजना के अन्तर्गत वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा 18 सहकारी कताई मिलों की स्थापना की अनुमतियां जारी की गई थीं। चूंकि 31-8-1984 से लाइसेंस समाप्त करने की योजना को समाप्त कर दिया गया है। इसलिये इन 18 एककों के सम्बन्ध में उद्योग (विकास तथा पंजीकरण) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत 'व्यवसाय जारी रखने के लाइसेंस' प्राप्त करने अपेक्षित हैं। शेष प्रस्तावों पर वर्तमान नीति के अन्तर्गत स्व पीन किया जाएगा।

पियरलैस जनरल फायनेंस एंड इनवेस्टमेंट कम्पनी का राष्ट्रीयकरण

5995. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पियरलैस जनरल फायनेंस एंड इनवेस्टमेंट चराकका राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं।

(ख) द पियरलैस जनरल फायनेंस एंड इनवेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड एक ऐसी कम्पनी है जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत है और इसके कार्यकलाप इसके निदेशक मण्डल द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं। इस कम्पनी का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार अथवा कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा नियन्त्रित नहीं किया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 10-8-79 को इनामी चिट और मुद्रा परिचालन (पाबन्दी) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत अपने कारोबार का समापन करने के लिये कम्पनी को नोटिस दिया गया था। कम्पनी ने, अलबत्ता कलकत्ता उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है और मामला न्यायाधीन है।

लघु बचत जुटाने में डाक घरों का उपयोग करने के बारे में झा समिति की सिफारिशें

5996. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक और प्रशासनिक सुधार सम्बन्धी झा समिति ने लघु बचत जुटाने में डाक घर एजेंसी का उपयोग करने की कोई सिफारिशें की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या डाक और तार विभाग उक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु सहमत हो गया है; और

(ग) सरकार इन दूरगामी प्रस्तावों पर कब कार्यवाही करेगी और इन सिफारिशों में से कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित करने की सहमति दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस विषय पर कोई रिपोर्ट नहीं दी है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

गैर कानूनी खनन कार्य रोकने हेतु कार्यवाही

5997. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने देश में गैर-सरकारी खनन कार्य रोकने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कु० नटवर सिंह) : खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार खनिजों का खनन सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिए खुला है । देश में गैर-सरकारी खनन पर रोक लगाने का सरकार का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

सरकारी उद्यमों सम्बन्धी नीति की समीक्षा करने के लिए समिति की सिफारिशें

5998. श्री महेन्द्र सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी उद्यमों सम्बन्धी नीति की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इस स्थिति में रिपोर्ट या उस पर की जाने वाली प्रस्तावित कारंवाही का विवरण बताना जनहित में नहीं है ।

हथकरघा बुनकरों को विद्युत-चालित करघे प्रदान करने का कार्यक्रम

[हिन्दी]

6999. श्री नरसिंह मकवाना : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हथकरघा बुनकरों को विद्युत-चालित करघे प्रदान करने का कोई कार्यक्रम शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो इसे कहां तक क्रियान्वित किया गया तथा इसके अवशिष्ट कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखने का है;

(घ) क्या दिए जाने वाले ऋण और राजसहायता की राशि हथकरघा लगाने के लिए बहुत कम है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार इसे बढ़ाने का है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हथकरघा सहकारी समितियों को आबंटन के लिए 25,000 शक्ति चालित करघे निर्धारित किए गए हैं ।

(ख) हथकरघा सहकारी समितियों को आवंटन के लिए अलग-अलग राज्य सरकारों के नियंत्रण में राज्यवार कोटे रखे गये । इसका कार्यान्वियन उन सम्बन्धित राज्य वस्त्र प्राधिकरणों द्वारा किया जा रहा है जिनसे यह अनुरोध किया गया था कि इन कोटों का उपयोग छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के भीतर ही किया जाना चाहिए ।

(ग) सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम को जारी रखने का अभी तक निर्णय नहीं किया है ।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए ऋण तथा उपदान की किसी विशेष योजना की व्यवस्था नहीं की है।

कोचीन में भारतीय इस्पात प्राधिकरण के दूसरे यार्ड को शुरू करने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

6000. प्रो० के० वी० थामस : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लायी गई है कि विलिंगडन आइलैंड, कोचीन में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के यार्ड की सुविधाएं केरल में उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने में अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या कोचीन में भारतीय इस्पात प्राधिकरण का दूसरा यार्ड शुरू करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कु० नटवर सिंह) : (क) से (ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) यह महसूस करती है कि कोचीन से स्थित उनका वर्तमान स्टाकयार्ड निम्नलिखित कारणों से अपर्याप्त है :

(i) आकार छोटा होने तथा भूमि के दो भागों में होने के कारण कार्य करने में कठिनाई आती है ; और

(ii) लोहे और इस्पात की सामग्री के डिब्बे से माल उतारने की सुविधाएं न होना।

इन कठिनाइयों से निपटने के लिए "सेल" ने अपने स्टाकयार्ड के लिए रेलवे स्टेशन के समीप एक उचित वैकल्पिक भू-खण्ड का चयन किया है। राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वे भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कार्यवाही करें। रेलवे से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे रेलवे साइडिंग के लिए शक्यता-सर्वेक्षण करने का कार्य करें।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मिनी सीमेंट संयंत्रों का पुनर्वित्त पोषित किया जाना

6001. श्री विष्णु मोदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 15 जनवरी, 1985 से सभी मिनी सीमेंट संयंत्रों का पुनर्वित्त पोषित करना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस तथ्य के बावजूद कि मिनी सीमेंट संयंत्रों के भारी सामाजिक-आर्थिक लाभ है, इस प्रकार का निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि यह निर्णय अस्थायी आधार पर लिया गया है, तो ठीक-ठीक किस अवधि के लिए वित्त उपलब्ध नहीं कराया जाएगा; और

(घ) क्या इस प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व लघु उद्यमियों, जिन्होंने परियोजना कार्य और निवेश लगाने में काफी प्रगति की है, की नियति पर भी विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां ।

(ख) उद्योग में, जिसमें बड़े औद्योगिक क्षेत्र के एकक भी शामिल हैं पहले से ही निर्मित कुल क्षमता तथा मांग की तुलना में विचाराधीन प्रस्तावों के मूल्यांकन के आधार पर, मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना की गति को विनियमित करना उचित समझा गया तथा तदनुसार सभी मुख्य ऋणदात्री संस्थाओं को 15 जनवरी, 1985 से किसी भी नये प्रस्ताव पर विचार न करने की सलाह दी गई ।

(ग) और (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये उठाये गये कारगर कदमों, खर्च की गई रकम तथा विचाराधीन मामलों द्वारा लाइसेंसों/अनुमोदनों की प्राप्ति का पता लगाने के अलावा, चालू लागत ढांचे के सन्दर्भ में कुछ सहायता प्राप्त मिनी सीमेंट संयंत्रों की व्यवहार्यता की समीक्षा करने का काम आरम्भ कर दिया है। समीक्षा/जांच पूरी हो जाने पर, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, विचाराधीन मामलों के बारे में पुर्नवित्त सहायता देने के लिए उपयुक्त निर्णय लेगा ।

चाय उद्योग से उत्पादन बढ़ाने हेतु अनुरोध

6002. **श्री राधाकान्त डिगल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के चाय उद्योग के उत्पादन बढ़ाने हेतु एक दीर्घावधि योजना तैयार करने और उसे अपनाने के निदेश दिए हैं;

(ख) उद्योग की इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाने के सम्बन्ध में चाय उद्योग के साथ बराबर विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रारूप सातवीं योजना, जिसके अन्तर्गत योजना के अन्त में 766 एम किग्रा० के उत्पादन का लक्ष्य

रखा गया है, उद्योग के परामर्श से तैयार की गई है। चाय बागानों के विकास के लिए 1985-86 के बजट प्रस्तावों में कर पूर्व लाभों की वापसी को सुकर बनाने की व्यवस्था है। बागान फसलों, जिनमें चाय शामिल है, के विकास के लिए वित्तीय संस्थानों से निधियों के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के अधीन एक कार्यदल गठित किया गया है। गत दो वर्षों में चाय में निवेशों के काफी बढ़ जाने की सूचना है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि हुई है।

केरल में सोना और लौह अयस्क की खोज

6003. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सोने और लौह अयस्क की खोज करने के लिए वहां एक विशेषज्ञ दल भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या केरल में वाणिज्यिक स्तर पर सोना और लौह अयस्क निकालने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने वर्ष 1977 से 1984 तक एक सहायता कार्यक्रम के तहत केरल के कई भागों में स्वर्ण तथा लौह अयस्क की खोज में भाग लिया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भी वर्ष 1965-1978 के दौरान केरल में स्वर्ण तथा लौह अयस्क की खोज की थी। अब तक लौह अयस्क तथा स्वर्ण के निम्नलिखित भण्डारों का अनुमान लगाया गया है":—

खनिज	मात्रा (लाख टनों में)	क्षेत्र
लौह अयस्क	882.9 (31 से 41 प्रतिशत लौह मात्रा)	काजिकोड़ तथा मालापुरम जिले
स्वर्ण अयस्क (बजरी)	30 मिलियम घन मीटर कंकड़, जिनमें प्रति घनमीटर 0.1 ग्राम स्वर्ण	नीलाम्बर घाटी
स्वर्ण (प्राथमिक)	3.0 लाख टन अयस्क, प्रति टन अयस्क में 4 ग्राम स्वर्ण	नीलाम्बर घाटी

(ग) और (घ) केरल सरकार का कप्पाारी स्वर्ण निक्षेपों की वाणिज्यिक उपादेयता का पता लगाने के लिए प्रायोगिक स्तर खनन करने का प्रस्ताव है, तथा वह इस परियोजना के वित्त-पोषण के लिए भारत सरकार से सम्पर्क रखे हुए है। इस समय लौह अयस्क निक्षेपों, जो निम्न ग्रेड के हैं, का वाणिज्यिक दोहन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिम बंगाल में फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए आधारभूत परियोजनायें

6005. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में 'फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन' के लिए सभी आधारभूत परियोजनायें क्रियान्वित करने हेतु समयबद्ध कार्यवाही योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या तारीखें निर्धारित की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) सीमा-दीवार का निर्माण 1985 के अन्त तक पूरा होने की सम्भावना है। अन्य आवश्यक सुविधाओं जैसे पानी, ड्रेनेज, सीवरेज, पीने का पानी, सड़कों आदि की व्यवस्था के अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिजाइन फैक्टरी (एस० डी० एफ०) प्रशासनिक भवनों के निर्माण को 1986 के मध्य तक पूरा करने का लक्ष्य है।

व्यापार विकास प्राधिकरण के कार्यक्रमों के द्वारा छोटे निर्यातकों को लाभ

[हिन्दी]

6006. **श्री मोहर सिंह राठौड़** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार विकास प्राधिकरण का कुल वार्षिक अनुमानित व्यय क्या है;

(ख) क्या इस प्राधिकरण से देश के निर्यात व्यापार को प्राप्त हो रहा लाभ इस पर व्यय के अनुरूप है;

(ग) यदि हां, तो देश को हो रहे लाभ का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्राधिकरण के उप-कार्यालयों की संख्या कितनी है;

(ङ) छोटे निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिये प्राधिकरण का क्या कार्यक्रम है;

(च) क्या इस कार्यक्रम से छोटे निर्यातकों को वास्तव में लाभ हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) विशेष निर्यात संवर्धन गतिविधियों के लिए कई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन एजेंसियों से प्राप्त सहायता जो कि इस कार्य के दौरान 9.71 लाख अमरीकी डालर बैठती है, के अतिरिक्त 1983-84 के दौरान व्यापार विकास प्राधिकरण का व्यय 1.83 करोड़ रुपये था। 1984-85 के दौरान व्यय के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) जी हां। प्राधिकरण द्वारा आयोजित कुछ आयोजनों से जैसे व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों, क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों से काफी लाभ होते हैं। 1983-84 में इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप लगभग 50 करोड़ रु० के व्यवसाय की सम्भावना बनी जिनमें 17 करोड़ रु० मूल्य के मौके पर दिए गए आर्डर शामिल हैं। प्राधिकरण के कार्यकलापों में निर्यातकों को निर्यात अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था भी शामिल है। यद्यपि इन कार्यकलापों से पर्याप्त लाभ नहीं होते फिर भी ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे उन पर किए जाने वाले खर्च के अनुरूप हैं, उनका बराबर मूल्यांकन किया जा रहा है।

(घ) नई दिल्ली में इसके मुख्य कार्यालय के अलावा व्यापार विकास प्राधिकरण के बम्बई, कलकत्ता, बंगलौर और कानपुर में 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। जर्मन संघीय गणराज्य (फ्रैंकफर्ट), सं०रा० अमरीका (न्यूयार्क), जापान (टोक्यो), लाइबेरिया (मौनरोविया) और स्वीडन (स्टाकहोम) में इसके पांच विदेशी कार्यालय भी हैं।

(ङ) से (छ) प्राधिकरण के सभी कार्यक्रमों में छोटे निर्यातकों को कवर किया जाता है और उनको लाभ हुआ है। कार्यक्रमों में शामिल हैं दिल्ली में स्थित उसके केन्द्र और उप-कार्यालयों की मार्फत निर्यातकों को व्यापार जानकारी देना, निर्यात बाजारों के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने में छोटे निर्यातकों की मदद करने के लिए भारत में विभिन्न स्थानों पर आयोजित कैटलोग शो, निर्यात सम्बन्धी कार्यकलापों का अनुसंधान और विश्लेषण, चुनिंदा भारतीय निर्यातकों को सप्लाई करने की क्षमता के बारे में जानकारी का प्रसार करना पैकेज सर्विसिंग योजना के अन्तर्गत निर्यातकों की सहायता तथा निर्यात विपणन और निर्यात उत्पादन कार्यकलापों में छोटे निर्यातकों की भागीदारी, जो प्राधिकरण की नियमित सदस्यता से लगभग 60 प्रतिशत है, ऐसे चुनिंदा लघु एककों को भी अनेक सेवाओं की व्यवस्था करके निर्यात बाजार में प्रवेश करने में मदद की जाती है, जो इस समय निर्यात नहीं कर रहे हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमाराशियों में और वितरित किये गये ऋणों में पूर्वोत्तर क्षेत्र का हिस्सा

6007. श्री मोहर सिंह राठौड़ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमाराशियां कुल कितनी थीं ?

(ख) उसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्रों का कितना हिस्सा था और इन क्षेत्रों में कितनी धनराशियों के ऋण वितरित किये गये;

(ग) क्या यह सच है कि जमाराशियां वितरित की गई ऋण राशियों से अधिक थी;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है;

(ङ) क्या ऋणों के लिये पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो रहे हैं अथवा बैंक स्तर पर कोई विलम्ब अथवा अवरोध उत्पन्न किया जाता है; और

(च) आदिवासी क्षेत्रों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में उद्योग आदि स्थापित करने को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) गत 5 वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों भारतीय स्टेट बैंक समूह और 20 राष्ट्रीयकृत बैंक की कुल जमा राशियों (अंतर बैंक जमा राशियों को छोड़कर) का ब्यौरा नीचे दिया गया है ।—

दिसम्बर का अन्तिम शुक्रवार		रकम
		(करोड़ रु०)
1980	...	33532
1981	...	40108
1982	...	47153
'983	...	5531
1984*	...	63102

*अनन्तिम ।

(ख) से (च) गत 5 वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियों, अग्रिमों और ऋण जमा अनुपात के पूर्वोत्तर क्षेत्र के तथा अखिल भारतीय आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

रकम (करोड़ रु०)

	पूर्वोत्तर क्षेत्र			अखिल भारतीय		
	जमा राशि	अग्रिम ऋण	जमा अनुपात	जमा राशि	अग्रिम ऋण	जमा अनुपात
						(प्रतिशत)
मार्च 1980	399	150	37.6	28870	19502	67.5
मार्च 1981	489	194	39.7	34518	22926	66.4
मार्च 1982	599	231	41.9	39673	26692	67.3
मार्च 1983	741	305	41.2	46089	31164	67.6
मार्च 1984*	885	387	43.7	54513	36378	66.7

*अनन्तिम।

वर्तमान सूचना प्रणाली से पूर्वोत्तर क्षेत्र के रेगिस्तानी इलाकों के सम्बन्ध में अलग से सूचना प्राप्त नहीं होती।

किसी क्षेत्र विशेष का ऋण जमा अनुपात उस क्षेत्र की शाखाओं की जमा राशियों और अग्रिमों के बीच केवल एक गणितीय सम्बन्ध का द्योतक होता है और इससे उस क्षेत्र में दिए जाने वाले ऋणों की पर्याप्तता अथवा अन्यथा का पता नहीं चलता। ऋण की राशि उत्पादक उपक्रमों में केवल मात्र एक निवेश्य वस्तु है। उद्यमकर्ता द्वारा ऋण का लिया जाना कई बातों से प्रभावित होता है जैसे बिजली की उपलब्धता, परिवहन, संचार और अन्य आधारभूत सुविधाएं, बाजार की दूरी, औद्योगिक वातावरण आदि। किसी क्षेत्र विशेष में ऋण के उपयोग का स्तर आर्थिक गतिविधि के स्तर, विशेषकर व्यापार और उद्योग के संगठित क्षेत्र के स्तर पर निर्भर करता है।

फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह कहा है कि वे उन राज्यों में ऋणों के उपयोग को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करें जहां ऋण जमा अनुपात कम है।

(छ) बैंकों से यह कहा गया है कि 25 हजार रुपये तक के ऋणों के सभी आवेदन एक पखवाड़े के अन्दर-अन्दर और 25 हजार रुपये से अधिक के ऋण आवेदन 8 से 9 सप्ताह के अन्दर अन्दर निपटा दिये जाने चाहिए। बैंकों को शाखा स्तर पर रजिस्टर रखना होता है जिसमें आवेदनों की प्राप्ति, मंजूरी/रद्द किये जाने के कारण आदि दर्ज किए जाते है।

(च) पिछड़े क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को यह निदेश दिए गए हैं कि वे लघु क्षेत्र को दिए जाने वाले अग्रिमों पर रियायती दरों पर ब्याज लें। ब्याज दरों में रियायत की सीमा नीचे दी गई है :—

	ब्याज की दर (प्रतिशत)
1. 25 हजार रुपए तक के संयुक्त ऋण	
क) पिछड़े क्षेत्र	10.00
ख) अन्य क्षेत्र	12.00
2. 3 वर्ष से अनधिक अवधि के सावधि ऋण	
क) पिछड़े क्षेत्र	12.5
ख) अन्य क्षेत्र	13.5

भारतीय रिजर्व बैंक ने समर्थन की आवश्यकता और योजनाओं की अर्थक्षमता के आधार पर ऋण योजनाओं में, बैंकों को, आदिवासी और रेगिस्तानी इलाकों के लिए उचित योजनाएं शामिल करने के लिए भी कहा है।

कोयला खानों में कार्य की लम्बी दीवार प्रणाली (लांगवाल सिस्टम) शुरू करना

6008. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कोयला कम्पनियों के अन्तर्गत कितनी कोयला खानें ऐसी हैं, जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्य प्रणाली शुरू की गई है ;

(ख) क्या ऐसी भी कुछ कोयला खानें हैं जहां यह पहले शुरू की गई थी किन्तु बाद में बन्द कर दी गई ; और

(ग) परम्परागत प्रणाली और लम्बी दीवार प्रणाली के बीच उत्पादन लागत में अन्तर सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कु० नटवर सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान (1982-83 से 1984-85 तक) बिजली चालित लांगवाल खनन प्रणाली चार कोयला खानों में शुरू की गई है। किसी भी खान में इस प्रणाली को समाप्त नहीं किया गया है।

(ग) चूंकि परम्परागत बोर्ड और पिलर प्रणाली की अपेक्षा इस प्रणाली की उत्पादकता

काफी अधिक है इसलिए इसकी संचलन लागत कम है यद्यपि आरम्भिक पूंजी लागत ज्यादा रहती है। यंत्रीकृत लांगवाल प्रणाली के अन्य मुख्य लाभ इसकी सुरक्षा और कोयले की बेहतर प्राप्ति में निहित हैं जिनके फलस्वरूप कोयला भंडारों का बेहतर संरक्षण होता है।

भारत और इंगलैंड के बीच व्यापार सम्बन्धों में सुधार

6009. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा इंगलैंड को किए गए निर्यात के सम्बन्ध में 1984 के दौरान प्रभावशाली दृष्टिगत वृद्धि हुई है जिससे इंगलैंड के साथ देश के व्यापार घाटे मे काफी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इंग्लैंड के साथ व्यापार घाटे में कितनी कमी हुई है ; और

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) अप्रैल-सितम्बर 1983 तथा अप्रैल-सितम्बर 1984 के दौरान ब्रिटेन के साथ भारत के निर्यात, आयात तथा व्यापार निम्न प्रकार थे :

(करोड़ रु०)

	1983	1984
	(अप्रैल-सितम्बर)	
आयात	468.37	483.31
निर्यात	236.44	323.24
घाटा	231.93	161.07

(ग) व्यापार प्रतिनिधिमंडल/प्रदर्शनियां/व्यापार मेले/मिशन/सम्मेलन, जानकारी प्रशिक्षण तथा विपणन जैसे व्यापार संवर्धन उपाय जारी हैं।

कोयले की बिक्री को उदार बनाना

6010. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने कोल इण्डिया लि० की कुछ कोयला खानों से एक समय में 500 टन तक कोयले की बिक्री को उदार बनाने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या यह निर्णय कोयला खदानों पर जमा कोयले के भंडार को कम करने और कोयले के परिवहन के लिए रेलों पर दबाव को कम करने के लिए किया गया है ;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सड़क द्वारा कोयले के परिवहन हेतु कोयले की बिक्री को उदार बनाने के लिए कोयला कंपनियों की कुछ कोयला खानें निर्धारित की जाएं ; और

(घ) यह योजना कब तक लागू किए जाने की संभावना है और यदि यह लागू कर दी गई है तो इससे किस सीमा तक परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कु० नटवर सिंह) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) योजना पहले ही लागू कर दी गई है और इस योजना के अधीन बिक्री शुरू हो गई है।

विशेष इस्पात की मांग और उसका उत्पादन

6011. **श्री चिन्तामणि जेना**
श्री अमर सिंह राठवा } क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष इस्पात का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) देश में उपयोग के लिए तथा निर्यात प्रयोजनों के लिए विशेष इस्पात की वार्षिक मांग कितनी है ;

(ग) क्या हाल ही में विशेष इस्पात के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(घ) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान मात्रा तथा मूल्य की दृष्टि से उत्पादन में कितनी कमी हुई है ; और

(च) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में विशेष इस्पात का उत्पादन पुनः मूल स्तर तक करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कु० नटवर सिंह) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान मिश्र

तथा विशेष इस्पात (मीडियम और हाई कार्बन स्टील शामिल है) का वार्षिक उत्पादन लगभग 7,02,000 टन (आंकड़े अस्थायी हैं) हुआ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा लोहे और इस्पात के बारे में गठित किए गए कार्यकारी दल द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1985-86 के लिए मिश्र तथा विशेष इस्पात की मांग 8,53,000 टन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) मिश्र तथा विशेष इस्पात का उत्पादन विद्युत चाप भट्टियों द्वारा किया जा रहा है जो इस बारे में लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन को रिपोर्ट करती हैं। इनके साथ साथ मिश्र तथा विशेष इस्पात का उत्पादन सरकारी क्षेत्र के कारखानों जैसे विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड मिश्र इस्पात कारखाने तथा सेलम इस्पात कारखाने द्वारा भी किया जाता है। वर्ष 1984-85 के दौरान विद्युत चाप भट्टी इकाइयों का उत्पादन वर्ष 1983-84 के उत्पादन की तुलना में कम था जबकि वर्ष 1984-85 के दौरान सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का उत्पादन वर्ष 1983-84 में हुए उत्पादन की तुलना में अधिक था। मुख्यतः पिछले वर्षों में बड़े पैमाने पर किए गए आयात और बिजली की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण कुल मिलाकर उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ङ) निम्नलिखित तालिका में लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन को रिपोर्ट करने वाली विद्युत चाप भट्टी इकाइयों, मिश्र इस्पात कारखाने, दुर्गापुर, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड और सेलम इस्पात कारखाने के मिश्र और विशेष इस्पात के उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी का ब्यौरा दिया गया है:

क्रम सं०	श्रेणी	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+) अथवा कमी (—) (हजार टन)		
		1982-83	1983-84	1984-85 (आंकड़े अस्थायी हैं)
1.	विद्युत चाप भट्टी इकाइयां	(—)87	(+)105	(—)173
2.	मिश्र इस्पात कारखाना, दुर्गापुर	(—)5.2	(—)3.5	(+)15.5
3.	विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड	(—)21.1	(+)4.6	(+)5.2
4.	सेलम इस्पात कारखाना	(+)3.54	(+)0.18	(+)10.20
		(—)109.76	(+)106.28	(—)142.1

औसत मूल्यों के आधार पर सरकारी क्षेत्र के कारखानों के उत्पादन के मूल्य में वृद्धि अथवा कमी (रुपयों में) का ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है :—

क्रम सं०	श्रेणी	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+) अथवा कमी (—) (लाख रुपयों में)		
		1982-83	1983-84	1984-85 (आकड़े अस्थायी हैं)
1.	मिश्र इस्पात कारखाना, दुर्गापुर	(—)699.09	(—)426.75	(+)1790.87
2.	विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लि०,	(—)2571.25	(+)520.00	(+)543.00
3.	सेलम इस्पात कारखाना	(+)1864.83	(+)79.52	(+)4247.69
		(—)1405.51	(+)172.77	(+)6581.56

जहां तक विद्युत चाप भट्टी इकाइयों का सम्बन्ध है, मूल्य की वृद्धि से उनके उत्पादन के बारे में रिपोर्ट नहीं दी जाती है और इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और क्षमता का बेहतर उपयोग करके सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में मिश्र तथा विशेष इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

रेशम के निर्यात में वृद्धि

6012. श्री चिन्तामणि जेना : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में रेशम के निर्यात में निरन्तर वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान रेशमी माल की विभिन्न मदों से हुई कुल निर्यात आय

दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है :

वर्ष		कुल निर्यात (लाख रु० में)
1980-81	...	5,312.05
1981-82	...	6,973.21
1982-83	...	7,284.84
1983-84	...	11,167.26
1984-85	...	12,905.73 (अनन्तिम)

कोयला हैन्डलिंग और स्क्रीनिंग संयंत्र स्थापित किया जाना

6013. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों को सप्लाई किए जाने वाले कोयले का श्रेणीकरण करने और उसकी किस्म में सुधार लाने के लिए 1982-83 और 1983-84 में कितने अतिरिक्त कोयला हैन्डलिंग और स्क्रीनिंग संयंत्र स्थापित किए गए;

(ख) क्या अनेक नई कोयला धोवनशालाएं भी स्थापित की जाएंगी;

(ग) क्या सरकार कोयले की किस्म सुधारने हेतु नया इनका ढांचा विकसित करने के विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो नए अतिरिक्त कोयला हैन्डलिंग और स्क्रीनिंग संयंत्र कब, किन स्थानों पर कितनी लागत पर स्थापित किए गए हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री कु० नटवर सिंह) : (क) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के अन्त में विभिन्न कोयला खानों में कार्यरत कोयला रखरखाव और छनाई संयंत्रों की संख्या क्रमश: 141 और 187 थी।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-1990) के दौरान दस कोयला वाशरियां स्थापित करने का प्रस्ताव है। एक वाशरी को छोड़कर शेष सभी वाशरियों में कोककर कोयले के परिष्करण की योजना है। यह परिष्कृत कोककर कोयला इस्पात संयंत्रों को सप्लाई किया जाएगा।

(ग) कोयला वाशरियों की स्थापना कोककर कोयले के ऐसे परिष्करण के लिए की जा रही है जिससे वह इस्पात संयंत्रों की मांग के अनुरूप बन सके। अकोककर कोयले के मामले में, प्रत्येक खान में ऐसे कोयला रख-रखाव संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं जिनमें फालतू सामग्री निकालना, छनाई करना, तोड़ना और भंडारण आदि की सुविधाएं हों।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-86 से 1989-90) के दौरान सौ से भी अधिक कोयला रख-रखाव और छनाई संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। ऐसे संयंत्रों की कुल अनुमानित लागत लगभग 800 करोड़ रुपए होगी।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा बिहार और उड़ीसा खानों से लौह अयस्क की खरीद में कटौती किया जाना

6014. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा बिहार और उड़ीसा स्थित खानों में लोह अयस्क की खरीद के कोटे में कटौती किये जाने के परिणामस्वरूप इन खानों को संकट का सामना पड़ रहा है;

(ख) क्या ये खाने बन्द होने के कगार पर हैं;

(ग) क्या इससे बड़ी संख्या में आदिवासी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन खानों में स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) विदेशी खरीदारों और साथ ही स्वदेशी इस्पात संयंत्रों द्वारा लोह अयस्क की कम उठान के फलस्वरूप 1982-83 और 1983-84 के दौरान बिहार और उड़ीसा में खानों से लोह अयस्क की अधिप्राप्ति में कमी आई। खनिज व धातु व्यापार निगम ने पारादीप पत्तन से निर्यात के लिए नए बाजारों का पता लगाने में और स्वदेशी इस्पात संयंत्रों द्वारा इन क्षेत्रों की खानों से लोह अयस्क का अधिक उपयोग करके बिहार और उड़ीसा से लोह अयस्क की अधिप्राप्ति में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, इन क्षेत्रों की खानों से 1984-85 में लोह अस्यक की अधिप्राप्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। खनिज व धातु व्यापार निगम ने वर्ष 1985-86 के लिए भी विदेशी खरीदारों से अधिक निर्यात वचबद्धताएं प्राप्त की हैं।

खनिज व धातु व्यापार निगम ने जनवरी, 1985 से इस क्षेत्र में अधिप्राप्ति नीति भी उदार बनायी है। इस अधिप्राप्ति नीति की मुख्य विशेषताएं हैं; खान मालिकों से बिना किसी अधिकतम सीमा के लोह अयस्क की सप्लाइयां स्वीकार करना, नई खानों के मालिकों से 1000 टन का मासिक कोटा स्वीकार करना और वर्तमान खान मालिकों से गत वर्ष के दौरान सप्लाई की गई मात्रा के अतिरिक्त 25 प्रतिशत सप्लाई।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (भारतीय इस्पात प्राधिकरण) को वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान हुआ भारी घाटा

6015. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान अपेक्षा से कहीं अधिक नुकसान हुआ;

(ख) उपरोक्त वर्षों में हुए लाभ अथवा नुकसान का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राउरकेला और सेलम इस्पात संयंत्र सुचारू रूप से चल रहे हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कु० नटवर सिंह) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को 214 53 करोड़ रुपये की हानि हुई। वर्ष 1984-85 के लेखों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। फिर भी वर्ष 1984-85 के दौरान "सेल" को लाभ होने की संभावना है।

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान लाभ तथा हानि का कारखाना-वार ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है :—

	(करोड़ रुपये)
भिलाई इस्पात कारखाना	(—) 2.83
बोकारो इस्पात कारखाना	(+) 0.55
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	(—) 63.72
राउरकेला इस्पात कारखाना	(—) 100·32
मिश्र इस्पात कारखाना	(—) 33.75
सेलम इस्पात कारखाना	(—) 18.08
अन्य	(+) 3·62
	(—) 214.53

(ग) जी, हां। दोनों इस्पात कारखानों में वर्ष 1983-84 के मुकाबले वर्ष 1984-85 में उत्पादन में वृद्धि हुई है :—

(हजार टन)

कारखाना	विक्रेय इस्पात का उत्पादन		वर्ष 1983-84 के मुकाबले में वर्ष 1984-85 के उत्पादन में हुई वृद्धि का प्रतिशत
	1983-84	1984-85	
राउरकेला इस्पात कारखाना	862	1013	(+) 17.5
सेलम इस्पात कारखाना	6.93	17.13	(+) 147.2

वर्ष 1983-84 में दोनों कारखानों को हानि हुई थी । आशा है वर्ष 1984-85 के दौरान दोनों कारखानों को लाभ होगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक घर बचत बैंक योजना को लोकप्रिय बनाना

6016. **प्रो० राम कृष्ण मोरे :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डाक घर बचत बैंक योजना को लोकप्रिय बनाने हेतु अब तक क्या कदम उठाये हैं तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना को अधिक लोकप्रिय बनाने और ग्रामीण जनता को राशि जमा कराने की ओर आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहन देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक घर बचत बैंक योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा अब तक उठाए गये कदमों में से कुछ ये हैं :—

(I) लोगों को अल्प बचत योजनाओं के लाभों की जानकारी देने के लिये राष्ट्रीय बचत संगठन के फील्ड अधिकारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित दौरे;

(II) क्षेत्रीय भाषाओं में प्रेस विज्ञापन;

(III) आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से प्रचार;

(IV) ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश कराने के लिए विभागेतर शाखा डाकपालों की सेवाओं का उपयोग;

(V) ग्रामिण क्षेत्रों में तहसीलदारों, खण्ड विकास अधिकारियों, पंचायत समितियों आदि के माध्यम से अल्प बचत योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्य सरकारों के फील्ड संगठनों के साथ तालमेल; और

(VI) ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक एजेंटों की नियुक्ति;

इन कदमों से ग्रामीण बचतों को जुटाने में सहायता मिली है ।

आजकल विभिन्न श्रेणियों के निवेशकर्ताओं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शामिल हैं की आवश्यकताओं को पूरा करने की के लिए बहुत सी आकर्षक अल्प बचत योजनाएं विद्यमान हैं ।

जीवन बीमा अधिनियम की धारा 45 में संशोधन

6017. **श्री चित्त महाटा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके दावेदार को धनराशि देने के लिए जीवन बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या जीवन बीमा अधिनियम 1938 की उक्त धारा के अन्तर्गत कुछ दावेदारों को बीमा की राशि देने से इन्कार कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार का विचार उन मामलों में क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) संभवतः यह प्रसंग बीमा अधिनियम की धारा 45 के बारे में है। विधि आयोग ने बीमा अधिनियम की धारा 45 में संशोधन करने के लिए एक कार्य-पत्र (वर्किंग पेपर) लोगों के लिए विचार जानने के लिए परिचालित किया है । आयोग ने अभी तक सरकार को इस विषय पर कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है।

(घ) से (च) जीवन बीमा निगम अधिनियम की कोई ऐसी विशिष्ट धारा नहीं है जिसके अन्तर्गत दावाकर्ताओं को मृत्यु दावों के भुगतान से वंचित रखा जाता है। ऐसी पालिसियों, जिनकी परिणीति मृत्यु दावों के रूप में होती है, के दायित्व को उस मामले में अस्वीकृत कर दिया जाता है जहां यह पाया जाता है कि बीमित व्यक्तियों ने वे पालिसियां महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की थी और जिनके प्रकट होने पर जोखिम अंकन के निर्णय पर प्रभार पड़ सकता है। बीमा अधिनियम की धारा 45 दावाकर्ताओं को ऐसी अस्वीकृति की संभाव्यता को कम करके सुरक्षा प्रदान करती है।

1983-84 में मृत्यु दावों से संबद्ध कुल 94,858 पालिसियों में से वर्ष के दौरान केवल 812 मृत्यु दावों के अन्तर्गत ही दायित्व अस्वीकृत किए गए।

बैंकों में अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच

6018. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो लन्दन के राजेन्द्र सेठिया को जो इस समय हिरासत में है, ऋण मंजूर करने में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कर रहा है;

(ख) क्या हाल ही में कलकत्ता में बैंक आफ बड़ौदा में हुई धोखाधड़ी के संबंध में भी ऐसी जांच की जा रही है; और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा देश में कितने बैंक अधिकारियों के विरुद्ध जांच की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां,

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि वर्ष 1984 के दौरान ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए मामलों में सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों के 386 कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त थे।

राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का लाभ दिया जाना

6019. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में घोषित मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान बढ़ाये जाने के लाभ राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, कोल इण्डिया लिमिटेड और अन्य केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों पर भी लागू किये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में सरकार का क्या विचार है; और

(घ) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, कोल इण्डिया लिमिटेड और अन्य केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के मामले में मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान की छूट की सीमा बढ़ाने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10 (10) (तीन) में संशोधन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यथाघोषित मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान की बढ़ी हुई अधिकतम राशि का लाभ सरकारी उपक्रमों के उन कर्मचारियों, जो अन्यथा उपदान संदाय अधि-

नियम, 1972 के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, पर लागू करने के प्रश्न पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही हैं। किन्तु, ये सुविधाएं राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को प्रदान करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) सरकार 50,000/-रुपये तक मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान राशि की छूट की सीमा बढ़ाने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (10) के तीसरे परन्तुक के अधीन एक अधिसूचना जारी करने का प्रयास कर रही है।

बिक्री योग्य इस्पात की मांग और उत्पादन

6020. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक देश में बिक्री योग्य इस्पात की कुल मांग के बारे में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान देश में बिक्री योग्य इस्पात की अनुमानित मांग कितनी है;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में कितनी उपलब्धि हुई; और

(घ) सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मांग को पूरा करने के लिए बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए हैं?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) और (ख) : जी हां। लोहे तथा इस्पात के बारे में कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विक्रेय इस्पात की सम्भावित मांग इस प्रकार होगी :—

(मात्रा हजार टन में)

वर्ष		मांग
1985-86	...	11,354
1986-87		11,929
1987-88	...	12,535
1988-89	...	13,172
1989-90	...	13,856

(ग) छठी पंचवर्षीय योजनावधि में विक्रेय इस्पात उत्पादन इस प्रकार था :—

(मात्रा हजार टन में)

वर्ष	सेल (इस्को भी शामिल है)	'टिस्को'	गौण उत्पादक	कुल
1980-81	4767	1537	1330	7634
1981-82	5651	1606	1429.5	8686.5
1982-83	5672	1621	1590	8883
1983-84	4771	1626	1674	8071
1984-85	5283	1714	1099	
			(अप्रैल दिसम्बर 1984)	

(घ) उत्पादन विभिन्न बातों जैसे कारखानों के सुचारु परिचालन, बेहतर क्वालिटी के अदानों की प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्धि तथा बाजार की मांग पर निर्भर करता है । बेहतर रख-रखाव तथा वांछित क्वालिटी के आदानों की प्राप्ति से क्षमता का अधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। दीर्घकालीन उपाय के रूप में वर्तमान कारखानों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन से तथा नैए इस्पात कारखाने लागाकर देश में इस्पात के उत्पादन में भी वृद्धि की जाएगी।

बड़े शहरों में आयकर और धनकर दाताओं की संख्या

6021. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आयकर और धनकर दाताओं की संख्या कितनी है तथा 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान उनसे कितनी कर राशि वसूल की गई तथा इन पर 1 जनवरी, 1985 को उक्त करों की कितनी राशि बकाया थी;

(ख) इन तीन वर्षों में बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद, बंगलौर और हैदराबाद में आयकर और धन कर दाताओं की संख्या कितनी-कितनी थी और कर रूप में उनसे कितनी धनराशि वसूल की गई तथा 1 जनवरी, 1985 को उन पर करों की कितनी राशि बकाया थी;

(ग) इन शहरों में उक्त दोनों प्रकार के करों के बारे में कर दाताओं की संख्या और उन पर बकाया राशि में वृद्धि अथवा कमी की दर क्या है; और

(घ) उक्त वर्षों के दौरान दोनों करों के मामलों में इन शहरों का प्रतिशत-वार योगदान कितना रहा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 (दिसम्बर, 1984 तक) के दौरान आयकर निर्धारितियों की संख्या क्रमशः 47.97लाख, 49.30 लाख और 49.15 लाख थी। 1.1.1985 की स्थिति के अनुसार, ऐसे कर-निर्धारितियों से कीगई आयकर की वसूलियां और उनकी तरफ बकाया रही राशि निम्नानुसार है :—

वसूलियां		(रुपए करोड़ों में)
1982-83	...	3754.23
1983-84	...	4191.86
1984-85	...	4470.42 (अनन्तिम)
बकाया मांग		1880.83

जहां तक धन कर की सूचना का संबंध है इसे एकत्र किया जा रहा है और जिसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) से (घ) इन शहरों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है। तथापि, आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों, जिनके ये शहर अंग हैं, से संबंधित आयकर निर्धारितियों, आयकर वसूलियों तथा बकाया मांग के ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं। जहां तक धनकर का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है जिसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

I. आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों में कर-निर्धारितियों की संख्या

(आंकड़े लाखों में)

आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र	कर-निर्धारितियों की संख्या 1982-83	1983-84	1984-85 (दिसम्बर 1984 तक)	1982-83 के संदर्भ में 1984-85 में वृद्धि / कमी का प्रतिशत-अनुपात	
1. बम्बई (सभी अधिकार-क्षेत्र)	870	878	792	—	9.84
2. पश्चिम बंगाल ,,	390	395	246	+	14.35
3. दिल्ली ,,	446	445	367	—	21.52
4. मद्रास ,,	340	360	239	—	0.29
5. गुजरात ,,	252	271	382	+	11.90
6. कर्नाटक ,,	217	229	237	+	9 21
7. हैदराबाद ,,	127	124	133	+	4.72

II. वसूल किए गए कर और अखिल भारतीयवसूलियों से उनकी राशि का प्रतिशत-अनुपात

(रुपए करोड़ों में)

आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र	1984-85 के दौरान वसूली	अखिल भारतीय वसूलियों में राशि का प्रतिशत-अनुपात
1. बम्बई (सभी अधिकार क्षेत्र)	1912.35	24.88
2. पश्चिम बंगाल	46[illegible].92	10.38
3. दिल्ली	405.89	9.08
4. तमिल नाडु	271.67	6.08
5 गुजरात	95.70	2.14
6. कर्नाटक	179.51	4.02
7. आन्ध्र प्रदेश	106.84	2.39

III. बकाया मांग और वृद्धि/ कमी का प्रतिशत-अनुपात

(रुपए करोड़ में)

आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र	31.12.84 को बकाया मांग	31.12.83 को बकाया मांग	वृद्धि/कमी का प्रतिशत अनुपात
बम्बई (सभी अधिकार क्षेत्र)	581.55	357.53	+ 62 65
पश्चिम बंगाल	289.77	332.32	— 14.68
दिल्ली	282.44	241.87	+ 16.77
तमिल नाडु	161.65	129.62	+ 24.71
गुजरात	14.71	54.08	+ 56.63
कर्नाटक	44.25	73.85	— 66.89
आंध्र प्रदेश	27.39	24.05	+ 13.88

सिंगापुर को निर्यात में वृद्धि

6022. श्री एम० अरूणाचलम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगापुर से किया जाने वाले आयात उस देश को किये जाने वाले निर्यात से तीन गुना अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो सिंगापुर को निर्यात बढ़ाने और कम से कम आयात और निर्यात में संतुलन बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1982-83, 1983-84, 1984-85 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान भारत और सिंगापुर के बीच व्यापार आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :-

(मूल्य करोड़ रु० में)

वर्ष	निर्यात		आयात
1982-83	192.72		357.91
1983-84	195.17	(अनन्तिम)	384.96 (अनन्तिम)
1984-85 (अप्रैल से दिसम्बर)	138.87)		397.25)

अतः सिंगापुर से आयात हमारे निर्यातों से तीन गुने नहीं हुए।

(ख) सिंगापुर को हमारे निर्यात बढ़ाने संबंधी उपायों में व्यापार मेलों में भाग लेना और प्रतिनिधि मण्डलों के दौरे शामिल हैं। मैंने वाणिज्य उपमंत्री के रूप में सितम्बर, 1984 के दौरान सिंगापुर का दौरा किया और व्यापार संबंधी विचार-विमर्श किए। व्यापार दल पर इस बात पर जोर दिया गया कि वह भारत से आयात बढ़ाए और दोनों पक्षों के बीच व्यापार तथा उद्योग के सम्पर्कों को सुकर बनाया गया तथा व्यापार वृद्धि के लिए संभाव्य मदों को अभिज्ञात किया गया।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं का खोला जाना।

[हिन्दी]

6023. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 के दौरान उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की कितनी शाखायें खोली गई है और 1985-86 के दौरान इनकी कितनी शाखायें खोलने का विचार है;

(ख) क्या इन्हें इस बात की जानकारी है कि वहां के 50 प्रतिशत क्षेत्र और 40 प्रतिशत जनसंख्या को बैंकिंग सेवा उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में स्थिति सुधारने के लिये वहां पर प्रति वर्ष कितनी बैंक शाखायें खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : 31 मार्च, 1985 को समाप्त वर्ष के दौरान नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने जिला अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में सात शाखाएं खोलीं। वर्ष 1985-1990 की शाखा लाइसेंसिंग नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उक्त नीति को अंतिम रूप दिये जाने तक यह बताना सम्भव नहीं कि जिला अल्मोड़ा में बैंकों की कितनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी जायेगी। अलबत्ता, जिले में शाखाएं खोलने के लिये बैंकों के पास इस समय 12 प्राधिकार पत्र हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की अवधि की शाखा लाइसेंसिंग नीति में, प्रत्येक जिले के ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति 17,000 की जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया

था । अल्मोड़ा जिले से संबद्ध आंकड़े नीचे दिये गये हैं :-

जनसंख्या (सभी ग्रामीण/अर्ध-शहरी)	7,73,000
31.12.1984 को कार्यरत बैंकों की शाखाओं की संख्या	56
शाखाएं खोलने के लिए बैंकों के पास लम्बित पड़े प्राधिकार पत्रों की संख्या	12
प्रत्येक ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखा के अन्तर्गत आने वाली औसत ग्रामीण/अर्ध-शहरी जनसंख्या	14,000
लम्बित पड़े प्राधिकार-पत्रों का उपयोग कर लिए जाने के पश्चात्, प्रति ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखा के अनुसार अनुमानित ग्रामीण/अर्ध-शहरी जनसंख्या	12,000

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चाय का उत्पादन

6024. **श्री हरीश रावत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में कितनी मात्रा में चाय का उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में चाय का उत्पादन बढाने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों में चाय रोपण की वर्तमान संकटपूर्ण स्थिति से सुधार करने हेतु उनके मन्त्रालय का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जबकि कोई प्राधिकृत मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है, अनुकूल मौसम परिस्थितियों तथा कीमतों के अन्तर्गत 1985 का उत्पादन 1984 के 430 एम० टन के उत्पादन से तुलना करने योग्य हो सकता है ।

(ख) से (घ) चाय बोर्ड उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विद्यमान चाय एस्टेटों को पुनजीवित करने और नए चाय बगान खोलने की सम्भाव्यताओं का पता लगाता रहा है । तथापि, राज्य सरकार से उपयुक्त भूमि की उपलब्धता की समस्या है क्योंकि नए बगानों में वन के वृक्षों को काट गिराना अन्तग्रस्त होगा । उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में चाय बगानों के सम्बन्ध में अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की जांच के लिए पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) में सी० एस० आई० आर० का एक काम्प्लैक्स स्थापित किया गया हैं । चाय उपजकर्ता चाय बागानों के विकास के लिए चाय बोर्ड की विद्यमान उपदान तथा ऋण योजनाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं।

कमजोर वर्गों को कर्ज वितरित करने हेतु जिला-स्तर के लीड बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के बीच ताल मेल की कमी

6025. **श्री हरीश रावत :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के ऋण वितरण के कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जिला स्तर के लीड बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकों के बीच सामान्यत: तालमेल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि तालमेल के इस अभाव के कारण गरीब लोगों के उत्थान के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अड़चनें पैदा हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो जिला स्तर पर कार्य कर रहे सभी बैंकों में इस प्रयोजन के लिए आवश्यक तालमेल स्थापित करने हेतु सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को क्या अनुदेश जारी करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अग्रणी बैंक योजना के अन्तर्गत, अग्रणी बैंकों द्वारा जिला ऋण आयोजनाएं और वार्षिक कार्रवाई आयोजनाएं तैयार की जाती हैं। इन आयोजनाओं में ऋण परिव्यय का क्षेत्रवार और अलग-अलग क्रियाकलापों के अनुसार अनुमान लगाया जाता है और इस परिव्यय में कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए भी व्यवस्था शामिल होती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले परिव्यय, ऋण-आयोजनाओं में अलग से दिखाये जाते हैं। जिले के प्रत्येक बैंक को, योजना लक्ष्यों के अन्तर्गत निर्धारित उसका हिस्सा आवंटित कर दिया जाता है और जिला परामर्शदात्री समिति की बैठकों में बैंकों के कार्य की समीक्षा की जाती है और उस पर नजर रखी जाती है। इसके अलावा, जिला परामर्शदात्री समिति की समिति भी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्षेत्र में; जो कमजोर वर्गों के लिए बनाया गया है, बैंकों द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा करती है और जहां कहीं किसी बैंक का काम निर्धारित लक्ष्य से कम होता है वहां ऐसे बैंकों को अपने कार्य को सुधारने के लिए कहा जाता है।

केरल द्वारा साधन जुटाना

[अनुवाद]

6026. **श्री के० मोहन दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल द्वारा साधन जुटाने में वर्ष-वार कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ख) अन्य राज्यों की तुलना में इसकी क्या स्थिति है;

(ग) क्या अतिरिक्त साधन जुटाने में सराहनीय कार्य करने वाले राज्यों की सहायता करना सरकार की नीति है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस कारण केरल को कोई सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) अपने वित्त की व्यवस्था अच्छी तरह करने वाले राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 1983-84 में एक स्कीम की घोषणा की थी। इस सहायता के लिए पात्रता राज्यों के न केवल पिछले कार्य-निष्पादन पर बल्कि उनके 1983-84 के कार्य-निष्पादन पर भी निर्भर करती थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछले वर्ष राज्यों द्वारा जुटाये गए अतिरिक्त संसाधनों की प्रतिशतता में वृद्धि

राज्य	लेखा 1982-83	लेखा 1983-84	अंतिम अनुमान 1984-85
1. आन्ध्र प्रदेश	40.41	40.83	59.84
2. असम	39.91	67.65	—23.41
3. बिहार	51.35	42.40	49.97
4. गुजरात	94.17	45.91	38.67
5. हरियाणा	80.92	90.74	13.94
6. हिमाचल प्रदेश	163.91	24.56	20.58
7. जम्मू और कश्मीर	77.00	21.97	33.42
8. कर्णाटक	38.21	22.32	60.56
9. केरल	102.46	130.73	35.39
10. मध्य प्रदेश	78.76	77.88	15.61
11. महाराष्ट्र	121.00	23.37	10.37
12. मणिपुर	126.56	59.31	145.89

1	2	3	4
13. मेघालय	344.63	25.54	4.25
14. नागालैण्ड	490.91	—24.92	—65.16
15. उड़ीसा	51.95	45.64	18.16
16. पंजाब	92.46	28.30	1.53
17. राजस्थान	171.24	29.71	4.02
18. सिक्किम	50.88	11.63	42.71
19. तमिलनाडु	84.24	36.22	39.02
20. त्रिपुरा	48.94	97.14	0.72
21. उत्तर प्रदेश	61.02	52.43	12.02
22. पश्चिम बंगाल	57.36	50.70	73.67

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में केरल के हिस्से का कम किया जाना

6027. **श्री के० मोहन दास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में केरल का हिस्सा कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इससे राज्य की साधनों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य को सहायता करने के लिए कोई विशेष उपाय करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सामान्य विभाज्य पूल में केरल के भाग का प्रतिशत (बिजली के उत्पादन शुल्क को छोड़कर निवल आय का 40 प्रतिशत) सातवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किए गए 4.035 प्रतिशत की तुलना में आठवें वित्त अयोग द्वारा 3.8 प्रतिशत निर्धारित किया गया है ।

(ग) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में केरल का भाग निश्चित शर्तों के अनुसार नीचे दिया गया है;

		(करोड़ रुपए)
1983-84 (संशोधित अनुमान)	...	162.60
1984-85 (संशोधित अनुमान)	...	182.15
1985-86 (बजट अनुमान)	...	185.70

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम को छोटे निवेशकर्ताओं की सहायता करने के निर्देश

6028. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम को थोड़ी संख्या में प्रतिभूतियां खरीदने में छोटे निवेश कर्ताओं की सहायता करने के निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या स्टाक-एक्सचेंजों को छोटे निवेश-कर्ताओं के लिए थोड़ी संख्या में प्रतिभूतियां देने की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) पूंजी का निवेश करने वाली सामान्य जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने लाभांश प्रदायी कम्पनियों की प्रतिभूतियों (शेयरों) को थोड़ी संख्या में प्रचलित बाजार मूल्यों पर खरीदने के लिए सहमति दे दी है। इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों द्वारा निवेशकर्ताओं से ली जाने वाली दलाली की दर को एक समान आधार पर बाजार मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर निर्धारित कर दिया जाए, जिसे निवेशकर्ता ही वहन करें। इसके अलावा सरकार ने स्टाक एक्सचेंजों को निर्देश दिया है कि वे दलाली से सम्बन्धित विनियमों में तदनुसार उपयुक्त संशोधन भी कर लें।

पुरानी मशीनों के आयात की मांग

6029. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ ने मांग की है कि पुरानी मशीनों के आयात की अनुमति दी जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) आयात तथा निर्यात नीति 1985-88 के अन्तर्गत ऐसी पुरानी मशीनों के आयात की अनुमति है जो 7 वर्षों से अधिक पुरानी न हों और जिसका प्रमाणीकृत शेष जीवन 5 वर्ष से कम न हो।

हेरोइन की तस्करी

[हिन्दी]

6030. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवकों में हेरोइन की लत बढ़ रही है;

(ख) क्या देश में हेरोइन की बड़ी मात्रा में तस्करी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में, प्रत्येक वर्ष देश में कितनी मात्रा में हेरोइन की तस्करी की गई;

(घ) उक्त अवधि में सरकार ने कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की हेरोइन बरामद की तथा इसकी तस्करी में शामिल व्यक्तियों का विवरण क्या है;

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार हेरोइन का आयात रोकने के लिये कार्यवाही करने का है, और यदि हां, तो कब तक ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय ने औषध-द्रव्यों के दुरुपयोग और उसके व्यसन की मात्रा का आकलन करने हेतु एक नये सर्वेक्षण के लिए कार्यवाही पहले से ही शुरू कर दी है। उक्त अध्ययन 1986 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है।

(ख) से (च) पिछले दो वर्षों से भारत को उत्तरोत्तर इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि अधिकांशतया निकट तथा मध्य-पूर्व क्षेत्र से आने वाली तथा मुख्यतया पश्चिमी देशों को भेजी जाने वाली हेरोइन को भारत के रास्ते से होकर ले जाया जा रहा है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पकड़ी गई है कुल हेरोइन

मात्रा तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	पकड़ी गई मात्रा (किलोग्राम)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1982	34.122	42
1983	138.695	66
1984	199.393	53

पकड़ी गई हेरोइन का कोई ठीक-ठीक मूल्य नहीं बताया जा सकता क्योंकि गैर कानूनी बाजार मूल्य में, अधिग्रहण के समय तथा स्थान, औषध-द्रव्यों की शुद्धता, स्थानीय मांग और पूर्ति की स्थिति, आदि के कारण पर्याप्त अन्तर होता है ।

(ग) हेरोइन की तस्करी के मामलों में गिरफ्तार किए गए और व्यापार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ संगत कानूनों के अधीन कार्यवाही की गई और मुकदमे चलाए गए ।

(घ) देश में हेरोइन के आयात पर पाबन्दी है ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादन और अर्जित लाभ

[अनुवाद]

6031. श्री मूलचन्द डागा : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र और इस संयंत्र द्वारा घोषित इसके सहायक उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इस्पात की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में इस सम्बन्ध में इस संयंत्र के अन्य उत्पादों की स्थिति क्या रही;

(घ) इस संयंत्र में नए उत्पादों के विस्तार की क्या भावी योजनाएं हैं; और

(ङ) उत्पादन मूल्यों और लाभ/हानि आदि के संयंत्र में भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अधीन अन्य इस्पात संयंत्रों की तुलना में इस संयंत्र की स्थिति क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) राउरकेला इस्पात का कारखाना गर्म बेलित/क्वायलों, ठण्डी बेलित चादरों/क्वायलों, जस्ती सादी/जस्ती नालीदार चादरों, वैद्युतिक इस्पात की चादरें, इलेक्ट्रोलाइटिक टिन-प्लेटों, विद्युतीय प्रतिरोधक बेल्डित और सर्पिल बेल्डित इस्पात की ट्यूबों का उत्पादन करता है। राउरकेला इस्पात कारखाने के उत्पादनों का विवरण संलग्न है। [अनुलग्नक I] [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1116/85] देश भर में इस्पात का इस्तेमाल करने वाले कई उद्योग हैं जो राउरकेला इस्पात कारखाने द्वारा निर्मित उत्पादों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस कारखाने का कोई सहायक उद्योग नहीं है जिन्हें इस कारखाने से पूर्ति की जाती है।

(ख) और (ग) : इस्पात की सामान्य श्रेणियों के लिए उत्पादकों की संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा नियत तथा घोषित मूल्यों में वृद्धि हुई है। राउरकेला इस्पात कारखाने की मुख्य-मुख्य श्रेणियों जैसे प्लेटों, गर्म बेलित क्वायलों ठण्डी बेलित क्वायलों/चादरों, जस्ती सादी और जस्ती नालीदार चादरों के संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा नियत और घोषित मूल्यों के बारे में विवरण [अनुलग्नक II] संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1116/85] इस्पात की मुख्य-मुख्य श्रेणियों, जो संयुक्त संयंत्र समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं आती हैं, के मूल्यों का ब्यौरा अनुलग्नक III। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1116/85] पर तथा रसायन तथा उर्वरक के मूल्यों का ब्यौरा अनुलग्नक 4 [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1116/85] पर दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में 'सेल' के अन्य सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की तुलना में राउरकेला इस्पात कारखाने में विक्रेय इस्पात के उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(हजार टन)

कारखाना	उत्पादन		
	1982-83	1983-84	1984-85
भिलाई इस्पात कारखाना	1838	1575	1810
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	813	602	621
राउरकेला इस्पात कारखाना	992	862	1013
बोकारो इस्पात कारखाना	1529	1288	1459
इस्को	500	444	380

वर्ष 1981-82 से 1983-84 की अवधि में राउरकेला इस्पात कारखाने और 'सेल' के

अन्य इस्पात कारखानों का लाभ तथा हानि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	लाभ (+)/हानि (—) (करोड़ रुपए)		
	1981-82	1982-83	1983-84
राउरकेला इस्पात कारखाना	(—)21.71	(—)74.99	(—)100.32
जिसमें उर्वरक संयंत्र का हिस्सा है	(—)8.06	(—)15.99	(—)15.49
भिलाई इस्पात कारखाना	6.09	19.95	(—)2.83
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	0.70	(—)44.23	(—)63.73
बोकारो इस्पात कारखाना	6.54	18.09	0.55
मिश्र इस्पात कारखाना	(—)6.64	(—)15.31	(—)33.75
सेलम इस्पात कारखाना	(—)0.13	(—)14.21	(—)18.08
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि०	(—)37.11	(—)71.05	(—)24.6

वर्ष 1984-85 के लेखों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, परन्तु आशा है इस वर्ष राउरकेला इस्पात कारखाने को लाभ होगा।

लौह अयस्क का उत्पादन और निर्यात

6032. श्री मूलचन्द डागा : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लौह अयस्क का अनुमानित उत्पादन कितना है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष वास्तव में कितना उत्पादन हुआ है और कम उत्पादन यदि हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में नियमित रूप से लौह अयस्क लेने वाले देश कौन से है, उनके नाम और उन्हें निर्यात की गई मात्रा कितनी है;

(ग) उन देशों के क्या नाम हैं जिन्होंने वचन देने के बाद भी लौह अयस्क नहीं उठाया तथा इसके क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों में भारत को इससे कितनी हानि उठानी पड़ी;

(घ) क्या लौह अयस्क हमेशा बहुतायत में रहा है; और

(ङ) क्या अधिक उत्पादन के लिए या नई खानें खोदने के बारे में भविष्य में विस्तार सम्बन्धी कोई योजनाएं हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) 1982, 1983 तथा 1984 के वर्षों में लोह अयस्क के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष		उत्पादन (हजार टनों में)
1982	...	42,752
1983	...	38,089
1984	...	41,943

वर्ष 1983 में कम उत्पादन इस वर्ष लौह अयस्क का निर्यात कम होने के कारण हुआ है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में भारत द्वारा लोह अयस्क के निर्यात का देशवार तथा मांगवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों में भारत द्वारा प्रतिवर्ष 400 करोड़ रुपए के हिसाब से लोह अयस्क का निर्यात किया गया है। वर्ष 1982 में 405 करोड़ रुपए, वर्ष 1983 में 388 करोड़ रुपए तथा वर्ष 1984 में 425 करोड़ रुपए, गत तीन वर्षों में लोह अयस्क का आयात करने वाले मुख्य देशों जैसे जापान तथा दक्षिणी कोरिया ने वायदे के अनुसार लौह अयस्क उठाया है। लेकिन वर्ष 1982 में रूमानिया द्वारा उनके रुपए का अधिशेष अपर्याप्त होने के कारण लगभग 25 करोड़ रुपए का कम आयात किया गया था। परन्तु वर्ष 1984 के दौरान रूमानिया ने वायदे के अनुसार लौह अयस्क उठाया है। लोह अयस्क के निर्यात से खनिज तथा धातु व्यापार निगम को कोई हानि नहीं हुई है।

(घ) सामान्यतः उत्पादन बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है तथा वर्ष 1984 में विश्व इस्पात उद्योग में निरन्तर मन्दी के कारण स्टाक मे मामूली वृद्धि हुई है।

(ङ) इस्पात की हमारी मिलों तथा निर्यात के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक लगभग 600 लाख टन लोह अयस्क सांद्रण का उत्पादन होने की सम्भावना है। अनुमान है कि उत्पादन का यह स्तर देश में वर्तमान क्षमता से प्राप्त किया जाएगा। बैलाडिला-14 की अनुपूरक खान के रूप में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा बैलाडिला के निक्षेप II-सी का विकास किया जा रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसी परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

विवरण

भारत द्वारा (कुद्रेमुख को छोड़कर) लौह अयस्क के निर्यात का देशवार ब्यौरा :

(मिलियन टन)

देश	1982-83	1983-84	1984-85
जापान	15.38	14.50	16.52
दक्षिणी कोरिया	2.78	2.88	3.25
रूमानिया	1.92	2.54	2.85
चैकोस्लोवाकिया	0.11	0.12	0.09
हंगरी	0.02	0.03	0.03
संघीय गणतंत्र जर्मनी	0.61	0.72	0.91
बल्गारिया	0.11	0.11	0.10
इटली	0.39	0.35	0.76
ताईवान	0.01	0.12	0.16
मलयेशिया	0.02	0.04	0.01
उत्तरी कोरिया	—	—	0.06
पाकिस्तान	0.15	0.13	0.17
सऊदी अरब	0.05	0.12	0.05
ईराक	0.10	0.13	0.13
मध्य पूर्व	0.20	0.10	0.10
टर्की	—	9.06	—
चीन	—	—	0.03
कुल जोड़	21.85	21.95	25.32

कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड द्वारा लौह अयस्क के निर्यात का देशवार ब्यौरा

देश	1982-83	1983-94	1984-85
रूमानिया	0.998	0.05	0.06
चैकोस्लोवाकिया	0.029	0.08	0.11
बहरीन	—	—	0.34
हालैंड	—	—	0.0 5
कुल	1.027	1.13	1.56

बुलियन नीति का नवीकरण

6033. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तस्करी रोकने के उद्देश्य से बुलियन नीति का नवीकरण करने का कोई प्रस्ताव है ;और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ख) माननीय सदस्य का विचार सम्भवतः तस्करी रोकने के उद्देश्य से स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम 1968 में संशोधन करके बुलियन नीति में सम्भव परिवर्तन करने से है । यदि ऐसा है तो फिलहाल सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दार्जिलिंग चाय के उत्पादन में गिरावट

6034. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग चाय के उत्पादन में निरन्तर कमी होती आ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दार्जिलिंग चाय के उत्पादन में कमी के तुलनात्मक आंकड़ों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण है; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ख) प्रतिवर्ष होने वाले उतार-चढ़ावों को छोड़कर जो मुख्यतः मौसम परिस्थितियों के कारण होते हैं, दार्जिलिंग चाय के उत्पादन की प्रवृति में गत 9 वर्षों में मामूली वृद्धि दिखाई दी है जैसा कि निम्नोकत आंकड़ों से देखा जा सकता है :—

वर्ष	उत्पादन एकक
1976	11·34
1977	11.58
1978	11-53
1979	10.81
1980	12.69
1981	12·23
1982	14.13
1683	14.26
1984 अनन्तिम	13.17

दार्जिलिंग चाय उद्योग के सामने प्रमुख बधाएं हैं—कम उत्पादकता जिसके परिणामस्वरूप ऊंची लागतें आती हैं और अलाभकारी कीमतें मिलती हैं।

1984 में दार्जिलिंग कीमतों में अच्छा सुधार हुआ है जिससे इसके आसारों में सुधार हुआ है। 1985 के लिए चाय विपणन नीति भी दार्जिलिंग जैसी ऊंचे मूल्य की चाय़ के निर्यातों के समर्थन में है। दार्जिलिंग बागानों की स्थिति सुधारने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं-उत्पाद-शुल्क को कम करके उसे 20 पैसे प्रति किग्रा० के नाममात्र के स्तर तक लाना और बागानों के विकास के लिए बैंक ऋणों पर ब्याज उपदान की व्यवस्था। इस प्रयोजन के लिएनाबार्ड ऋण स्थगन तथा पुनर्भुगतान अवधि सम्बन्धी मानदन्डों के उदारीकरण और साथ ही जहां कहीं आवश्यक पाया जाए वहां पिछली देनदारियों के निधिकरण के लिए भी सहमत हो गया है।

जापान को गैर-परम्परागत कृषि वस्तुओं का निर्यात

6035. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान को गैर-परम्परागत कृषि-वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने जापान को गैर-परम्परागत कृषि-वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या नीति तैयार की गई है; और

(घ) इसके परिणाम स्वरूप जापान को निर्यात कितना बढ़ाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (घ) केन्द्रीय सरकार, ऐसी अपरम्परागत कृषिगत वस्तुओं का पता लगाने के लिए, जिन्हें जापान सहित अन्य देशों को निर्यात किया जा सकता है, राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से बातचीत करती रही है। कतिपय नई कृषिगत मदों अर्थात कुकुरमुत्ता, सन्तरे, टमाटर, अनन्नास, अदरक, केला तथा काली मिर्च का पता लगाया गया है। भारत ने जापानी प्रोद्योगिकी का भी हमारी पैदावार बढ़ाने के लिए तथा कृषिगत मदों के लिए वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद निर्यात अभिमुख एकक स्थापित करने के लियेस्वागत किया है। जापानी स्वास्थ्य तथा संगरोधन विनियमों के साथ पूरी समनुरूपता प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

1984-85 के दौरान जापान को कुछ प्रमुख भारतीय कृषि वस्तुओं के वर्तमान निर्यात

क्र० सं०	मद	मात्रा* (एम०टन)	मूल्य* (लाख रु० में)
1.	ग्वार गोन्द	1508	107
2.	निर्जलीकृत प्याज तथा लहसुन	479	79
3.	माण्ड (इमली की गिरी का पावडर	1230	41
4.	पशु केसिंग्ज (भेड़ केसिंग्ज)	उपलब्ध नहीं	70
5.	अचार तथा चटनियां	173	20
		कुल	317

* अनन्तिम

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा औद्योगिक उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु किए गए उपाय

6036. **श्री मोहन सिंह राठौड़** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष रूप से अदिवासियों में औद्योगिक उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय में आदिवासी उद्यमियों के ऋण आवेदन पत्रों पर तुरन्त कार्यवाही करने और उनका न्यायोचित निपटान करने हेतु कोई प्रकोष्ठ है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार का कोई प्रकोष्ठ स्थापित करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंक, विशेषकर भारतीय स्टेट बैंक पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से, आदिवासियों सहित सम्भावित उद्यमियों को जोखिम वाले धन्धे शुरू करने के लिए प्रेरित करने के प्रयोजन से पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम चलाता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अपने मुख्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में परामर्शी कक्ष स्थापित किए हैं जिनका संचालन तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त कार्मिकों द्वारा किया जाता है। ये कक्ष परियोजनाओं की तकनीकी अर्थक्षमता का मूल्यांकन करने और उद्यमियों को प्रबंधकीय तथा तकनीकी सहायता सुलभ कराने में उनके परिचालन स्टाफ की सहायता करते हैं। अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के सहायतार्थ अनुसूचित जतियों/असूचित जनजातियों/ के लिए अलग कक्ष स्थापित किए हैं। बैंकों द्वारा बनाई गई योजनाओं के आधार पर उद्यम स्थापित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में आदिवासियों को पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में, राज्य स्तर की बैंकरों की समिति में आदिवासी विकास के संदर्भ में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह की समस्या पर विचार विमर्श किया जाता है तथा समाधान किया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं

बैंकों की प्रबंध व्यवस्था में पुनः कार्य-कुशलता स्थापित करने के लिए उठाए गए कदम

6037. **श्री बृज मोहन महंती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इन वर्षों में बैंकों की प्रबन्ध व्यवस्था में कमी आई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या बैंकों की प्रबन्ध व्यवस्था में पुनः कार्य कुशलता स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार प्रबन्ध बोर्डों और इनके चेयरमैनों की नियुक्ति के तरीके में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या सरकार इन बोर्डों और इनके चेयरमेनों पर भारतीय रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में कोई छूट देने पर भी विचार कर रही है; और

(ङ) क्या सरकार को चेयरमेनों और प्रबन्ध-बोर्डों के बीच मतभेदों और विवादों का पता चला है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंकों के कार्यों में हुए तेजी से विस्तार के परिणामस्वरूप; आंकड़ा सूचना और नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण ग्राहक सेवा, गृह प्रबन्ध आदि जैसे उनके आंतरिक प्रबन्ध के कुछ क्षेत्रों में काफी दबाव का अनुभव किया गया है क्योंकि वर्तमान प्रणाली बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार और रिजर्व बैंक को सरकारी क्षेत्र के बैंकों की इन कमियों की पूरी जानकारी है और बैंकों के कार्य-चालन में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं जिनमें शीर्षस्थ प्रबन्ध को मजबूत बनाने, प्रशासन को चुस्त बनाने, बैंकिंग लेन-देनों के काम की अत्यधिक मात्रा से निपटने के लिए मशीनें, कम्प्यूटर लगाने तथा इलेक्ट्रानिक और यांत्रिक सहायक उपकरणों का उपयोग करने, अनुशासन को लागू करने आदि उपाय शामिल हैं।

(ग) से (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 और 1980 के उपबन्धों के अधीन राष्ट्रीयकृत बैंकों के सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन और उनके कार्यों तथा कारबार के प्रबन्ध का काम उनके निदेशक बोर्डों में निहित है। इनमें से प्रत्येक के बोर्ड में अन्य निदेशकों के अलावा अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक होता है। बोर्ड की बैठकों में सभी सवालों पर बहुमत से निर्णय लिया जाता है जैसा कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1979 और 1980 में व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विदेशों में निवेश में अनियमितताएं

6038. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विदेशों में कुल कितनी धनराशि का कारोबार किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान में कितने मामलों में विदेशों में निवेश डूबा; और

(ग) इस क्षेत्र में प्रबन्ध सम्बन्धी अकुशलता और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सम्बन्धित कानूनों में निहित उपबन्धों के अनुसार और बैंकों में प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार बैंकों के ग्राहकों से सम्बन्धित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के प्रभावी संचालन और उनकी नियन्त्रण प्रणालियों के लिए उचित मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने विदेशी शाखाओं में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि जैसे मामलों पर बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त भी जारी किए हैं।

1984-85 के दौरान कोयले का उत्पादन

6039. कुमारी पुष्पा देवी : क्या इस्पात खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 के दौरान सरकार द्वारा कोयले के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) इस वर्ष में इस सम्बन्ध में वास्तविक उत्पादन कितना हुआ;

(ग) उपर्युक्त वर्ष के लिए प्रत्येक कोयला कम्पनी द्वारा उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया था;

(घ) उस वर्ष के दौरान इन कोयला कम्पनियों के अन्तर्गत प्रत्येक खान में कुल कितने कोयले का उत्पादन हुआ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1984-85 के लिए नियत लक्ष्य 152 मिलियन टन था और वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन 147.45 मिलियन टन रहा। कम्पनीवार लक्ष्य की तुलना में कम्पनीवार उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(आंकड़े मिलियन में)

1 कम्पनी	2 वर्ष 1984-85 में कोयला उत्पादन का लक्ष्य	3 1984-85 में वास्तविक उत्पादन (अनन्तिम)
ई. को. लि.	25.10	23.11
भा. को. को. लि.	24.50	21.84

1	2	3
से. को. लि.	37.50	39.02
वे. को. लि.	43.15	46.05
ना. ई. को.	0.75	0.81
कुल : से. को. लि.	131.00	130.83
सि. को. कं. लि.	17.00	12.33
टिस्को/इस्को/दा. घा. नि.	4.00	4.29
कुल भारत	152.00	147.45

(घ) और (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ विकास द्वारा प्रस्तावित आवंटन के लिए नया आधार

6040. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम ने 1987-91 के दौरान स्रोतों के आवंटन के लिए कुछ नया आधार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) "1987-91 तक के चतुर्थ कार्यक्रमबद्ध आयोजन नामक" प्रायोगिक कार्यक्रम के रूप में, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम के सचिवालय ने, फरवरी 1985 में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम की शासी परिषद के विशेष अधिवेशन में, विभिन्न देशों को साधन आवंटित किए जाने का एक प्रस्ताव रखा था। आवंटन के लिए जिन मापदण्डों का प्रस्ताव किया गया वे उन मापदण्डों से सारवान रूप में भिन्न थे, जिनके अनुसार तृतीय कार्यक्रमबद्ध आयोजन की अवधि 1982-86) में साधनों का सवितरण किया गया था। इन प्रस्तावों में दो महत्वपूर्ण अवयव निम्नलिखित तत्वों से सम्बन्धित थे, अर्थात् :—

1. जनसंख्या का अवयव; और

2. प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद।

प्रस्तावित परिवर्तनों का कुल मिलाकर प्रभाव यही रहता कि संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यक्रम के समग्र साधनों में आगामी 5 वर्षों में वृद्धि होने की सम्भावना के होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यक्रम के इस तरह के साधनों में भारत का हिस्सा उतना ही रहता जितना कि पहले था।

2. भारत तथा कुछ अन्य विकासशील देशों ने प्रस्तावित मापदण्डों का विरोध किया। विशेष अधिवेशन ने, जून 1985 में शासी परिषद के 32वें सत्र के सम्पन्न होने से पहले दो दौरों में अग्रेतर चर्चा करने का फैसला किया। पहले दौर में, साधनों के प्रत्याशित स्तर के निश्चयन के लिए और अधिक जानकारी इकट्ठी की जानी थी तथा शिष्ट मण्डलों द्वारा सुझाई गई बातों का स्पष्टीकरण किया जाना था और इसके अतिरिक्त उस जानकारी की व्यवस्था भी की जानी थी जिसके लिए अनुरोध किया गया था। दूसरे दौर में शासी परिषद को उसके 22वें अधिवेशन में प्रस्तुत किए जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं का निर्धारण करने के प्रयोजन से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को प्रारम्भिक वार्तालाप सम्पन्न करना था। प्रशासन से कहा गया था कि वह बैठक में शिष्टमण्डलों द्वारा निरूपित प्रस्थापनाओं की विश्लेषणात्मक तथा सविरचित विहंगम रूप-रेखा तैयार करे, जिस पर शासी परिषद के सत्र से पहले प्रारम्भिक वार्तालाप के दौरान विचार किया जा सके।

प्रमुख विदेशी निर्यात मण्डियों का हाथ से निकल जाना

6041. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय कम्पनियों और निर्यातकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वर्तमान मानदण्डों का दुरुपयोग किए जाने के कारण इनके प्रमुख विदेशी मन्डियां देश के हाथ से निकल गई हैं;

(ख) क्या कुछ निर्यातकों ने गुणवत्ता तथा माल भेजने की निर्धारित समय-सीमा सम्बन्धी मानकों का कड़ाई से पालन नहीं किया था;

(ग) यदि हां, तो ऐसे निर्यातकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) 1983-84 के दौरान बम्बई में निर्यात निरीक्षण परिषद के क्वालिटी नियन्त्रण प्रकोष्ठ में विभिन्न कम्पनियों के खिलाफ क्वालिटी नियन्त्रण के लिए अधिसूचित और क्वालिटी नियन्त्रण के लिए गैर अधिसूचित दोनों मदों की क्वालिटी के बारे में लगभग 600 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) : निर्यात आम तौर पर सं. रा. अमरीका, सोवियत संघ, जापान, ब्रिटेन, हांगकांग, सिंगापुर, जर्मन गणराज्य, कनाडा, प. जर्मनी, बुलगारिया, फ्रांस, दुबई, आस्ट्रेलिया आदि जैसे देशों को हुए थे। निर्यातकों के ब्यौरे में जो जानकारी मांगी गई है, वह स्पष्ट नहीं है। निर्यात क्वालिटी नियन्त्रण तथा निरीक्षण अधिनियम, 1963 के उपबन्धों और सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत भी कई दोषी निर्यातकों को सज़ा दी गई है।

1983-84 और 1984-85 में भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० का कार्य निष्पादन

6042. कुमारी पुष्पा देवी : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड ने 1684-85 में अपने कार्यनिष्पादन में सुधार किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड का कार्यनिष्पादन 1983-84 में किस प्रकार का था; और

(ग) 1984-85 में कम्पनी द्वारा दिए जाने वाले नकद अधिशेष का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्यमन्त्री (कु० नटवर सिंह) : (क) जी, हां। वर्ष 1984-85 में बिक्री योग्य धातु का उत्पादन 87,358 टन हुआ जो वर्ष 1983-84 के उत्पादन पर 42.4 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

(ख) वर्ष 1983-84 में बिक्री योग्य एल्यूमिनियम उत्पादन 61,338 टन था।

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान बाल्को के कोरबा संयंत्र के कार्यचालन से 976 लाख रुपये का नकद अधिशेष हुआ, जिसकी लेखा-परीक्षा अभी होनी है। एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि० की आसनसोल की रुग्ण इकाई को 2 जून, 1984 से बाल्को में मिला लिया गया है। इस यूनिट के 2 जून, 1984 से 31 मार्च, 1985 तक के परिचालन से लगभग 25.30 लाख रु० की नगद हानि हुई।

रेशम उत्पादन में अनुसंधान कार्य

6043. श्री चिंता मणि जेना : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेशम उत्पादन में किस किस्म का अनुसन्धान कार्य चल रहा है;

(ख) इस सभी अनुसन्धान कार्य और विस्तार सुविधाओं से लघु उत्पादकों को किस सीमा तक लाभ हुआ है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थान बढ़िया और और उच्च उपज देने वाली शहतूत की किस्मों, रेशम कीट की जातियों शहतूती और गैर शहतूती रेशम कीट खाद्य पौधों की खेती और रख-रखाव की विभिन्न पद्धतियों, रेशम कीट पालन, रेशम रीलिंग/कताई, रेशम कीटों और उनके खाद्य पौधों के रोग और नाशीकीटों पर नियंत्रण तथा निवारण की सुधरी तकनीक का विकास कर रहे हैं और रेशम कीट पालन तथा रेशम रीलिंग आदि के उपकरणों तथा मशीनरी के उत्पादन की योजना बना रहे हैं।

(ख) तथा (ग) अनुसंधान की उपलब्धियों से ये परिणाम प्राप्त हुए हैं। रेशम कीट पालन करने के लिए और पाले गए रेशम कीट की प्रति यूनिट मात्रा के लिए प्रयोग में लाए गए रेशम कीट खाद्य पौधों के प्रति यूनिट क्षेत्र उत्पादन में वृद्धि, नाशी कीटों तथा रोगों पर नियन्त्रण के परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में कमी और परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि।

(ग) कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

(1) क्षेत्र में शहतूत की सुधरी एम० एस० किस्म के प्रचलन से प्रति हैक्टार पत्ती की उपज 400 कि० ग्राम से बढ़कर 5,000 कि० ग्राम और वर्षा पोसित शहतूत के मामले में प्रतिवर्ष 8000 से बढ़कर 10,000 कि० ग्राम हो गई है।

(2) सिंचाई की दशाओं में शहतूत की प्रति हैक्टार पत्ती की उपज कृषि विज्ञान की सुधरी पद्धतियां अपनाकर प्रतिवर्ष 15,000 कि० ग्राम से बढ़कर 30,000 कि० ग्राम हो गई है।

(3) रेशम कीट पालन तथा रेशम कीटों के नाशीकीटों तथा रोगों पर नियन्त्रण तथा उनके निवारण की सुधरी तकनीकों तथा साथ ही विस्तार कार्य-कलापों से उत्पादन में सुधार हुआ है, 100 स्वस्थ डिम्ब समूह शहतूती कोयों का जो स्तर 18 से 20 कि० ग्राम था वह बढ़कर प्रति 100 स्वस्थ डिम्ब समूह 20 से 30 कि० ग्राम हो गया है।

(4) जनजाति ग्रामों के निकट आर्थिक झाड़ी रोपण करने की तकनीक से रेशम कीट पालन का काम करने के लिए अधिक संख्या में जनजाति के व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने और गैर शहतूती कायों का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है।

(5) रोग मुक्त रेशम कीट बीज के सुव्यवस्थित उत्पादन का आयोजन करने की तकनीक

के परिणाम स्वरूप गैर शहतूती क्षेत्र में फसलों के नष्ट होने की घटनाओं में कमी आयी है।

(6) सुधरी हुई रेशम रीलिंग मशीनरी और कोयों को प्रासेस करने तथा साथ ही रेशम रीलिंग/कताई की तकनीक के परिणाम स्वरूप उत्पादकता में सुधार हुआ है और बढ़िया किस्म के रेशम यार्न का उत्पादन हुआ है जिससे रेशम रीलरों/कताई करने वालों के लिए अतिरिक्त लाभ हुए हैं।

आयकर के स्थान पर क्रय कर लगाया जाना

6044. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयकर के स्थान पर क्रय कर लगाये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार के कुल कर राजस्व में से आयकर की प्रतिशतता क्या है;

(घ) क्या सरकार को आयकर दाताओं के पहले दो स्लैबों से अधिक कर-राजस्व प्राप्त होता है; और

(ङ) आयकर से कुल कितनी प्राप्तियां होती हैं और प्रत्येक "स्लैब" के अन्तर्गत कितने आयकर निर्धारित हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर के स्थान पर क्रय कर लगाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है।

(ग) वित्तीय वर्ष 1984-85 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, निगम कर सहित आयकर की अनुमानित वसूली सकल कर राजस्व का 19.55 प्रतिशत बैठती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) वित्त वर्ष 1984-85 के दौरान आयकर और निगम कर की वसूली का संशोधित अनुमान 4,634 करोड़ रुपये है। एक विवरण संलग्न है जिसमें आयकर विभाग के रजिस्टरों में 31 मार्च, 1983 को आयकर खण्डों के अनुसार कर-निर्धारितियों की संख्या दर्शाई है।

विवरण

	व्यष्टि	हिन्दू अविभाजित परिवार	फर्मे	कम्पनियां	अन्य	कुल
(I) कर योग्य सीमा के नीचे	8,71,313	58,298	1,18088	24,199	53,793	11,25,691
(II) कर योग्य सीमा से अधिक लेकिन 25,000 रुपये तक	17,16,721	1,03,160	2,84,383	10,252	23,146	21,37,662
(III) 25,001 रु० से 50,000 रुपये तक	6,61,647	47,652	2,17,746	4,595	9,414	9,41,054
(IV) 50,000 रु० से 1,00,000 रुपये तक	1,37,852	12,692	1,11,430	2,903	3,609	2,68,436
(V) 1,00,001 रुपये से 5,00,000 रुपये तक	23,701	1,578	37,959	3,720	1,580	68,538
(VI) 5,00,000 रु० से ऊपर	599	57	1,540	2,928	214	5,338
कुल :	34,11,833	2,23,437	7,71,146	48,597	*91,756	45,46,769

* इनमें निजी वैवेकिक न्यास और लोक पूर्त न्यास भी शामिल हैं।

बिक्री कर को बदलने के कारण केरल को राजस्व की हानि

6045. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल को, बिक्री कर की कुछ मदों पर अतिरिक्त उत्पादक शुल्क से बदलने के परिणामस्वरूप राजस्व में कुछ राशि की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार राज्य को कितनी राशि की हानि हुई है;

(ग) केरल की बजटीय स्थिति इससे किस सीमा तक प्रभावित हुई है;

(घ) क्या केरल सरकार ने इस हानि की भरपाई करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

इस्पात आयात सारणीकरण एजेंसी को स्टील अथरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) से अलग करने के परिणामस्वरूप फालतू हुए लोगों को रोजगार देना

6046. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई आयात-निर्यात नीति की घोषणा के बाद स्टील अथरिटी आफ इंडिया लि० से इस्पात आयात सारणीकरण एजेंसी को अलग करने और इस काम को खनिज और धातु व्यापार निगम को सौंपने के बाद "सेल" के विपणन प्रभाग में 2000 कर्मचारियों के फालतू हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार ऐसी स्थिति में उन्हें किस प्रकार रोजगार देने का है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) और (ख) स्टील आथरिटी आफ इंडिया लिमिटेड के केन्द्रीय विपणन संगठन के आयात विभाग में, जो लोहे और इस्पात का माध्यम अभिकरण के रूप में आयात से संबंधित कार्य करता था, 57 कार्यपालकों और 171 गैर-कार्यपालकों (कुल 228) कार्यरत हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि बाकी कार्य के लिए

लगभग 20 कार्यपालकों और 50 गैर-कार्यपालकों (कुल 70) की अभी आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा केन्द्रीय विपणनसंगठन में परिवहन तथा नौवहन विभाग है जिसमें 1352 (61 कार्यपालक और 1291 गैर-कार्यपालक) कर्मचारी कार्यरत हैं। यह विभाग लोहे और इस्पात की सामग्री के आयात और निर्यात से सम्बन्धित कार्य को करने के साथ-साथ "सेल" के इस्पात कारखानों के लिए उपस्करों फालतू पुर्जों और कच्चे माल (कोककर कोयला शामिल है) के आयात से संबंधित कार्य करता यह विभाग माध्यम अभिकरण के रूप में आयात को छोड़कर आयात से संबंधित कार्य करता रहेगा। अनुमान है कि अब इस विभाग में लगभग 11 कार्यपालक और 261 गैर-कार्यपालक (कुल 272) फालतू हो जाएंगे। आशा है फालतू हो गये कर्मचारियों को "सेल" में ही पुनः लगा लिया जाएगा।

भारत से सबसे अधिक मात्रा में निर्यात की जाने वाली वस्तु

6047. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में भारत से किस मद का सर्वाधिक निर्यात हुआ है;

(ख) उपर्युक्त वर्षों में इस मद के निर्यात से कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) वर्ष 1985-86 में इन मदों के निर्यात की क्या संभावनाएं हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में खनिज तेल निर्यातों की अकेली सबसे बड़ी मद रही है।

(ख) इन वर्षों के दौरान खनिज तेल के निर्यातों का मूल्य निम्नोक्त प्रकार रहा है :

वर्ष		मूल्य (करोड़ रु०)
1982-83	...	1063
1983-84	...	1231
1984-85 (अनन्तिम)	...	1538

(ग) बम्बई हाई खनिज के संसाधन की घरेलू परिष्करण क्षमता के विकास को देखते हुए वर्ष 1985-86 के दौरान खनिज तेल का निर्यात लगभग नगण्य होने की आशा है।

चमड़े की वस्तुओं के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

6048. श्री सोमनाथ रथ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान चमड़े की वस्तुओं के निर्यात से देश ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की;

(ख) क्या सरकार का विचार चमड़े की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो सातवीं योजना अवधि में चमड़े की वस्तुओं का विशाल निर्यात अभियान शुरू करने के लिए सरकार का क्या कार्यक्रम है; और

(घ) चमड़े की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) योजना अवधि के दौरान 2133 करोड़ रु० के चमड़े तथा चमड़ा उत्पादों के निर्यात होने का आनुमान है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चमड़ा उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए जो उपाय करने का विचार है, उनमें कुछ हैं प्रचार, विदेशी चमड़ा मेलों में भाग लेना, बिक्री-सह-अध्ययन दलों को प्रायोजित करना, बाजार सर्वेक्षण आदि के अलावा मूल्यवर्धित चमड़ा उत्पादों के निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक अन्तनिविष्ट साधनों को आसानी से उपलब्ध कराना।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निष्क्रिय पूंजी

6049. श्री के० रामसूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह अनुमान लगाया गया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादन दिवसों की संख्या के आधार पर सूची स्तर 1972 के 179 दिनों से कम होकर 1983-84 में 97 रह गया है लेकिन उसी अवधि के दौरान कुल मूल्य 892 करोड़ रुपए से बढ़कर 11,165 करोड़ रुपए हो गया है; और

(ख) माल सूची में निष्क्रिय पूंजी कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उद्यमों में सुधरी तरल पूंजी के अलावा निवेश पर लाभ की ऊंची दर भी सुनिश्चित की जा सके ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पूजारी) : (क) जी, हां। किन्तु 179 दिनों

के बराबर माल सूची स्तर और 892 करोड़ रुपये मूल्य 1969-70 वर्ष से सम्बन्धित है, न कि वर्ष 1972 से। मालसूची का बढ़ा हुआ मूल्य उद्यमों के कुल उत्पादन की तुलना में विचारणीय है जो आलोच्य अवधि के दौरान 1,814 करोड़ रुपये से बढ़कर 42,051 करोड़ रुपये हो गया है और मालसूची स्तर जितने दिन के उत्पादन के बराबर था, उसमें कमी आयी है, जिसमें महत्त्वपूर्ण सुधार दिखलाई पड़ता है।

(ख) इस स्तर को और घटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ सदुपाय हैं: मालसूची नियंत्रण के वैज्ञानिक यंत्रों और तकनीकों का इस्तेमाल, इस विषय में कार्मिकों का प्रशिक्षण, मालसूची की अवधिक समीक्षा करना, चुनींदा उद्यमों का गहन अध्ययन करना और यह सुझाना कि किन-किन सुधारात्मक विषयों में विशिष्ट कार्रवाई की जानी है, आदि इसका विवरण लोक उद्यम सर्वेक्षण 1983-84 खण्ड 1 में "अनुभाग-2 सरकारी उद्यमों में माल-सूची प्रबन्ध" के के अन्तर्गत पृष्ठ 254-296 पर उपलब्ध है जिसे 15-3-1985 को लोक सभा पटल पर रखा गया था।

बिहार में धागे (यार्न) के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

6050. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में हथकरघा उद्योग को धागे के मूल्य में 40 प्रतिशत की वृद्धि के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा ;

(ख) यदि हां, तो धागे के मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) इस उद्योग की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार हथकरघों तथा पैर से चलने वाले करघों के लिए नियंत्रित दरों पर धागा सप्लाई करने का है;

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) बिहार में हथकरघों द्वारा आम तौर पर प्रयोग में लाये जाने वाले 40 काउन्ट तक के यार्न की कीमतें गत एक वर्ष के दौरान लगभग 12 से 17% तक बढ़ गई हैं।

(ख) बिहार में हथकरघा उद्योग को यार्न को सप्लाई के लिए मुख्यत: बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है और इसलिए यार्न व्यापार पर सट्टेबाजी के तत्वों का असर पड़ता है।

(ग) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने मार्च, 1985 से बिहार शरीफ में एक यार्न डिपो आरम्भ कर दिया है। राज्य सरकार ने भी गया, भागलपुर, सिवान तथा औरंगाबाद में राज्य हथकरघा विकास निगम तथा राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी यूनियनों के अभिकरणों की मार्फत यान डिपो खोले हैं। ऐसी आशा है कि इसी प्रकार के यार्न डिपो मधुबनी और जहानाबाद में भी जल्दी की कार्य करना आरम्भ कर देंगे।

(घ) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत और सोवियत संघ के बीच रुपयों में व्यापार

[अनुवाद]

6051. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ के बीच रुपयों में व्यापार आगामी पांच वर्षों तक जारी रहेगा;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोनों देशों के बीच चालू वर्ष के दौरान व्यापार में किस हद तक सुधार होने की की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) यह निश्चित किया गया है कि भारत तथा सोवियत संघ के बीच रुपया व्यापार प्रबन्धों में दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक तथा गैर वाणिज्यिक सौदों के लिए अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये से भुगतान की व्यवस्था 1 जनवरी, 1986 से 31 दिसम्बर, 1990 तक पांच वर्षों की और अवधि के लिए तक जारी रखी जानी चाहिए।

(घ) दोनों व्यापारिक साझेदार दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा 1 मार्च, 1979 में हस्ताक्षरित दीर्घावधि आर्थिक कार्यक्रम में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने तथा उसके विविधीकरण के लिए कार्य कर रहे हैं।

सातवीं योजना के दौरान वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा गृह-निर्माण ऋण

6052. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने, देश में 247 लाख मकानों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को सातवीं योजना के दौरान योजनाबद्ध और निजी आधार पर-निर्माण ऋण प्रदान करने के निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वाणिज्यिक बैंकों को इस सम्बन्ध में निदेश और दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कितने बैंकों ने इस योजना के अन्तर्गत ऋण देने का निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इलेक्ट्रानिकी सामान के निर्यात में वृद्धि

6053. **श्री विजय एन० पाटिल** : वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में इलेक्ट्रानिकी समान के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं तथा निर्यात की जा रही प्रमुख "हार्डवेयर" और "साफ्टवेयर" मदों के नाम क्या हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितने मूल्य के निर्यात किए जाने का लक्ष्य है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इलेक्ट्रोनिक माल के निर्यात निम्नलिखित रहें हैं :

(करोड़ रु० में)

वर्ष	इलेक्ट्रोनिक माल	साफ्ट वेयर	योग
1980-81	26.78	7.28	34.06
1981-82	33.32	10.42	43.74
1982-83 (अनन्तिम)	95.00	15.00	110.00
1983-84 (अनन्तिम)	120.00	20.00	140.00
1984- 9 महीने अप्रैल-दिसम्बर (अनन्तिम)	105.00	16.00	121.00

निर्यात की गई हार्डवेयर को प्रमुख मदें है : प्रिन्टर्स फ्लापी डिस्क ड्राइव्स, विन्चेस्टर मैगनेटिक हैड्स तथा कम्प्यूटर पेरीफीरल्स भारत निर्यात की गई साफ्टवेयर की मदों में वीडियो टेप आदि शामिल हैं।

(ग) 1985-86 के लिए 170 करोड़ रु० और साफ्ट वेयर के लिए 60 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य अनन्तिम रूप से निर्धारित किया गया है।

लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना

6564. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में स्थापित लघु इस्पात संयंत्रों के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इन संयंत्रों के लिए अपेक्षित बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराई गई है;

(ग) ये लघु परियोजनायें कब तक पूरी हो जायेंगी और उनमें उत्पादन कब से शुरू हो जाएगा;

(घ) क्या परियोजनायें पहले ही पूरी की जा चुकी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन संयंत्रों की राज्य-वार सूची क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) से (घ) देश के विभिन्नि भागों में लघु इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए कुल 54.7 लाख टन वार्षिक क्षमता हेतु 189 औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से 150 इकाइयों में जिनकी वार्षिक क्षमता 39.4 लाख टन है, वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन शुरू हो गया है। शेष इकाइयां कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। आरम्भ में आशय-पत्र एक एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होते हैं और इकाइयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस अवधि में उसे कार्यान्वित करें। आशय-पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में इकाई से प्राप्त अनुरोध पर उसके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। लेकिन यह बताना सम्भव नहीं है कि ये परियोजनाएं कब पूरी हो जाएंगी तथा इनमें उत्पादन कब होगा।

बिजली, भूमि, भवन, कच्ची सामग्री आदि जैसी अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था लाइसेंसधारियों को स्वयं करनी होगी। फिर भी, आशय-पत्र राज्य-सरकारों/राज्य विद्युत बोर्ड से बिजली की उपलब्धि के सम्बन्ध में आश्वासन मिलने के पश्चात् ही जारी किए जाते हैं।

(ङ) जिन लघु इस्पात संयंत्रों को औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, उनकी राज्य-वार सूची सभा-पटल पर रख दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1117/85]

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एल्यूमिना संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव

6055. श्री मोहन भाई पटेल
श्री अमर सिंह राठवा } : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय किन-किन स्थानों पर कितने एल्यूमिना संयंत्र हैं और उन संयंत्रों में एल्यूमिना का कितना वार्षिक उत्पादन होता है;

(ख) क्या अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में और अधिक एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने का कोई विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(घ) इन पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ङ) कार्य कब तक प्रारम्भ होगा; और

(च) क्या गुजरात खनिज विकास निगम को हंगरी में एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना के लिए ठेका दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) देश में इस समय 5 एल्यूमिना संयंत्रों के स्थल तथा 1984-85 का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

उत्पादक का नाम	स्थल	1984-85 में उत्पादन (टनों में)
सार्वजनिक क्षेत्र		
बाल्को	कोरबा	166,630
निजी क्षेत्र		
इन्डाल	मरी तथा बेलगाम	220,860
हिन्डालको	रेणूकूट	176,489
माल्को	मेटूर	26,551
	कुल	590,530

(ख) से (ङ) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० (नाल्को) द्वारा उड़ीसा के जिला कोरा-पट के दामनजोड़ी में 800,000 टन वार्षिक क्षमता के एक एल्यूमिना संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। इसकी मूल अनुमानित लागत 1980 की प्रथम तिमाही के प्रचलित मूल्यों के आधार पर 293 करोड़ रु० है। संशोधित लागत अनुमान सरकार के विचाराधीन हैं। संयंत्र का निर्माण पहले से हो रहा है तथा उसका परिचालन सितम्बर, 1986 में होना है।

(च) जी, नहीं।

गुजरात में खनिज भण्डारों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

6056. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात खनिज भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) उनका उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) :(क) जी, हां।

(ख) गुजरात में निम्नलिखित मुख्य खनिज पाए गए हैं :—

खनिज		अनुमानित भंडार (लाख टनों में)
बाक्साइट		903.4
बेन्टोनाइट	...	430·8
चीनी मिट्टी	...	674.3
तांबा अयस्क	...	75·7
डोलोमाइट	...	2,453.1
फायरक्ले	...	448.2
फ्लूराइट	...	83.5
जिप्सम	...	72.0
ग्रेफाइट	...	20.4
लिग्नाइट	...	1,650.2
चूनापत्थर	...	1,07,920.0
सीसा-जस्ता अयस्क	...	74.4
मैंगनीज अयस्क	...	29.6

(ग) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा सर्वेक्षण कार्य जारी है।

सेलम इस्पात संयंत्र को चालू किया जाना

6057. **श्री एन० डैनिस** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु राज्य ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सेलम इस्पात संयंत्र को चालू करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सेलम इस्पात संयंत्र को चालू करने के बारे में मौजूदा स्थिति क्या है?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) और (ख) सेलम इस्पात कारखाना चालू कर दिया है। वाणिज्यिक उत्पादन 13 मार्च, 1982 से शुरू हुआ था।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में खनिजों और धातुओं पर आधारित उद्योगों की स्थापना

6058. **श्री गिरिधर गोमांगों** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार और उनके मंत्रालय द्वारा उड़ीसा के कोरापुट जिले में अब तक किन किन खनिज और धातुओं को निकाला गया है;

(ख) अब तक खनिजों और धातुओं पर आधारित कौन से उद्योग लगाये गये हैं तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये तत्संबंधी प्रस्ताव क्या है;

(ग) उड़ीसा सरकार और गैर सरकारी पार्टियों को कितने आशय पत्र जारी किये गये हैं तथा पार्टियों और आशय-पत्र धारियों के नाम क्या हैं;

(घ) कौन-कौन से एककों ने प्रारंभिक कार्य आरंभ कर दिया है; और

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उक्त जिले के खनिजों के भारी भण्डारों को निकालने हेतु उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड द्वारा लोह अयस्क का निर्यात लक्ष्य

6059. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड द्वारा 1984 के दौरान लौह अयस्क की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ख) क्या कंपनी ने अपना 1984 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो अपेक्षित मात्रा का निर्यात न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कंपनी ने पर्याप्त ऋणादेश प्राप्त किए हैं; और

(ङ) क्या 1984-85 के दौरान कंपनी को मुनाफा हुआ है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क), (ख) और (ग) वर्ष 1984-85 के दौरान कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड ने 15.7 लाख टन लौह-अयस्क सांद्रण का निर्यात किया था जबकि लक्ष्य के अनुसार 16.5 लाख टन लौह-अयस्क सांद्रण का निर्यात किया जाना था। लक्ष्य की प्राप्ति में यह आंशिक कमी एक खरीददार देश द्वारा अपने संयंत्र में कुछ कठिनाइयों के कारण सांद्रण की संविदागत मात्रा न उठाने के कारण रही है।

(घ) जी, नहीं। लेकिन कंपनी सांद्रण की बिक्री के लिए विदेशों में निर्यात बाजार ढूंढने के लिए प्रयास कर रही है।

(ङ) जी, नहीं।

मैसर्स इण्डियन मेटल्स एण्ड फेरो एल्लयज लि० के माध्यम से चार्ज क्रोम अन्य लाइसेंसशुदा निर्यात

60.60. **श्री डी० बी० शिंगडा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेरुबली, उड़ीसा स्थित मैसर्स मैटल्स एण्ड फेरो एल्लयज लिमिटेड के शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक ने 20 फरवरी, 1983 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ख) अब तक कितनी मात्रा में चार्ज क्रोम और अन्य लाइसेंसशुदा उत्पादों का निर्माण किया गया है तथा उक्त संयंत्र के आरम्भ से अब तक कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है;

(ग) इस फर्म ने ओ० जी० एल० के अन्तर्गत अपने शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक के लिए कितनी मात्रा में क्रोम अयस्क, मेटलजिकिल कोक, कार्बन पेस्प आदि जैसे कच्चा माल उपभोज्य का आयात किया और प्रत्येक वस्तु का आयतित मूल्य क्या है;

(घ) क्या इस फर्म ने घरेलू देशी बाजार के लिए कार्यरत अन्य एकक को ये वस्तुएं काफी मात्रा में अवैध और अनाधिकृत रूप से दे दिया है और इस प्रकार आयात व्यापार नियंत्रण अधिनियम और उसके अन्तर्गत जारी नियमों का उल्लंघन किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विवरण एक संलग्न है।

(घ) तथा (ङ) फर्म ने अपने घरेलू उद्योग के लिए शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक योजना के अन्तर्गत आयातित माल की कतिपय मात्रा का प्रत्यावर्तन किया है और राजस्व विभाग द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाही की गई है। प्रत्यावर्तित की गई मदों और उस संबंध में की गई कार्यवाही के ब्यौरे विवरण 'दो' में दिए गए हैं, जो संलग्न हैं।

विवरण-एक

1. 20.2.83 से फर्म द्वारा विनिर्मित उत्पादों की मात्रा	चार्ज क्रोम	3783 मै० टन
2. 20.2.83 से फर्म द्वारा	फेरो सिलीकान	3652.560 मै० टन
किये गए निर्यातों की मात्रा	चार्ज क्रोम जिसमें एक मै० टन मात्रा शामिल है जो कि स्टाक गणन के समय कम पाई गई, जो न्याय निर्णयन के अधीन है।	3,600.500 मै० टन
	फैरो सिलीकान	2,235.820 मै० टन

3. आयातित और भण्डारित कच्चे माल की मात्रा

मद	मात्रा मै० टन में	सी आई एफ मूल्य रुपये में
क्रोम अयस्क	13,209	1,12,72,399
एल ए एम कोक	10,794.13	1,15,91,922
कार्बन इलेक्ट्रोड पेस्ट	1,027.239	34,33,760.75

विवरण-दो

पार्टी ने अपने घरेलू उद्योग के शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक के अन्तर्गत आयातित माल की कुछ मात्रा को प्रत्यावर्तित किया है। प्रत्यावर्तित की गई मात्रा निम्नलिखित है :-

मद	मात्रा	सी० आई० एफ० मूल्य रुपये में
क्रोम अयस्क	600	5,12,024.91
एल ए एम कोक	1,000	11,13,085.58
कार्बन इलैक्ट्रोड पेस्ट	53,757	1,83,561

राजस्व विभाग (सी० बी० ई० सी०) द्वारा आयातक के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। परिणामस्वरूप, क्रोम अयस्क और इलैक्ट्रोड पेस्ट पर क्रमशः 3,32,860 रू० और 1,49,602 रू० सीमाशुल्क के रूप में वसूल किए गए। एल० ए० एम० कोक पर सीमा शुल्क के रूप में 7,23,505 लाख रू० की मांग की गई है जिसकी अब अपील में भी पुष्टि हो गयी है और 7,23,505 लाख रू० का मांग नोटिस दे दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, स्टाक गणन के समय क्रोम अयस्क की 1,019,573 मैं० टन और एल० ए० एम० कोक कोक की 343.46 मैं० टन की कमी पाई गई। एक मामले में निर्णय दिया जा चुका है और 13,01,136 रू० के शुल्क मांग की पुष्टि हो गई है और पार्टी पर एक लाख रू० का अर्थ दण्ड लगाया गया है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार कार्यक्रम

6061. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना में और छठी पंचवर्षीय योजना में 31 मार्च 1985 तक वर्षवार दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में कितना उत्पादन हुआ;

(ख) प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम में कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(ग) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र मे इस समय कितने आदमी काम कर रहे हैं तथा विस्तार कार्यक्रम पूर्ण होने पर उनकी संख्या कितनी होने का अनुमान है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) पांचवी तथा छठी पंचवर्षीय

योजनावधि के दौरान दुर्गापुर इस्पात कारखाने में विक्रेय इस्पात के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(हजार टन)

पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि		छठी पंचवर्षीय योजनावधि	
वर्ष	विक्रेय इस्पात का उत्पादन	वर्ष	विक्रेय इस्पात का उत्पादन
1975-76	752	1980-81	598
1976-77	901	1981-82	782
1977-78	865	1982-83	813
1978-79	778	1983-84	602
1979-80	605	1984-85	621

(ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा आधुनिकीकरण की योजना तैयार कर ली गई है जिसमें कारखाने की 16.58 लाख टन अपरिष्कृत इस्पात की निर्धारित क्षमता की पुनः प्राप्ति की परिकल्पना की गई है।

(ग) 31 मार्च, 1985 की स्थिति के अनुसार दुर्गापुर इस्पात कारखाने में (खानों को छोड़कर) 32698 कर्मचारी काम कर रहे थे, परन्तु दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण के बाद श्रम-शक्ति की आवश्यकता सरकार द्वारा स्वीकृत की जाने वाली आधुनिकीकरण की योजना की अवस्था तथा कार्यक्षेत्र पर निर्भर करेगी।

औषधियों का निर्यात

6062. श्री राधाकान्त दिगाल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान विदेशों को कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की औषधियां निर्यात की गयीं;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान औषधियों का निर्यात बढ़ाने की कोई योजना सरकार के समक्ष है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) पिछले दो वर्षों के लिए वर्गवार औषधियों के निर्यात आंकड़े नीचे दर्शाये गए हैं :

(करोड़ रुपये में)

	1983-84	1984-85 (अनुमानित)
1. औषधीय केस्टर ऑयल	80·00	88·74
2. फिनिश्ड फारमूलेशन्स	50·52	65·52
3. बेसिक ड्रग्ज	18·46	25·48
4. कुनीन साल्टस	1·90	0·44
कुल	150·88	180·18

(ख) जी, हां।

(ग) 1985-86 के लिए इन मदों के निर्यात के लिए 215 करोड़ रु० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्यातों को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वे हैं : नए बाजारों का पता लगाना, मूल औषधियों के निर्यात पर अधिक बल देना, अध्ययन-सह-बिक्री दलों को भेजना तथा अतिरिक्त बल्क औषधि मदों को नकद प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान करना।

उड़ीसा में चूना पत्थर की खानें

6063. श्री राधाकान्त दिगाल : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न भागों में चूना पत्थर की कितनी खानें हैं;

(ख) इन खानों में चूना पत्थर के कुल कितनी मात्रा में भंडार हैं; और

(ग) उड़ीसा में चूना पत्थर के भंडारों के उचित उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) उड़ीसा में चूनापत्थर खानें सम्भलपुर और सुन्दरगढ़ जिलो में हैं। इन दोनों जिलो में एक-एक खान बतायी जाती है। कोरापुट जिले में भी एक खान है, जो इस समय बन्द है।

(ख) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा तैयार 1-1-1980 की खनिज सूची के अनुसार, इन क्षेत्रों में कुल अनुमानित चूना पत्थर भण्डार इस प्रकार हैं।

जिला	सभी ग्रेड भण्डार (मिलियन टन में)
1. सम्भलपुर	13·96
2· सुन्दरगढ़	570·90
3. कोरापुट	255·82
कुल : उड़ीसा राज्य	840·68

(ग) चूनापत्थर का उपयोग जमशेदपुर, बर्नपुर, दुर्गापुर और रुरकेला इस्पात कारखानों में तथा आई० डी० सी० उड़ीसा के बड़गढ़ और उड़ीसा सीमेंट लि० के राजगंगपुर सीमेंट कारखानों में होता है। कुछ मात्रा का इस्तेमाल तालचिर के उर्वरक कारखाने और कलिंग आइरन वर्क्स बारबिल तथा पूर्वी क्षेत्र की विभिन्न फाउन्ड्रीज में भी होता है।

वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान चीनी का निर्यात

6064. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान चीनी के निर्यात का क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ख) इस क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्र के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया है;

(ग) इस सम्बन्ध में यदि किन्हीं नये बाजारों का पता लगाने में हम समर्थ हो सके, तो उनके नाम क्या हैं; और

(घ) चीनी निर्यात का लाभ दर क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) कुछ पड़ोसी देशों को और अधिमानी कीमत/कोटा हकदारी के अन्तर्गत थोड़ी मात्राओं में चीनी के निर्यातों को छोड़कर चीनी के निर्यात स्थगित हैं। इसलिए 1985-86 के लिए चीनी के लिए कोई निर्यात लक्ष्य नहीं है। 1986-87 के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के प्रश्न पर अगली फसल और उत्पादन स्तरों का मूल्यांकन करने के बाद विचार किया जाएगा।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

बिहार में छोटे और सीमांत किसानों से बैंक ऋण से कृषि उपकरण खरीदने पर अधिक मूल्य वसूल किया जाना

[हिन्दी]

6065. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने दिनांक 27 मार्च, 1985 के पत्र में यह आरोप लगाया गया था कि बिहार में छोटे और सीमांत किसानों से बैंकों द्वारा दिए गए ऋण से पम्प/सेटों, बोरिंग, पाइपों, स्टेनर तथा अन्य कृषि उपकरण खरीदने पर बजार मूल्य की तुलना में कई गुना अधिक मूल्य लिया जाता है;

(ख) क्या ग्रामीण विकास विभाग ने इस मामले की जांच की है और यदि हां, तो इन आरोपों में कितनी सत्यता है और उनमें से कितने आरोप सही पाए हैं;

(ग) इस बारे में ग्रामीण विकास विभाग ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) यदि कोई अधिकारी दोषी पाए गए हैं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। श्री म देव नारायण यादव, संसद सदस्य, राज्य सभा से दिनांक 27 मार्च, 1985 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं।

(ख) से (घ) ग्रामीण विकास विभाग ने बिहार राज्य सरकार से राज्य सरकार के सम्बन्धित पथभ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का परामर्श दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक को भी बैंकों के अपराधी अधिकारियों को इस सम्बन्ध में जिम्मेदार ठहराने के लिए अपने कुछ वरिष्ठ अधिकारी पटना भेजने और सम्बन्धित बैंकों को दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनिक कार्रवाई करने के निदेश देने के लिए कहा गया है।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों को ऋण देने हेतु विशेष कक्ष की स्थापना

6066. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों को ठीक प्रकार से ऋण उपलब्ध कराने के लिए, रिजर्व बैंक द्वारा क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या इन निदेशों का पालन किया जा रहा है।

(ग) इस प्रयोजन हेतु विशेष कक्ष स्थापित करने वाले बैंकों की संख्या कितनी है;

(घ) शेष बैंकों द्वारा कब तक ऐसे कक्ष स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रत्येक बैंक को अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों को उपलब्ध कराये जाने वाले ऋणों के वार्षिक प्राक्कलन तैयार करने के निदेश दिए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के ऋणकर्ताओं को उत्पादक ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने, समय-समय पर, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों के लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल ऋण योजनाएं तैयार करने, जिला ऋण आयोजनाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों को तरजीह देने, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले निगमों/अभिकरणों के साथ निकट सम्पर्क बनाने, अधिक संख्या में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जाति की आबादी वाली हरिजन बस्तियों अथवा गांवों को अंगीकार करने, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के आवेदकों के प्रस्तावों का सहानुभूतिपूर्वक मूल्यांकन सुनिश्चित करने और उनके आवेदनों का शाखा-स्तर से ऊपर को के उच्च स्तर पर ही रद्द करने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के ऋणकर्ताओं को दिये जाने वाले ऋणों के प्रवाह पर नजर रने के लिए विशेष कक्ष स्थापित करने और निदेशक बोर्डों के सम्मुख आवधिक समीक्षाएं प्रस्तुत करने जैसे उपाय कार्यान्वित करने के लिए, जिनमें न केवल की गयी प्रगति का ब्यौरा दिया गया हो बल्कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के ऋणकर्ताओं की व्याप्ति का विस्तार करने के लिए परिकल्पित अतिरिक्त उपायों की रूपरेखा भी दी गयी हो, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।

इन सभी उपायों के परिणाम-स्वरूप हाल के वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुसूचित

जातियों/अनुसूचित जन जातियों के हिताधिकारियों को दिए जाने वाले ऋणों के प्राप्त में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के ऋणकर्त्ता खातों की संख्या जो जून 1979 में 11.78 लाख थी, जून 1984 में बढ़कर 43.65 लाख हो गयी और इसी अवधि में अग्रिमों की राशि 170.53 करोड़ रुपये से बढ़कर 832.45 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी। सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक को क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों द्वारा इन दिशा निर्देशों का पालन न किये जाने के बारे में कभी-कभी विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों के बारे में उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए अनुवर्ती उपाय किये जाते हैं।

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के ऋणकर्त्ताओं को दिये जाने वाले ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य को पूरा करने के प्रयोजन से सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने इन समुदायों के लिए बनाए गये ऋण कार्यक्रमों के कार्यान्वियन पर नजर रखने के लिए विशिष्ट तंत्रों का निर्माण किया है। अलबत्ता, विशेष कक्षों के गठन के बारे में बैंकों से अलग-अलग सूचना प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) बैंकों को अपने-अपने कार्य-निष्पादन बजट के अभिन्न अंग के रूप में अनुसूचित जातियों/अनुसुचित जन जातियों के ऋणकर्त्ताओं को ऋण सहायता देने के कार्यक्रम बनाने का परामर्श दिया गया है। ताकि इन उद्देश्यों की पूर्ति कर कारागर ढंग से नजर रखी जा सके।

विभिन्न श्रेणियों के एल्यूमिनियम का आवंटन करने के लिए निर्धारित दिशा निर्देश

[अनुवाद]

6067. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए एल्यूमिनियम के वास्तविक प्रयोक्ताओं को विभिन्न श्रेणियों का एल्यूमिनियम आवंटित करने के लिए हाल ही में दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो जारी किए गये दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है और उन यूनिटों के नाम क्या हैं, जो एल्यूमिनियम के वास्तविक प्रयोक्ता हैं;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि बहुत से यूनिट, जो सरकार से

विभिन्न श्रेणियों का एल्यूमिनियम प्राप्त कर रहे हैं, विनिर्दिष्ट कोटे का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसे अधिक मूल्य पर बेच रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार उन एककों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का है जो कोटे का दुरुपयोग कर रहे हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कु० नटवर सिंह) : (क) व (ख) नई और सुधरी हुई यूनिटों के बेहतर क्षमता उपयोग और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1984-85 में ई०सी० ग्रेड एल्यूमिनियम के वितरण के बारे में कुछ दिशा निर्देश तैयार किए गए थे । इन दिशा-निर्देशों को 1985-86 के लिए भी बरकरार रखा है । इन निर्देशों की विशेषताएं इस प्रकार है :—

(1) यूनिटों को आवंटन उनकी पिछली अधिकतम वार्षिक खरीद के 75 प्रतिशत अंश तथा उनकी 25 प्रतिशत क्षमता के आधार पर किया जाता है ।

(2) नई और सुधरी हुई यूनिटों को आवंटन उनकी 75 प्रतिशत क्षमता के आधार पर किया जाता है ।

(3) प्रत्येक आबंटी यूनिट की विशेषतया छोटी यूनिट की सुविधा के लिए, उन्हें धातु (माल) उठाने हेतु धन की व्यवस्था करने के लिए एक माह का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है ।

(4) दिशा-निर्देश के अन्तर्गत, ऋणी यूनिट, जो ई० सी० मेटल की नियमित आबंटी है, को, एल्यूमिनियम नियंत्रक की सहमति से किसी अन्य आबंटी से कर्ज लेने की अनुमति है तथा एक आबंटन अवधि में लिए गए कर्ज को अगली आबंटन अवधि की अंतिम तारीख से पूर्व लौटाना जरूरी होता है ।

ई० सी० ग्रेड मेटल प्राप्त कर्ता केबुल और कन्डक्टर निर्माता तथा वाइंडिंग वायर निर्माता यूनिटों के नाम सभा-पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1118/85]

देश में उत्पादित सी. जी. ग्रेड एल्यूमिनियम के वितरण पर नियंत्रण नहीं है । लेकिन आयातित सी. जी. ग्रेड धातु पिंडों का सरकारी निर्देशों के अनुसार एम. एम. टी सी. द्वारा वितरण किया जाता है तथा एम. एम. टी. सी द्वारा वर्ष-दर,वर्ष जारी ट्रेड-नोटिसों में शामिल किया जाता है । सी. जी. ग्रेड एल्यूमिनियम के वितरण सम्बन्धी निर्देशों की खास बात यह है कि वास्तविक प्रयोक्ता अपनी पिछली उच्चतम वार्षिक खरीद की एक तिहाई सीमा तक यह धातु एम. एम. टी. सी. लेने के हकदार होते हैं ।

(ग) व (घ) एल्यूमिनियम की उपलब्धि में गत वर्ष से सुधार हुआ है। घरेलू उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के साथ-साथ जो कमी है उसे आयातों से पूरा किया जा रहा है। ई. सी. या सी. जी. ग्रेड एल्यूमिनियम की कोई कमी नहीं है। वस्तुतः एल्यूमिनियम की सहज उपलब्धि के कारण गत वर्ष की अन्तिम छमाही से वितरण नियंत्रण में ढील दे दी गई। ऊंचे मुनाफे पर एल्यूमिनियम के दुरुपयोग या किसी अन्य को बेच दिए जाने की शिकायत नहीं।

अफीम की खेती के अन्तर्गत भूमि

[हिन्दी]

6068. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अफीम की खेती कितने हेक्टेयर भूमि में होती है और उसमें से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में कितने हेक्टेयर भूमि में उक्त खेती होती है;

(ख) क्या सरकार का विचार अच्छे किस्म की अफीम का उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु इसके परिष्करण के लिए एक कारखाना खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कारखाना कब तक स्थापित किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) फसल वर्ष 1984-85 के दौरान देश में और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में अफीम की काश्तकारी का रकबा क्रमशः लगभग 25,154 और 2,833 हेक्टेयर था।

(ख) से (घ) ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि अफीम का परिष्करण करने हेतु पर्याप्त क्षमता वाले, अफीम के दो सरकारी कारखाने, अर्थात् उत्तर प्रदेश में गांजीपुर में और दूसरा मध्य प्रदेश में नीमच में पहले से ही मौजूद हैं।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गए माल से संबंधित न्याय-निर्णयाधीन लम्बित मामले

[अनुवाद]

6069. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गए माल से संबंधित विभिन्न सीमा शुल्क कलक्टरियों में न्याय-निर्णयाधीन मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1980, 1982, 1984 और 1985 को विभिन्न सीमा शुल्क कलेक्टरियों में न्याय निर्णयाधीन लम्बित पड़े मामलों का ब्योरा क्या है; और

(ग) माल के एकत्रित हो जाने की स्थिति से बचने के लिए ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) 31 मार्च, 1980, 1982, 1984 और 1985 की स्थिति के अनुसार, देश-भर के विभिन्न सीमाशुल्क समाहर्तालयों में न्यायनिर्णय के अधीन पड़े सीमाशुल्क अभिग्रहण के मामलों की संख्या निम्नोक्त है :—

वर्ष		31 मार्च की स्थिति के अनुसार न्यायनिर्णयाधीन पड़े मामलों की संख्या
1980	...	5463
1982	...	5926
1984	...	8072
1985*	...	5839

*(अनन्तिम)

मामलों का अभिग्रहण, जांच-पड़ताल, कारण बताओ नोटिस जारी करना, व्यक्तिगत सुनवाई, गवाहों से पूछ-ताछ और जिरह, आदि के पश्चात् न्यायनिर्णयन संबंधी कार्यवाहियां, जिनके परिणामतः न्यायनिर्णयन आदेश पारित किया जाता है, अर्ध-न्यायिक स्वरूप की हैं। इन कार्यवाहियों में निश्चित रूप से समय लगता है जो भिन्न-भिन्न होता है । समय की यह भिन्नता इस बात पर निर्भर होती है कि जिस पार्टी पर आरोप लगाया गया है वह उत्तर देने में कितनी तत्परता दिखाती है। कभी-कभी विभाग के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों की वजह से ऐसी कार्यवाहियां उस समय रुक जाती हैं जब संबंधित पार्टियां न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेती हैं अथवा वे जानबूझ कर उन कार्यवाहियों में विलम्ब करती हैं ।

न्यायनिर्णयन संबंधी तंत्र को सामान्य अभियान के एक अंग-रूप में और अधिक कारगर बना दिया गया है । परिणामत: बकाया मामलों की संख्या काफी कम हो गई हैं, 31 मार्च, 1984 की स्थिति के अनुसार बकाया मामलों की संख्या 8072 थी, जो 31 मार्च 1985 की स्थिति के अनुसार घटकर 5839 रह गई है । इस प्रकार बकाया मामलों का निपटान वर्ष 1984 में न्यायनिर्णयन के लिए प्राप्त नए मामलों की दो मास की औसत पावती से केवल कुछ ही अधिक रहा ।

जब्त किए गए माल की बिक्री

6070. श्री भोला नाथ सेन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए माल की बिक्री दर में गत तीन वर्षों के दौरान गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य का माल जब्त किया गया अथवा पकड़ा गया;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य का माल पकड़ा गया अथवा जब्त किया गया माल बेचा गया;

(ङ) 31 मार्च 1985, 1984 और 1983 को सीमा शुल्क के गोदामों में कुल कितने मूल्य का जब्त किया गया माल पड़ा था; और

(च) जब्त किये गये माल को शीघ्र बेचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान अभिगृहित किए गए माल और जब्त किए गए माल का कुल मूल्य निम्नोक्त है :-

(मूल्य: करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अभिगृहित माल का मूल्य	जब्त किए गए माल का मूल्य
1982	66.39	27.15
1983	89.92	59.11
1984	100.55*	67.22* (*अनन्तिम)

(घ) वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान बेचे गए अभिगृहित/जब्त शुदा माल का

कुल मूल्य निम्नोक्त है:-

वर्ष		बेचे गए जब्त शुदा माल का कुल मूल्य (मूल्य : करोड़ रुपए में)
1982	...	24.90
1983	...	41·14
1984	...	57·39 (अनन्तिम)

(ड.) 31.3.1983, 31.3.1984, 31,3.1985 की स्थिति के अनुसार सीमा शुल्क गोदामों में पड़े हुए जब्त माल का कुल मूल्य निम्नोक्त है :—

की स्थिति के अनुसार		माल का मूल्य (करोड़ रुपये में)
31.3.1983	...	46.14
31.3.1984	...	57.82
31.5·1985	...	61·47 (अनन्तिम)

(च) जब्त-शुदा माल की बिक्री में तत्परता लाने के लिए जब्त-शुदा माल की बिक्री के तौर-तरीकों में वर्ष 1983 में विस्तार किया गया था। नेशनल कनज्यूमर कोआपरेटिव फेडरेशन्स आफ इण्डिया लि०, कोआपरेटिव सोसाइटीज, स्टेट कोआपरेटिव फेडरेशन्स आदि को निर्धारित बिक्री मूल्यों पर समाहर्तालयों/सीमा शुल्क गृहों द्वारा उचित छूट दी जाती है।

बीकानेर में हस्तशिल्प बोर्ड

[हिन्दी]

6071. **श्री मोहर सिंह राठौर** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हस्तशिल्पों के विकास के लिए बीकानेर में एक हस्तशिल्प बोर्ड अथवा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का विचार है ताकि उस क्षेत्र में हस्तशिल्पों को बढ़ावा और प्रोत्साहन दिया जा सके;

(ख) क्या बीकानेर हस्तशिल्पों का सबसे बड़ा बाजार है; और

(ग) क्या वहां पर गलीचा बुनाई केन्द्र रंगाई और बुनाई अन्य सम्बद्ध हस्तशिल्पों के विकास की अत्यधिक क्षमता विद्यमान है और इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये गये हैं?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। तथापि, बीकानेर सामान्य रूप से कैमल हाइट्क्राफ्ट, काष्ठ नक्काशी, कालीन बुनाई तथा अन्य ऊनी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है।

(ग) चूंकि बीकानेर एक ऊन उत्पादक क्षेत्र है, अतः वहां पर ऊन आधारित उत्पादों के विकास की गुंजाइश है। राज्य सरकार अभिकरण कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र और साथ ही ऊनी शाल बुनाई के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि होने से छोटे पैमाने के उद्योगों और गृह निर्माण पर बुरा प्रभाव

[अनुवाद]

6072. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पात के मूल्यों में सामान्य रूप से गत पांच वर्षों से और विशेष रूप से गत तीन वर्षों से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में इसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार को इस्पात के मूल्यों में वृद्धि के कारण छोटे पैमाने के उद्योगों और निम्न/मध्यम आय वर्ग के लिए गृह निर्माण पर बुरा प्रभाव पड़ने की जानकारी है; और

(घ) इस संबंध में कठिनाई को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कु० नटवर सिंह) : (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों की अवधि के दौरान मुख्य उत्पादकों की संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा 14 भिन्न-भिन्न अवसरों पर इस्पात के मूल्यों में वृद्धि की गई है। अनेक कारणों से मूल्यों में वृद्धि करना जरूरी हो गया था। इन कारणों में उत्पादन लागत में वृद्धि, उत्पादन शुल्क, इस्पात विकास निधि के अंशदान, इंजीनियरी साज-समान निर्यात सहायता निधि के अंशदान, संयुक्त संयंत्र समिति के उपकर और रेल भाड़े में वृद्धि अथवा रेलवे द्वारा मदों का पुनः वर्गीकरण करने के कारण समीकृत रेल भाड़े में वृद्धि होने जैसे कारण शामिल हैं। इस्पात के उपभोक्ता मूल्यों में 14 बार वृद्धि की गयी थी। इनमें से केवल 7 बार इस्पात मुख्य उत्पादकों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति हुई थी। पिछले

पांच वर्षों के दौरान मूल्यों में हुई वृद्धि के बारे में वर्षवार ब्यौरा सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1119/85]

(ग) और (घ) मूल्यों में वृद्धि करते समय इस्पात उपभोक्ताओं (लघु उद्योग और गृह निर्माता भी शामिल हैं) और उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखा गया था।

चाय पर शुल्क से वसूली गई धन राशि

6073. **श्री अनन्त पाठक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान चाय पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से कितनी धन राशि प्राप्त की गई है;

(ख) वर्ष 1982-83 से 1984-85 के दौरान चाय पर निर्यात शुल्क से कितनी धनराशि एकत्र की गई;

(ग) वर्ष 1982-83 से 1984-85 के दौरान चाय पर कृषि आय कर से कितनी धनराशि एकत्र की गई; और

(घ) चाय उद्योग पर निगम कर से कितनी धनराशि एकत्र की गई तथा वर्ष 1982-83 1984-85 तक कितनी धनराशि बकाया पड़ी थी;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान चाय से वसूली गयी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की रकम को दर्शाया गया है।

(ख) 1982-83 से 1984-85 के दौरान चाय से कोई निर्यात शुल्क नहीं वसूला गया क्योंकि इसे शुल्क छूट प्राप्त है।

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (1) के अनुसार पिछले वर्ष की कुल आय की संगणना करते समय कृषि से होने वाली आय को शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा, कृषि आय-कर राज्य का विषय है इसलिए आपेक्षित सूचना केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) अपेक्षित सूचना पृथक रूप से नहीं रखी जाती है। सूचना एकत्र करने में बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा। तथापि यदि माननीय सदस्य किसी विशेष चाय कंपनी के ब्यौरे चाहते हों, तो एकत्र करके प्रस्तुत कर दिए जाएँगे।

विवरण

(लाखों रुपयों में)

	मूल शुल्क	विशेष उत्पादन शुल्क	उपकर	कुल
1982-83	4900	492	454	5846
1983-84	4917	492	464	5873
1984-85 (संशोधित बजट अनुमान)	5900	590	505	6995

पदोन्नति हेतु सैन्य सेवा को शामिल किया जाना

6074. **श्री राजेश पाइलट** : क्या वित्त मंत्री सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पुनः नियोजित भूतपूर्व सैनिकों की पदोन्नति के बारे में 6 अप्रैल 19:4 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6775 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सररकार ने जनवरी, 1983 में जारी किए गए अपने दिशा निर्देशों के आधार पर, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पुनर्नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों की एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में पदोन्नति के लिये उनकी सैन्य सेवा को शामिल करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सेवा को शामिल करने हेतु क्या मान दण्ड निर्धारित किया गया है; और

(ग) क्या बैंकों ने सरकार के निर्णय को कार्यान्वित किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंकों में पुनर्नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों की सेवा को, बैंकों में एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में पदोन्नति के प्रयोजन से वरीयता देने के लिए उचित फार्मूला तैयार करने के प्रश्न पर सरकार पहले से ही भारतीय बैंक संघ के साथ विचार कर रही है और इस संबंध में यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

आयकर की बकाया धनराशि का कम्पनी वार विवरण

6075. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री कम्पनियों पर बकाया आयकर की राशि के बारे में 12 अप्रैल 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2857 के उत्तर के संबंध में यह बताने

की कृपा करेंगे कि 30 सितम्बर 1984 को आयकर की बकाया धनराशि (113.49 करोड़ रुपए) का कम्पनीवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है ।

विवरण

क्रमांक	कर-निर्धारिती का नाम	30.9.1984 की स्थिति के अनुसार बकाया मांग (रु० लाखों में)
1	2	3
1.	मिल्कफूड लि०	20.19
2.	सेंचुरी एंका लि०	19.51
3.	ई-मर्क (इण्डिया) (प्रा०) लि०	84.11
4.	एचजे इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०	105.15
5.	बाम्बे डाइंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०	12.[illegible]3
6.	रोलेटेनर्स लि०	36.05
7.	प्रकाश ट्यूब्स लि०	25.03
8.	जगजीत इडस्ट्रीज लि०	103.43
9.	क्योरवेल (इण्डिया) लि०	15.77
10.	काण्टीनेंटल डिवाइस इण्डिया लि०	18.87
11.	एल० एण्ड टी० मीनेल लि०	78.00
12.	लारसन एण्ड टूबरो लि०	468.75
13.	तोशिबा आनन्द बैटरीज लि०	62.23
14.	अमर डाइकेम लि०	24.10
15.	रिलाएबल एकसट्रेक्शन इण्डस्ट्रीज	20.20

1	2	3
16.	रैनबैक्सी लेबोरेट्रीज लि०	10.58
17.	कास्टीनेंटल कंट्रक्शन लि०	6759.42
18.	निर्लान सिंथेटिक फाइबर्स एण्ड कैमिकल्स लि०	156.93
19.	प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स (प्रा०) लि०	18.55
20.	पेपर प्राडक्टस लि०	88.46
21.	जे० के० सिंथेटिक्स लि०	563.61
22.	श्री सिंथेटिक्स लि०	137.90
23.	इण्डियन एक्सपलोसिव्स लि०	731.33
24.	जैन साहू वनस्पति कंपनी लि०	30.18
25.	नरूला उद्योग और एक अन्य	17.16
26.	शार्पेज लि०	11.32
27.	स्पैशल स्टील्स लि०	10.38
28.	जुआरी एग्रो कैमिकल्स लि०	409.59
29.	हिन्दुस्तान गैस इण्डस्ट्रीज लि०	16.64
30.	मोदी रबड़ लि०	700.85
31.	सिल्वानिया लक्ष्मण	53.34
32.	अहमदाबाद एडवान्स मिल्स लि०	36.35
33.	आई० टी० सी० लि० (त्रिवेणी टिशू)	103.10
34.	त्रिवेणी शीट ग्लास वर्क्स लि०	22.63
35.	आई० डी० एल० कैमिकल्स लि०	52.52
36.	आन्ध्र प्रदेश पेपर मिल्स लि०	96.28
37.	लखनपाल नेशनल लि०	22.81
38.	केशोराम इण्डस्ट्री एण्ड काटन मिल्स लि०	107.86
39.	श्रीनिवास स्टील लि०	10.71
40.	फैरो एलायज कार्पोरेशन लि०	87.37
		11349.36

खुले सामान्य लायसेंस से इलेक्ट्रानिक फोटो कम्पोजिंग तथा आनुषंगिक उपकरणों को हटाने का समाचार पत्र उद्योग पर प्रभाव

6076. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले सामान्य लाइसेंस से इलेक्ट्रानिक फोटो कम्पोजिंग और आनुषंगिक उपकरणों को हटाने से समाचार पत्र उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा तथा उद्योग के विकास में बाधा पहुंचेगी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयकर के मामलों के लिए विशेष-कक्ष

6077. श्री मोहन भाई पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयकर के मामलों को निबटाने के लिए एक विशेष कक्ष बनाया है;

(ख) यह कक्ष कब बनाया गया था और आज की तारीख तक इस कक्ष को कितने मामले भेजे गए हैं;

(ग) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिनके मामले विशेष कक्ष को भेजे गए हैं; और

(घ) विशेष कक्ष के कार्य क्या हैं और विशेष कक्ष ने अब तक कितने मामले निबटाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विशेश कक्ष की स्थापना अगस्त, 1972 में की गई थी । इसका एक अलग और स्वतंत्र इकाई के रूप में पुनर्गठन करके 13 फरवरी, 1981 से निरीक्षण निदेशालय (विशेष जांच) का नाम दिया गया था। कर-निर्धारण करने के लिए निरीक्षण निदेशालय (विशेष जांच) को मामले अन्तरित नहीं किये जाते हैं। यह, समय-समय पर इसे सौंपे गए बड़े औद्योगिक घरानों के कुछ चुनिन्दा मामलों में जांच और कर-निर्धारण संबंधी कार्यों को देखता है । बहु-राष्ट्रीक विदेशी कम्पनियों, आदि के कुछ मामले भी कभी-कभी निरीक्षण निदेशालय (विशेष जांच) को सौंपे जाते हैं।

वर्ष 1984-85 के दौरान निरीक्षण निदेशालय (विशेष जांच) को सौंपे गए मामलों के समूहों से संबंधित सूचना विवरण-एक में दी गई है। इन समूहों के चुनिन्दा मामलों में तथा इसको

सौंपे गए बहु-राष्ट्रिकों और विदेशी कम्पनियों, आदि के मामलों में भी कर-निर्धारण, समय-समय पर निरीक्षण निदेशालय (विशेष जांच) द्वारा देखे गए थे। निरीक्षण निदेशालय (विशेष जांच) के कार्यों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण-दो में दी गई है।

विवरण-एक

वर्ष 1984-85 के दौरान निरीक्ष निदेशालय (विशेष जांच) को सौंपे गए बड़े औद्योगिक घरानों के समूह तथा अन्य मामले

बड़े औद्योगिक घरानों के समूह

1. बिड़ला
2. साराभाई
3. मोदी
4. श्रीराम
5. भफतलाल
6. चिदम्बरम
7. चौगुले
8. इण्डियन टुबैको कम्पनी
9. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा
10. कोठारी
11. थापर
12. बजाज
13. किर्लोस्कर

अन्य मामले

1. आई० बी० एम०
2. आई० सी० एल० (यू० के०)
3. आई० सी० आई० एम० लि०
4. ज्ञान विष एण्ड ब्रदर्स (इण्डिया) लि० बंगलौर

5. स्मिथ क्लिन एण्ड फ्रेंच (इण्डिया) लि० बंगलौर
6. यूरोपियन एशियन बैंक, बम्बई।
7. एमीरेट्स कमर्शियल बैंक लि० बम्बई।
8. मेट्योर (प्रा०) लि०
9. निचिमेन
10. मेसर्स इंडो निप्पोन केमिकल्स कारपोरेशन लि०
11. मेसर्स इण्डिया जिलेटाईन एण्ड केमिकल्स लि०
12. मेसर्स ईस्टर्न सिरेमिक लि०
13. मेसर्स द्वारका इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट प्रा० लि०
14. मेसर्स इन्दू निसान-ओक्सो-केमिकल्स इण्डस्ट्रीज लि०

विवरण-दो

निरीक्षण निदेशालय (विशेष जांच) के कार्य

(क) बड़े औद्योगिक घरानों के मामलों के संबंध में पूरे किये गए कर-निर्धारणों, छिपाई गई आय के पता लगाये गए मामलों, लगाये गए अर्थ-दण्डों, दायर किये गए मुकदमों, वसूल किये गए कर, बकाया करों, अपीलों तथा संदर्भ याचिकाओं, आदि की प्रगति से संबंधित सूचना एकत्र करना तथा बोर्ड को सप्लाई करना।

(ख) समूहों की कम्पनियों, व्यष्टियों तथा न्यासों के मामले में कर देयता को कम से कम करने के लिए बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा अपनाये गए तरीकों की छानबीन करना।

(ग) कर-निर्धारणों को पूरा करने, अपीलों की सुनवाई करने तथा बकाया करों की वसूली करने के कार्यों को तत्परता से निपटाना।

(घ) ऐसे समूहों के मामलों को निपटाने में विभाग की कमियों तथा त्रुटियों का पता लगाना।

(ङ) बड़े व्यापार समूहों के मामलों को अधिक तत्परता तथा उपयुक्तता से निपटाने में विभाग की कारगरता को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना; और

(च) कक्ष को सौंपे गए समूहों के मामलों में जांच-पड़ताल के तरीके के संबंध में मार्ग-दर्शन तथा सहायता प्रदान करना तथा प्राथमिकता के आधार पर समन्वित कार्य-वाही करना।

ग्रामीण ऋणों में बैंकिंग क्षेत्र का हिस्सा

6078. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण ऋणों में बैंकिंग क्षेत्र का कितना हिस्सा है;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों को समाप्त करने में सफल हो सके हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के 150 लाख परिवारों को इसके अन्तर्गत लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ग्रामीण ऋण में अन्यों के अलावा केन्द्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों, सरकारी समितियों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों, परम्परागत साहूकारों और वस्तु विनिमय व्यापार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र को दिये गए ऋण आते हैं। वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से ग्रामीण क्षेत्रों को दिए गए केवल संस्थागत ऋण के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होती है। इस समय ऐसी कोई नियमित सूचना प्रणाली नहीं है जिससे परम्परागत साहूकारों और वस्तु विनिमय व्यापार के माध्यम से दिये गए ग्रामीण ऋण से सम्बन्धित सूचना प्राप्त होती हो। अतः कुल ग्रामीण ऋण में बैंकों के हिस्से का कोई सार्थक प्रतिशत नहीं निकाला जा सकता है।

(ख) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोलने के ठोस प्रयास किए हैं। जून, 1969 में ग्रामीण शाखाओं की संख्या 1832 थी जो राष्ट्रीयकरण के बाद बढ़ कर सितम्बर, 1984 के अन्त में 25929 हो गई। सितम्बर, 1984 में कुल शाखाओं की संख्या में ग्रामीण शाखाओं का अनुपात 56.2 प्रतिशत बैठता है। जून, 1969 में यह अनुपात केवल 22.2 प्रतिशत था। उक्त अवधि के दौरान जो शाखा विस्तार हुआ उसमें 60 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया। आशा है कि इससे गांवों की गरीब जनता अब बैंकों द्वारा दिए जाने वाले वित्त की ओर पर्याप्त आकृष्ट होगी और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों का हिस्सा उतना ही कम होगा।

(ग) छठी आयोजना की अवधि में 1.5 करोड़ परिवारों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम के अधीन प्रति ब्लाक 600 परिवारों का लक्ष्य प्राप्त करना था। मासिक प्रगति रिपोर्टों से प्राप्त उपलब्ध सूचना के अनुसार फरवरी, 1985 तक 1.57 करोड़ परिवार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ चुके थे।

रुग्ण उद्योगों के लिए केन्द्रीय सरकार की नीति

6079. श्री भोला नाथ सेन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार रुग्ण उद्योग सम्बन्धी नीति के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों को क्या भूमिका सौंपी गई है;

(ख) जुलाई, 1982 से दिसम्बर, 1984 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न राज्यों में रुग्ण उद्योगों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितने रुग्ण यूनिटों का चयन किया गया;

(ङ) 31 दिसम्बर, 1984 को ऐसे रुग्ण यूनिटों की ओर कुल कितना बैंक ऋण बकाया था;

(च) इस अवधि के दौरान चयन किये गए कितने यूनिटों के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा उनके चलाये जा सकने की संभावना का अध्ययन किया गया तथा कितने यूनिटों को सक्षम समझा गया।

(छ) जुलाई, 1982 से दिसम्बर, 1984 तक की अवधि के दौरान कितने रुग्ण यूनिटों को बैंकों द्वारा पोषण कार्यक्रम में शामिल किया गया; और

(ज) अब तक कितने रुग्ण यूनिटों को पुन: स्थापित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारत सरकार द्वारा रुग्ण उद्योगों के सम्बन्ध में तैयार की गयी नीति के अनुसार, बैंकों से अपनी पर्यवेक्षण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की अपेक्षा की गयी है ताकि औद्योगिक एककों में रुग्णता से बचने के लिए समय पर उपचारात्मक उपाय करना संभव हो सके। यह भी अपेक्षा की गयी है कि बैंकों को जैसे ही रुग्णता के निश्चित चिन्हों का पता चले, वैसे ही उनके द्वारा किए गए निदानात्मक अध्ययन के आधार पर आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी जाए। जिन मामलों में बैंकों को सरकारी स्तर पर सहायता की आवश्यकता हो उन्हें बैंकों द्वारा सरकार के ध्यान में लाया जाना जरूरी होता है।

(ख) और (ग) आंकड़े संग्रह करने की प्रणाली से एक विशेष अवधि के दौरान रुग्ण औद्योगिक एककों को दी गयी सहायता की राज्यवार सूचना नहीं मिलती। चूंकि बैंक उन औद्योगिक एककों को ऋण सीमाएं मंजूर करते हैं जो मंजूर शुदा सीमाओं के अन्दर-अन्दर अपना खाता चालू रखते हैं, इसलिए किसी विशेष अवधि के दौरान दी गयी सहायता के ब्यौरे को अलग अलग करना व्यवहार्य नहीं होगा।

(घ) और (ङ) जून 1982 के अन्त में, राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या 23315 थी। तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिसम्बर, 1983

के अन्त में राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या 34821 थी जिनके नाम कुल मिलाकर 1814.10 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी ।

(च), (छ) और (ज) नीचे दिए गए विवरण में रुग्ण एककों की संख्या, जिनके बारे में अर्थक्षमता सम्बन्धी अध्ययन किया गया है, संभावित अर्थक्षमता एककों कि संख्या, वित्त पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत रुग्ण एककों की संख्या और रुग्ण एककों की सूची से निकाल दिए गए रुग्ण एककों की संख्या के सम्बन्ध में जून, 1982 से दिसम्बर, 1983 तक तथा उपलब्ध ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

अवधि		उन एककों की संख्या जिनके सम्बन्ध में अर्थक्षमता अध्ययन किया गया था	संभावित अर्थक्षम एककों की संख्या	वित्त पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत रुग्ण एककों की संख्या	रुग्ण एककों की सूची से निकाल दिए गए रुग्ण एककों की संख्या
जून	1982	21,171	6100	2605	उपलब्ध नहीं
दिसम्बर	1982	52,662	6246	2577	5100
जून	1983	57,834	6741	2848	उपलब्ध नहीं
दिसम्बर	1983	70,544	7409	2919	8763

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोक कोयले का आयात

6080. **श्री बी० वी देसाई** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सम्पूर्ण सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पहले के 15 लाख टन के अनुमान की 30 लाख टन कोककर कोयले का आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो सम्पूर्ण योजनावधि के दौरान 30 लाख टन का ही आयात सीमित करने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) क्या इस्पात संयंत्रों ने पहले काफी कम राख की मात्रा हेतु बल दिया गया था ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखाने 17 प्रतिशत राख की मात्रा वाले कोककर कोयले पर हमेशा जोर देते रहे हैं क्योंकि उनकी धमन भट्टियों का रूपांकन इस प्रकार किया गया जिसमें इस मात्रा वाले कोककर कोयले के मिश्रण से उनका परिचालन किया जाता है।

रेलभाड़े वृद्धि के कारण कोयले और मृदु-कोक की कीमतों में बढ़ोतरी

6081. **श्री आर० एम० भोये** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल भाड़े में वृद्धि की वजह से कोयले और मृदु कोक की कीमतों में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई है; क्योंकि इसके अन्तिम मूल्य में भी वहन लागत का एक बड़ा भाग शामिल होता है; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) और (ख) कोयले और कोक की सप्लाई के लिए कोयला कम्पनियों द्वारा ली जाने वाली कीमतें, सरकार द्वारा नियत कीमत के अनुसार कोलियरी साइडिंग में "रेल तक निष्प्रभार" आधार पर होती हैं। इसमें वह रेल-भाड़ा शामिल नहीं होता जिसका भुगतान प्रेषक करता है। दिनांक 15-4-1985 से, 500 कि० मीटर से अधिक की दूरी के लिए सभी प्रकार के माल यातायात (जिसमें कोयला/साफ्ट कोक शामिल है) के लिए कुल भाड़े पर 10 प्रतिशत का पूरक प्रभार लगेगा परन्तु 500 कि० मीटर या उससे कम दूरी के माल यातायात को इस पूरक प्रभार से छूट दी गई है।

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

6082. **श्री चिन्तामणी जेना** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी बाहरी देश ने इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) आधुनिकीकरण के बाद कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(घ) इस काम के कब आरम्भ होने और कब पूरा होने की सम्भावना है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) और (ख) ब्रिटेन तथा सोवियत रूस की सरकारों ने क्रमशः दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) का आधुनिकीकरण करने के कार्यक्रमों में सहायता करने की पेशकश की है।

ब्रिटेन की सरकार ने सुझाव दिया है कि उसके द्वारा भारत सरकार को दी जाने वाली द्विपक्षीय सहायता में से पांच वर्ष की अवधि तक प्रत्येक वर्ष 20 मिलियन पौंड की राशि दुर्गापुर इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है।

सोवियत रूस ने 'इस्को' के आधुनिकीकरण के लिए ऋण आधार पर उपस्करों की सप्लाई करने की पेशकश की है। इसके साथ-साथ सोवियत रूस ने इंजीनियरी रेखांकन तैयार करने, स्थापना, पर्यवेक्षण आदि के कार्य में भी सहायता करने की पेशकश की है।

(ग) आधुनिकीकरण की इन योजनाओं में दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा 'इस्को' में अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन की निर्धारित क्षमता क्रमशः 16.58 लाख टन तथा 10 लाख टन पुनः प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस्पात क्षेत्र को धन के आवंटन के सम्बन्ध में योजना आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इसे अन्तिम रूप दिए जाने के तुरंत पश्चात इन योजनाओं पर पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय लिया जाएगा तथा इन्हें कार्यान्वित किया जाएगा। सरकार द्वारा इन योजनाओं को अनुमोदित करने के पश्चात ही समयावधि तथा इन्हें पूरा करने की समय-सूची के बारे में पता चल सकेगा।

कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन कोयला खानों के लिए उपकरणों की खरीद

6083. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन कोयला खानों के लिए आयात किए गए उपकरणों का विदेशों के नाम सहित ब्योरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मद के लिए और प्रत्येक देश को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है अथवा भुगतान किया जाना है और उन कोयला खानों के नाम क्या हैं; जिनमें इन्हें प्रयोग किया जायेगा; और

(ग) ये उपकरण सप्लाई करने वाली फर्मों के नाम क्या हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी सभापटल पर रखे गए विवरण में दिए गए है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 1120/85]

कृष्णा जिले (आन्ध्र प्रदेश) के नन्दीग्राम ताल्लुक में रत्नों और हीरों की उपलब्धता

6084. श्री वी. सोमनाद्री सवारा राव : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में नन्दीग्राम तालुक के कुछ गांवों की भूमि में रत्न और हीरे उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार की रत्नों हीरों वाली मुद्रा को एकत्रित करने और उन्हें मृदा से अलग करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर कितनी लागत आएगी तथा इस बारे में भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कृष्णा जिले में हीरायुक्त कंकड़ों की मात्रा के निर्धारण हेतु 1980 में एक विशेष परियोजना प्रारम्भ की गई थी। अब तक विशेष डिजाइन के संयंत्र में लगभग 3,000 घनमीटर कंकड़ों का शोधन किया जा चुका है और उससे कुछ हीरे प्राप्त हुए हैं। आगे कार्य जारी है, और इसलिए इस समय परियोजना की कुल लागत नहीं बतायी जा सकती।

विदेशियों के स्वामित्व वाली चाय कंपनियों और चाय बागानों को बेचा जाना

6085. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन चाय कम्पनियों और चाय बागानों की संख्या सम्बन्धी ब्यौरा क्या है जो पूरी तरह या आंशिक तौर पर विदेशियों के स्वामित्व में है और पिछले दस वर्षों के दौरान जिनको भारतीयों अथवा अनिवासी भारतीयों द्वारा खरीद लिया गया था;

(ख) स्वामित्व के उक्त अवतरण में कुल कितना बागान क्षेत्र और कितने मजदूर अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) उक्त कम्पनियां और बागान के बेचे जाने के मूल्य के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1121/85]

(ख) अन्तर्ग्रस्त कुल बागान क्षेत्र लगभग 1.20 लाख हेक्टार का है। अन्तर्ग्रस्त कामगारों की संख्या लगभग 3 लाख होगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

6086. **श्री टी० बशीर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों में अभी तक अन्तरिम सहायता की अदायगी नहीं की गई है;

(ख) उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की अदायगी न करने का क्या औचित्य है जिनके वेतन सरकारी कर्मचारियों से अधिक नहीं है; और

(ग) इस सम्बन्ध में विभिन्न संघों/संगठनों के अभ्यावेदनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) ऐसे लगभग 70 सरकारी उद्यम हैं जो अपने कार्यपालकों के लिए केन्द्रीय सरकारी महंगाई भत्ता पैटर्न अपना रहे हैं/थे (अनुबंध-1) [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1122/85] । इनमें से 41 सरकारी उद्यम अपने कामगारों तथा अन्य कनिष्ठ कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकारी दरों पर महंगाई भत्ते का भुगतान करते हैं। (अनुबंध-2) [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 1122/85] । सरकार ने चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की स्वीकृति दी थी । सरकार ने इन सरकारी उद्यमों को सलाह दी थी कि वे अपने कर्मचारियों को समान अन्तरिम सहायता का भुगतान न करें क्योंकि इन सरकारी उद्यमों के कर्मचारी चौथे वेतन आयोग के विचार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं और केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए अन्तरिम सहायता के भुगतान के लिए आदेश जारी किए जाने के आधार पर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दिए जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । इस के अलावा, इन सरकारी उद्यमों के कर्मचारी कुछ भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता अधिकाधिक दरों पर पाते हैं । सरकार की यह नीति है कि सभी सरकारी उद्यमों को औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न अपना लेना चाहिये । आशा है कि केन्द्रीय सरकारी महंगाई भत्ता पैटर्न अपनाने वाले उद्यम औद्योगिक महंगाई भत्ता सूत्र अपनाने के साथ वेतनमानों में परिशोधन सम्बन्धी अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे । सरकार भी औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न समयबद्ध आधार पर अपनाने के लिए, जब तक वेतन मानों में परिशोधन न हो जाये, तब तक प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर अन्तरिम सहायता का भुगतान करने के लिए किसी प्रस्ताव पर निष्पक्ष एवं सार्थक रूप से विचार करने के लिए तैयार है । सरकार ने कुछ सरकारी उद्यमों जैसे केन्द्रीय भाण्डागार निगम और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के गैर-कार्यपालक संवर्गों के लिए ऐसी अन्तरिम सहायता का भुगतान प्राधिकृत कर दिया है । हिन्दुस्तान लेटेक्स, हिन्दुस्तान प्रीफैब, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन और आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के कार्यपालकों ने भी औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न अपनाने की सहमति दी है ।

हालांकि, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की विभिन्न यूनियनों/संघों और संयुक्त कार्य समिति ने केन्द्रीय सरकारी महंगाई भत्ता अपनाने वाले सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता के भुगतान के लिए सरकार से अभिवेदन किया है, परन्तु सरकार का यह विचार है कि उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए उन कर्मचारियों के लिए ये लाभ स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

औषधि और औषधि इंटरमिडियटों के आयात पर सीमा शुल्क

6087. **श्री सिद्ध लाल मूरमू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन औषधियों पर उसके इंटरमिडियटों पर लगने वाले सीमा शुल्क की तुलना में कम सीमा शुल्क लगता है;

(ख) औषधि और औषधि इंटरमिडियटों के आयात पर लागू सीमा शुल्क की वर्तमान दर अलग-अलग क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) औषध-द्रव्य सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 2829 अथवा 30 के अन्तर्गत आते हैं और औषध-मध्यवर्ती द्रव्य सामान्यतया उक्त प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अन्तर्गत आते हैं। हालांकि इन अध्यायों के अन्तर्गत आने वाली मदों पर सामान्यतया सांविधिक मूल शुल्क मूल्यानुसार 100 प्रतिशत की दर से लगता है परन्तु औषध द्रव्यों पर प्रभावी मूल शुल्क मूल्यानुसार 60 प्रतिशत की दर से तथा औषध मध्यवर्ती द्रव्यों पर मूल्यानुसार 70 प्रतिशत की दर से लगता है। इसके अतिरिक्त उपसंगी शुल्क मूल्यानुसार 40 प्रतिशत की दर से तथा अतिरिक्त (प्रतिसंतुलनकारी) शुल्क केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के बराबर उद्ग्रहणीय है। तथापि, विभिन्न विनिर्दिष्ट औषध-द्रव्यों तथा औषध मध्यवर्ती द्रव्यों पर उद्ग्रहणीय शुल्क को सम्बन्धित प्रशाली मन्त्रालय के साथ परामर्श करके कम किया गया है और इस सम्बन्ध में समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं को उनके व्याख्यात्मक ज्ञापनों के साथ सदन पटल पर रख दिया जाता रहा है।

प्याज की खरीद और निर्यात

6088. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान कितनी मात्रा में (विदेशी मुद्रा में मूल्य सहित) प्याज का निर्यात किया गया और 1983-84 में किए गए निर्यात की तुलना में यह कितना कम अथवा अधिक है;

(ख) प्याज की खरीद और निर्यात के बारे में मूल्य नीति क्या है तथा प्याज का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्याज उत्पादकों को यदि कोई प्रोत्साहन दिए गए हैं, तो वे क्या हैं; और

(ग) प्याज के निर्यात का देश में इसके मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1983-84 और 1984-85 के दौरान निर्यात की गई प्याज की मात्रा तथा मूल्य निम्नलिखित है :—

(मात्रा : मै० टन)

(मूल्य : लाख रु० में)

	1983-84	1084-85*	1983-84* की तुलना में 1984-85 में वृद्धि/गिरावट
मात्रा	183,883	258,977	+75,094
मूल्य	3,587	5,145	+1,558

* अनुमानित

(ख) प्याज कृषि लागत संघ के अन्तर्गत कवर नहीं होता। तथापि, प्याज उगाने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्याज उपजकर्ताओं को उचित कीमत सुनिश्चित की गई है और इस कार्य के लिये बाजार हस्तक्षेप की एक योजना बनाई गई है और इस समय महाराष्ट्र राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लि० (नेफेड) और राज्य विपणन परिसंघ की मार्फत कार्यान्वित की जा रही है। औसतन अच्छी किस्म की प्याज के लिए बाजार हस्तक्षेप कीमत 60/- रु० प्रति क्विंटल है। प्याज के निर्यातों पर उचित लाभ को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय-समय पर नियमित आधार पर नेफेड द्वारा न्यूनतम निर्यात कीमत निर्धारित की जाती है।

(ग) प्याज का निर्यात नेफेड की मार्फत सरणीबद्ध है और घरेलू आवश्यकताओं और कीमतों को ध्यान में रखने के बाद निर्धारित की गई सीमित मात्रा में निर्यातों की अनुमति दी जाती है।

आयकर अधिकारियों का दिल्ली में अधिक समय तक रहना

6089. **श्री राम समुझावन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे आयकर अधिकारियों की संख्या कितनी है, जो गत पांच वर्ष से अधिक समय से राजधानी में तैनात हैं;

(ख) एक स्थान पर तैनात रहने की सामान्य निर्धारित अवधि क्या है;

(ग) दिल्ली में ऐसे आयकर अधिकारियों की संख्या कितनी है, जो निर्धारित अवधि से अधिक समय से यहां तैनात हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) : समूह "क" के कुल 22 आयकर अधिकारी ऐसे हैं जो राजधानी में पांच वर्षों से अधिक समय से तैनात हैं। आयकर अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिए निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, पदोन्नत आयकर अधिकारी समूह "क" को एक प्रभार विशेष में नियमित आयकर अधिकारी समूह "क" के रूप में पांच वर्ष की सेवा करने के बाद दूसरे प्रभार में स्थानांतरित किया जा सकता है। सीधे भर्ती किए गए आयकर अधिकारी समूह "क" को एक प्रभार में 6 वर्ष तैनात रहने के बाद दूसरे प्रभार में स्थानांतरित किया जा सकता है।

आयकर अधिकारी (समूह "ख") को एक प्रभार से दूसरे प्रभार में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। परन्तु अत्यधिक अनुकम्पा के आधार पर अथवा प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरित किया जाता है। परन्तु उन्हें दिल्ली जैसे शहर के प्रभार में तीन वर्ष की अवधि के बाद दूसरे वार्ड/सर्कल में स्थानांतरित किया जा सकता है।

उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर, इस समय समूह "क" के केवल पांच आयकर अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया जाना है। इन अधिकारियों के दिल्ली से बाहर स्थानांतरण के प्रश्न पर आम वार्षिक स्थानांतरणों के समय विचार किया जाएगा।

स्वदेशी टैक्सटाइल मिल्स का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिए समय अवधि बढ़ाना

6090. **डा० सी० एस० वर्मा**
श्री सी० के० कुप्पुस्वामी } : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री स्वदेशी टैक्सटाइल मिल्स के राष्ट्रीयकरण के बारे में 10 अगस्त, 1984 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन परिस्थितियों में पिछले दो वर्षों के दौरान स्वदेशी टैक्सटाइल मिल्स का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिए समय अवधि छः बार हर बार 3 महीने से 6 महीने तक बढ़ायी गयी है; और

(ख) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा क्योंकि इस अनिर्णय और अनिश्चितता से मजदूरों और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) मै० स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि०

के छः वस्त्र उपक्रमों के अधिग्रहण के आदेश की वैधता को जनहित में समय-समय पर बढ़ाया गया है।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई निश्चित तारीख बताना सम्भव नहीं है।

टी० वी० सैटों पर उत्पाद शुल्क का आकलन करने संबंधी नियम/विनियम

6091. **श्री बनवारी लाल बैरवा :** क्या वित्त मंत्री करदाताओं द्वारा टी० वी० सैटों पर उत्पादशुल्क का अपवंचन के बारे में 12-अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2866 के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 17 मार्च, 1985 से पहले विभिन्न प्रकार के ब्लैक एण्ड व्हाइट तथा रंगीन टी० वी० सैटों पर किन नियमों/विनियमों/अधिसूचनाओं के अन्तर्गत उत्पाद-शुल्क का आंकलन किया जाता था।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा नोटिस जारी किये जाने के बाद किन-किन निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई; और

(ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्याहारिक व्यवहार आयोग द्वारा नोटिस जारी किए जाने से पूर्व किन-किन निर्माताओं के विरुद्ध कारंवाही शुरू की गई; और

(घ) उक्त प्रश्न में उल्लिखित 6 कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन के लिये प्रयोग किये गये तरीकों का ब्योरा क्या है तथा ब्रांड नामों सहित उन सर्विस शुल्कों का ब्योरा क्या है जिन्हें उत्पाद मूल्यांकन में शामिल नहीं किया गया।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिनांक 17-3-1985 से पहले 51 सें० मी० से अनधिक आकार की स्क्रीन के सभी टी० वी० सैटों पर मूल उत्पादन शुल्क निम्नलिखित दर से लगाया जाता था :—

(i) 36 सें० मी० से अनधिक आकार की स्क्रीन के मोनोक्रोम रिसीवर सैट	...	मूल्यानुसार 5 प्रतिशत
(ii) अन्य	...	मूल्यानुसार 15 प्रतिशत

51 सें० मी० से अधिक आकार की स्क्रीन के सैटों के संबंध में शुल्क की दर मूल्यानुसार 30 प्रतिशत थी।

(ख) और (ग) एम० आर० टी० पी० आयोग द्वारा आरम्भ की गई कार्यवाही से, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई जांच का कोई संबंध नहीं है। गुप्त सूचना

के एकत्र किये जाने के परिणामस्वरूप जिन निर्माताओं के संबंध में यह पाया जाता है कि उन्होंने उत्पादन शुल्क का अप वंचन किया है, उनके खिलाफ स्वतन्त्र रूप से कार्यवाही की जाती है, जैसे कि 12 अप्रैल, 1985 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2866 के उत्तर में उल्लिखित 6 फर्मों के सम्बन्ध में कार्यवाही शुरू की गई थी । किसी एकक-विशेष के सम्बन्ध में सूचना मांगे जाने पर उसे क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्रित किया जाएगा ।

(घ) उक्त छः कंपनियों द्वारा अपनाया गया तरीका यह था कि शुल्क निर्धार्य मूल्य में उस पर उत्पादन शुल्क लगाए जाने के प्रयोजनार्थ सामान्यता कतिपय प्रभार शामिल नहीं किए जाते थे ।

पेंशनभोगियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन निधि

6092. श्री एम॰ सुब्बा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों द्वारा एक राष्ट्रीय पेंशन निधि और एक राष्ट्रीय पेंशन नीति तथा पेंशनभोगियों के लिए एक अलग मंत्रालय की भी मांग की गई है,

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार को सभी श्रेणियों के कर्मचारियों, चाहे वे सरकारी हों अथवा गैर सरकारी, के लिए एक पेंशन अदायगी योजना बनाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) पेंशनभोगियों के कुछ संगठनों ने सरकार से प्राप्त अंशदान से वित्त पोषित होने वाली एक पेंशन निधि की स्थापना के लिए सरकार के पास प्रतिवेदन भेजे हैं । संगठनों ने पेंशनभोगियों की समस्यायें हल करने के लिए एक पेंशन आयोग नियुक्त करने और एक अलग पेंशन मंत्रालय बनाने का भी सुझाव दिया है ।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय के अधीन एक पृथक पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है । तथापि, सरकार ने पेंशन आयोग के गठन की मांग स्वीकार नहीं की है ।

(ग) सरकार के पास केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करने की स्कीम पहले से ही विद्यमान है । संगठित क्षेत्रों में गैर-सरकारी कर्मचारी कुल मिलाकर पेंशन स्कीम या उनके बराबर के सेवा-निवृत्ति लाभों के अन्तर्गत आ जाते हैं ।

सीमा शुल्क कलेक्टरों के विरुद्ध असमानता के लम्बित मामले

6093. श्री देवी घोषाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुछ सीमा शुल्क कलेक्टरों के विरुद्ध अव-मानना के कुछ मामले लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें सीमा शुल्क कलेक्टर शामिल हैं तथा यह संख्या उन मामलों की संख्या की तुलना में कितनी है जिनमें अन्य सीमा शुल्क कलेक्टर शामिल हैं; और

(घ) उक्त भाग (क) और (ग) के सम्बन्ध में 1985, 1982, और 1980 के 31 मार्च, की क्या स्थिति थी।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

लघु औद्योगिक एककों को सुविधायें/रियायतें

6094. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु औद्योगिक एककों को उत्पादन क्षेत्र के आरक्षण विपणन सरकार द्वारा खरीद आयात नीतियों, विनियम नियंत्रण और आयकर के सम्बन्ध में सरकार की नीतियों में क्या विभिन्न सुविधाएं/रियायतें आदि दी गई हैं;

(ख) क्या सरकार लघु औद्योगिक एककों द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन देती है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने निर्यात उत्पादन में लघु उद्योगों की सहायता करने की नीति छोड़ दी है क्योंकि 12 अप्रैल, 1985 को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये प्रेस नोट में उसका उल्लेख नहीं है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जबकि राज्य में लघु उद्योगों के विकास और संवर्धन का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है, केन्द्रीय सरकार उनके शीघ्र और सन्तुलित विकास के लिए अनेक सुविधाएं एवं रियायतें देती रही है। इन सुविधाओं में शामिल हैं:- पिछड़े क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय निवेश उपदान परिवहन उपदान, अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं की मार्फत रियायती वित्त, कर सम्बन्धी रियायतें, मशीनरी की किराया-खरीद, कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं आदि। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने अनेक लघु उद्योग सेवा संस्थान, शाखा संस्थान, विस्तार केन्द्र, क्षेत्रीय परिक्षण केन्द्र, उत्पाद तथा प्रोसेस विकास केन्द्र, फुटवियर प्रशिक्षण केन्द्र, टूलरूम तथा परीक्षण केन्द्र, क्षेत्र परीक्षण केन्द्र आदि स्थापित किए हैं देश के विभिन्न भागों में लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए व्यापक परामर्शी सेवाएं तथा तकनीकी प्रबन्ध सम्बन्धी आर्थिक और विपणन सहायता की व्यवस्था है।

केवल लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए 800 से अधिक मदें आरक्षित की गई हैं इसके अलावा 400 से अधिक मदें इस क्षेत्र से खरीदे जाने के लिए आरक्षित हैं । शेष मदों के सम्बन्ध में स्टोर खरीद कार्यक्रम के अन्तर्गत कीमत अधिमान दिया जाता है ।

1985-86 के लिए चालू आयात तथा निर्यात नीति में निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था की गई है :-

(i) लघु औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में संयंत्र और मशीनरी पर पूंजीनिवेश की सीमा 20 लाख रु० से बढ़ाकर 35 लाख रु० कर दी गई है ।

(ii) आटोमैटिक लाइसेंसों की श्रेणी समाप्त कर दी गई है और आटोमैटिक अनुमेय सूची में आने वाली अधिकांश मदों को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत लाया गया है । इससे विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र को लाभ होगा ।

(iii) निम्नलिखित के लिए सुविधाओं का मिलना जारी रखा गया है ;

(क) स्वतः एक लाख रु० के मूल्य तक अधिक से अधिक दो प्रोटोटाइपों का आयात;

(ख) एन. एस. आई. सी. और राज्य लघु उद्योग निगम की मार्फत पूंजीगत माल का आयात;

(ग) पिछड़े क्षेत्र में नए/प्रस्तावित लघु एककों को या व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा या भूतपूर्व सैनिकों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा प्रतिबन्धित सूची तथा सीमित अनुमेय सूची वाली मदों के आयात के लिए आयात लाइसेंस का दिया जाना ।

(ख) जी हां ।

लघु उद्योग एककों द्वारा निर्यात किये जाने को प्रोत्साहन दिये जाने के लिए 1985-88 की आयात नीति में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं;

1. निर्यात सदन प्रमाणपत्र दिये जाने के लिए लघु उद्योग एककों के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत निम्न निर्धारित न्यूनतम सीमा निश्चित की गई है । यह सीमा लघु एककों के लिए चुनिन्दा उत्पादों के सम्बन्ध में 75 लाख रु० और गैर चुनिन्दा उत्पादों के सम्बन्ध में 3 करोड़ रु. है जबकि बड़े एककों के सम्बन्ध में यह सीमा क्रमशः 3 करोड़ रु० और 7 करोड़ रु० है।

2. लघु उद्योग निर्माता के अलावा प्रार्थी की पात्रता निर्धारित करने के लिए लघु उद्योग एककों द्वारा किए गए उत्पादों के निर्यातों के मूल्य का हिसाब ऐसे निर्यातों के वास्तविक एफ. ओ. बी. मूल्य. दुगना लगाया जाता है।

3. निर्यात सदनों/व्यापार सदनों को अतिरिक्त लाइसेंस देने के लिए भी लघु तथा कुटीर उद्योगों द्वारा विनिर्मित चुनिन्दा उत्पादों के निर्यात के एफ. ओ. बी. मूल्य को अतिरिक्त महत्व दिया जाता है।

4. लघु उद्योग/कुटीर क्षेत्र के एककों द्वारा विनिर्मित कम मूल्य के चुनिन्दा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए 1984-85 में उद्यमी व्यापारी निर्यात को (इ. एम. ई.) के नाम से विख्यात एक नई योजना आरम्भ का गई है। इस योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि चूंकि इ. एम. ई. के लिए न्यूनतम निर्यात निष्पादन निर्धारित किया गया है इसलिए वह अपने निर्यातक विनिर्माताओं की पूर्ति के लिए निर्धारित दर पर अतिरिक्त लाइसेंस दिए जाने का पात्र होगा। आयात नीति 1985-88 में इस योजना को और उदार बनाया गया है।

व्यापार प्रतिनिधि मंडलों, अध्ययन/बिक्री दलों में शामिल लघु एककों के प्रतिनिधियों और लघु उद्योगों के निर्यात सदनों के लिए (चुनिन्दा उत्पादों के सम्बन्ध में जिनका न्यूनतम निर्यात 10 लाख रु० का हो) एम. डी ए. अनुदान 60 प्रतिशत है।

(ग) जी नहीं।

शेयर बाजार में सट्टेबाजी

6095. **श्री पी० आप्पाला नरसिंहम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शेयर बाजार में अत्याधिक अनियमित और अनावश्यकता सट्टेबाजी व्याप्त है,

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सट्टेबाजी के शेयर बाजार व्यापार का बहुत बड़ा भाग काले धन का है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि देश भर के शेयर बाजारों में व्यापक रूप से अनियंत्रित सट्टेबाजी चल रही है। फिर भी अर्थ-व्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि की प्रवृत्ति को देखते हुए और उसके साथ ही निवेशकों के बढ़े हुए भरोसे के कारण शेयरों के मूल्यों में वृद्धि हुई है और बाजार में आमतौर पर तेजी रही है। शेयर बाजार को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाये गए हैं।

(ख) और (ग) शेयर बाजारों के सदस्यों के लेनदेनों की सूचना शेयर बाजारों के प्राधि-कारियों को देना जरूरी होता है। शेयर बजार के सदस्यों के लेनदेनों का निपटारा भी शेयर

बाजार के नियमों और उपनियमों के अनुसार किया जाता है। सरकार को शेयर बाजार में काले धन के लेन-देनों की जानकारी नहीं है।

आगरा स्थित आयकर कार्यालय में आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी

6096. श्री केशव पारधी
श्री सिद्धलाल मुरमू } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान आगरा स्थित आयकर कार्यालय में वार्ड "ए" सर्कल-I के कर वसूली अधिकारी-I और आयकर अधिकारी द्वारा आकस्मिता निधि से वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी नियुक्त किए गए;

(ख) आगरा स्थित आयकर कार्यालय में इस समय ऐसे कितने व्यक्ति नियुक्त हैं;

(ग) ऐसे कितने कर्मचारी रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्त किए गए तथा कितने कर्मचारी रोजगार कार्यालय के माध्यम के बिना नियुक्त किए गए; और

(घ) लोगों को सीधे ही नियुक्त करने के क्या कारण हैं तथा रोजगार कार्यालय के माध्यम की उपेक्षा करते हुए लोगों को सीधे ही भर्ती करने के जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) कर वसूली-I आगरा तथा आयकर अधिकारी "ए" वार्ड, सर्किल-I, आगरा द्वारा नियोजित आकस्मिक नीधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या क्रमशः "शून्य" तथा "एक" है।

(ख) आयकर विभाग के आगरा में स्थित विभिन्न कार्यालयों में कार्य कर रहे आकमिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या 102 है।

(ग) और (घ) कार्यालयों की अत्यावश्यक मांग को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात को भी देखते हुए कि आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की आरंभ में नियुक्ति अल्पावधि के लिए थी, इसलिए रोजगार कार्यालय को नहीं लिखा गया था।

राज्यों द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर खर्च किए गए राजस्व की प्रतिशतता के बारे में अध्ययन

6097. श्री आर० एम० भोये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों द्वारा अपने-अपने राज्यों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर खर्च किए गए राजस्व की प्रतिशतता के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का प्रत्येक राज्य के बारे में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में योजनागत व्यय

राज्य	1982-83	1983-84	1984-85
1. आन्ध्र प्रदेश	19.66	29.37	22.56
2. असम	24.70	21.53	27.85
3. बिहार	20.79	16.64	19.86
4. गुजरात	41.61	37.97	38.86
5. हरियाणा	27.26	24.54	29.23
6. हिमाचल प्रदेश	24.42	35.31	31.17
7. जम्मू-कश्मीर	27 44	31.27	33.43
8. कर्नाटक	25.15	24.66	20.28
9. केरल	27.59	33.32	32.65
10. मध्य प्रदेश	31.74	36.31	31.89
11. महाराष्ट्र	29.88	28.06	29.52
12. मणिपुर	25.66	31.25	28.85
13. मेघालय	37.10	40.06	34.78
14. नागालैण्ड	18.90	19.52	26.44
15. उड़ीसा	22.18	17.03	26.63
16. पंजाब	23.89	20.96	15.20
17. राजस्थान	16.85	23.21	19.11
18. सिक्किम	44.98	47.98	50.76
19. तमिल नाडु	30.20	24.14	34.13
20. त्रिपुरा	30.09	37.38	33.42

1	2	3	3	4
21.	उत्तर प्रदेश	29.67	26.40	26.01
22.	पश्चिम बंगाल	13.67	14.86	12.68

केरल से आयकर और संपत्ति कर की वसूली

6098. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में आयकर और संपत्ति कर के कुल कितने करदाता हैं और वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितनी धन राशि का कर वसूल किया गया और 1 जनवरी 1985 को कितनी राशि बकाया है;

(ख) केरल में उन दोनों करों के संबंध में कर निर्धारणों की संख्या में और बकाया राशि में कितनी वृद्धि हुई अथवा कमी आई; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केरल का इन दोनों करों का प्रतिशत-वार अंशदान कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) आयकर से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। जहां तक धन कर से सम्बन्धित सूचना का सम्बन्ध है, इसे एकत्र किया जा रहा है जिसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

	1982-83	1983-84	1984-85 (31-12-84 तक)
केरल में आयकर निर्धारितियों की संख्या	1,11,254	1,23,342	1,33,109
ऐसे कर-निर्धारितों से की गई आयकर	वसूलियां		(रु० करोड़ों में)
वसूलियां और उसका समस्त भारत में की गई वसूलियों के साथ प्रतिशत अनुपात	64.52	60.95	70.06 (अनन्तिम)
	प्रतिशत अनुपात		
	1.72	1.45	1.57
1.1.1985 को आयकर की बकाया मांग	32.87 करोड़		

1	2
1.1.1984 को आय-कर की बकाया मांग	26.80 करोड़
आयकर की बकाया मांग में वृद्धि का प्रतिशत-अनुपात	23.02

मैसर्स इण्डियन मेटल एण्ड फेरो अलाय, उड़ीसा के विरुद्ध शिकायतें

6099. **श्री डी० बी० शिंगाडा :** क्या वाणिज्य मंत्री मैसर्स इण्डियन मेटल एण्ड फेरो अलाय उड़ीसा के विरुद्ध शिकायतों की जांच के बारे में 19 अगस्त 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4255 और 27 अप्रैल 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9111 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन मेटल एण्ड फेरो अलाय उड़ीसा द्वारा शत प्रतिशत निर्यात पर आधारित एककों के लिए सरकारी योजना के उल्लंघन के आरोप के बारे में प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना के उल्लंघन के लिए उक्त फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) अतिरिक्त जानकारी एकत्र की जा रही है और जांच का अन्तिम परिणाम सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

जाली दस्तावेज भरने के लिए परिधान निर्यातकों के विरुद्ध जांच

6100. **श्री आनन्द पाठक :** क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री परिधान निर्यातकों की बहाली के बारे में दिनांक 19 अप्रैल 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3769 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात नियंत्रण आदेशों के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1985 को निर्यात कोटा के लिए अपने आवेदनों के साथ जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले 28 परिधान निर्यातकों के विरुद्ध उन्हें जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबंधित करके और इन मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सुपुर्द करके कोई कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का कार्यकारी समिति के उन गैर-सरकारी सदस्यों के विरुद्ध जिन्होंने 26 फरवरी 1985 को हुई बैठक में मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया था, क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) अपैरेल निर्यात संवर्धन

परिषद ने 28 परिधान निर्यातकों के खिलाफ पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी है। पांच पार्टियों के खिलाफ निलम्बन/अपंजीकरण की कार्यवाही की गई है। अन्य मामलों में कार्यवाही जारी है।

(ग) अपैरेल निर्यात संवर्धन परिषद की कार्यवाही समिति ने विनिश्चय किया कि इन मामलों में कारण बताओ नोटिस देने और लिखित अथवा व्यक्तिगत अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद कार्यवाही जारी रहनी चाहिए। इस बात को देखते हुए कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

सरकारी विभागों में पदों के सृजन पर प्रतिबंध

6101. श्री आनन्द सिंह
श्री विजय कुमार यादव } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभागों में नए पदों के सृजन और रिक्त स्थानों को भरने पर लगाए गए प्रतिबन्ध के कारण बहुत से कर्मचारी जो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं निर्धारित आयु सीमा में अधिक आयु के हो गए हैं और निर्धारित आयु सीमा को पार कर गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ा दी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) : अनुकम्पा के आधार पर मृत कर्मचारियों के आश्रितों और अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति, एक संगठन के फालतू कार्मिकों को दूसरे संगठन में पुनः रोजगार देने, समूह "घ" रिक्तियों पर नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने, एकमात्र पदोन्नति द्वारा रिक्तियों को भरने आदि जैसे कुछ चुने हुए मामलों में रोक संबंधी आदेशों में छूट देने की अनुमति दी गई है। पदों के सृजन/रिक्तियों को भरे जाने के प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है और इसमें शिथिलता अत्यन्त आपवादिक परिस्थितियों में दी जाती है।

सरकार के अधीन विभिन्न पदों के लिए सात वर्ष तक की पात्रता अवधि को ध्यान में रखते हुए, उन व्यक्तियों को, जो रोक अवधि के दौरान अधिक आयु के हो गये हों, विभिन्न संगत पदों पर विचार किए जाने के लिये सामान्यतः पर्याप्त अवसर प्राप्त हो चुके होंगे।

उपर्युक्त को देखते हुए, विभिन्न पदों/सेवाओं में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में फिलहाल कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

रुग्ण कपड़ा मिलों के बारे में सरकार की नीति

6102. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण कपड़ा मिलों के बारे में सरकार की नीति क्या है ;

(ख) क्या इस प्रकार की मिलें निजी पार्टियों को बेचने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो रुग्ण कपड़ा मिलों की परिसम्पत्तियों का बिक्री मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या तरीका अपनाने का विचार है जिससे कि इन सौदों से राजकोष को कोई वित्तीय नुकसान न हो ; और

(घ) यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है तो रुग्ण कपड़ा मिलों को किस प्रकार स्वस्थ्य बनाने का विचार है जिससे कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम और इसकी सहायक कपड़ा कम्पनियों में होने वाले नुकसान को समाप्त किया जा सके ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण और पुर्नस्थापना के लिए सरकार ने सहायता कार्यक्रम तैयार किए हैं। लेकिन ऐसे एकक जिनके पुनः जीवित होने की कोई सम्भावना नहीं है। बन्द हो सकते हैं। तथापि, ऐसे मामलों में सरकार कामगारों के हितों की रक्षा करना चाहेगी।

(ख) जी नहीं। इस समय एन० टी० सी० के किसी भी एकक को निजी पार्टियों को बेचने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम के निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है और इसके कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए कदम उठाए जाते हैं। मिलों के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए उठाए गए। उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदमों में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

1. विभिन्न उपलब्ध स्रोतों से रूई की समय पर वसूली के प्रबन्ध किए जा रहे हैं।
2. नकद हानियों को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी की प्रतिपूर्ति की गई है;
3. बिजली की कमी को दूर करने के लिए बिजली पैदा करने की क्षमता में वृद्धि की गई है ;
4. परिणाम अभिमुख लाभों के लिए चयनात्मक आधुनिकीकरण कार्यक्रम नीतियां अपनायी गयी हैं।
5. सभी स्तरों पर लागत में कमी करने के लिए लागत नियन्त्रण तरीके लागू किए गए हैं ;
6. गैर परिचालन प्रशासनिक व्ययों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं ; और

7. मिलों के प्रबन्ध में कामगारों की भागीदारी योजना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गये व्यक्तिगत ऋण

[हिन्दी]

6103. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उनके राष्ट्रीयकरण के बाद से कितनी धनराशि के व्यक्तिगत ऋण दिये गये हैं ;

(ख) ऐसे ऋणों की कितनी धनराशि वसूल कर ली गई है और कितनी ऋणराशि वसूली की जानी शेष है ;

(ग) क्या अनेक बैंकों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने के बजाय भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के विरुद्ध बड़ी संख्या में व्यक्तिगत ऋण दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जून, 1981 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मंजूर किये गये व्यक्तिगत ऋणों (उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद सहित) की 859 करोड़ रुपये थी।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिये भारतीय रिजर्व बैंक में प्रचलित आंकड़ा सूचना पद्धति से प्रश्न में पूछे गये ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती।

(ग) जी, नहीं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मंजूर किये गये व्यक्तिगत ऋण बहुत कम होते हैं (अर्थात् जून 1981 के अन्त में कुल ऋणों का 3.5 प्रतिशत) जबकि कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिम दिसम्बर, 1984 की स्थिति के मुताबिक 40 प्रतिशत के लक्ष्य को भी पार कर गए थे।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

मैकीनोन एण्ड मैकेनजी कम्पनी द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया को ऋणों का भुगतान करना

[अनुवाद]

6104. डा० बी० वेंकटेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैकीनोन एण्ड मैकेनजी कम्पनी लि०, बम्बई भारतीय जीवन बीमा निगम तथा

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया को निर्धारित क्रमानुसार अपने ऋणों का भुगतान करने मे अब तक विफल रही है;

(ख) क्या कम्पनी ने विदेशों में अपने शेयरधारियों को लगातार मुनाफा भेजा है जबकि भारत में काम करते हुए कम्पनी ने पुस्तकों में घाटा दिखाया है ; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस कम्पनी को दिये गए ऋणों की वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है तथा आज तक के इन बकाया ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई. एफ. सी. आई.), भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई. सी. आई. सी. आई.), आई. आर. बी. आई. (आई. आर. सी. आई.), और निर्यात आयात बैंक जैसी अन्य प्रमुख वित्तीय संस्थाओं द्वारा मैकीनोन एण्ड मैकेनजी कम्पनी लि० बम्बई को कोइ ऋण नहीं दिया गया है। अतएव, जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया सहित वित्तीय संस्थाओं द्वारा कम्पनी को दिये गये अग्रिमों की वसूली के लिये कोई कार्रवाई करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। पता चला है कि यह कम्पनी 1977 से घाटे में चल रही है।

भारत को एशियाई विकास बैंक से ऋण

6105. **श्रीमती इन्दुमती भट्टाचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एशियाई विकास बैंक से ऋण लेने की इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक से कितनी धनराशि के ऋण मांगे गये हैं और/अथवा मांगे जाने की संभावना है तथा एशियाई विकाम बैंक से प्राप्त ऋणों का किन परियोजनाओं के लिये उपयोग किये जाने की संभावना है;

(ग) एशियाई विकास बैंक ने भारत को कितनी राशि के ऋण देने का निर्णय किया है और इन ऋणों पर ब्याज की दर क्या होगी ;

(घ) एशियाई विकास बैंक सामान्यतया सदस्य देशों को किन शर्तों पर ऋण स्वीकृत करता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के प्रबंधकों को अपने इस आशय से अवगत करा दिया है कि वह तीसरी सामान्य पूंजी वृद्धि (1987 को समाप्त) की अवधि के दौरान बैंक से ऋण लेना आरम्भ करेगी।

भारत को दिए जाने वाले ऋण की वास्तविक धनराशि और उससे वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं के बारे में बातचीत अभी चल रही है ।

(घ) एशियाई विकास बैंक सामान्यतः निम्नलिखित शर्तों पर ऋण स्वीकृत करता है :—

(i) सामान्य पूंजी साधनों से दिये गये ऋणों पर (क) बैंक वचनबद्धता प्रभारत लेता है; (ख) ये ऋण 10 वर्ष से 30 वर्ष तक की अवधि के लिये दिये जाते हैं और इसमें 2 से 7 वर्ष तक की रियायती अवधि भी शामिल है । तथापि, अधिक आय वाले विकासशील देशों के बारे में यह अवधि 15 वर्ष से अधिक नहीं होती और इसमें 3 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल होतीहै ; (ग) सभी प्रोग्राम ऋणों की ऋण परिशोधन अवधि शामिल होती है और इसमें 3 वर्ष की रियायती अवधि शामिल होती है; और (घ) क्षेत्रीय (सेक्टर) ऋणों के बारे में शर्तें सामान्यतः परियोजना के स्वरूप और बैंक की उधार देने तथा पुनः उधार देने सम्बन्धी नीति को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है । इस समय ब्याज की दर 10.25 प्रतिशत है ।

(ii) विशेष निधियों से लिये गये ऋणों पर बैंक 1 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार के रूप में लेता है और इन्हें 40 वर्षों की अवधि में लौटाना होता है, जिसमें 10 वर्षों की रियायती अवधि शामिल है ।

राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान का प्रतिवेदन

6106. श्री सी० माधव रेड्डी
श्री मोहम्मद महफूज अली खां } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान ने सरकार द्वारा उसे देश में काले धन की मात्रा के बारे में अध्ययन करने सम्बन्धी सौंपा गया कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) क्या संस्थान ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो कब प्रस्तुत किया है और उसमें क्या सिफारिशें की हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) यह रिपोर्ट 29-3-1985 को मिली थी जिस पर सरकार विचार कर रही है ।

ब्योर ब्रिक्स कंपनी समूह के बीमा दावे

6107. श्री आनन्द पाठक क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन बीमा

दावों की कुल संख्या कितनी है जो प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड, मोहन मशीन्स, कूल क्राउन्स और सी. जे. क्राउन्स द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और कम्पनियों में से प्रत्येक की परिसम्पत्तियों का ह्रासित मूल्य कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : 31-10-1984 को और उसके बाद हुए दंगों के दौरान हुए नुकसानों के लिए मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड, मोहन मशीन्स लिमिटेड, कूल क्राऊन कार्क्स (प्रा०) लिमिटेड और सी० जे० क्राऊन कार्क्स मैन्यु० (प्रा०) लिमिटेड के सम्बन्ध में बीमा दावों/सकल आंकी गई हानि की कुल राशि 2.47 करोड़ रुपये बैठती है। साधारण बीमा उद्योग की निर्धारित पद्धति के अनुसार, लाइसेंसधारी सर्वेक्षक एवं हानि निर्धारक क्षतिपूर्ति की सीमा निर्धारित करने के लिए प्रभावित सम्पत्ति के प्रतिस्थापन मूल्य (रिप्लेसमेन्ट वैल्यू) का तरीका अपनाते हैं जो कि उसमें से उचित ह्रासित मूल्य (डिप्रीशिएशन) घटाने के बाद निकाला जाता है। बीमा कम्पनियां दावों को निपटाने के लिए अविलिखित मूल्य को हिसाब में नहीं लेगी ।

दक्षिण दिल्ली की खदानों में अवैध खनन

6108. **श्री मूलचंद्र डागा**
श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी } : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 अप्रैल, 1985 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में इल्लीगल माइनिंग अगेन इन साउथ दिल्ली क्वैरीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है कि जब इन खदानों के खनन कार्य पर पहले प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, तो इनमें खनन-कार्य पुनः कैसे शुरू हो गया;

(ग) इन खदानों में कार्य को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या अवैध खनन को रोकने के लिए दक्षिण दिल्ली सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने इन खदानों पर छापे मारे हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इन खदानों के कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिए तत्काल कोई उपाय करने का है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) वैध खनन पट्टे के बिना खनन कार्य जारी रखना गैर-कानूनी है। गैर-

कानूनी खनन की रोक-थाम के लिए दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों द्वारा नियमित छापे मारे जाते हैं। दिल्ली प्रशासन ने दिनांक 1-1-1983 से अब तक अवैध खनन के 155 मामलों का पता लगाया है। नई दिल्ली के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और कलक्टर (खान एवं खदान) ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए छापे मारे हैं। छापे मारने की कार्यवाही और तेज की जा रही है। कई मामलों में जुर्माना लगाया गया है।

टी० वी० सैट निर्माताओं द्वारा उत्पादन शुल्क का अपवंचन

6109. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या वित्त मंत्री करदाताओं द्वारा टी० वी० सैटों पर उत्पादन शुल्क का अपवंचन करने के बारे में 12 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2866 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार अवरोधक व्यापार-व्यवहार आयोग के समक्ष मामले आर० टी० पी० संख्या 138, 1984 की जांच में यह पाया गया है कि अनेक टी० वी० सैट निर्माताओं ने उत्पादन शुल्क की अपवंचन की है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन टी० वी० सैटों निर्माताओं का ब्यौरा क्या है जिनके मामलों की जांच की गई है और उनके ब्रांड नाम क्या हैं और उन्होंने कर अपवंचन के लिए कौन सा तरीका अपनाया;

(ग) उन टी० वी० सैट निर्माताओं का ब्यौरा और प्रत्येक का ब्रांड नाम क्या है जिनके मामलों की अब तक जांच नहीं की गयी है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान निपटाए गए उन टी० वी० सैटों के ब्रांड नाम और प्रत्येक प्रकार के टी० वी० सैटों की संख्या कितनी है जिनके निर्माताओं को एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग द्वारा आरोप-पत्र दिए गए तथा एशियाड 1982 के समय आयातित उपकरणों से तैयार किए गए 20 इंची के रंगीन टी० वी० सैटों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मामला आर. टी. पी. सं. 1984 का 138 की जांच के सम्बन्ध में, एम. आर. टी. पी. आयोग का टेलीविजन निर्माताओं द्वारा उत्पादन शुल्क के अपवंचन की जांच करने और इस सम्बन्ध में अपना निर्णय देने सम्बन्धी कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

(ग) एम. आर. टी. पी. आयोग ने 23 टेलीविजन निर्माताओं/व्यापारियों के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल का कार्य अभी अपने हाथ में लेना है। मामलों की जांच पड़ताल के लिये हाथ में ले लिये जाने पर ही प्रत्येक टेलीविजन निर्माता/व्यापारी के ब्रांड नाम का पता चलेगा।

(घ) एम. आर. टी. पी. आयोग ने जांच-पड़ताल के इस प्रयोजन के लिए ऐसी सूचना एकत्र नहीं की है। किसी टेलीविजन सैट-विशेष के सम्बन्ध में सूचना मांगी जाने पर उसे एकत्र किया जाएगा।

कम्पनियों द्वारा पूंजी जुटाया जाना

6110. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम तथा संख्या क्या है जिन्हें पिछले तीन महीनों के दौरान पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई है; और

(ख) इस प्रकार जुटाई गई उनकी साम्य शेयर पूंजी और कार्य पूंजी का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) फरवरी, 1985 से अप्रैल, 1985 तक की अवधि के दौरान, 197 कम्पनियों को परियोजना वित्त पोषण कार्यचालन पूंजी आदि के लिए 475.23 करोड़ रुपये मूल्य की पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई। कम्पनियों के नाम तथा अनुमोदित निर्गमों की राशि का ब्यौरा नियमित रूप से प्रेस विज्ञप्तियों के रूप में प्रकाशित किया जाता है जो कि अखबारों में छपती रहती हैं।

फौरन कमर्शियल बौरोइंग शीर्षक से प्रकाशित समाचार

6111. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1985-86 में 1500 करोड़ रुपए का विदेशी वाणिज्यिक ऋण लेने का फैसला किया है, जैसा कि 30 मार्च, 1985 के "इकानामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन ऋणों को किन-किन विशिष्ट क्षेत्रों में प्रयोग किया जाएगा; और

(ग) इस ऋण का देश की विदेशी देनदारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसकी सर्वासिंग लागत क्या होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) विदेशी वाणिज्यिक ऋणों की मात्रा का निर्धारण बहुत सी बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है जैसे कि, परियोजनाओं की जरूरतें, इन जरूरतों को पूरा करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्त्रोतों से ऋणों की उपलब्धता, भुगतान संतुलन की स्थिति और ऋण शोधन करने के दायित्वों को विवेकपूर्ण सीमा के भीतर रखने की जरूरत। इस बात का निश्चयन अभी किया जा रहा है कि 1985-86 में विदेशी वाणिज्यिक उधारों की मात्रा कितनी होगी और विभिन्न क्षेत्रों के लिए उसका कितना-कितना आवंटन किया जाएगा।

दक्षिण एशिया हेतु यूरोपीय आर्थिक आयोग के शिष्ट मंडल की यात्रा

6112. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण एशिया हेतु यूरोपीय आर्थिक आयोग के एक शिष्ट मंडल ने फरवरी, 1985 में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां तो क्या शिष्टमंडल के प्रमुख ने 20 फरवरी 1985 को कोचीन में यह सुझाव दिया था कि यूरोपीय आर्थिक आयोग कृषि, ग्रामीण विकास और मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में विकास हेतु सहायता देगा; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) श्री मेशयोटी ने, जो नई दिल्ली में दक्षिण एशिया सम्बन्धी यूरोपीय आर्थिक आयोग के शिष्टमंडल के आवासी अध्यक्ष हैं, फरवरी 1985 में कोचीन का दौरा किया था। दक्षिण एशिया सम्बन्धी यूरोपीय आर्थिक आयोग के किसी अन्य शिष्टमंडल ने फरवरी, 1985 में भारत का दौरा नहीं किया।

(ख) जी हां। यूरोपीय आर्थिक आयोग के शिष्टमण्डल ने पुष्टि की है कि श्री मेशयोटी ने कोचीन में दिए गए अपने भाषण में इन मामलों का उल्लेख किया था।

(ग) यूरोपीय आर्थिक आयोग भारत को पहले ही कृषि ग्रामीण विकास और मत्स्यपालन के क्षेत्रों में विकास सहायता प्रदान कर रहा है। इन क्षेत्रों तथा अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों से सम्बन्धित बहुत सी परियोजनाएं जिनको यूरोपीय आर्थिक आयोग के समक्ष प्रस्तावित किया गया था, यूरोपीय आर्थिक आयोग की सहायता से ही क्रियान्वित की गई हैं।

"ग" श्रेणी के शहरों का दर्जा बढ़ा कर "ख" श्रेणी करना

6113. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "ग" श्रेणी के उन शहरों का पता लगा लिया है जिन्हें दर्जा बढ़ा कर "ख" श्रेणी के अन्तर्गत शामिल किया जाना है;

(ख) यदि हां तो राज्य-वार ऐसे कितने शहर हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे शहरों का पता लगने का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) नगरों का वर्गीकरण दशवर्षीय जनगणना में बताये अनुसार जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। पिछली बार इस प्रकार का वर्गीकरण 1981 की जनगणना के आधार पर फरवरी, 1981 में दिया था।

1983 की जनगणना के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों को कुछ नगरों की नगर पालिका-सीमाओं में मिला दिया गया है और उनके मामलों में, उनका पुन: वर्गीकरण जनसंख्या के निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया है । "ग" श्रेणी नगरों का "ख" श्रेणी नगरों में सामान्य पुन:वर्गीकरण करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

देश में रूग्ण रूई मिलें

6114. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में मिलें रूग्ण हो गई है;

(ख) यदि हां, तो देश में रूग्ण रूई मिलों की संख्या तथा नाम क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रुग्ण रूई मिलों को पुनर्जीवित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) तथा (घ) सरकार ने वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण तथा पुनर्वास के लिए सहायता का कार्यक्रम बनाया है । लेकिन वे एकक जिनके आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की आशा नहीं है, उनको बन्दी का सामना करना पड़ सकता है ऐसे मामलों में सरकार कामगारों के हितों की रक्षा करना चाहेगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मानक लागत और मूल्य विश्लेषण आरम्भ करना

6115. श्री विष्णु मोदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उद्यम कार्यालय ने संसद की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मानक लागत और मूल्य विश्लेषण आरम्भ करने की सलाह दी है,

(ख) यदि हां, तो किन-किन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अब तक मानक लागत और मूल्य विश्लेषण आरम्भ किया है ।

(ग) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए, विशेषकर वह जो उत्पादन, संसाधन, निर्माण या खनन गतिविधियों में लगे हैं, लागत लेखा और लागत लेखा परीक्षा अनिवार्य

करने का विचार है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की टिप्पणी के आधार पर, सरकारी उद्यम कार्यालय ने प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अपने नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मानक लागत् एवं मूल्य विश्लेषण लागू करने की सलाह दी है।

(ख) वांछित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) कम्पनी कार्य विभाग द्वारा कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी खास उत्पाद का विनिर्माण करने वाली कम्पनियों की श्रेणी के लिए लागत लेखा प्रलेख नियम निर्धारित किये जाते हैं। किसी उत्पाद का विनिर्माण करने वाली उस कम्पनी की लागत लेखा परीक्षा का आदेश दिया जाता है जिसके लिये लागत लेखा प्रलेख नियम निर्धारित किये गये हैं। सरकारी क्षेत्र में उत्पादों का विनिर्माण करने वाले उन उपक्रमों के अलावा, जिनके लिए लागत लेखा प्रलेख नियम निर्धारित किये गये हैं, अन्य सभी उपक्रमों, जो उत्पादन, संसाधन, विनिर्माण एवं खनन कार्यों में लगे हैं, के लिए लागत लेखा और लागत लेखा परीक्षा अनिवार्य करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि यह नियम जब कभी अधिसूचित किये जाते हैं, तो वे गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों पर समान रूप से लागू होते हैं।

राज्यों को अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी की सहायता

6116. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 में किन-किन राज्यों को कृषि परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से ऋण प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या गुजरात सरकार को उस वर्ष किसी विदेशी परियोजना हेतु अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से ऋण प्राप्त हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन-पुजारी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण भारत सरकार द्वारा लिए जाते हैं और इनका उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है। 1984-85 के दौरान कृषि क्षेत्र में, केरल में सामाजिक ऋण लेने के लिए, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, के राज्यों में राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के लिए और आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम —III परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघऋण लिए गए हैं।

(ख) और (ग) 1984-85 के दौरान गुजरात सरकार द्वारा गुजरात मध्य सिंचाई परियोजना—II के क्रियान्वयन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की मानक शर्तों पर 17.2 करोड़ डालर (16.43 करोड़ एस० डी० आर०) का ऋण लिया गया है। परियोजना की ऋण समाप्ति की तारीख 31 दिसम्बर, 1989 है। यह परियोजना गुजरात सिंचाई परियोजना (ऋण संख्या 808 आई० एन० दिनांक 17 जुलाई 1978) की सहायक परियोजना है। इसके द्वारा (1) प्रथम चरण में आरम्भ की गई 29 उप-परियोजनाओं में से 27 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा करना और शेष 2 परियोजनाओं को अग्रिम चरण में लाना, जिसमें 8 हेक्टेयर सब चक स्तर तक एक लाइंड नहर प्रणाली और निजी खेतों को फील्ड जनपथों द्वारा जोड़ना शामिल है, (2) गांव सेवा क्षेत्र पर आधारित प्रत्येक उप परियोजना में कुशल, विश्वसनीय और सम-साम्यिक जल प्रबंध प्रणालियों को लागू करना, (3) राज्य में विकसित जल प्रबन्ध कार्यों के विस्तार के लिए समुचित संस्थागत आधारभूत ढांचा स्थापित करना, (4) किस्म नियंत्रण, प्रबोधन और लघु तार-जाल के अभिकल्प तैयार करने के लिए परियोजना संगठन को दृढ़ बनाना, (5) लगभग 30 शिल्पियों के लिए अभियंत्रिकी कौशल प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना; (6) सिंचाई विभाग के लगभग 200 व्यावसायिकों, 400 उप व्यावसायिक कर्मचारियों और 8800 प्रगतिशील किसानों के लिए प्रशिक्षण का प्रबन्ध; और (7) उप परियोजनाओं के निर्माण, रख रखाव और प्रचालन आदि के लिए वाहन संयंत्र और संचार उपकरणों का प्रबंध किया जायेगा। इस परियोजना द्वारा लगभग 241,000 हेक्टेयर का अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र तैयार किया जाएगा और 133.000 हेक्टेयर वर्तमान सिंचाई क्षेत्र के लिए और अधिक भरोसेमन्द पानी की व्यवस्था की जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिना प्रतिभूति के ऋण मंजूर किया जाना

6118. श्री पी० पेंचालैया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक कमजोर वर्गों को बिना प्रतिभूति के ऋण मंजूर कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो यह ऋण किस प्रयोजन से मंजूर किए जाते हैं;

(ग) अधिकतम कितनी राशि मंजूर की जा सकती है; और

(घ) यदि ऋण बिना प्रतिभूति के मंजूर नहीं किए जाते तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीजनार्दन पुजारी) : (क) जी हां। बैंकों से यह कहा गया है कि वे 5,000 रुपए तक के ऋणों के लिए (बैंक ऋण के द्वारा प्राप्त की गई परिसम्पत्ति के रहन के अलावा) कोई और प्रतिभूति न मांगें।

(ख) ऐसे ऋण उत्पादक और आर्थिक दृष्टि से सक्षम कार्यों के लिए मंजूर किए जाते हैं, जैसे फसल ऋण और चल परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए निवेश ऋण।

(ग) मंजूर किए जा सकने वाले ऋण की अधिकतम राशि परिसम्पत्ति की आर्थिक लागत (जहां यह शर्त लागू हो) या 5,000 रुपए, इनमें से जो भी कम हो, तक होती है।

(घ) उन गतिविधियों के लिए ऋण नहीं दिए जाते जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं पाई जाती या ये ऋण उन ऋणकर्त्ताओं को नहीं दिए जाते जो इन के पात्र नहीं होते ।

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों का विदेश दौरा

6119. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश जाने वाले सरकारी अधिकारियों को सरकार से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी;

(ख) यदि हां, तो इसमें कौन-कौन सी भिन्न एजेंसियां अन्तर्ग्रस्त हैं;

(ग) इस बात की देखभाल कौन सी एजेंसी करती है कि विदेशी दौरे केवल तभी किए जायें; जब वे अनिवार्य हों;

(घ) वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान विदेश गए केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की कुल संख्या क्या है और उनका वर्ष-वार तथा मंत्रालय-वार ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस पर नियंत्रण रखने और केवल अनिवार्य होने तक ही सीमित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) सरकारी अधिकारियों को विदेश जाने से पहले सरकार से स्वीकृति लेनी होती है । सरकार द्वारा प्रायोजित अधिकारियों की विदेशों में प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की उनके वित्तीय सलाहकारों द्वारा जांच की जाती है और अनुमोदन के लिए मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में बनी सचिवों की जांच समिति को प्रस्तुत किए जाते हैं । विदेशों में प्रतिनियुक्ति के अन्य मामलों में ऐसे किसी अनुबंध के अनुसरण में आयोजित प्रशिक्षण जिसे सरकार का अनुमोदन प्राप्त है, कोलम्बो योजना जैसी वित्तीय सहायता प्राप्त स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षण, संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियां जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुमोदित कार्यक्रमों के अन्तर्गत आयोजित सम्मेलनों, बैठकों आदि में भाग लेने के लिए, विशेष व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति के लिए वित्तीय सलाहकार के परामर्श से प्रशासनिक मंत्रालय विभाग के सचिव का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है । प्रायोजक मंत्रालय/विभाग, वित्तीय सलाहकार और सचिवों की जांच समिति यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जांच करती है कि विदेशों में प्रतिनियुक्ति केवल तभी की जाए जब उससे राष्ट्रीय हित पूरा होता हो । सरकार ने अधिकारियों के विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर नियंत्रण करने के लिए समय-समय पर आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं ।

(घ) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और उसे भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों

से एकत्रित करना होगा। यह सूचना एकत्रित करने में पर्याप्त समय लगेगा और इसका जो परिणाम निकलेगा, वह सूचना एकत्रित करने में लगे समय और श्रम के अनुरूप नहीं होगा।

"ग्रुप 24" के देशों के मंत्रियों की वाशिंगटन में हुई बैठक

6120. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने "ग्रुप 24" के देशों के मंत्रियों की 16 अप्रैल, 1985 को वाशिंगटन में हुई बैठक में भाग लिया था;

(ख) क्या ग्रुप ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक राहत और विकास समिति की बैठक के अवसर पर विकसित देशों की अनेक मांगें प्रस्तुत की थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मांगों पर मिश्रित देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ग्रुप में विकसित देशों से विस्तारित वसूली की नीति अपनाने के लिए और विकासशील देशों के निर्यात विकास केअवसरों में बाधा डालने वाले संरक्षण उपायों को वापस लिए जाने का अनुरोध किया है। ग्रुप ने विकसित राष्ट्रों से इस बात के लिए भी अनुरोध किया कि वे सरकारी विकास सहायता में अपने अंशदान के रूप में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 0.7 प्रतिशत के अन्तर्राष्ट्रीय रूप से सम्मत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठायें। ग्रुप ने ब्याज और विनिमय की दरों को स्थिर रखने की आवश्यकता और बहुपक्षीय संस्थाओं तथा उनके संसाधनों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बात के लिए भी अनुरोध किया गया कि ऋण प्राप्तकर्त्ता देशों के ऋणों को समयबद्ध करने की बहुवर्षीय नीति अपनाई जाए। व्यापार सम्बन्धी मामलों में ग्रुप ने आयात निर्यात शुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के अन्तर्गत कार्यक्रम के क्रियान्वित करने के लिए अनुरोध किया और कहा कि व्यापार सम्बन्धी बातचीत विकासशील देशों की पहुंच को विकसित देशों के बाजारों तक बढ़ाने पर केन्द्रित होनी चाहिए।

(घ) ग्रुप 24 की बैठक अन्तरिम और विकास समिति की बैठकों से पहले हुई थी और इसका उद्देश्य विकासशील देशों के बीच, अन्तरिम और विकास समिति की बैठकों के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने के लिये सहमति तैयार करना था और विकास समिति में निर्णय लेते समय जी०-24 द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया गया था। कुछ विकसित देशों ने जो इन समितियों के सदस्य हैं, इन दिशाओं में कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता को मान लिया है।

कलाकारों को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा

6121. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गायकों आदि जैसे कुछ कलाकारों ने दक्षिण अफ्रीका की यात्राएं की हैं;

(ख) इस यात्रा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दी थी और विदेशी मुद्रा मंजूर की थी;

(ग) यदि हां, तो ये यात्रायें देश की रंगभेद सरकारों के बहिष्कार की घोषित नीति से कैसे मेल खाती है;

(घ) क्या ये गायक उस देश से क्या कोई धनराशि लाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ; हमें मालूम हुआ है कि कुछ कलाकार दक्षिण अफ्रीका गए थे, हालांकि उनके पासपोर्ट में उस देश के लिए पृष्ठांकन नहीं था।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने गायक आदि कलाकारों को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के लिए कोई विदेशी मुद्रा जारी नहीं की है।

(ग) सरकार ने भारतीय राष्ट्रिकों दक्षिण अफ्रीका जाने पर पाबन्दी लगा दी है और सिवाय उन मामलों के जहां कि वहां पर बसने वाले अधिकांश भारतीय समुदाय के साथ सांस्कृतिक शैक्षिक, धार्मिक और पारिवारिक सम्बन्धों को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, बाकी किसी भी भारतीय पासपोर्ट पर दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए पृष्ठांकन नहीं किया जाता। ऐसे मामलों में भी इन लोगों से आश्वासन लिया जाता है कि उनकी दक्षिण अफ्रीका यात्रा केवल सांस्कृतिक होगी और कलाकारों को इस यात्रा से कोई भी वाणिज्यिक/धन सम्बन्धी लाभ नहीं होगा। इस नीति का भविष्य में कोई उल्लंघन न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने उन कलाकारों के, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में धन लाभ के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे आकाशवाणी/दूरदर्शन या भारत सरकार के तत्वावधान में किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने पर रोक लगा दी है।

(घ) वर्तमान विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुसार, 10,000/- रुपये से कम या उसके समतुल्य रकम के प्रेषणों के बारे में देश, राष्ट्रीयता और प्रयोजन का ब्यौरा देना जरूरी नहीं होता। भारत भेजी जाने वाली 10,000/- या उससे अधिक रकम के प्रेषणों की जानकारी भी केवल आंकड़ों के संकलन के लिए ही प्राप्त की जाती है। इसके अलावा बाहर से आने वाले भारतीयों को स्वदेश लौटने की तारीख के एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर, उसके द्वारा लायी गयी विदेशी मुद्रा को भारत में किसी प्राधिकृत डीलर के पास जमा करनी होती है और प्राधिकृत डीलर को भारतीय रिजर्व बैंक को इन खरीददारियों के प्रयोजन का ब्यौरा देना जरूरी नहीं होता। इसलिए, इन गायकों द्वारा दक्षिण अफ्रीका से लायी गयी रकम, यदि कोई है भी तो; का ब्यौरा देना संभव नहीं है।

पहाड़ी क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक के रीजनों का पुनर्गठन

6122. श्री जी० जी० स्वैल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व से पहाड़ी क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक के रीजनों का पुनर्गठन अत्यन्त असंगत है और बैंक कर्मचारियों के वर्ग की सेवा आवश्यकताओं में सहायता के लिए तैयार किया गया है;

(ख) सभी खासी और जेंतियां पहाड़ियों को जहां मेघालय की राजधानी मणिपुर के साथ अन्य क्षेत्र के छोर पर हैं एक ग्रुप में मिलाने का क्या औचित्य है;

(ग) भौगोलिक अविछिन्नता, जिसके अनुसार नागालैंड को मणिपुर के साथ तथा त्रिपुरा को मिजोरम के साथ स्वाभाविक रूप से जोड़ा जाना चाहिए, का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक की मेघालय में 55 शाखाएं हैं। सामान्यत: इन शाखाओं का नियन्त्रण एक क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा किया जाता है जिसके अधीन प्राय: 150 से 200 शाखायें होती हैं। लेकिन क्षेत्र के मार्ग दुर्गम होने और क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा शाखाओं तक पहुंच न पाने के कारण इन शाखाओं की देखरेख के काम की जिम्मेदारी दो क्षेत्रीय प्रबंधको को दी गई है। अलबत्ता, चूंकि ऐसा करने से प्रत्येक के पास मेघालय की केवल 27 शाखायें ही होतीं, इसलिए भारतीय स्टेट बैंक ने एक क्षेत्रीय प्रबन्धक को मणिपुर की 12 शाखायें और दूसरे क्षेत्रीय प्रबंधक को मिजोरम की 15 शाखाएं देना उचित समझा। इस व्यवस्था से इन क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा मेघालय की शाखाओं की ओर दिए जाने वाले ध्यान में कोई बाधा नहीं पहुंचती ।

(ग) यह पुनर्गठन पहले से बेहतर नियंत्रण के लिए किया गया है, क्योंकि इस व्यवस्था के अधीन एक क्षेत्रीय प्रबंधक के नियन्त्रण में उतनी शाखायें रखी गई है जितनी शाखाओं का वह प्रबन्ध कर सकता है। इस बात की भी सुनिश्चित व्यवस्था की गयी है कि लोगों की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पर्याप्त पूर्ति की जा सके ।

चावल का निर्यात

6124. श्री वी० सोमनाथीसवरा राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी व्यक्ति अथवा एजेंन्सी द्वारा गेहूं का निर्यात किए जाने की अनुमति देने का निर्णय किया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार ने चावल के निर्यात के बारे में ऐसा ही निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सार्वजनिक अभिकरणों के पास गेहूं के अत्यधिक स्टाक और देश में इसकी सुलभ उपलब्धता को देखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि गेहूं और गेहूं उत्पादों जैसे—मैदा, सूजी तथा अनछना आटा अर्थात कम से कम 95 प्रतिशत निस्सारण युक्त गेहूं के आटे के निर्यात की इन मदों की प्रत्येक के लिए निर्धारित न्यूनतम निर्यात कीमतों के अध्यधीन और सीमित सीमाओं के भीतर अनुमति दी जाए। इसके अतिरिक्त एक सरकार से दूसरी सरकार आधार पर गेहूं के निर्यात का कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा देखा जा रहा है।

(ख) और (ग) बासमती चावल के निर्यात की अनुमति 6500 रु० प्रति मे० टन एफ० ओ० बी० के न्यूनतम निर्यात कीमत के अध्यधीन खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन दी जाती है। घरेलू जरूरत और वर्तमान उपलब्धता स्थिति को देखते हुए गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति नहीं है।

गुजरात में उपलब्ध खनिज भण्डार

[हिन्दी]

6125. श्री नरसिंह मकवाना : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कौन-कौन से खनिज और उनका कितना भण्डार उपलब्ध है तथा तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है;

(ख) कौन से क्षेत्र में खनन कार्य चल रहा है और क्या यह कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है अथवा गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा कराया जा रहा है;

(ग) स्वयं खनन कार्य करने वाले व्यक्ति को कितना बड़ा भूखंड आवंटित किया जाता है; और

(घ) खनन कार्य शुरु करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों को कितना बड़ा भूखण्ड आवंटित किया जाता है और भूखण्ड का आकार न बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) गुजरात में महत्वपूर्ण खनिज और उनके अनुमानित भण्डार निम्नलिखित हैं :—

खनिज	अनुमानित भण्डार (लाख टनों में)	जिला
1	2	3
बाक्साइट	903.4	अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ कैरा तथा कच्छ

1	2	3
बेन्टोनाइट	430.8	भावनगर, कच्छ और भड़ौच
चीनीमिट्टी	674.3	जूनागढ़, कच्छ मेहसना तथा साबरकंठा
तांबा अबरक	75.7	बनासकठा
डोलोमाइट	2,453.1	बड़ौदा तथा भावनगर
फायरक्ले	448.2	सुरेन्द्रनगर, राजकोट तथा बलसार
फ्लूराइट	83.5	बड़ौदा
जिप्सम	72.0	भावनगर, जयनगर, जूनागढ़, कच्छ तथा सुरेन्द्रनगर
ग्रेफाइट	20.4	पंचमहल
लिग्नाइट	1,650.2	कच्छ तथा भड़ौच
चूना पत्थर	1,07,620.0	जामनगर, जूनागढ़, कैरा तथा कच्छ
सीसा-जस्ता अयस्क	74.4	बनासकंठा तथा बड़ौदरा
मैंगनीज अयस्क	29.6	पंचमहल तथा बड़ौदा

(ख) इन क्षेत्रों में सरकारी/गैर-सरकारी सैक्टर में कार्यरत खानों की संख्या इस प्रकार है :—

खनिज	जिला	कार्यरत खानों की संख्या	
		प्रायवेट सेक्टर	सरकारी सेक्टर
1	2	3	4
बाक्साइट	जामनगर	33	1
	कैरा	8	—
	कच्छ	4	4
डोलोमाइट	बड़ौदा	28	—
	भुज	1	—
चीनी मिट्टी	मेहसाना	1	—

1	2	3	4
	राजकोट	15	—
	साबरकंठा	1	—
	सुरेन्द्रनगर	60	—
जिप्सम	कच्छ	4	—
चूनापत्थर	अमरेली	1	—
	बनासकंठा	1	—
	जामनगर	12	—
	जूनागढ़	58	—
चीनी मिट्टी	बनासकंठा	1	—
	मेहसाना	3	—
	साबरकंठा	6	—

उपर्युक्त के अलावा गुजरात में फ्लूराइट ग्रेफाइट और खड़िया का भी खनन हो रहा है।

(ग) व (घ) व्यक्तियों को खान पट्टे पर क्षेत्र का आबंटन खनिज, खनन के पैमाने, खनन सम्बन्धी व्यक्तिगत इच्छा तथा खनिज के वांछित उपयोग पर निर्भर करता है।

प्योर ड्रिंक्स द्वारा अधिक बीजक बनाने की जांच

[अनुवाद]

6126. श्री बी० किशोरचन्द्र एस० देव
श्री आनन्द पाठक
: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्योर ड्रिंक्स को 2.4 करोड़ रुपये का लाइसेंस मिला है;

(ख) क्या "प्योर ड्रिंक्स" द्वारा आयातित तथा स्थानीय मशीनों का कुल मूल्य 1.5 करोड़ रुपये से भी कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अधिक बीजक बनाने की जांच करने का है; और

(घ) कम्पनी ने कुल कितने बीमे का दावा किया है और कितनी धन राशि दे दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह रिपोर्ट मिली है कि इस फर्म द्वारा आयातित कुछ खेपें बम्बई पहुंच गई हैं। चूंकि पार्टी ने अपने माल की निकासी के लिए सीमाशुल्क विभाग के पास कोई आगम-पत्र दाखिल नहीं किया है, इसलिए इस खेप की अन्तर्वस्तु अथवा मूल्य के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) नवम्बर, 1984 में हुए दंगों में मैसर्स प्योर ड्रिंक्स को जो नुकसान हुआ था, उसके लिए उसने कुल 57,76,377/-रुपये के बीमे का दावा किया था और नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लि० ने कुल 46,64,500/-रुपये का भुगतान किया।

आई० टी० सी० लिमिटेड द्वारा निर्मित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क

6127. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पिछले एक वर्ष के दौरान मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड के उत्पाद इसकी स्वीकृति क्षमता की अपेक्षा दुगुने बेचे गए हैं क्योंकि भिन्न-भिन्न एककों में उनके ब्राण्ड का उत्पादन किया जाता है और उत्पाद शुल्क का भुगतान किये बिना उन्हें बाजार में लाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सिगरेट का निर्माण करने वाले मैसर्स आई० टी० सी० के पांच एककों के सम्बन्ध में सरकार ने प्रतिवर्ष 5,20,000 लाख अदद सिगरेट के निर्माण की क्षमता की स्वीकृति दी हुई है, जब कि अलग-अलग कारखानों से उनकी निकासियां उनकी मंजूर-शुदा क्षमता बहुत ही कम होती है। इसके अतिरिक्त मैसर्स आई० टी० सी० की कुछ ब्रांडों के सिगरेटों का निर्माण, अन्य एककों द्वारा ठेके के आधार पर किया जाता है। बिना शुल्क-अदायगी के सिगरेटों की निकासी किए जाने का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग

6128. **श्री एन० बी० रत्नम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुद्देशीय वित्तीय एजेन्सियों अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिये क्या प्रयास कर रहे हैं और उन्हें कहां तक सफलता मिली है;

(ख) यदि सफलता नहीं मिली है; तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कठिनाईयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बहुदेशीय वित्तीय संस्थानों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष; विश्व बैंक समूह और क्षेत्रीय विकास बैंक जैसे कि एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक और अन्तर-अमरीकी विकास बैंक शामिल हैं । ये संस्थान अपने-अपने चार्टर के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं और विश्व के वर्तमान वातावरण में जहां तक व्यवहार्य है अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के संवर्धन का प्रयास कर रहे हैं । तथापि, अभी बहुत कुछ करना शेष है जो विश्वव्यापी सहयोग पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली में बुनियादी सुधार पर ही संभव है जिससे ये संस्थान अधिक प्रतिनिधित्व और अधिकतर सदस्यों की आकांक्षाओं के प्रति क्रियाशील हों ।

(ग) 1983 में गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सातवें शिखर सम्मेलन में विश्वव्यापी सहयोग से विकास के लिए मुद्रा और वित्त पर एक अन्यर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का आह्वान किया गया था । गुट निरपेक्ष आन्दोलन की अध्यक्ष होने के नाते स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के एक उच्चस्तरीय दल ने प्रस्तावित सम्मेलन के स्थायी और प्रतिक्रियात्मक मुद्दों की जांच कर ली है और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली में कमियों और खामियों को दूर करने के उपायों की सिफारिश की है । स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की प्रतियां सभी विकसित और विकासशील देशों की सरकारों अथवा राष्ट्राध्यक्षों को भेजी गई थी । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में प्रस्तावित सम्मेलन के पक्ष में व्यापक सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कपड़ा मिलों के प्रबन्ध में श्रमिकों को भागीदारी

6129. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कपड़ा मिलों के प्रबन्ध के श्रमिकों को भागीदारी बनाने की शुरू की गई व्यवस्था सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली कितनी मिलों में शुरू की गई है;

(ग) क्या इसे राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सभी मिलों में शुरू किया जायेगा;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) तमिलनाडु में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कौन-कौन सी कपड़ा मिलें इस योजना का पालन कर रही हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के 40 वस्त्र एककों में प्रबन्ध समितियां आरम्भ की गई हैं जिनमें प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी अन्तर्ग्रस्त है।

(ग) और (घ) श्रमिक भागीदारी योजनाएं क्रम बद्ध रूप में लागू की जा रही हैं। ऐसी संभावना है कि 1985 के अन्त तक यह योजना राष्ट्रीय वस्त्र निगम की 60 प्रतिशत मिलों में लागू कर दी जाएगी।

(ङ) तमिलनाडु में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन निम्नलिखित पांच मिलें इस योजना पर चल रही हैं:—

(i) ओम पराशक्ति मिल्स, कोयम्बटूर।

(ii) कालेश्वरर 'बी' मिल्स कलयार कोयल।

(iii) पायनियर्स स्पिनर्स, कमुडाकुडी।

(iv) बलरामवर्मा टैक्सटाइल मिल्स, शेनकोटाह।

(v) कम्बोडिया मिल्स, कोयम्बटूर।

कृषि ऋण के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेश

6130. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में राष्ट्रीयकृत बैंकों को छोटे किसानों को कृषि ऋणों में संशोधन के अनुदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई योजना किस सीमा तक अधिक प्रभावी है और देश में छोटे और मध्यम किसानों को इस योजना से किस प्रकार लाभ होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के लिये उनके ऋणों का 25 प्रतिशत हिस्सा कमजोर वर्गों को मिलना चाहिए जिसमें अन्य वर्गों के साथ-साथ लघु और सीमान्तिक किसान भी आ जाते हैं। ऋण आवेदन फार्म सरल बना दिए गए हैं ताकि ऋणकर्ताओं

कम से कम आवश्यक सूचना भरनी पड़े। बैंकों से कृषि तथा कृषि से संबंधित कार्यों के लिये ऋण आवेदन फार्म क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवाने के लिये भी कहा गया है। कृषि क्षेत्र में चल परिसम्पत्तियों की खरीद के लिये बैंकों से 5,000/- रुपये तक के ऋणों के सम्बन्ध में परिसम्पत्ति को रहन रखने के अलावा किसी भी प्रकार की सांपार्श्विक प्रतिभूति न मांगने की सलाह दी गयी है। बैंकों से शाखा प्रबंधकों को पर्याप्त शक्तियां देने के लिये भी कहा गया है ताकि 80 प्रतिशत आवेदनों का निपटारा शाखा स्तर पर ही सुनिश्चित किया जा सके। ब्याज की दरों के मामले में भी लघु ऋणकर्ताओं को रियायत दी जाती हैं। लघु किसानों को 5,000 रुपये तक के ऋण 11.5 प्रतिशत ब्याज की वार्षिक दर पर दिये जा रहे हैं। लघु सिंचाई और भूमि विकास के लिये किसानों को और कृषि से सम्बद्ध कार्यों के लिए छोटे और सीमान्तिक किसानों को दिए जाने वाले सावधि ऋणों के ब्याज की दर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारित की गयी है।

राष्ट्रमंडल परामर्शदाता ग्रुप "चोगम" की रिपोर्ट

6131. श्री एन० वी० रत्नम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्र मंडल परामर्शदाता ग्रुप "चोगम" द्वारा सितम्बर, 1984 में टोरंटों में राष्ट्र मंडल वित्त मंत्री सम्मेलन के सदस्यों को प्रस्तुत रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या उन्हें स्वीकार और कार्यान्वित किया गया था और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

भारत द्वारा अड़चनों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) रिपोर्ट में मुख्य रूप से यह सुझाव दिया गया था कि राष्ट्र मंडल के वित्त मंत्री तीन या चार दिनों के लिए विकास समिति (विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गर्वनरों की मंत्री स्तर की संयुक्त समिति) की बैठक बुलाएं जाने के लिए सामूहिक तौर पर प्रस्ताव करें, और यह बैठक 1985 की पहली तिमाही की समाप्ति से पहले ही बुलायी जाए और इसमें ग्रुप द्वारा पता लगायी गयी समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाए। इन समस्यों में मुख्यतः ये शामिल हैं : (1) विकासशील देशों की भुगतान शेष की स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका (2) विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय वित्त संस्थाओं की संसाधनों संबंधी स्थिति और उनकी भूमिका (3) पूंजी प्रवाह (सरकारी विकास सहायता सहित) (4) व्यापार संबंधी उदार नीति, संरक्षण और संरचनात्मक समायोजन और (5) मुद्रा और वित्तपोषण, व्यापार और आर्थिक विकास में तालमेल।

(ख) और (ग) वित्त मंत्रियों की टोरांटो में हुई बैठक में इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और कनाड़ा के वित्त मंत्री को, जो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, यह प्राधिकार दिया गया कि वह सितम्बर, 1984 में होने वाली विकास समिति की बैठक में समिति का ध्यान ग्रुप द्वारा की गई इस सिफारिश की ओर आकर्षित करें। तदनुसार कनाडा के वित्त मंत्री ने राष्टमंडल देशों को

ओर से, वाशिंगटन में में 23 सितम्बर, 1984 को हुई विकास समिति की बैठक में बोलते हुए 1985 के आरम्भ में विकास समिति की विशेष बैठक बुलाने का सुझाव दिया, जिसमें मुद्रा, विकास, वित्तपोषण, ऋण और व्यापार से सम्बन्धित मामलों पर व्यापक चर्चा की जाए। अन्य मामलों के साथ-साथ राष्ट्रमंडल वित्त मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित समस्याओं पर विचार करने के लिए यह बैठक अप्रैल, 1985 में हुई थी।

समुद्री खाद्य पदार्थ उद्योग का आधुनिकीकरण

6132. श्री यशवन्त राव गड़ाख पाटिल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री खाद्य पदार्थ उद्योग के आधुनिकीकरण की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) और (ख) सरकार ने समुद्री खाद्य उद्योंग के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति दी हैं और विभिन्न कार्यकलापों के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध हैं, जैसे :—

(I) नए उत्पादों के लिए संयुक्त उद्यम।

(II) प्रशीतित करने के एककों की कार्य क्षमता को अपग्रेड करना।

(III) समुद्री उत्पादों के परिवहन के लिए रेफ्रिजरेशन एककों की स्थापना।

(IV) ओटोमेटिक फ्लेक/चिप आइस बनाने के संयंत्र और

(V) क्वालिटी नियंत्रण के लिए लघु प्रयोगशालाएं स्थापित करना और पीलिंग शेडों को को अपग्रेड करना।

12.06 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : स्थगन प्रस्ताव को वरीयता दी जानी चाहिये। महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के बारे में यह कहना चाहता हूं कि मैंने इसकी सूचना दे दी है महोदय, मुझे कुछ कहने दीजिये और इसके बाद आप निर्णय कीजिये। कल पी० टी० आई० के संवाददाता को गिरफ्तार किया गया है।......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका स्थगन प्रस्ताव मिल गया है ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, पहले मुझे अपनी बात कहने दीजिये उसके बाद आप निर्णय दीजिये । मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी थी ······

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : कोलम्बो में पी. टी. आई. के संवाददाता को गिरफ्तार किया गया है······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा······(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : पहली बात यह है कि मंत्रिमंडल ने संवाददाता द्वारा राष्ट्रपति जयवर्द्धने के भाषण को जानबूझ कर तोड़-मरोड़ कर पेश करने के तथाकथित मामले पर निर्णय लिया था । उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती थी । उसे गिरफ्तार कर लिया गया···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका पता लगाऊंगा······

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : उसने कहा था कि 'मुझे भारतीय उच्चायोग में ले चलो' । उसे कहा गया कि हम आपको भारतीय उच्चायोग ले जाएंगे, लेकिन इसे सी. बी. आई. मुख्यालय ले जाया गया तथा उसे यातनाएं दी गईं और पूछताछ की गई । भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये तथा आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये । इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दीजिये······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से तथ्यों का पता लगाऊंगा और उसके बाद ही इस पर निर्णय दूंगा······

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : ये तथ्य ही हैं जिन्हें आपने हमें कहने की अनुमति दी है । तथ्य सुनने के बाद आप हमारे स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय क्यों नहीं देते?······ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय मैंने आपकी बात सुनी है, अब आप मेरी बात भी सुनिये······

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा है क्या उसमें कोई एक बात भी गलत है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नही जानता । मैं आपकी इस तरह की बातों का सत्यापन नहीं कर सकता । कल श्री राममूर्ति ने भी यही सवाल उठाया था । मैंने पहले ही तथ्य मंगवाए हैं और यदि तथ्य यही हैं जैसाकि आप कह रहे हैं तो मैं इस विषय पर चर्चा की अनुमति दूंगा । मैं भी आपकी बात का समर्थन करता हूं और मैं······

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, सोमवार को ही ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि हम······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमवार को क्या होगा ?······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिये······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता कि श्री माकन आप क्या कर रहे हैं······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं कुछ कह रहा हूं तो आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ? मैं नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हैं । क्या आप में इतना शिष्टाचार नहीं है कि आप मेरी बात सुनें ? आप में इतना शिष्टाचार क्यों नहीं है? यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, ये क्या कर रहे हैं ?······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री माकन, क्या आप मेरी बात सुनेंगे । मैं आपसे अपनी बात सुनने के लिये कह रहा हूं । मैं इस मामले के बारे में यही कह रहा हूं । क्या आप अधिक उत्सुक हैं । मैं भी इसी मामले पर बोल रहा हूं । मुझे कुछ ऐसे तथ्यों का पता है जिनकी आपको जानकारी नहीं है । विदेश मंत्री जी भूटान जा रहे हैं । मुझे यह देखना है कि जब वे वापस आएं तो पहला काम यही होगा कि मैं यह कार्य करवाऊं······

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, उनको वक्तव्य देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे कहूंगा । ठीक है ।

प्रो० मधु दंडवते : समस्या तो यह है कि सभा के दोपहर के भोजन के लिये स्थगित होने के बाद इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने का क्या फायदा ?

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहब इसका तो सवाल ही नहीं उठता । तरीका यह नहीं है।......

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : सोमवार को उन्हें वक्तव्य देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं शीघ्र ही इस मामले को लूंगा । महोदय, मैं जानता हूं कि आप उत्तेजित हैं । मुझे भी उतनी ही चिन्ता है जितनी आपको है । हम इस पर चर्चा करेंगे......

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे कहूंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विदेश मंत्री की अनुपस्थिति में प्रधान मंत्री जी वक्तव्य दे सकते हैं......

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, हमें श्रीलंका के अधिकारियों के इस मूर्खतापूर्ण कार्य पर चिन्ता है तथा हम इसकी कड़े शब्दों में निन्दा करते हैं। इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिये.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैं पहले ही चिन्ता व्यक्त कर चुका हूं ।

प्रो० के० के० तिवारी : इसके साथ-साथ पंजाब में हो रही निर्दोष लोगों की हत्याओं की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज भी हमें सूचना मिली है कि सभा के एक महत्वपूर्ण भूतपूर्व सदस्य की हत्या की गई है हमारे दल के सदस्यों की भी हत्या हो चुकी है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज सुबह ही मैंने निधन सम्बन्धी उल्लेख किया है ।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : और महोदय, अकाली दल अब उग्रवादियों के कब्जे में आ गया है......

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह गृह मंत्रालय तथा सरकार का काम है । मैं इस बारे में क्या कर

सकता हूं ?

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या किया जा रहा है......

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये गृह मंत्रालय है। गृह मंत्री......

(व्यवधान)

प्रो० के०के० तिवारी : और मैं चाहूंगा कि श्री दंडवते भी इस बारे में अपना असंतोष जाहिर करें......

(व्यवधान)

श्री. मधु दंडवते : वह मेरे दल के सदस्य थे। वे जनता पार्टी के चेयरमैन थे। वे जनता पार्टी के संसद सदस्य थे मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को अपनी नाराजगी पहले ही प्रकट कर दी है और मैंने इस पर चर्चा किये जाने की भी मांग की है...(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : यह बहुत गम्भीर मामला है और प्रतिपक्ष को इस पर चिंता होनी चाहिये तथा हम सबको इसकी निन्दा करनी चाहिये। हम जानना चाहते हैं कि पंजाब में यह क्या हो रहा है ...(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आप उनकी खिचाई क्यों नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : हम सब बहुत चिंतित है...

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : मेरा विचार है कि उन्हें भी निन्दा करनी चाहिए...(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, उन्हें बोलने की अनुमति क्यों दी जा रही है ?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि उन्होंने कोई गलती की है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं निन्दा कर चुका हूं आपने ध्यान नहीं दिया . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चिंतित नहीं है? . . .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

प्रो० मधु दंडवते : इस दु:ख की घड़ी में भी वे दलगत मामलों को बीच में क्यों लाना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट रुकिये तो। जब मैं बोल रहा हूं तो कम-से-कम इतना शिष्टाचार तो दिखाएं कि आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सामंत कृपया बैठ जाइये । मेरे विचार से हमें इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिये। जो भी दु:ख है हमें उसमें शामिल होना चाहिए। इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन, मैं समझता हूं कि इस मामले पर और अधिक बल देना चाहते हैं। इसलिए, पूरी सभा इस दु:ख में शामिल है।

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने उन पर आरोप नहीं लगाया है। मैंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने केवल इतना कहा है कि इस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब तो विचार व्यक्त किए जा चुके हैं।

श्री नारायण चौबे : महोदय, आप उन्हें अपने कक्ष में बुलाइये और उनसे कहिये कि वे ठीक तरह व्यवहार करें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री चौबे आप इस तरह की बात मत कहिये ।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : महोदय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कुरान पर प्रतिबंध लगाने सम्बन्धी याचिका स्वीकार कर ली है . . . (व्यवधान) . . . साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : यह मामला बहुत गम्भीर मामला है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : सदन को इसका ख्याल रखना चाहिये तथा विधि मंत्री जी को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिये। भारत के कानूनी इतिहास को बिगाड़ा जा रहा है

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : यह एक बहुत गम्भीर मामला है तथा सभा को इससे चिंतित होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका

स्वीकार की है······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री कुरियन की बात सुनने दीजिये । मैं आपकी बात भी सुनूंगा। मैंने पहले आपसे ही बोलने को कहा था लेकिन आप नहीं बोले ।

श्री सुरेश कुरूप : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका स्वीकार की है जिसमें कुरान पर प्रतिबन्ध लगाने को कहा गया है । पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है । क्या आप कृपा करके गृह मंत्री जी को इस पर वक्तव्य देने के लिए कहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : पश्चिम बंगाल सरकार ने······

श्री सुरेश कुरूप : पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी अप्रसन्नता व्यक्त कर दी है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : न्यायालय ने केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को नोटिस भेजे हैं जिनमें यह पूछा गया है कि कुरान पर प्रतिबंध क्यों न लगाया जाये···(व्यवधान)···साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने का प्रयास किया जा रहा है······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, कृपया आप बैठ जाइये । जब मैं बोल रहा हूं तो आप से उम्मीद की जाती है कि आप बैठ जाएं । कम-से-कम इतनी मर्यादा तो बनाये रखिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत गम्भीर मामला है । मैं नहीं जानता कि इस बारे में मैं अपने विचार कैसे व्यक्त करूं । मेरा विचार है कि समस्त सभा की एक ही राय है । हमारे सामने पहले ही बहुत कठिनाइयां हैं···(व्यवधान)···और कठिनाइयां पैदा करने के लिए ······

भगवान ने हमें दिमाग इसलिये दिया कि हम इसका उपयोग करें । एक चीज है जिसे "सामान्य सूझ-बूझ" कहते हैं ।

[हिन्दी]

जैसे हिन्दी में कहते हैं कि उस्तरा इसलिये नहीं कि गला काट दो ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, हमारी सामान्य सूझ-बूझ का तो अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है ।

[अंग्रेजी]

अध्यक्ष महोदय : कानून इसलिए बना है देश को बचाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, इसलिए नहीं बना है कि आग लगा दो ।

[अनुवाद]

हमें प्रत्येक मामले में कुछ रोकथाम करनी चाहिए और हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े और जो राष्ट्र विरोधी हो। हर ओर सदभावना होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि ऐसी घटनाएं भारत में हों।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। उन्हें कुछ कहने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री वी० शोभनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : महोदय, मैं आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति पर चर्चा की मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम इसी सभा में सूखे पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। पेय जल सम्बन्धी यह चर्चा भी इसी सूखे के कारण है।

हम पेय जल पर चर्चा सुनें और उसके बाद हम देखेंगे। सूखे से अधिक अनिवार्य पेय जल है। इसलिए पहले हम इस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये। मैं स्थिति की गंभीरता को जानता हूं। मैं इसे देख लूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुमा रेड्डी कृपया बैठ जाइये। इसे करना मेरा काम है और मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : मेरा नाम शामिल नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसका आश्वासन नहीं दे सकता। यह न तो आपके अधिकार में है न मेरे।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मैं इस प्रश्न को पिछले तीन दिनों से उठा रहा हूं। आपने इस पर विचार नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपको नियम अवश्य सीखने चाहिए। यह मेरा काम नहीं है। बैलट से नाम निश्चित किये जाते हैं। मेरा कहना इतना ही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय बोल रहे हैं। आप अपनी सीट लीजिए।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि जब कुरान के विषय में यह मामला समाचार पत्रों में आया था तो हमें इसका बोध हो गया था और हमारे मंत्री मण्डलीय मंत्री महोदय, श्री अशोक सेन ने समाचार पत्रों में एक वक्तव्य जारी किया कि हम इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए और याचिका को सीधे रद्द करवाने के लिए भारत के महा अधिवक्ता को भेज रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा सवाल है। प्रार्थना यह है कि रोज जो आइटम्स होते हैं उसमें टाइम रेगुलेट नहीं किया जाता। पहले वक्ता को तो किसी को आधा घन्टा, किसी को 40 मिनट मिलता है और पीछे बोलने वाले को दो मिनट तीन मिनट जबकि इस के बारे आपके नियमों में लिखा हुआ है, नियमों का अनुपालन होना चाहिए...

अध्यक्ष महोदय : कल तो मैंने और ज्यादा वक्त बढ़ा दिया। जितना था उससे भी ज्यादा बढ़ाया।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह नहीं है। जो पहले वक्ता बोलते हैं, किसी को एक घंटा किसी को 40 मिनट और पीछे बोलने वाले को दो मिनट तीन मिनट मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : यह कब नहीं हुआ।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : एक सदस्य और दूसरे सदस्य के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं मिलेगी। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएं।

12.13 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

सीमा शुल्क अधिनियम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1983-84 का प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० का० नि० 388 (अ), जो 30 अप्रैल 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 नवम्बर, 1983 की अधिसूचना संख्या 295-सी० शु० की वैधता की अवधि को 30 अप्रैल 1987 तक आगे बढ़ाया गया है।

(दो) सा० का० नि० 391 (अ), जो 1 मई 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 10 सितम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या 210-82 सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि भारतीय गैस प्राधिकरण समिति को दिये माल पर छूट का लाभ दिया जा सके।

(तीन) सा० का० नि० 392 (अ) और 393 (अ), जो 1 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो रेशम कीट बीजाण्डों को, जब भारत में उनका आयात किया जाये, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल तथा उपसंगी सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(चार) सा० का० नि० 395 (अ), जो 1 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 2 मई 1979 की अधिसूचना संख्या 97-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि पुनः निर्यात की अवधि को दो महीने की वर्तमान अवधि से बढ़ाकर 6 महीने किया जा सके।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 895/85]

(2) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 60 की उप धारा (5) के अंतर्गत, राष्ट्रीय कृषि और ग्रमीण विकास बैंक (अति- रिक्त) सामान्य विनियमन, 1984 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 23 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 740 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 896/85]

(3) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का वर्ष 1983-84 संबंधी प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां खंड 1-अप्रत्यक्ष कर और खंड 2–प्रत्यक्ष कर।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल-टी 897/85]

(दो) भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी अग्रिम प्रतिवेदन-संघ सरकार (रेल)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 898/85]

पटसन विनिर्मित विकास परिषद, कलकत्ता का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा, राष्ट्रीय पटसन विनिर्मित निगम सीमिति, कलकत्ता का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण

पूर्ति और कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) पटसन विनिर्मित विकास परिषद, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति।

(दो) पटसन विनिर्मित विकास परिषद, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 899/85]

(3) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रीय पटसन विनिर्मित निगम समिति, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) राष्ट्रीय पटसन विनिर्मित निगम सीमित, कलकत्ता, का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 900/85]

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय प्रधान मन्त्री ने एक वक्तव्य दिया है कि अकाली दल की 17 वीं बैठक के बाद वे निर्णय करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कुछ नहीं है। यह कोई उचित तरीका नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं देता। यह सब अप्रसांगिक है। बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मामले को उठाने का यह कोई तरीका नहीं है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। आपको पहले समझना चाहिए।

डा० दत्ता सामन्त : मैं पहले ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दे चूका हूं।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का प्रश्न ही नहीं है। मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की

सूचना पर निर्णय लूंगा । मैं चर्चा के लिये इस तरह अनुमति नहीं दे सकता ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

12.15 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे, महासचिव, राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) "मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने मंगलवार, 30 अप्रैल, 1985 को अपनी बैठक में लोक लेखा समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लोक सभा की लोक लेखा समिति के 30 अप्रैल 1986 को समाप्त होने वाले कार्य काल के लिये उस समिति के साथ सहयोजित होने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने और सभापति के निदेशानुसार सभा के सदस्यों में से सात सदस्य समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित करने पर सहमत हैं ।

मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्न लिखित सदस्य उक्त समिति के लिए निर्वाचित हुये हैं :—

1. श्रीमती अमरजीत कौर
2. श्री निर्मल चटर्जी
3. कुमारी जयललिता
4. श्री गुलाम रसूल कार
5. श्री चतुरानन मिश्र

6. श्री के० एल० एन० प्रसाद

7. श्री रामानन्द यादव

(दो) मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने मंगलवार 30 अप्रैल, 1985 को अपनी बैठक में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लोक सभा को सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 30 अप्रैल 1986 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये उस समिति के साथ सहयोजित होने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नाम निर्दिष्ट करने और सभापति के निदेशानुसार सभा के सदस्यों में से सात सदस्य समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित करने पर सहमत है।"

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित 7 सदस्य उक्त समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं :—

1. श्री सईद रहमत अली

2. श्री अश्वनी कुमार

3. श्री नन्द किशोर भट्ट

4. कु० सरोज खापर्डे

5. डा० शान्ति जी० पटेल

6. श्री सन्तोष कुमार

7. श्री गुलाम मोहिउद्दीन शाल

(तीन) मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने मंगलवार 30 अप्रैल 1985 को हुई बैठक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव को स्वीकार किया।

"कि यह सभा संकल्प करती है कि राज्य सभा दोनों सदनों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के 30 अप्रैल 1986 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए उसमें

सम्मिलित होगी तथा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार कुछ सदस्यों में से दस सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित करेगी।

"मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए निर्वाचित किया गया है :—

1. श्री अत्यादी अरुण उर्फ वी० अरुनाचलम
2. श्री धरनीधर बासुमतारी
3. चौधरी राम सेवक
4. श्री शान्तिमय घोष
5. प्रो० एन० एम० काम्बले
6. श्री रामनरेश कुशवाहा
7. श्री राम कृष्ण मजुमदार
8. श्री वी० सी० केशव राव
9. श्री रोशन लाल
10. श्री स्कातो स्वू

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वी० सी० जैन।

श्री रामस्वरूप राम (गया) :— उठे

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ? क्या आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री रामस्वरूप राम : जी हां।

[हिन्दी]

मैंने आपके दफ्तर में भी आप से मिल कर और कई बार कालिंग अटेंशन व 377 दे कर

आपका ध्यान आकर्षित किया कि रोहतास इंडस्ट्री जिसमें 50 हजार मजदूर काम करते हैं दो साल से बन्द पड़ी हुई है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अपसांगिक है इस विषय में कुछ नहीं होगा । यह अप्रसांगिक है । यह उचित नहीं है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये । कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा । मैं अनुमति नहीं दे रहा ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह उचित तरीका नही है । यदि आप नहीं बैठेंगे तो मैं श्री रामस्वरूप राम आपको सभा से बाहर जाने के लिए कहूंगा ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाईये । मैं अब आपको बाहर जाने के लिए कह दूंगा । कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री कहां हैं ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाईये यह उचित तरीका नहीं है । आप जो बोल रहे हैं वह सब असंगत है । यह ठीक नहीं है । कृपया बैठ जाईये । कृपया अपनी सीट पर बैठें ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी सीट पर बैठ जाइयें । मैं आप से सीट पर बैठने के लिए कह रहा हूं । मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बैठ जाये ।

[हिन्दी]

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी सीट पर विराज जायें ।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अब मैं उन्हें बाहर जाने के लिए कह रहा हूं । वे ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक भी शब्द रिकार्ड नहीं किया जाये ।

अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ।

12.16 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

देश के विभिन्न भागों में पेय-जल की भारी कमी होने से उत्पन्न स्थिति

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर माननीय निर्माण और आवास मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं :

"देश के विभिन्न भागों में पेय जल की भारी कमी होने से उत्पन्न स्थिति तथा इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

[अनुवाद]

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : अध्यक्ष महोदय, 1984 के दौरान अपर्याप्त वर्षा एवं अनियमित मौसम के कारण, आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों ने सूखे की स्थिति बतायी थी और भारत सरकार को ज्ञापन दिया गया था जिसमें सूखे से राहत के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की थी । मेरे सहयोगी कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री श्री बूटा सिंह ने श्री नारायण चन्द पराशर और अन्यों द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिसमें स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित अल्पावधि एवं दीर्घावधि उपायों तथा उन राज्यों को दी गई सूखा राहत सहायता का उल्लेख किया गया, के उत्तर में 2 अप्रैल, 1985 को लोक सभा में एक वक्तव्य दिया था । केन्द्रीय दल जिसने सूखा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था, के रिपोर्टों के आधार पर और राहत पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर, 200.66 करोड़ रुपये तक केन्द्रीय सहायता की कुल

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[श्री अब्दुल गफूर]

अधिकतम राशि मंजूर की गई थी। इसमें सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी का प्रबन्ध करने के लिए 1984-85 के दौरान 39.31 करोड़ रुपये और 1985 86 के दौरान 14.71 करोड़ रुपये की सहायता शामिल थी। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने 1985-86 के दौरान केन्द्रीय सहायता के लिए अनुपूरक ज्ञापन दिए थे, जो कृषि मंत्रालय के विचाराधीन हैं। एक केन्द्रीय दल ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है और उनकी रिपोर्ट कृषि मंत्रालय को पेश की गई है। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर उन राज्यों में पेयजल पूर्ति के लिए सहायता सहित सरकार और सहायता के लिए उपयुक्त निर्णय लेगी। हरियाणा सरकार ने हाल ही में सूखा राहत के तहत सहायता के लिए एक ज्ञापन दिया है।

गर्मियां शुरू होने से पहले, वर्तमान ग्रीष्म ऋतु में उठने वाली संभावित समस्या की प्रकृति एवं सीमा, संकट से निपटने के लिए अपेक्षित उपायों, तन्त्र की पर्याप्तता और भारत सरकार से अपेक्षित तकनीकी सहायता की समीक्षा करने के लिए सूखाग्रस्त राज्यों के साथ एक बैठक की गई थी। राज्यों ने बतलाया कि वे संकट से निपटने के लिए अपने तन्त्र को अनुकूल बना रहे हैं और वे निम्नलिखित लाइनों पर कार्रवाई कर रहे हैं :

(क) प्रभावित गांवों में कुएं खोदना और हैण्डपम्प लगाना,

(ख) हैण्डपम्पों को चलाने एवं उनकी देखभाल के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करना;

(ग) जो हैण्डपम्प टूट गए थे उनकी मरम्मत करके उन्हें पुनः चालू करना;

(घ) उच्च कोटि के (सुपिरियर) इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों से घटिया कोटि के हैण्डपम्पों को बदलना।

3. भारत सरकार के अनुरोध पर, यूनिसेफ प्रभावित राज्यों को अतिरिक्तरिग, मौजूदा रिगों के विशेष उपकरण, इण्डिया मार्क-II कोटि के हैण्डपम्प और अनुरक्षण वाहनों की व्यवस्था कर रहा है। यदि राज्य सरकारें ठोस कार्यक्रम तैयार करके उन्हें भूजल बोर्ड को भेजें तो केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने भी रिग का अपना बेड़ा लगाकर जलपूर्ति के लिए कुओं का निर्माण करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की है।

4. भारत सरकार द्वारा दी गई सूखा राहत संकट से निपटने के लिए किए जा रहे विशेष उपायों के अलावा, भारत सरकार ने पेयजल को बहुत ही उच्च प्राथमिकता दी है। 230784 समस्याग्रस्त गांवों में से, लगभग 1.92 लाख गांवों को मार्च, 1985 तक लाभान्वित किया बतलाया गया है। ग्रामीण जलपूर्ति के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इसे राज्यों के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल किया गया है और राज्यों से आशा की गई थी कि वे छठी योजना के दौरान 1511 करोड़ रुपये व्यय करेंगे। वर्ष 1984-85 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्याशित व्यय 372.17 करोड़ रुपया था।

5. त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को लगभग 919.71 करोड़ रुपये के अनुदान दिए। 1984-85 के दौरान समस्याग्रस्त ग्रामों के लाभान्वयन के लिए राज्यों को लगभग 287 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अनुदान दिए गए थे। चालू वर्ष के दौरान राज्यों में नियतन के लिए त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 298 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि राज्यों में वितरित की जायेगी और संसद द्वारा बजट पारित किए जाने के बाद पहली किस्त रिलीज की जायेगी।

6. केन्द्र तथा राज्यों द्वारा किये गये उपायों के परिणामस्वरूप ग्रामीण पेयजल पूर्ति से जनसंख्या का लाभान्वयन छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ के 31.0 प्रतिशत की तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 53.9 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

7. जहां तक शहरी जलपूर्ति का सम्बन्ध है, राज्यों को राज्य बजटों में प्रावधान करना है। तथापि, व्यवहार्य योजनाओं के प्रस्तुत होने पर यह मंत्रालय शहरी जलपूर्ति के लिये विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने के प्रयास करता है। अभी तक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और केरल राज्यों की 9 शहरी जलपूर्ति योजनाओं के लिये विश्व बैंक के ऋण उपलब्ध कराये गये हैं। इन परियोजनाओं से लगभग 145 शहरों में शहरी जलपूर्ति मुहैया होगी।

12.20 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मंत्री महोदय की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ है, उससे यह स्पष्ट है कि देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति के कारण पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है और यह संकट आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है। जब सूखे की स्थिति पैदा होती है, तो राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से, प्रतिवेदन प्रस्तुत करके, सहायता मांगती हैं और केन्द्रीय सरकार की ओर से सहायता समय पर दी भी जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि हमारे देश को आजादी प्राप्त किये हुये 38 साल हो गये हैं परन्तु इस पीने के पानी की समस्या को स्थायी तौर पर और माकूल तरीके से हल नहीं कर पाये हैं। यह हमारे लिये एक बड़ी भारी चुनौती है और इस चुनौती का मुकाबला करने के लिये हमें यह सोचना है कि हम कब तक इस पीने के पानी की समस्या को स्थायी तौर पर और माकूल तौर पर हल कर लेंगे और सभी गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था हो, सभी नगरों में पीने के पानी की व्यवस्था हो, यह कब तक हम कर पायेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना में हमने यह निर्णय किया था कि हम सभी गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था कर सकेंगे और अभी जो मंत्री महोदय ने सूचना दी है, उस सूचना के आधार पर जो करीब 2 लाख 31 हजार समस्याग्रस्त गांव हैं, उन में से 1 लाख 92 हजार गांवों में पीने के पानी की समस्या हल कर दी है। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि आप को यह संतोष है कि

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

आपने 1 लाख 92 हजार गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था कर दी है लेकिन मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिन गांवों में आपने पीने के पानी की योजनाओं को कमीशन किया है, उन योजनाओं की स्थिति भी अभी बड़ी विकट है।

उन योजनाओं के अन्तर्गत कई गांव हैं उनमें कभी पानी ही नहीं पहुंचता। उन योजनाओं के अन्तर्गत गांवों में जो पानी मिलना चाहिये वह वहां पहुंच ही नहीं पाता। वे देश के ही गांव हैं और उनमें पानी नहीं पहुंच रहा है। वे कमीशंड गांव हैं। उनमें पानी की यह स्थिति है। फिर कमीशंड गांव होने का क्या लाभ ?

यह स्थिति उन गांवों की है। जब वर्षा हो जाती है या सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है तो वहां समस्या और भी भयंकर हो जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बारे में हमें गहराई से सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार की योजनायें बनायें और उन्हें किस प्रकार से क्रियान्वित करें।

उन कमीशंड विलेजिज के बारे में जब केन्द्र सरकार से राज्य सरकार मदद मांगती है तो यह कह दिया जाता है कि वे कमीशंड गांव हैं उनको हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं। उनकी मदद की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है जबकि जनसंख्या बढ़ रही है। आपने 1971 की जनसंख्या के आधार पर यह योजना बनाई है। 1981 की जनसंख्या के आधार पर उसको रिवाईज स्कीम बनाया जाना चाहिये, आगमेन्टेशन स्कीम बनाया जाना चाहिये।

हमने अपने जिले के बारे में, रेगिस्तानी क्षेत्रों के बारे में जब कुछ प्रभाव डाला तो स्कीम मंजूर हुई। अगर आप अपनी योजनाओं को रिवाईज नहीं करते हैं, उनको आगमेन्टेशन नहीं किया जाता है तो जिन गांवों को आपने कमीशंड किया है उनमें कभी पानी नहीं पहुंच सकेगा। उन गांवों के बारे में न केन्द्र सरकार मदद देती है और न राज्य सरकार मदद देती है। मेरा निवेदन है कि जिन गांवों के लिये पीने के पानी की योजना कमीशंड हुई हैं उन गांवों के बारे में एक कमेटी बिठायें जिसके सदस्य वहां मौके पर पहुंचे और वहां आकर यह जांच करें कि इस समय जो गांव कमीशंड हैं उनमें लाभ पहुंच रहा है, या नहीं पहुंच रहा है, यह बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है।

जो योजनायें बनी थीं हमारे रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिये वे प्रति व्यक्ति 40 लीटर के आधार पर बनी थीं। इसमें मनुष्यों के पीने के पानी की व्यवस्था थी। हमने यह निवेदन किया था कि 40 लीटर की व्यवस्था आप मनुष्यों की जनसंख्या के आधार पर कर रहे हैं, इसमें पशुओं की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है। पशु वहां बहुत ज्यादा हैं और मनुष्यों की जनसंख्या भी ज्यादा है। उनके बारे में भी आपको व्यवस्था करनी चाहिये।

जब इस प्रश्न को केन्द्रीय सरकार के सामने उठाया गया तो केन्द्रीय सरकार ने इस पर कुछ ध्यान दिया और उसके अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसका उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन

करके 40 लीटर प्रति व्यक्ति का जो आधार तय किया गया था वह 70 लीटर प्रति व्यक्ति तय किया गया जिससे कि वहां के पशुओं को भी पानी उपलब्ध हो सके।

परन्तु प्रश्न यह है कि जैसलमेर और बाड़मेर जिले में पशुओं की जनसंख्या ज्यादा है। उन रेगिस्तानी क्षेत्रों में पशुओं की जनसंख्या को देखते हुये 40 लीटर प्रति व्यक्ति के आधार पर जो योजना बनाई गई है उसे 100 लीटर प्रति व्यक्ति के आधार पर बनायेंगे तब जाकर के वहां के मनुष्यों और पशुओं को पीने का पानी मिल सकेगा। इस पर विचार करने की बड़ी आवश्यकता है।

दूसरा हमारे क्षेत्र में यह प्रश्न है कि आपने छठी पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया, आपके ये डाइरेक्टिव हैं कि एक गांव में एक ही स्थान पर पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। हमारे यहां तो ऐसे-ऐसे गांव हैं जो कि 25 वर्ग किलोमीटर से लेकर सौ वर्ग किलो मीटर तक फैले हुये हैं। अगर एक गांव में एक ही जगह पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे तो ग्रामवासियों को 10-10, 15-15 किलोमीटर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ेगा।

इसलिए हमने यह सुझाव दिया है और उस सुझाव को आप मान्यता दे रहे हैं, सिद्धांत रूप से मान रहे हैं कि 250-300 की जनसंख्या पर एक पीने के पानी का प्वाइंट होना चाहिये, 250-300 जनसंख्या के करीब ढाणियों का समूह होता है, उसको प्वाइंट मानकर पीने के पानी की व्यवस्था जब करेंगे तब जाकर पीने के पानी की व्यवस्था हो सकेगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में कहिये। अन्य लोगों ने भी भाग लेना है।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : समस्या बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिये उन बातों को बताना होगा, वैसे मैं बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहा हूं तो जो आपने सिद्धांत बनाया है कि 1.6 किलो मीटर से ज्यादा किसी को पीने के पानी के लिए न जाना पड़े, इस तरह की योजनायें बनाई भी जा रही हैं, लेकिन राजस्थान के लोगों को 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र में इस प्रकार से गांव फैले हुए हैं, इसलिये वहां पर 250-300 की जनसंख्या पर पानी की व्यवस्था की जानी चाहिये और इसको एक इकाई मान लेना चाहिये, यूनिट मान लेना चाहिए और यूनिट मानकर पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसका प्रावधान किया जाना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट से भी सुझाव भेज गए हैं कि ढाणियों को इकाई मानकर पानी की व्यवस्था करनी चाहिए।

अब प्रश्न उठता है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में कुछ नलकूप भी लगाये गये हैं और सफल हुए हैं, लेकिन बहुत से स्थानों में नलकूप सफल तो हुये हैं पर उनमें पानी खारा है या बहुत कम पानी है, जिससे योजनायें नहीं बन सकती। अगर बन भी सकती हैं तो एक गांव के लिये बन सकती हैं 4, 5, या 6 गांव के लिए नहीं बन सकतीं। इस प्रकार की स्थिति है। जब अन्डरग्राउंड वाटर

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

नहीं है तो पक्का, स्थायी हल राजस्थान नहर से ही हो सकता है और वही उसका पक्का इलाज है, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है, जैसा कि मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया है, तो यह आवश्यक और जरूरी है कि इस प्रकार का जो निर्णय लिया गया है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में पानी के पीने के स्थायी हल के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एक मास्टर-प्लान बनाना चाहिये और राजस्थान गवर्नमेंट ने मास्टर प्लान बनाये हैं, उनको जल्दी से जल्दी कार्यरूप में परिणत किया जाये और सातवीं पंचवर्षीय योजना में उसके लिये प्रावधान किया जाये। अभी भी मुख्यमंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिलाया था प्लानिंग कमीशन में, तो मेरे कहने का अर्थ है कि जितनी भी पीने के पानी की योजनायें हैं, वे राजस्थान नहर से बनाई जानी चाहिये और लिफ्ट कैनाल से योजनायें बनाना ही इस समस्या का पक्का और स्थायी हल हो सकता है, इसके अलावा दूसरा पक्का स्थायी हल इसका नहीं हो सकता। तो इसके बारे में सातवीं पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था करनी चाहिये और इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

एक बात और विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि यह जो हमने कार्य किया है-एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवैल आर्गनाइजेशन जो कि केन्द्रीय सरकार का आर्गनाइजेशन था और सेंट्रल वाटर आर्गनाईजेशन और ग्राउंड वाटर आर्गनाइजेशन है, तो आपका एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवैल आर्गनाइजेशन जो ट्यूबवैल खोदता है, उसकी एज 20 वर्ष होती है, मगर हमारे यहां जो ट्यूबवैल खोदे जा रहे हैं, जिनको योजनाओं में हम मदद दे रहे हैं, उनकी ऊम्र केवल दो वर्ष है। एक-एक ट्यूबवैल में ढाई-ढाई लाख रुपये खर्च होता है और उसकी उम्र दो वर्ष हो, तो जब आप मदद कर रहे हैं ए. आर. पी. योजनाओं के अन्तर्गत, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि राजस्थान सरकार के अन्तर्गत जो ट्यूबवैल आर्गनाइजेशन वर्क कर रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिये। मैंने राजस्थान सरकार के सामने भी यह प्रश्न रखा था कि हम यह बरदाश्त नहीं कर सकते।

जब एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवैल आर्गनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से खोदे गये ट्यूबवैल की एज 20 वर्ष है और वे चल रहे हैं और आपके ट्यूबवैल दो वर्ष में खत्म हो जाएं, डेढ़ वर्ष में खत्म हो जाएं, यह स्थिति बरदाश्त नहीं की जा सकती। इसलिये इसकी जांच करना आवश्यक है। अगर उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो उसकी व्यवस्था की जानी चाहिये, अगर वे खोदने का तरीका नहीं जानते हैं तो उसके बारे में उनको पूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि इस प्रकार की व्यवस्था हो सके।

इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को राजस्थान नहर से जब तक पीने का पानी न पहुंचे तब तक कुओं के बारे में जोर देने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे यहां ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने टौंके बनाए हैं। इसके लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है। जिन किसानों की स्थिति मजबूत है उन किसानों ने टौंके बना लिये हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं बना सकते।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, स्माल फ़ारमर्स और वीकर सैक्शन के लिए यह व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे पचास परसेंट सबसिडी टोंके बनाने के लिए उनको मिल सके।

खारा पानी और बरसात के पानी को कलेक्ट करके और मिलाकर के उसको पी सकेंगे । खारे पानी को मीठा करने के लिए डिफेन्स लेबोरेटरी जोधपुर में है । वह कार्य कर रही है । वह कार्य बढ़ाना चाहिए ताकि सारे खारे पानी को मीठा किया जा सके । इस सम्बन्ध में एयर-रिंग की मदद दे रहे हैं । हमारी राजस्थान सरकार ने भी इस बारे में रिक्वेस्ट की है । इस सम्बन्ध में पूरी तरह से मदद देने की आवश्यकता है । मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके अधिकारियों ने हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र की मदद की है । आप भी मौके पर पहुंचे और जैसी भी मदद की आवश्यकता हो वह मदद करने की कोशिश करें । दिल्ली में जो पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई है, उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इससे सभी लोग दुखी हैं । नगरीय क्षेत्र के लिए जो योजना बनी हुई है, उसके बावजूद भी पानी नहीं पहुंच रहा है । रिवाइज्ड स्कीम बनाकर पानी पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि गांवों में भी पानी पहुंच सके । हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं पहुंच पाती है, जिससे पीने के पानी का संकट पैदा हो जाता है । मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में डीजल सैट्स की व्यवस्था होनी चाहिए । अगर आप आल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं करेंगे तो पीने के पानी की योजना सफल नहीं हो सकती है । बिजली के न मिलने के कारण पानी न तो पहुंच सकता है और न निकल सकता है इसलिए डीजल सैट्स की व्यवस्था करनी चाहिए । इसकी व्यवस्था डिस्ट्रीक्ट और डिवीजनल हैड क्वार्टर में तीन-चार मैगावाट की होनी चाहिए । कंज्युमर्स के लिए इण्डस्ट्री और एग्रीकल्चर से ज्यादा प्रायोरिटी बिजली और पानी के लिए देनी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : पीने के पानी के बारे में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा है इसमें बिहार को भी जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि डेढ़ करोड़ वहां के आदमी इससे प्रभावित हैं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप इसे लिखित रूप में दे सकते हैं और अनुमति मिलने के पश्चात आप इसके बारे में उल्लेख कर सकते हैं । अब वह इसके बारे में उल्लेख कैसे कर सकते हैं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : नियम 377 के अन्तर्गत वह इसका उल्लेख कर सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : मंत्री जी तो खुद बिहार के हैं ।

श्री अब्दुल गफूर : जैन जी ने जो सवाल इस कालिंग अटेंशन के जरिए से इस हाउस में उठाया है और जिसका जवाब मैंने दिया है इस ग्रेविटी ने साथ जो कि आप जानते हैं कि कंट्री के अन्दर चाहे कोई भी प्रोविन्स हो, आपने तो काफी स्टेट्स के बारे में बताया है, अगर इस तरह की सिचुएशन अराइज हो जाती है तो उसी वक्त सेन्टर से स्टेट गवर्नमेंट को असिसटेंस दी है और जो कुछ भी धन पड़ता है, वह काम होता है। कभी-कभी नेचर की तरफ से इस किस्म का तूफान आ जाता है तो उस वक्त लगों को तकलीफ होती है। उस तूफान को रोकने के लिए जो काम किया जाता है, उससे लोगों को काफी फायदा होता है। आपने तो सारी चीजों का जिक्र इसमें कर दिया है। हम लोगों ने सेन्टर से अपने आफिसर्स को हर स्टेट में भेजा है। इस चीज की वे जांच कर रहे हैं। मैंने अपने जवाब में भी बताया कि यूनिसेफ ने भी कहा है कि हिन्दुस्तान में इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई है और हम एसिस्टेंस देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जो कुछ रिग्स वगैरह की जरुरत होगी, उसको हम सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। हमारे सैंट्रल वाटर बोर्ड ने भी स्टेट्स को कहा है कि जिस स्टेट को जितनी जरुरत होगी वे अपने प्रोग्राम बनायें, हमारे रिग्स भी वहां जाकर काम करेंगे। इसके अलावा कुछ स्टेट्स ने हमें कहा है कि हम अपने यहां फलां-फलां काम कर रहे हैं, यह बड़ी खुशी की बात है इसलिए जिन चीजों का जिक्र आपने किया है, ये सारी कार्यवाही पहले से हो रही है और कुछ इसकी रिपोर्ट आने के बाद कदम उठाये जाएंगे।

जहां तक ड्रिंकिंग वाटर का सवाल है, यह बात सही है जो आपने जिक्र किया और शायद आपको याद होगा कि एक रोज जब हमारे स्पीकर साहब यहां बैठे हुए थे तो उन्होंने जिस अन्दाज से कहा कि अगर इस प्रोब्लम को आप राजस्थान में हल कर दीजिए तो आपको कौन सा चक्र इनाम में मिलेगा। इसलिए जैन साहब आपने जिन बातों का यहां जिक्र किया, यदि आप मेरे स्टेट में जायें, यू० पी० में जायें, बंगाल में जायें तो हम एक विलेज उसे मानते हैं जिसमें 200, 300, 500 या एक हजार तक आदमी रहते हों, उससे कुछ ज्यादा संख्या भी हो सकती है, लेकिन आपके यहां विलेज का डैफिनिशन कुछ दूसरा है। वैसे मैंने उस इलाके को स्वयं नहीं देखा है परन्तु जब मैं एक चीज को पढ़ रहा था कि कितने प्रोब्लम विलेजेज हैं तो मैं समझता था कि आपके विलेजेज भी उसमें कवर होंगे, जिस तरह के विलेजेज हमारे यहां हैं, यू० पी० में हैं, बंगाल में हैं या दूसरी स्टेट्स में हैं, वैसे ही आपके विलेजेज भी होंगे, लेकिन आपके विलेजेज का तो नक्शा ही कुछ दूसरा है, वे अन्य स्टेट्स के विलेजेज से भिन्न हैं। जो बातें आपने कहीं, मेरी तमाम हमदर्दी आपके साथ है। यह कैसे हो सकता है कि एक विलेज, जिसमें 300-400 आदमी रहते हों और 15 मील चले जाएं तो भी विलेज कहलाये। मेरी तो कुछ समझ में नही आया। अगर इस किस्म की चीज है तो चाहे किसी गांव में डेढ़ सौ भी आदमी क्यों न रहते हों, वे सब प्रोब्लम विलेजेज की कैटेगरी में आते हैं। हम सारे हिन्दुस्तान के प्रोब्लम विलेजेज की समस्या सौल्व करने में लगे हैं। बल्कि आपको तो सब लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ड्रिंकिंग वाटर की समस्या को हल करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है फिर भी हम उसके लिए सेन्ट्रल एसिस्टेंस देते हैं। इतना ही नहीं उन को इन्सैन्टिव दिए जाते हैं, जितना ज्यादा कोई स्टेट इस दिशा में काम करेगा, हम उसको उतना ज्यादा इन्सैन्टिव देंगे। ये सारी चीजें हैं।

इसके अलावा मैंने एक और जिक्र किया कि हमारे पास जितनी फीगर्स आई हैं, लगभग दो लाख इक्कीस हजार प्रोब्लम विलेजेज हैं, जिनमें से लगभग एक लाख 91 हजार विलेजेज कवर किए जा चुके हैं और कुछ अभी रहते हैं। उन सभी को हम सातवीं पंचवर्षीय योजना में कवर करने का प्रयत्न करेंगे। हमारी नियत है कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके, इस समस्या को हल किया जाए और हमारे मुल्क में कहीं भी ड्रिंकिंग वाटर की प्रोब्लम न रहे।

आपने जिन मुख्य प्वाइंटस की ओर ध्यान आकर्षित किया, और इस बात को भी माना कि जब हमारे यहां से कुछ लोग गए तो उसके बाद, जहां पहले 40 लीटर के हिसाब से पानी मिलता था, वह बढ़ाकर 70 लीटर कर दिया गया, मतलब यह है कि जाने से आपको कुछ फायदा तो हुआ। जहां तक आपने हैमलेटस का जिक्र किया, गांवों का जिक्र किया, उसके बारे में भी हम सातवी पंचवर्षीय योजना में बड़ी सीरियसली सोच रहे हैं। परन्तु आपने एक नई चीज बताई जो पहले मेरी नजर में नहीं थी, हो सकता है हमारे कुछ और लोगों को इसका पता हो। मैं राजस्थान में गया था, लेकिन कुछ शहरों वगैरह तक ही गया, हो सकता है एक-दो देहातों में भी गया हूं, लेकिन उस समय मेरी जानकारी में यह बात नहीं आई। मैंने सोचा यहां पर भी वैसा ही होगा, जैसा अन्य स्टेटों में है लेकिन आपने जो कुछ कहा, उसके आधार पर मैं मानता हूं कि आपकी प्रोब्लम दूसरे स्टेट्स के मुकाबले कुछ ज्यादा है। जैसे हमारे कुछ स्टेटस ने वर्ल्ड बैंक से एसिस्टेंस ली है, कुछ ने वर्ल्ड बैंक से सहायता ली है और कुछ ने जर्मनी वगैरह से, और वे एसिस्टेंस देने के लिए तैयार हैं, आपके स्टेट को भी चाहिए कि वह इस एसिस्टेंस का फायदा उठाये। मैं समझता हूं कि आपके स्टेट के लोग कुछ कर भी रहे हैं। इन सारी जरूरयात को देखते हुए मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की प्रोब्लम दूसरे स्टेट्स के मुकाबले स्पेशल कैटेगरी की है, वहां इंसानों के लिए और जानवरों के लिए पानी मिलना आसान नहीं है, फिर डिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए भी मैं इस बात को मानता हूं क्योंकि वैसा हाल हमारे यू० पी० में या बिहार में या किसी दूसरी स्टेट में नहीं है।

एक स्पेशल कैटेगरी में हम अपनी तरफ से आपको नहीं कहते हैं। इसके लिये हम रिकमेण्ड करेंगे। आप जानते ही हैं कि हमारे फायनेंस मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुये हैं, पानी ही क्या सारी चीजें इन्हीं के हाथ में हैं, और ये भी इस चीज को सुन रहे हैं। जिन इलाकों का आपने जिक्र किया है, यह जरूर है कि इससे आपको लाभ होगा। सब लोगों को लाभ होगा।

मैंने राजस्थान का जिक्र इसलिए किया है, आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि वहां पर लोग बकेट को अपने सर पर रखकर 7-7 और 8-8 मील तक पानी लेने जाते हैं और इतनी दूरी से लेकर अपने घर में पानी लाते हैं। यह चीज हमारे बिहार में नहीं है, हमारे यू० पी० में नहीं है······(व्यवधान)······

श्री जैनुल बशर : नहीं, नहीं। यू० पी० में है। बिहार में नहीं होगी, लेकिन यू० पी० में है।

श्री डाल चन्द जैन (दमोह) : यह चीज हमारे मध्य प्रदेश में भी है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : हमारे यहां पहाड़ी इलाके में भी लोग पांच-पांच किलोमीटर की दूरी से सीधी चढ़ाई चढ़कर घर में पानी लाते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य राज्यों में भी यह बात है।

श्री एच० ए० डोरा (श्री काकुलम) : जहां तक पेयजल का सम्बन्ध है सभी राज्यों को समान रूप में समझा जाना चाहिए। पेयजल की समस्या आंध्र प्रदेश में भी है।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : मैं सब स्टेट्स के बारे में कह रहा हूं। लेकिन राजस्थान का इसलिए जिक्र किया है क्योंकि अध्यक्ष महोदय कह रहे थे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्थिति केवल एक राज्य में नहीं है। राजस्थान में इससे भी अधिक समस्या हो सकती है। अन्य राज्यों में भी यह समस्या हो सकती है। अतः जब मंत्री महोदय केवल राजस्थान के बारे में बोलते हैं तो प्रत्येक सदस्य उत्तेजित हो जाता है। मैंने मन्त्री जी को सुझाव दिया है कि उन्हें अन्य राज्यों के बारे में भी सोचना चाहिए।

श्री एच० ए० डोरा : आंध्र प्रदेश में ऐसे गांव है जहां अधिक संख्या में लोग केवल पेयजल के लिए दूसरे गांवों अर्थात 30 अथवा 40 कि० मी० दूर जाकर बस रहे हैं। वे अपना घर-बार छोड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भी यह स्थिति है।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : तो मैंने थोड़ा-सा राजस्थान का जिक्र इसलिए ज्यादा किया, क्योंकि हमारे स्पीकर साहब ने इस चीज को जब यहां पर दिल्ली की वाटर स्केअरसिटी के ऊपर जिक्र हो रहा था, कहा था। चूंकि वे आज चेयर पर नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी कांस्टीट्यूएन्सी का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि उनकी कांस्टीट्यूएन्सी में भी पानी की काफी दिक्कत है। इसलिए मैंने उनकी स्टेट राजस्थान का जिक किया है। जहां तक दूसरी स्टेट का सवाल है, वहां भी देखना होगा।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : जहां से वित्त मन्त्री साहब आते है, वहां भी चार-चार और पांच-पांच किलोमीटर की दूरी से लोग पीने का पानी लाते हैं।

श्री अब्दुल गफूर : दूसरी स्टेट्स के ड्राउट के बारे में जिक्र किया गया है, उसके बारे में

मैंने तफसील के साथ नाम बता दिए हैं और कहा है कि सेण्ट्रल टीम उस स्टेट में गई है, सारी चीजें देख रही है और अभी इन्तजार किया जा रहा है। लेकिन अगर सिचुएशन बद से बदतर हुई, तो उसके लिये सेण्ट्रल गवर्नमेंट, जितना भी हो सकेगा, जितनी भी ड्राउट स्टेट्स है, जो ड्राउट से अफेक्टेड हैं, मदद करेगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री जय प्रकाश अग्रवाल की बारी है। आप अपने भाषण में अन्य राज्यों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। आप अपने आपको केवल दिल्ली तक ही सीमित न रखिये। आप अन्य सदस्यों की तरफ से भी बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा देख होता है यह सोचकर कि 38 साल की आजादी के बाद भी हम हिन्दुस्तान की राजधानी में खड़े होकर यह सोच रहे हैं कि जनता को पीने का पानी देने में तकलीफ क्यों हो रही है। यह भी उस देश में, जहां कि नदियां पानी से उफनती हैं और हजारों गांवों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि कहीं न-कहीं हमारी प्लानिंग में कोई बहुत बड़ी गलती है, जिसके कारण आज हम न तो इरिगेशन के लिए पानी दे पा रहे हैं और न आज की तारीख में जनता को पीने के पानी की अच्छी तरह से सहूलियत दे पा रहे हैं।

मैं दिल्ली की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां कि बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, जहां लोगों को चार-चार और पांच-पांच मंजिल से नीचे उतर कर एक-एक मील पैदल जाकर पीने के लिये पानी भरकर लाना पड़ता है और फिर वे इतनी मंजिल चढ़कर अपने घर में उस पानी को पीते हैं और इस्तेमाल करते हैं। कई जगह तो लोगों को पीने के पानी के लिये पांच-पांच रुपये एक बाल्टी के देने पड़ते हैं। यह बहुत दुख और तकलीफ की बात है। अगर आप दिल्ली में जाकर देखें और दिल्ली की जनता के विचारों को सुनें, तो आपको महसूस होगा कि उन लोगों को पीने के पानी की वजह से कितनी परेशानी हो रही है।

आप पुरानी दिल्ली में जाईये, 50, 50 और 60, 60 साल पुरानी पानी की लाइनें पड़ी हुई हैं जो कि टूट गई हैं और सीवर में मिल गई हैं। उनमें से पीने का पानी जो घरों में टूटियों में आता है, वह मिला हुआ पानी होता है, जिसमें बदबू आती है। जिसे मुंह से नहीं लगाया जा सकता है।

रिसेटलमैंट कालोनियों में पानी के लिये लोगों को मीलों जाना पड़ता है, उनके पास एक बूंद पानी की नहीं है। यमुना-पार दिल्ली की आबादी का एक-तिहाई हिस्सा है जहां कि गलियों में गंदा पानी भरा हुआ है और मच्छर हैं, लेकिन उनके पास पीने का पानी नहीं है।

[श्री जयप्रकाश अग्रवाल]

दिल्ली में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां की पानी की लाइन नहीं बिछी हुई हैं और लोगों को पानी की वजह से बहुत परेशानी होती है। इसकी वजह यह है कि हमने दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी को देखा नहीं और दूसरी तरफ यह कह सकते हैं कि दिल्ली जब बढ़ रही थी तो उसको हमने रोका क्यों नहीं, क्योंकि हम उन लोगों को बिजली और पानी नहीं दे सकते थे।

एक तरफ जब थोड़े समय के लिये पानी मिलता है, चाहे एक घंटा हो या दो घंटे हो, उस समय बिजली चली जाती है और लोगों को फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। 4 बजे पानी खोलते हैं 6 बजे तक के लिये, लोगों को अपनी नींद से उठकर उस पानी को संजोकर रखना पड़ता है। ऐसे में अगर बिजली चली जाये तो वह पानी भी उनको नहीं मिलता है।

क्या हम यह महसूस करें कि हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली में लोग पानी के लिये परेशान रहेंगे, पैसे देकर उन्हें पानी मंगाना पड़ेगा।

अगर पानी के लिये दिल्ली नगर निगम में कनेक्शन की सप्लाई करते हैं तो कई-कई महीने लगते हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं मिलता है। 10, 20 चक्कर लगाने पड़ते हैं तब जाकर वाटर मीटर सैंक्शन होता है और उस कनेक्शन को लगाने के लिये भी लोगों को उन अधिकारियों के आगे झुकना पड़ता है, उनके पैर छूने पड़ते हैं, तब जाकर इनको पानी मिलता है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो हालत आज दिल्ली में है, जिस तरह से लोग आज पानी की वजह से परेशान हैं, दिल्ली के बहुत सारे ऐसे स्लम्स और कटरे हैं जहां एक-एक जगह 300, 300 और 500, 500 लोग रहते हैं। उन 500 आदमियों के बीच में सिर्फ 2 टूटियां पानी की होती हैं। वहां पर लोग एक-दूसरे का सिर फोड़ते हैं, परेशान होते हैं और पानी के लिये घंटो लाइन में उन्हें खड़े रहना पड़ता है।

जब हमारी पालिसी है कि हम स्लम कटरों में पानी की टूटियां देंगे, उनके परिवारों को पानी देंगे, तो वहां पर लोग पानी की एक-एक बाल्टी भरने के लिये 4, 4 और 5, 5 घंटे लाइन में खड़े हों, झगड़ा करें, वहां पुलिस केस बने और वह परेशान हों तो यह उचित नहीं है।

क्या वजह है कि आज तक हमने यह नहीं देखा कि दिल्ली में रहने वालों की क्या परेशानी है और हम किस तरह से उन्हे पानी दे सकते हैं। आप झुग्गी-झोपड़ी, रिसैटलमैंट कालोनी और स्लम-कटरों में जाइये, वहां जाकर आप यह देखेंगे कि पूरे परिवार को सिर्फ एक बाल्टी पानी में अपना गुजारा करना पड़ता है और वह भी 2 रुपये या 5 रुपये में बाल्टी पानी की भरवाकर लेता है।

यमुनापार में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां गंगा का पानी लाया गया है। आप वहां जाकर देखिये, वहां की लाइने टूटी हुई हैं, वहां के ज्वाइंटस मिले हुये नहीं हैं। उन पाइप्स में से पानी निकलकर कई जगह इकट्ठा हो जाता है, मच्छर, गन्दगी पैदा हो जाती है, बीमारी फैल जाती है। वहां के लोगों को उससे बहुत परेशानी होती है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं है।

हम पानी देना चाहते हैं, अगर पानी हमारे पास है, लेकिन उन लाइनों को इस तरह से लगाना चाहिये जिससे लोगों को परेशानी न हो। हम उन लोगों को पीने का पानी नहीं दे सकते हैं, लेकिन गन्दगी के लिये पानी इकट्ठा करवा सकते हैं, इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज दिल्ली की पोपुलेशन 71 लाख है और हमें 472 मिलियन गैलन पानी प्रतिदिन चाहिये लेकिन हमारी सोर्स आफ वाटर सिर्फ 344 एम. जी. डी. है। सन् 1990 में दिल्ली की पोपुलेशन 87 लाख होगी और उसके लिये पानी हमें चाहिये 574 मिलियन गैलन पर-डे। 1995 में पोपुलेशन 104 लाख होगी और 692 एम. जी. डी. पानी चाहियेगा। सन 2001 में पोपुलेशन 128 लाख होगी और पानी 1024 एम. जी. डी. चाहियेगा। लेकिन दिल्ली में पानी लाने के लिये अब कोई जगह नहीं बची है। यमुना का पानी आप इस्तेमाल कर चुके, गंगा का पानी दिल्ली में ला चुके, अब कौन सी ऐसी जगह है जहां से दिल्ली में पानी लायेंगे? सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है कि दिल्ली के लोग प्यासे मरेंगे, लोगों के पास पानी नहीं होगा, पानी की टूटियां सूख जायेंगी और लोग यह देखेंगे कि उनमें से पानी कब टपकेगा।

एम. पीज. भी रो रहे हैं कि उनके पास पानी नहीं है।

मैं मन्त्री महोदय से दो सवाल करना चाहता हूं कि दिल्ली के आस-पास जो नदियों में डैम बनाने की जो योजना बनी थी ताकि दिल्ली को पानी उनसे लाकर दिया जा सके, वह कहां तक गई और किस वजह से वह पूरी नहीं हुई।

दूसरा कितने लोग दिल्ली में ऐसे हैं, जिन्होंने पानी के कनेक्शन के लिये एप्लाई किया है, लेकिन उनको पानी के कनेक्शन नहीं दिये जा सके। मेरी जानकारी के मुताबिक करीब 50 हजार लोग ऐसे हैं जो पानी नगर निगम से मांग रहे हैं, लेकिन उनको पानी नहीं दिया जा रहा है।

तीसरा हरियाणा से जो आपकी बातचीत चल रही है रा-वाटर के लिए, उस स्कीम का क्या हुआ और कितनी जल्दी वह स्कीम लागू हो जायेगी।

श्री अब्दुल गफूर : जिन चीजों का इन्होंने जिक्र किया, उन सब ने यही कहा कि हिन्दुस्तान को आजाद हुए कितने साल हो गये। हम भी जब आजाद हुए थे तो जोग्रफी में पढ़ते थे कि हिन्दुस्तान की आबादी 35 करोड़ है। हिन्दुस्तान बढ़ता गया, आबादी भी बढ़ती गई और प्राब्लम भी बढ़ती गई।

जब हम गुलाम थे तो छोटी-छोटी चीजों के साथ बड़ी-बड़ी चीजें आती थीं तो कोई कान में जूं नहीं रेंगती थी। हम जेल में थे तो बंगाल में कितने लोग मर गये। उसका फोटो देखा कि लोग ऊपर से खाना फेंक देते थे तो बच्चे और कुत्ता एक साथ बैठते थे और उसको खाते थे। इसीलिए आजादी मिलने के बाद सारे लोगों की उमंगें सारे लोगों की मांगें बहुत बढ़ गई, लेकिन आप समझते हैं कि आजादी मिलने के बाद जब हम गुलामी में इतने हजार साल रहे, उस

[श्री अब्दुल गफूर]

वक्त से लेकर हमारी हालत क्या होगी, ठीक वैसे राजस्थान के ऊंट की तरह से कि "ऊंट रे ऊंट तेरी कल कितनी सीधी" इस तरह आप जरा सोचिए।

(व्यवधान)

आपकी प्राब्लम दूसरी तरह से साल्व हो जायेगी। (व्यवधान)

हम अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि जब हम किसी चीज का जिक्र करें तो सारी चीजों पर दिमाग से सोचें कि हम इतनी मुद्दत में कितने आगे बढ़े और हमने कितना काम किया।

आज 344 एम. जी. डी. दिल्ली को मिल रहा है, 472 मिलना चाहिये। आपने दो-तीन चीजों का जिक्र किया, हमारा प्रयास यह है कि इस सेंचुरी में दिल्ली को कितनी पानी की जरूरत होगी जिससे उसको पूरा किया जा सके। जब एक करोड़ की आबादी हो जायेगी तो कहां से पानी आएगा ? इन सारी चीजों पर हम चिंतित हैं। यह न समझें कि भाखड़ा से मांगने की जरूरत होगी तो मांगा जाए, हरियाणा और यू० पी० आदि से बात हो रही है। हरियाणा खुद ड्राउट में आ गया है।

इस समस्या में जहां तक लोगों के पीने के पानी का सवाल है, इस चीज का ख्याल न करे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हर जगह की गवर्नमेंट मदद के लिए तैयार है।

दिल्ली में देखें। साउथ एवेन्यू, नार्थ एवेन्यू में क्या हुआ ? मैं उस रोज यहां नहीं था। स्पीकर की इजाजत लेकर एक रोज के लिए बाहर गया था और अपने दोस्त को कह दिया कि आप हमारा जवाब दे देना। मैं जब यहां आया तो मैंने सोचा कि आज कॉलिंग एटेंशन हैं, उसमें दिल्ली के बारे में खास तौर से जिक्र करेंगे। वही समस्या रहेगी तो क्या जवाब दिया जाएगा। पता चला सभी अफसरों को बुलाकर विचार हुआ कि कैसे एकदम पानी होने से 7-8 बजे ही पानी खत्म हो गया आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि पता नहीं चला कि वह कहां चला गया ? थोड़ी देर के बाद पता लगाया। पता नहीं कैसे थोड़ी देर के बाद अपने-आप पानी आने लगा। यह तो वही बात हुई जैसे हम बचपन में तांत्रिक में विश्वास करते थे और भूत आदि को भी मानते थे। उसी की तरह इसके साथ हुआ। उसमें कोई कमी नहीं हुई ...(व्यवधान)... हमने कहा कि देखिए कहीं भूत न आ जाय, इसलिए इस को रोकने के लिए 24 घंटे आप लोग तैयार रहिए। और लोगों को दूसरी जगह जो पानी नहीं मिलता है तो कोई बोलने के लिए नहीं आता है लेकिन यहां आप लोगों को जरा भी पानी की कठिनाई हो जाय तो आप लोग दिल्ली को सिर पर उठा लेते हैं ...(व्यवधान)...इसलिए हम ने कहा कि एम. पी. लोगों के फ्लैट्स जहां जहां हैं साउथ ऐवेन्यू, नार्थ, एवेन्यू या दूसरी जगह, वहां इसके ऊपर आप विजिलेंस रखिये और जहां कहीं भी शिकायत हो उसको जा कर के देखिए... (व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या हमने केवल अपने बारे में पूछा है ? उनको ऐसा नहीं कहना

चाहिए। यह वास्तव में हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा आक्षेप है।

1.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : मजाक मजाक में आपने बड़ी गम्भीर बात कह दी।

श्री अब्दुल गफूर : इसीलिए मैडम को जरा सा लग गया। लेकिन उनको अगर पानी पीने में दो मिनट की देर लग जाय और उनकी स्टेट में पानी लोगों को मिलने में ज्यादा देर लगे तो वह उतना तो नहीं बोलेंगी जितना अपने लिए। ···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

श्री जुनुल बशर : मन्त्री महोदय ने जो कुछ कहा है उससे संकेत मिलता है कि हम केवल अपने लिए ही चिंतित हैं, दूसरों के लिए नहीं। मुझे खेद है कि मन्त्री महोदय को ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री अब्दुल गफूर : मुझे आपसे भी ज्यादा खेद है।

[हिन्दी]

अच्छा अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं दूसरी चीजों के लिए जवाब दूं।···(**व्यवधान**)··· इसीलिए मैंने पहले कहा कि इस किस्म की चीज के लिए जिसका इंतजाम हमारा डिपार्टमेंट और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन करता है पानी वगैरह का, मैंने उनसे कहा कि फिर दुबारा कहीं इस किस्म का वाकया न हो जाय इसके लिये आप ऐसा कीजिए कि एक फोन आप रखिए जिस पर हाउस के मेम्बर सूचना दे सकें और जहां भी शिकायत आए इम्मीडिएटली आप उस जगह पर जाइए। उनकी प्राब्लम हल हो जायगी नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू वगैरह की तो उनकी अगल बगल जो लोग रहते हैं उनकी भी प्राब्लम आटोमेटिकली हल हो जाएगी। तो विजिल रखने के लिए हमने कहा कि एकदम फिर से ऐसी चीज दिल्ली में न हो।

दो तीन सवाल अग्रवाल साहब ने किए। चांदनी चौक की तरफ आपको मालूम है कि उन को रेनीवेट करने का काम हो रहा है लेकिन आप जानते हैं कि चांदनी चौक का प्राब्लम वाकई ऐसा है कि वहां बड़ी नैरो लेन्स हैं और वह इतनी ज्यादा है कि जो चीज को करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट से जो डिटेल आया है उसके अनुसार दो साल या तीन साल तक लग सकता है। जो दूसरे एरियाज हैं, जैसे कि अशोक रोड, कर्जन रोड, रेस कोर्स वगैरह या और जो ऐसी जगह हैं वहां तो हम आसानी से करा सकते हैं। लेकिन चांदनी चौक की प्राब्लम और है। लेकिन वहां काम हो रहा है और कुछ हद तक हुआ भी है उसको नये ढंग से माडर्नाइज करने का काम, वाटर लाइन बिछाने का काम हो रहा है। आप खुद जानते हैं।···(**व्यवधान**)··· आपको तो काफी मालूमात हैं।

[श्री अब्दुल गफूर]

. जहां तक जमुना का सवाल आपने किया तो वहां तो हमारे रेनी वेल्स भी हैं लेकिन आप को सुनकर ताज्जुब होगा कि जो नीचे से जो पानी ऊपर को आता है वह भी और जो हौरिजन्टल आता है वह भी सब खत्म हो गया··· (व्यवधान)··· हां, सब भूत ले गए। जब माउन्टेन में स्नोमेल्ट करता है तो उमसे हमारा पानी का जो प्राब्लम है चाहे वह ड्रिंकिंग का हो, उसमें थोड़ी आसानी हो जाती है। इस साल मालूम हुआ कि वहां भी भूत पहुंच गए हैं। तो ये सारे वाक्यात जो गवर्नमेंट के कन्ट्रोल के अन्दर हैं उनको तो हम कर रहे हैं। हर मुमकिन तरीके से इसको हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं···

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : एम. पीज . के यहां तो पानी आ नहीं रहा है···

श्री अब्दुल गफूर : आपके यहां तो हरहराकर गिर रहा है, आइये देखिए न।

श्रीमती कृष्णा साही : आप चलिए न, चलकर देखिए !

श्री अब्दुल गफूर : आपके लिये खास इंतजाम हो रहा है···(व्यवधान)··· उनके लिए खास इन्तजाम यह हुआ है कि आपको जब पानी की जरूरत होगी, तो फोन लगा हुआ है। जो पानी पहुंचाते हैं, उनको फोन कीजिए, वे पहुंचा देंगे ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कई बार टेलीफोन खुद भी एक समस्या बन जाता है इसके लिये आप एक दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अथवा इसी प्रकार का कोई दूसरा प्रस्ताव लाना होगा ।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : हरियाणा से भी बात हो रही है। यू० पी० सरकार से भी बात हो रही है और जगहों से भी बात हो रही है, जिसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। नहीं तो फिर आप मुझ से पूछेंगे कि क्या हुआ। इसलिए आपको काम लायक उतनी बातें जरूर हो रही है और हम लोग आपकी प्राब्लम को हल कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : क्षमा कीजिए महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि पानी के कनेक्शन के लिए लगभग 50,000 आवेदन पत्र आए हुये हैं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : आप तो खुद कमेटी के चैयरमैन हैं। आप जानते हैं—डी. डी. ए. है, दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी वगैरह हैं। सब चीजें आप ही लोग कर रहे हैं। जहां तक इस सवाल का सम्बन्ध है, मेरे पास इस वक्त जवाब नहीं है, मैं जवाब मंगा कर आपको दे दूंगा।

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कई मित्रों ने इस समस्या के बारे में मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है । अभी हाउस में बैठे-बैठे श्री निहाल सिंह, जो आगरा से संसद सदस्य हैं और श्रीमती कृष्णा साही व अन्य कई मित्रों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में लिखकर इस उम्मीद से मुझे दिया है कि मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा । हम चाहे जो भी दावा करें, लेकिन हकीकत यह है कि सारे देश की आधे से अधिक जनसंख्या को पीने का पानी हम नहीं दे पा रहे हैं । जो कि पीने लायक पानी होता है, जिसको मीठा पानी कहते हैं । माननीय मंत्री जी ने खुद इस बात को अपने जवाब में स्वीकार किया है कि 54 प्रतिशत प्रोबलम विलेजीज को कवर किया है, जो कि 1972 के सर्वेक्षण के आधार पर आइडेंटिफाई किए गए थे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, बाकी पोपुलेशन को आप कब तक पीने का मीठा पानी दे देंगे ? दूसरा प्रश्न है, 1972 के सर्वेक्षण में हर राज्य की अपनी-अपनी रिजर्वेशन्स हैं और 1972 के सर्वेक्षण की स्थिति से अब स्थिति बदल गई है। 1972 के सर्वेक्षण के वक्त जिन गांवों में पीने का पानी उपलब्ध था, या तो वे स्रोत सूख गए हैं और सूखे नहीं हैं, तो वह योजना काफी पुरानी पड़ गई है । उस योजना से अब पानी नहीं दिया जा सकता है । प्रश्न यह है, मंत्री जी क्या एक नया सर्वेक्षण कराएंगे, ताकि इस बात की जानकारी हो सके कि सारे देश के अन्दर ऐसे कितने प्राबलम विलेजिज हैं और उनको किस प्रकार से पानी दिया जा सकता है ?

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश के इलाके की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा, जिसके बारे में मेरे मित्र कह रहे थे कि एक किलोमीटर से दूर पानी लाना पड़ता है । माननीय मंत्री जी ने कहा हिमालय में बर्फ पिघलनी बन्द हो गई है । बर्फ जरूरत से ज्यादा पिघलेगी, जिस तरह का मौसम हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हिमालय में बर्फ पिघलेगी और पानी निकलेगा, उस पानी को आप, जो उस पानी के लिए तरस रहा है, उन तक कैसे पहुंचाएंगे ? आप हिमालय के पानी की क्षमता पर शंका मत कीजिए, लेकिन आपकी क्षमता क्या है, आप किस तरह से अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे, ताकि लोगों के पास पीने का पानी पहुंच सके ? इसके लिए आपको एक प्लान बनाने की जरूरत है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप एक नेशनल क्रैश प्रोग्राम बनाएं, जिसके अन्तर्गत हम लोगों को पानी दे सकें । वैसे हमने घोषणा तो की है कि इस दशक में हम पानी दे देंगे, लेकिन जिस तरह का आपका उत्तर है और जिस तरह की सारे देश में परिस्थिति है और विशेष कर नार्दन इंडिया के कुछ प्रान्तों में, उससे ऐसा लगता है कि आप इस दशक में आधे गांवों को भी पानी नहीं दे पायेंगे । एक चीज और, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उस क्षेत्र में काफी कठिन परिस्थिति है । मेरे क्षेत्र में 103 गांव ऐसे हैं, जहां पर उस स्थान को लोगों ने छोड़ दिया है या छोड़ने की स्थिति में हैं ।

करीब 200 गांव ऐसे हैं, जहां कि लोगों को 10 किलोमीटर से ले कर 20 किलोमीटर की दूरी पर नीचे नदी की घाटी में पानी लेने के लिए जाना पड़ता है और जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव में गया था, तो वहां की महिलाओं ने मुझे अपने सिर को दिखाया । उनके सिर में बाल नहीं रह गए थे । इतनी खतरनाक स्थिति वहां पर है । माननीय मंत्री जी ने बहुत सारे कदमों का जिक्र इस में किया है और मैं जानता हूं कि उन की अपनी सीमाएं हैं क्योंकि उन को राज्यों

[श्री हरीश रावत]

पर निर्भर करना होता है और उन की अपनी कोई इम्पलीमेंटेशन मशीनरी है नहीं। उन्होंने यह तो बताया है कि इस प्रकार के हम ने कदम उठाये हैं मगर उन की जानकारी नहीं दी है कि जो कदम उठाये गए, उनसे क्या फायदा मिला, उनसे लोगों को क्या राहत मिली। यह प्राब्लम अब से पैदा नहीं हुई है, इस प्राब्लम की तरफ मैं करीब दो महीने से ध्यान आकर्षित करता रहा हूं और मुझ से पहले कई माननीय सदस्य इस तरफ ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से सूखे से पीड़ित क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए कृषि मंत्रालय अपना अध्ययन दल भेजता है, तो अपने मंत्रालय की तरफ से कोई अध्ययन दल भेजें ताकि हर स्टेट के अन्दर कितनी एक्यूट प्राब्लम है, उस की डेंसिटी का ज्ञान हो सके और उस के अनुसार आप प्लान फारमूलेट कर सकें।

मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि छठी पंचवर्षीय योजना में आप ने 1511 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा था। इस को आपको और राज्यों को मिल कर खर्च करना था लेकिन यूनीसेफ की एक रिपोर्ट निकली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1100 करोड़ रुपये ही इस में खर्च हुए हैं। कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं और कहां-कहां ऐसी कमी रह गई है, इस के विषय में हम को जानकारी देने का कष्ट मंत्री जी करें ताकि समुचे राज्यों के जो मेम्बर आफ पार्लियामेंट हैं, वे अपने-अपने यहां राज्य सरकारों पर दबाव डाल सकें और उन के स्तर पर अगर कहीं कोई कमी है, तो उस कमी को दूर किया जा सके और अपने स्तर पर वे कार्यवाही करें।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मद में जो पैसा आपने पिछले साल दिया था वह ज्यादा था। वह करीब 40 करोड़ रुपये था और इस वर्ष 1985-86 में जबकि यह प्राब्लम और ज्यादा एक्यूट हो गई है, आप ने 14 करोड़ 71 लाख रुपया दिया है। मैं आपसे यह चाहूंगा कि इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए क्या और पैसा इसके लिए आप देंगे।

एक प्राब्लम मैंने पिछले दिनों उठाई थी 377 के अन्तर्गत माननीय मंत्री जी के सामने। मैंने आपसे आग्रह किया था कि उत्तर प्रदेश के अन्दर दो एजेन्सियां इस काम को करती हैं। एक एजेन्सी पीने के पानी की योजना को बनाती है और दूसरी एजेन्सी उस के रख रखाव का काम करती है। स्थिति यह हो गई है कि वह एजेन्सी, जिसको जल निगम के नाम से हम उत्तर प्रदेश में जानते हैं, योजना बनाती है और दूसरी एजेन्सी जल संस्थान है। ये दोनों एक ही पेरेन्ट बाडी के हिस्से हैं लेकिन इन में इंजीनियर्स लोवर लेविल पर आपस में मिल जाते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं और वे एक से अधिक बार पहाड़ों में गए हैं और उनके सामने लोगों ने इस बात को बताया है कि वहां पर होता यह है कि जल निगम अधूरी योजना बना कर जल संस्थान को सौंप देता है। एक महीना पानी आता है और वह पानी आने के बाद जब जल संस्थान के पास वह योजना चली जाती है, तो पानी आना बन्द हो जाता है और जब हम इस समस्या को उठाते हैं और जल निगम के लोगों के पास जा कर कहते हैं कि पानी नहीं आ रहा है और योजना खराब है, तो वे कहते हैं कि यह तो जल संस्थान वालों के पास है और जब जल संस्थान से कहते हैं, वालों तो वे कहते हैं कि जल

निगम ने हम को योजना बना कर दी है। ग्रामवासियों से टैक्स तो ले लिया जाता है मगर उन को पानी नहीं दिया जाता है। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं और आप मुझसे इस्तीफा ले लीजिए अगर मेरी बात सत्य साबित न हो। उत्तर प्रदेश के अन्दर जल निगम ने जितनी भी योजनाएं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बनाई हैं, उनमें से 75 प्रतिशत योजनाएं बन्द हैं। उन में एक महीने से ज्यादा पानी आया ही नहीं है और कुछ योजनाये ऐसी हैं, जिनमें पानी आया ही नहीं कभी। योजना बन गई और जल संस्थान को हैंड ओवर हो गई और गांव को फीड होते देखा दिया गया मगर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आप उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से बात चीत करें और आप कृपा करके उत्तर प्रदेश सरकार से कहें कि जल संस्थान और निगम का एकीकरण करो। वे बहाना यह बनाते हैं कि विश्व बैंक की तरफ से कुछ शर्तें हैं, जिन की वजह से ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात है तो विश्व बैंक के अधिकारियों से भी बातचीत करें ताकि वास्तविक रूप से लोगों को जल की आपूर्ति हो सके।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। 124 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को पिछले दिनों आपने अनुदान के रूप में जल आपूर्ति के लिये दिया है मिनीमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रान्त है और उसमें आज भी आप ने सैकड़ों गांवों को प्राब्लम विलेजेज दर्शाया है और वे अभी तक कवर नहीं हो पाये हैं। ऐसे गांवों में से आधे से ज्यादा गांव उत्तर प्रदेश के हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को जो राशि आप ने दी है, केवल 298 करोड़ रुपये का प्रावधान आपने उस के लिए रखा है। तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। क्या आप इसको बढ़ायेंगें ?

इसके अलावा जो खराब जलपूर्ति हो रही है, विशेष कर आगरा जैसे क्षेत्र में जो कि देश का प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र है, जहां के बारे में अखबार में भी निकला है मैं पढ़ कर सुनाता हूं—

> "जल-कल संस्थान ने आंख मूंदकर और हाथ पर हाथ धर कर बड़े ही शांत और धैर्य भाव से लाखों आगरावासियों को गंदे पानी के इंजेक्शन से घुट-घुटकर मरते देखने की तैयारी कर ली है।"

इस अखबार में आगे लिखा है—

"एक अनुमान के अनुसार एक लीटर पानी में कम से कम 100 मिलीलीटर "निखालिस" काई देखने को मिलेगी।

इस प्रकार से जो गंदे पानी की पूर्ति हो रही है, विशेषकर आगरा, वाराणसी और मेरे अपने केन्द्र में भी होती है जो कि जल-संस्थानों की ओर से होती है, यह गंदे पानी की पूर्ति न हो इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

आपके बिहार में भी एक प्राब्लम है जो कि श्रीमती कृष्णा साही की विशेष प्राब्लम है।

[श्री हरीश रावत]

वहां 1967 में अकाल के वक्त में हैण्डपम्पस लगाये थे। मगर ज्यों ही अकाल की स्थिति हटी तो जो हैण्डपम्प अधूरे रह गये थे उन्हें अधूरा छोड़ दिया गया, जो पूरे कर दिये गये थे और जिनके मरम्मत की जरूरत थी, उनकी मरम्मत नहीं की गई। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि इसका उत्तर आप बेशक यहां न दें, लेकिन मेरे भाषण की कापी मंगा कर उसे पढ़ लें और उस बारे में बिहार सरकार के साथ बातचीत कर लें ताकि श्रीमती कृष्णा साही की स्टेट का मामला है, उनको भी सान्त्वना हो सके।

मैंने जो समस्याएं उठाई हैं इस दिशा में आप क्या कार्यवाही कररहे हैं ?

श्री अब्दुल गफूर : जो बात आपने उठाई है, माफ कीजियेगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने बहुत-सी ऐसी चीजों का जिक्र किया जिनको कि सेन्टर नहीं कर सकता है। ड्रिंकिंग वाटर सेन्टर का सब्जेक्ट नहीं है, यह स्टेट का सब्जेक्ट है। आपने जिन-जिन चीजों का जिक्र किया है उनके बारे में आप अपने चीफ मिनिस्टर से मदद लीजिए।

श्री हरीश रावत : जब स्टेट के मुख्य मन्त्री यहां आयें तो आप उनसे बात तो कर सकते हैं।

श्री अब्दुल गफूर : मैं आपको बताता हूं। यह हर स्टेट का अपना-अपना मैटर है और हर स्टेट की यह जिम्मेदारी है कि वह पता लगाये कि उसकी स्टेट में कितने प्राब्लम विलेजिज हैं।

आपने कहा कि आप अपने आफिसर्स तमाम- हिन्दुस्तान में भेजिये जा कर घूमें और देखें फिरें कि कहां-कहां प्राब्लम विलेज हैं। इस बारे में हमारी तरफ से हरेक स्टेट को लिखा जाता है और हरेक चीज भी जाती है कि आप बताइये कि आपके यहां क्या स्थिति है। बहुत सी जगह से इन्फमैशन देर में आती है, बहुत सी जगह से आ जाती है। उसी के मुताबिक मैं अपने फिगर दे रहा हूं कि दो लाख इक्तीस हजार प्राब्लम विलेजिज हैं।

उसके बात एक नई चीज जैन साहब ने बताई। उसका कहना ठीक है और एक नई चीज मालूम हुई। लेकिन जहां तक यू० पी०, बिहार और दूसरी स्टेट का ताल्लुक है, तब ये स्टेट अपने यहां के प्राब्लम विलेजिज के बारे में नहीं बता सकती है तब यहां से प्राब्लम विलेजिज के बारे में तमाम हिन्दुस्तान में ढूंढ़ते हुए घूमें···

श्री हरीश रावत : यह एक अक्यूट प्राब्लम है। ड्रिंकिंग वाटर की अक्यूट प्रब्लम खड़ी हो गई है। जिस तरह से आपके सूखे की स्थिति में यहां से ले जाते है और राज्य सरकारों से बात करते हैं, उसी तरह से ड्रिंकिंग वाटर के विषय में भी यहां से आपके अधिकारी जाएं और राज्य सरकरों से बात करें।

श्री अब्दुल गफूर : वह तो हमने बता दिया है। जब कभी कन्ट्री पर कोई स्पेशल आफत

आती है, जैसे ड्राट हो गया, जिसके लिये आपकी स्टेट काम नहीं कर सकती है क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सिज नहीं है, तो हम लोग उनकी मदद करने के लिए जाते हैं।

श्री जैनुल बशर : क्या आप पीने के पानी के संकट को विशेष आफत नहीं समझते ?

श्री अब्दुल गफूर : मैंने इस चीज को शुरू में कहा। मैं इस चीज को जानता था कि यह जो कालिंग अटेंशन है वह सारी स्टेट्स को ड्राट कंडीशन पर है। उसी तरीके से मैंने अपने स्टेटमेंट में जिक्र करते हुए आपको बताया। मेरे से गलती यह हो गई कि मैंने प्राइवेट में जैन साहब से बात नहीं की। हर जगह के लोगों ने यह समझा कि हर स्टेट में प्राब्लम है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आफिसर्स नहीं गये हों। वहां की क्या प्राब्लम्स हैं, कितनी मेगनीच्यूड में हैं, उनके बारे में बात की है।

मैंने यह नहीं कहा कि यूनिसेफ से भी मेरे पास खबर आई है कि हम भी मदद करने को तैयार है, हम भी रिलीफ देंगे। अगर इस किस्म की कोई आफत आने वाली हो तो सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड भी कहता है कि मेरे पास रिग्स भी है, अगर स्टेट गवर्नमैंट अपना प्रोग्राम बना कर भेजे, तो आफिसर्स जाते हैं, आप जानते हैं कि जिस स्टेट में जाते हैं तो वहां के चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर इंचार्ज, वहां के आफिसर्स, सब लोग जमा होते हैं। वे लोग भी जाते हैं कलेक्टर से रिपोर्ट लेकर, सारी चीजों का खाका यहां आता है और उसके बाद सेंटर डिसाइड करता है कि हम कितनी मदद देंगे। इन सारी चीजों की कार्यवाही हो रही हैं जो कालिंग अटेंशन के जरिए कही गई हैं, लेकिन अब उसमें ड्रिंकिंग वाटर की भी प्राब्लम आ गई है। अब अगर ड्राउट हुआ इस किस्म का कि जमीन फटने लगेगी और पहाड़ से रुई के गाले उड़ने लगेंगे तो उसकी प्राब्लम दूसरी है और नेचुरल वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर की प्राब्लम दूसरी है। हम जब बच्चे थे, हिन्दुस्तान में गुलाम थे उस वक्त हमारे गांव में एक भी ट्यूबवैल नहीं था। हम लोग जाकर बाल्टी या लोटे से कुए में से पानी निकालते थे, वही पीते थे और उसी से जानवरों के लिए ले जाते थे, उसी कुए से। साल में एक दफा लोग जमा होकर सारा पानी निकाल कर उसको साफ कर लेते थे, भोजपुर में उसको कहते हैं "उडान" यानी सारी गंदगी निकालकर फिर पानी एकदम ड्रिंकिंगवाटर हो जाता था और मैं समझता हूं कि आप भी वहीं अगल-बगल के रहने वाले होंगे, आपको भी इसका तजुरबा होगा, लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए, अब कोई उस ट्यूबवैल से पानी नहीं लेता है। सबके घर में पंप लगे हैं। भाई साहब ने जिक्र किया बिहार के बारे में, यह केवल बिहार की प्राब्लम नहीं है, बहुत सी जगह की है। मेरे पास इस किस्म की जानकारी है कि गवर्नमैंट ने रुपया भेजा कि ट्यूबवैल लगाओ, और 110 फुट पर लगाओ, लेकिन 35 फुट पर पानी निकलने लगा तो उसी पर ही लगा लिया, रुपया 110 फुट का ले लिया और अगर कहीं को 8 आने का वाशर खराब हो गया तो जब तक गवर्नमैंट इन्क्वारी आफिसर भेजकर दो सौ रुपया खर्च नहीं करती तब तक वह पंप नहीं चलता। इस प्रकार की मनोवृत्ति भी चल रही है और इस मनोवृत्ति को हमें बदलना होगा। पंचायत है, एम० एल० एज० हैं, एम० पीज० हैं, आफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, सेंटर से लेकर नीचे तक हर जगह, इन सब लोगों की आदत हो गई है कि हर चीज गवर्नमेंट की ही जिम्मेवारी है।

[श्री अब्दुल गफूर]

एक वाशर आठ आने में मिलता है, डेढ़ रुपए में मिलता होगा, लेकिन उस वाल्व को ठीक करने के लिए, उसको लेने के लिए भी कलेक्टर साहब के पास पहुंच जाएंगे कि दीजिए । ये सारी चीजें हैं, तो हमको अपनी मनोवृत्ति में बदलाव लाना होगा, इस चीज को देखना होगा, यह मनोवृत्ति सारे हिन्दुस्तान में है । ड्राउट की बात अलग रखिए, ड्रिंकिंग वाटर प्राब्लम विलेजेज, यह इसलिए कहा गया है कि हम लोग यह भी नहीं जानते थे कि कोई प्रोब्लम विलेज है । आज हम लोग सुन रहे हैं, पहले यह भी नहीं जानते थे कि पहाड़ पर लोग कैसे पानी पी रहे हैं । यह सब आजादी मिलने के बाद हमने जाना । जितनी हमारी जरूरियात बढ़ती हैं उतने ही हमारे एक्सपर्ट्स जाते हैं और उनको तत्काल कम करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें हैं। आप सोचिए कि इक्कीसवीं सदी में क्या हमारी हालत होगी, उसके लिए भी आज से ही सोचा जा रहा है, बीसवीं सदी के आखिर में क्या होगा, उसके मुत्तलिक भी सोचा जा रहा है । अब इन चीजों को एक रोज में कंपलीट नहीं किया जा सकता, इसमें धीरे-धीरे हमको आगे बढ़ना होगा। आप देखते हैं कि बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां भी कभी कभी खास आफत, मुसीबत नाजिल हो जाती है, लेकिन लोग उसका मुकाबला करते हैं। मैं समझता हूं कि पिछली बार दूरदर्शन के मिनिस्टर साहब ने बताया कि 42 मिलियन पीपल वर किल्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वार, और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि कहीं वह हालत हमारी हुई होती तो हम तो वगैर मारे ही मर गए होते, लेकिन जर्मनी तो चार साल के अंदर उस जर्मनी से अच्छा वहां के लोगों ने बना लिया । यह है नेशनल करेक्टर, हमको अपने नेशनल करेक्टर को डेवलप करना होगा। हमारे यहां परशियन के एक शेर है, मैं उसको पढूंगा नहीं, उसका अर्थ है कि मौलवी साहब ने बताया कि देखो, जिस काम को तुम खत्म कर सकते हो, उसके लिए अपने हाथ मत फैलाओ, इसलिए कि हाथ फैलने का मतलब है वह पुल बनाना जो कि इज्जत को इस पार से उस पार कर देता है। जो छोटे-छोटे काम हैं और जो हम अपना नेशनल करेक्टर बिल्ड कर सकते हैं, उस चीज को हमको बनाने की जरूरत है। किसी भी पार्टी की स्टेट में गवर्नमेंट हो जैसे बंगाल में सी० पी० एम०, आन्ध्रा में तेलगु देशम और कहीं पर जनता पार्टी की है तो क्या आप समझते हैं कि उन स्टेट ने और बंगाल ने अपनी प्राब्लम साल्व कर ली है। अगर कोई उनके पास मैजिक बैंड हो तो वह कर सकते हैं। कुछ जगह रुपया भी दिया गया लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है। कहीं-कहीं पर तो सरेन्डर हो जाता है। कहीं-कहीं स्टेट में इतना काम होता है कि उनके पास एक-आध करोड़ रुपया रह जाता है तो वे फिर पहुंच जाते हैं कि रुपया और दीजिए । जब हम अलीगढ़ में पढ़ते थे तो एक फ्रन्टीयर का लड़का था। वह बहुत काफी किया करता था । वह कहता था कि गफूर भाई, जानते हो हमारे मुल्क की क्या हालत है। जब दस-बीस आदमी हो जाते थे तो वह बोलना शुरू कर देता था। फ्रन्टीयर मेल चल रही है और पेशावार पर गाड़ी आती थी तो गंभीर आवाज में पराठा-कबाब बोलता था। जब गाड़ी दिल्ली पहुंचती तो धीमी आवाज में गोश्त-रोटी, उसके बाद लखनऊ पहुंचे तो कुछ दूसरे किस्म की आवाज, पटना पहुंचे तो मूमफली, कलकत्ता पहुंचे तो रसोगुल्ला अपनी आवाज में बोला करता था । वह अपनी आवाज में बताता था कि हर स्टेट के लोगों में कितनी कूवत है। कबाब-पराठा से रसोगुल्ला तक पहुंचने में हमारे यहां कितनी चीजों की कमी होती है

लेकिन इन दोनों के बीच में बिहार और यू० पी० वाले मारे जाते हैं ।...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह अब पानी के बारे में भूल गये हैं ।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : मतलब यह है कि कुछ काम स्टेट को भी करना है । अगर हम यह कह दें कि हम ही पानी पहुंचायेंगे तो बावेला मच जायेगा कि सेन्टर इन्टरवीन कर रही है ...... (व्यवधान) कांग्रेस वाली हकूमत में तो इन्टरवीन कर सकते हैं । वहां पर बहन जी बैठी हैं, उनकी तरफ भी देख लीजिए । रुपया देने के बावजूद भी खर्च नहीं होता है । अगर जरा सा कुछ कह दें तो आग लग जाती है । तेलगु देशम से कुछ कह दें तो कहेंगे कि क्या हो रहा है । इसलिए इन सब चीजों की खासतौर से पानी कि जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है । सेन्टर तो यह कहती है कि जो स्टेट ज्यादा ड्रिंकिंग वाटर की तरफ कदम उठायेगा उसको इन्सेन्टिव देंगे । हमने इन्सेन्टिव दिया भी है ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) राजस्थान को दिया है ।

श्री अब्दुल गफूर : : बहुत से राज्य ऐसे हैं जो हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं । रुपया देते हैं तो सरेन्डर हो जाता है । फ्रन्टीयर मेल से लेकर हावड़ा स्टेशन तक का जिक्र कर दिया है । इसीलिए जो अगले बोलने वाले मेम्बर हैं वह इस चीज का ख्याल रखें ।

श्री जैनुल बशर : उपाध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी की बातों में तो बड़ा मजा आया । लेकिन इस मजे में उन लोगों को नहीं भूलना है जो आज पानी के लिए तड़प रहे हैं । मंत्री जी ने यह कहा कि कोई बड़ी आफत नहीं आई है, कोई अकाल नहीं पड़ा है और कोई ड्रॉट नहीं आया है कि सेन्टर इन्टरवीन करे । पानी से ज्यादा जरूरी कौन-सी चीज है । बिना खाए हम अनेक दिनों तक रह सकते हैं लेकिन बिना पानी पिये हुये एक दिन भी रहना मुश्किल है । हमारे गफूर साहब रोजा रखते होंगे या इस गर्मी में रोजा रखेंगे । तो इस बात का उनको तजुर्बा होगा । पानी से बड़ी और जीवन की कौन सी दूसरी नैसैसिटी है और आज हिन्दुस्तान में करोड़ों लोग पानी के लिये तड़प रहे हैं । इसलिये इस विषय को इतनी लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए । स्थिति बहुत गम्भीर है । उड़ीसा से रिपोर्ट आ रही है कि वहां पानी के बिना कई लोग मर गए पानी के अभाव में वहां कई मौतें हो चुकी हैं । इसी तरह मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश से भी खबरें आ रही हैं कि वहां पानी न मिलने के कारण लोग गांव छोड़ कर भाग रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं । उड़ीसा से हमारे साथी रथ साहब यहां बैठे हैं, आन्ध्र प्रदेश से भी कुछ लोग बैठे हैं, उन लोगो को इस कालिंग अटेंशन में भाग लेने का मौका नहीं मिला और यही कारण है कि वे आज अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं लेकिन मैं उन लोगों की भावनाओं को आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं । राजस्थान के बारे में तो जैन साहब ने काफी बताया कि वह तो रेगिस्तान है, वहां के लोग तो पानी की प्यास के आदी हो चुके होंगे और उसके लिये कुछ व्यवस्था भी हो रही है लेकिन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार

[श्री जैनुल बशर]

आदि कई दूसरे राज्यों में पानी का गंभीर संकट विद्यमान है। पहले कभी इतना बड़ा क्षेत्र पानी के संकट से प्रभावित नहीं हुआ करता था, जितना इस वर्ष हो गया है। क्या यह वैसा संकट नहीं है, जिसे राष्ट्रव्यापी संकट की संज्ञा दी जा सके और केन्द्र सरकार को इसमें भी उसी तरह से राहत पहुंचानी चाहिए, जिस तरह की राहत सूखा, अकाल, बाढ़ आदि के समय पहुंचाई जाती है। निश्चित तौर पर यह संकट भी वैसा ही संकट है बल्कि उससे भी बढ़कर संकट है। लोगों को 4-5 या 6 दिन तक खाना न मिले तो वे किसी तरह रह लेंगे, वे इंतजार कर लेंगे लेकिन पानी के बिना एक दिन भी निकलना मुश्किल है। आज हमारे देश की आधी आबादी पानी के संकट से त्रस्त है, कहीं कम मात्रा में है तो कहीं अधिक मात्रा में है। कहीं पर लोगों को 7-7 या 8-8 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है तो दो-दो या चार-चार किलोमीटर से। लेकिन पानी की समस्या सब के सामने है, वाकई है और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। मंत्री जी को भी पता होगा क्योंकि वे बहुत योग्य मंत्री हैं, काबिल मंत्री हैं और उनकी अपने विभाग में काफी पकड़ है। वे बिहार जैसे राज्य के मुख्य मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने काफी नाम भी कमाया है। हमें उनसे काफी आशा है। परन्तु मुझे दुखः इस बात का है कि उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, आन्ध्र प्रदेश में, बिहार में और दूसरी जगहों पर पानी का इतना बड़ा संकट है और किसी केन्द्रीय मंत्री ने उन स्थानों को अभी तक विजिट भी नहीं किया है। मुझसे ज्यादा खबरें उनको मिलती होंगी, हम तो रोजाना जो अखबार में पढ़ते हैं उसी के आधार पर कह रहे हैं और जब से लोकसभा का यह वर्तमान सैशन शुरू हुआ है, तब से प्रतिदिन नियम 377 के अधीन दो-दो या तीन-तीन स्पेशल मैंशन के जरिए माननीय सदस्यगण पेयजल संकट की तरफ सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। सभी सदस्यों ने अपने-अपने राज्यों की समस्या का जिक्र किया, मैंने स्वयं किया था, लेकिन जैसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, मैं और किसी क्षेत्र की बात नहीं कहता, क्योंकि दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के बारे में कह सकता हूं कि उन स्पेशल मैंशनस के बावजूद, कहीं पर भी कोई विशेष प्रयास इस संकट को दूर करने की दिशा में नहीं हुए। मैंने इस सम्बन्ध में कई लोगों से पूछा, कोई विशेष तवज्जह नहीं दी गई। और तो और, हमने नियम 377 के अधीन यहां जितने मैंशन किए, उनमें से किसी का उत्तर अभी तक हमारे पास नहीं आया। कैसे समझा जाए कि आपका मंत्रालय गम्भीरतापूर्वक इस मामले को ले रहा है। क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि जब अकाल पड़ेगा तब आप कुछ करेंगे। क्या पानी से भी बड़ा कोई दूसरा अकाल हो सकता है।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात की ओर मंत्री जी का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां जिन गांवों को आइडेन्टिफाइड विलेज के अन्दर गिना जाता है और जिनको आप प्रौब्लम विलेजेज कह रहे हैं उनकी सूची 1972 में बनाई गई थी और उस 1972 की सूची के आधार पर, जिन गांवों को चुना गया था, आप केवल उन्हीं गांवों को प्रौब्लम विलेजेज मानते हैं लेकिन 1972 से 1985 तक, 13 साल बीत गए इस दौरान कितने और गांव प्रौब्लम विलेजेज की कैटेगरी में आ गए, और कितने गांव प्रौब्लम विलेजेज बन गए, कितने गांवों से पानी चला गया, कहां चला गया, उसकी आज तक कोई छानबीन नहीं की गई है। इसके अलावा आपने 1972 में जिन प्रौब्लम विलेजेज को चुना था, उनमें भी अभी तक पूरे गांवों में पानी नहीं

पहुंचाया है । इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप पिछली बातों को भूल जाईये, अब वह जमाना खत्म हो गया, अब तक उन गांवों के कुंए सूख गए होंगे, जिनकी आप सफाई किया करते थे।

बहुत से गांवों में पहले पानी का संकट हुआ करता था, लेकिन जिस प्रकार से आज ग्राउन्ड वाटर का युटिलाइजेशन हो रहा है, जिस प्रकार से सिंचाई के लिए ट्यूबवैल, नलकूप लगाए जा रहे हैं और जितनी तेजी के साथ ग्राउण्ड वाटर निकाला जा रहा है, उससे आज पानी का संकट पैदा हो गया है। और आने वाले जमाने में और गांव प्रभावित होंगे । हम लोगों की तरफ पहले उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, वारानसी; हमारे वित्त मंत्री महोदय, जहां से आते हैं, उनका प्रोब्लेम विलेजेज का क्षेत्र रहा है पीने के पानी के सम्बन्ध में बहुत जमाने से और मिरजा-पुर के कुछ इलाके भी प्राब्लम बिलेजेज थे, कुछ पहाड़ों पर पानी का संकट था, लेकिन आज पूरा उत्तर प्रदेश पीने के पानी के संकट में आ गया है। इसी तरह से दूसरे प्रदेशों की भी हालत होगी। बिहार की भी, मध्यप्रदेश की भी। उड़ीसा की भी। पूरे के पूरे राज्य ही अब तो पीने के पानी के संकट में आ गए हैं। तो 1972 की सूची के मुताबिक जो प्रोब्लम विलेजेज हैं, उस सम्बन्ध में भी आपके विभाग का सर्कुलर कहता है कि जो सन् 1972 की सूची में प्राब्लम विलेजेज दर्शाए गए हैं, वहीं पानी की व्यवस्था की जाए और जो गांव प्राब्लम विलेजेज की सूची में नहीं हैं, वहां वे लोग नहीं लगाते हैं, कोई पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करते हैं। वहां हेंडपम्प नहीं लगाते हैं वहां दूसरी कोई भी पीने के पानी की योजनाएं नहीं बनाते हैं । कहते हैं कि जिला-धिकारी से पैसा अलग से फण्ड में दिलाओ तब हम लगाएंगे, हमारे प्लान में वह नहीं है। तो सन् 1972 की सूची पर आप कब तक चलेंगे ? आखिर आप नई सूची क्यों नहीं बना रहे हैं, नए प्रोब्लम विलेजेज आप क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं? आप कहते हैं कि जब तक इसको पूरा नहीं कर लेंगे तब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो इनको पूरा करने में भी आप देरी क्यों कर रहे हैं। इस काम को आप 11 साल से पूरा कर रहे हैं, लेकिन आज तक पूरा नहीं हो पाया है। अभी तक आपने एक लाख 92 हजार गांवों में लगाया है और 60-65 प्रतिशत गांवों को इसमें आपने अभी तक कवर किया है और अभी तो काफी गांव बचे हैं, जिनको पूरा करने में समय लग जाएगा । इसलिए मेरा आप से अनुरोध है कि आप नई सूची बनवाइए और जो गांव सन् 1972 की सूची में नहीं हैं, उनमें भी आप पीने के पानी की व्यवस्था करिए।

1.37 म० प०

(श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुई)

आपने एक यह बना दिया है कि एक गांव की जितनी आबादी होगी, उस हिसाब से हेंड पम्प लगाए जाएगें। राजस्थान में तो अभी जैन साहब ने बताया है कि, जिस पर मंत्री जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक गांव 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक फैला हुआ था; लेकिन हमारे यहां तो इतनी दूरी तक गांव फैले हुए नहीं हैं; किन्तु एक गांव के एरिया में 5-7 मील की दूरी पर उसी गांव के हेमलेट्स हैं, कोई चार किलो मीटर की दूरी पर है, फिर 50 गज

[श्री जैनुल बशर]

नहीं बसा है, फिर 30 गज बसा है, फिर 20 गज नहीं बसा है और फिर 20 गज बसा है, तो कहने का मतलब यह है कि चार-पांच किलोमीटर के एरिया में जो छोटे-छोटे हेमलेट्स बसे हैं, उनमें पानी नहीं है। अब आप मेन गांव में तो पानी पहुंचा देते हैं, हैंड पम्प लगा देते हैं, लेकिन उसी गांव के जो हेमलेट्स हैं, जहां 50 घर हरिजन के बसे हैं, आदिवासी के बसे हैं, गरीब आदमी के बसे हैं या कमजोर वर्ग के आदमी के बसे हैं, वहां आप पानी की कोई व्यवस्था नहीं करते। वहां कहते हैं कि आबादी कुल 1200 चाहिए और इस हिसाब से आपकी आबादी कम है और हम तो यही मेहरबानी कर रहे हैं कि लगा रहे हैं। लेकिन यह 1200 की आबादी अलग-अलग इलाके में, दो-दो तीन-तीन और पांच-पांच किलोमीटर की दूरी पर बसी हुई है, तो इन हेमलेट्स की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए और पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए।

सभापति महोदया, एक बात की तरफ मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये जो अलग-अलग राज्य हैं, इनकी समस्याएं अलग-अलग तरीके की हैं। कहीं पर पेयजल योजनाएं कामयाब नहीं हैं और कहीं पर हैंड पम्प कामयाब नहीं है। हमारे यहां हैंड पम्प कामयाब नहीं हैं, लेकिन पेयजल योजनाएं कामयाब हैं। आपके विभाग ने शायद यह पोलिसी डिसीजन लिया है कि अब पेयजल योजनाएं नहीं बनाएंगे, अब केवल हैंडपम्प लगाए जाएंगे। इस सम्बन्ध में मेरा आपसे पूछना यह है कि ये हैंडपम्प कितने सीजन चलेंगे और ये हैंडपम्प कितने नीचे जाएंगे? क्योंकि हमारे यहां पानी का स्ट्रेटा बराबर नीचे होता जा रहा है। हैण्डपम्प तीन महीने, छः महीने, साल भर और डेढ़ साल या ज्यादा से ज्यादा दो साल के अन्दर खत्म हो जाते हैं, फिर इनको बनाने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार के जितने काम होते हैं, वे हो तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद यदि वे खराब हो जाएं, तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। इनकी कौन देखभाल करेगा ये किसका बच्चा है ? यह पता नहीं है।

जहां भी राहत के काम हुए हैं, चाहे सड़क बनी हो, पेयजल का इंतजाम हुआ हो, इसका कोई पता नहीं होता है, कि यह किस का बच्चा है, कौन इसकी देखभाल करेगा, कौन निगरानी करेगा ? इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें राज्य सरकारों की गलती है। वहां कुछ पता नहीं होता है कि इसको जिला परिषद देखेगी, जल निगम देखेगा, ब्लाक देखेगा या ग्राम सभा देखेगी। एक साहब ने अभी कहा कि अगर उसका एक स्क्रू टूट गया तो वह बेकार हो जाता है। एक, डेढ़ रुपये के खर्च के पीछे भी वह बेकार पड़ा रहता है और बच्चे उसे यों ही तोड़-फोड़कर बर्बाद कर देते हैं।

मैं नहीं जानता कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश की क्या हालत है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में कह सकता हूं कि हमारे यहां पेय-जल योजना कामयाब हो सकती है। आप इसी के जरिये वहां पानी पहुंचाने की कृपा करें। हैंड-पम्प से आप तत्काल राहत जरूर दे सकते हैं, लेकिन वह थोड़े समय के लिये होती है, लोगों की हमेशा की प्यास हैंड-पम्प से नहीं बुझ सकती है। आपको इसके स्थायी हल के लिए पेय-जल योजना पर डिपेंड करना पड़ेगा। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो भी टैक्नीकल कमेटी बनी है, जिसने पूरे देश के लिए एक निर्णय लिया है कि पेय-जल योजना नहीं चलायेंगे, हैंड-पम्प ही लगायेंगे, उस पर वह गंभीरता से विचार करें जिस क्षेत्र की जो स्थिति हो; उसके हिसाब से वहां की योजना बनाई जानी चाहिये।

सभापति महोदय, अगर इस समय तत्काल राहत नहीं पहुंचाई गई, यह संकट 2 महीने के लिए है मई और और जून, इसके बाद पानी बरस जायेगा। अगर मंत्री महोदय उसी का इन्तजार कर रहे हों तो बात दूसरी है। पानी बरस जायेगा, समस्या समाप्त हो जायेगी, मेम्बर यहां से 17 मई को चले जायेंगे, उनकी शक्ल भी यहां नहीं दिखाई देगी, अगर मंत्री महोदय यह बात सोचते हैं तो बात दूसरी है। इस वक्त हम अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां पर पानी का मामला होगा, पानी की ही बात होगी। मंत्री महोदय तो क्षेत्र में जायेंगे नहीं, हम लोगों को जाना है इसलिये इसी 2 महीने में तत्काल व्यवस्था करनी आवश्यक है। युद्ध-स्तर पर यह व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

उड़ीसा में लोग पानी के बिना मर रहे हैं, मध्य प्रदेश से लोग पानी के बिना भाग रहे हैं गांव छोड़कर, वही हालत आन्ध्र प्रदेश में भी हो रही है, लोग भाग रहे हैं, लेकिन हमारे यहां यह स्थिति नहीं आई है कि लोग भाग जायें। हमारे यहां गंगा नदी बहती है, लोगों को काफी दूरी से, 5,5 और 7,7 किलोमीटर दूर से रातों-रात चलकर पानी लाना पड़ता है। छोटे बच्चे और औरतों को दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है।

पेय-जल की एक राष्ट्रीय समस्या है और बहुत से हमारे माननीय सदस्यों को इस पर बोलने का मौका नहीं मिल सका, इसलिए मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में विशेष नहीं कह सका, लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सारे के सारे कुंए सूख गये हैं, बक्सर मेरे नजदीक है, वहां भी कुएं सूख गये हैं, लेकिन गंगा नदी अभी नहीं सूखी है, यह सौभाग्य की बात है। लेकिन गंगा नदी भी पोल्यूटेड हो गई है। उसका पानी पीना भी अब बहुत खतरनाक है, यह आसानी से आप समझ सकते हैं। लेकिन उस पानी को पीने के लिये हम लोग मजबूर हो रहे हैं। रातोंरात लोग जाते हैं और पानी भरकर लाते हैं।

मुझे दुःख है, मंत्री जी से बड़ी हमदर्दी है, हमारी राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी का ठीक प्रकार से निर्वाह नहीं कर रही हैं, चाहे वह कहीं की राज्य सरकार हो—बंगाल की हो, आन्ध्र प्रदेश की हो। पानी के लिये हम लोग चिल्ला रहे हैं, लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। इसमें पैसा तो सरकार दे सकती है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारी एक बात मानिये, मैं श्री रावत जी से सहमत हूं कि आप एक अध्ययन दल राज्यों में तत्काल भेज दीजिये जो वहां जाकर जल्दी से आपको रिपोर्ट दे और आप युद्ध-स्तर पर पानी की व्यवस्था वहां कर सकें।

आप पानी की युद्ध स्तर पर व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें सुझाव दे दिया, लेकिन तत्काल दो महीने के लिए आपको पीने के पानी की व्यवस्था करनी होगी। उसके लिए अधिक फंड की आवश्यकता हो तो मैं समझता हूं कि इसमें पूरा सदन मेरा साथ देगा कि जितनी भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसमें वित्त मंत्री जी हमारी सहायता करेंगे।

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) : महोदय, इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सर्वप्रथम हमने किया था लेकिन बेलेट में हम भाग्यशाली नहीं रहे। दुर्भाग्यवश आंध्र प्रदेश में पानी की इतनी अधिक कमी है कि राज्य सरकार को इस कमी को पूरा करने के लिए 6 करोड़ रु० आबंटित करने पड़े। माननीय सदस्य श्री जैनुल बशर जो उत्तर प्रदेश से हैं, ने अपने भाषण में आंध्र प्रदेश का जिक्र किया है और मैं समझता हूं कि वह भी माननीय मंत्री महोदय से यह कह रहे थे कि उन्हें आंध्र प्रदेश जाना चाहिए और वहां पानी की अत्यधिक कमी को देखना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह श्री जैनुल बशर द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देते समय आंध्र प्रदेश की स्थिति को भी ध्यान में रखें।

श्री सोमनाथ रथ (आसुका) : उड़ीसा में भी स्थिति बदतर है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : पेय जल की अत्यधिक कमी से सम्बन्धित प्रस्ताव के अन्तर्गत देश के विभिन्न भाग आते हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय इस सभा में प्रश्नों का उत्तर देते समय देश के उन सभी भागों की स्थिति पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : यह जो कालिंग अटेंशन आया है, उस पर हमारे सभी माननीय मैम्बरान ने अपने-अपने लर्निड़ विचार प्रकट किये हैं। इतने मिनिस्टर अभी भी हाजिर नहीं रहते थे, जितने आज हाजिर हैं।

...(व्यवधान)...

मैं सबसे ज्यादा अपने दोस्त जैनुल बशर के काबिलाना तकरीर से काफी मुतस्सर हुआ। मैं इनके सुझावों पर, जितनी मेरी बदन में ताकत है, उनसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। दो महीने का इनका जो प्राबलम है, इस दो महीने की प्राबलम में अगर बारिश हो जाये तो अच्छा है। मैं तो भगवान से दुआ करता हूं कि कल ही बारिश हो जाये जिससे आपकी भी प्राबलम हल हो जाये और मेरी भी प्राबलम हल हो जाये जिससे आपकी भी जान बच जाये और मेरी भी जान बच जाये।

...(व्यवधान)...

जहां तक प्राबलम विलेजिस का इन्होंने जिक्र किया कि 1971 में बना या 1980 में

बना, उससे हम लोगों को कोई सरोकार नहीं है। हम भी आज कहते हैं कि सारी स्टेट्स की अपनी प्राबलम हैं। उनको पता चले कि कितना हुआ है, कितना और करना है, कितनी दूर तक जा सकते हैं और कितनी हमारी ताकत है। यह नहीं कि हर जगह सेंटर जाकर देखें कि यह समस्या है, यहां ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, एजुकेशन, डिफेंस, इरिगेशन और एग्रीकल्चर की समस्या है। हर चीज के लिए आप कहें कि सेंटर से ही खेत बोने के लिए जायें, ताकत भी सेंटर से जाये, यूनिवर्सिटी के लिए लेक्चरार चाहिए तो वह भी यहां से जायें। ऐसा नहीं हो सकता है।

हमारे दोस्त जैनुल बशर ने एक चीज मेरे मुंह में कह दी जो कि मैंने नहीं कही। उन्होंने कह दिया कि यह प्राबलम जो आज है, उसकी अहमियत ड्राउट एफेक्टीव स्टेट्स में है। उसमें इन लोगों ने जिस चीज का जिक्र किया कि फलां फलां स्टेट में यह है, उसका जवाब देते हुए मैंने कहा था शुरू में ही कि जब कभी भी इस किस्म की शिकायत स्टेट से आती है कि हमारे यहां फ्लड आया है या ड्राउट आया है, फलड भी आ जाता है बहुत सी जगह और ड्राउट भी हो जाता है कि एक ही वक्त में तो फ्लड की प्राबलम के लिए भी और इसके लिए भी मदद सेंटर से होती है मैंने कहा कि सारी जगह हमारी सेंटर की टीम जाती है, वह वहां की स्टेट गवर्नमेंट से बात करके यहां अपनी रिपोर्ट देती हैं। उस रिपोर्ट की बेसिस पर सेंटर जितनी मदद कर सकता है वह करता है। कुछ रुपया सैंक्शन भी हो गया है। मैंने यह भी जिक्र किया कि हमारी दूसरी एजेंसीज तैयार बैठी हुई हैं, स्टेट्स अपना खाका बताएं यूनिसैफ ने भी कहा है कि हमारे पास रिग्स हैं।

अगर इस किस्म के वाकयात हों तो हम स्टेट्स को देने के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से सेंटर से भी तमाम ये चीजें गई हैं। उनको रुपया भी सैंक्शन हुआ है जो स्टेट्स को गया है। लेकिन कभी कभी होता यह है कि जैसे धान के बोने के वक्त हैं, जैसे ही बारिश नहीं हुई वावेला मच जाता है कि मर रहे हैं, मर रहे हैं, बचाओ, बचाओ। धान तो बोयेंगे किसी खास महीने में और उसके चार महीने के बाद वह जा कर पैदा होगा। अगर पैदा न हो, उस वक्त चिल्लाएं कि मर गए, मर गए तो वह तो बात समझ में आती है। लेकिन यह भी एक साइकालाजी होती है। हमको चिल्लाना चाहिए उस वक्त कि अब चार महीने के बाद धान की फसल न हो···(व्यवधान) ···चाहे यह चिल्लायें चाहे आप चिल्लाएं, यह तो अनपार्लियामेंट्री है।

श्री जैनुल बशर : चिल्लाना अनपार्लियामेंट्री नहीं है।

श्री अब्दुल गफूर : यह फैसला आप नहीं कीजिएगा, यह तो स्पीकर करेंगे। हम यह कहें कि झूठ बोल रहे हैं तो वह अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा। लेकिन यह कहें कि गलत बोल रहे हैं तो बड़े शाइस्ते तरीके से कहेंगे कि अच्छा बोल रहे हैं। ···(व्यवधान)···स्पीकर भी किसी मेम्बर को कहेंगे बैठ जाइए और किसी दूसरे को कहना पड़ेगा कि माननीय मेम्बर अपनी जगह ग्रहण करें। हर चीज का अपना-अपना तरीका है।

इन सब चीजों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि कुछ तो काम स्टेट्स को मिला है,

[श्री अब्दुल गफूर]

वह स्टेट्स अपनी रिपोर्ट देंगी और जितना हमारा काम है उस को करने के लिए हम तैयार है। स्टेट्स का अपना फर्ज जो है उसको वह अदा करें और जो हमारा फर्ज है उसको हम अदा करेंगे। माननीय मेम्बर का अपना फर्ज है वह भी अपना कोटा पूरा करें। अपने अपने तरीके से सभी करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है।···(व्यवधान) ···

आप शायद अभी आए हैं। लेकिन पहले अगर आप आए होते तो आप को बहुत मजा मिलता। गैरहाजिर रह कर आपने सारा मजा छोड़ दिया।

[अनुवाद]

श्री एस० एम० भट्टम : ऐसे गम्भीर मामले पर आपको इस प्रकार उत्तर नहीं देना चाहिए। आप हंस रहे हैं जब कि लोग पानी के लिए आंसू बहा रहे हैं।

श्री अब्दुल गफूर : शायद आपने सोचा होगा कि मैं मज़ाक कर रहा हूं। मेरा दावा यह है कि कुछ माननीय सदस्यों, चाहे वे इधर के हों या उधर के, ऐसी बातें कहीं है जो आपके खिलाफ हैं और परोक्ष रूप से मैं आपका ही बचाव कर रहा हूं। क्योंकि आप अनुपस्थित थे···(व्यवधान)

श्री एस०एम० भट्टम : मंत्री महोदय यह क्या बोल रहे हैं ? मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : श्री भट्टम आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री हरीश रावत : उनका नाम सूची में नहीं है।

श्री एस० एम० भट्टम : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह हमारे खिलाफ कैसे है ? वह हमारी कौन सी बात बताने जा रहे हैं ? क्या किसी मंत्री को ऐसे गम्भीर मामले के बारे में उत्तर देते हुए ऐसे आचरण करना चाहिए ? मुझे इस पर बहुत आपत्ति है। उन्हें सिर्फ उसी के बारे में बोलना चाहिए जो उन्होंने किया है और जो वे करना चाहते हैं। अन्य राज्यों में शासन कर रही अन्य राजनैतिक दलों की सरकारों के बारे में उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय : व्यवस्था के प्रश्न की तो कोई बात ही नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं कि वे क्या उपाय करने जा रहे हैं।

श्री अब्दुल गफूर : कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि मैं राज्यों से पेय जल के नियंत्रण आदि का कार्य अपने हाथ में ले लूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। कुछ ऐसे विषय है जो राज्य के ही हैं। आप शायद आंध्र प्रदेश से हैं। मैं ऐसे किसी काम को अपने हाथ में नहीं लूंगा जिसे आपके मुख्य मंत्री को अपने राज्य में करने का हक मिला हुआ है। कुछ सदस्यों ने

सुझाव दिया है कि मुझे ऐसा करना ही चाहिए ? मैं क्या करूं ?

श्री एस०एम० भट्टम : आप अपना जवाब दें।

श्री अब्दुल गफूर : मैंने जवाब दे दिया है। आप यहां नहीं थे। आपने नहीं सुना। कभी-कभी जवाब अच्छा भी होता है, क्योंकि··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय को जवाब देने दीजिए। बीच में नहीं बोलिए। जब मंत्री महोदय बोल रहे हों तो मैं किसी तरह का व्यवधान नही चाहती।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : मजा आया, पानी नहीं आया।

श्री अब्दुल गफूर : आखिरी तकरीर जैनुल बशर साहब की हुई। इनके सारे प्वाइंट्स को हम लोगों ने नोट कर लिया है, लेकिन हमको डर है कि हम इस चीज को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तिवारी जी हमसे नाराज हो जायेंगे···

श्री जैनुल बशर : नहीं नाराज होंगे।

श्री अब्दुल गफूर : यही चीज मैं बता रहा था, आप कह रहे हैं कि उनकी पावर को छीन लीजिए।

श्री जैनुल बशर : छीनने को मैं कहां कह रहा हूं, आप उनकी मदद करिए। उनकी मदद करने के लिए कह रहा हूं।

श्री हरीश रावत : इनका मतलब वही था, जो आप समझे हैं।

श्री अब्दुल गफूर : मैं यह कह रहा हूं कि हर स्टेट अपनी-अपनी प्राबलम विलेजिज को आइडेंटिफाई करें। आप जानते हैं कि हर स्टेट को (एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम) के मुताबिक सेंटर से एसिसटेंस मिलती है, यह सहायता हर स्टेट को इन चीजों को खत्म करने के लिए मिलती है। इसके अलावा हम इतना हद तक जाते हैं कि जो स्टेट ज्यादा काम करेगी, उसकी तरफ हम ज्यादा ध्यान देंगे। हमारे माननीय सदस्य तेलगू देशम के हैं। हमें खुशी है कि उस स्टेट में ज्यादा काम होता है। मैं वहां की सरकार को बधाई देता हूं।

हमारे दोस्तों ने उड़ीसा के बारे में जिक्र किया। दस दिन पहले इसी हाउस में एक क्वेश्चन आया था। समय न होने की वजह से हाउस में जवाब नहीं दिया जा सका। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, जब मैंने उनको उड़ीसा के बारे में बताया। मैंने कहा आपका क्वेश्चन नहीं आया,

[श्री अब्दुल गफूर]
में तो बहुत उत्सुक था जवाब देने के लिए। हमने उनको पढ़कर सुना दिया। उन्होंने कहा अच्छा हुआ नहीं दिया। सबसे ज्यादा एसिसटेंस सैन्टर से मिलता है। कहीं पर रिफण्ड हुआ, लैप्स किया और भाई साहब कह रहे हैं कि लोग मर रहे हैं। उड़ीसा में लोग बिना पानी के मर रहे हैं। सैन्टर से हर प्रोवीन्स में रुपया जा रहा है। रुपया खर्च नहीं हो रहा है। रुपया खर्च कर देते हैं और फिर मांगते हैं···

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर): और जगह खर्च कर देते हैं, लेकिन पानी के पीने के लिए खर्च नहीं करते हैं। अगर खर्च करते तो ऐसा क्यों होता है।

2.00 म०प०

श्री अब्दुल गफूर: और जगह भी खर्च करते हैं, इसमें भी खर्च करते हैं। इस बात को छोड़िए, अगर इन सारी चीजों का जिक्र करना होगा तो मैं एक बुकलैट छपवा दूंगा, उसमें बहुत से लोगों का हुलिया खुल जाएगा कि क्या-क्या होता है। किसी स्टेट में हाउसिंग कन्सट्रक्शन बहुत तेज है, किसी में ड्रिंकिंग वाटर तेज है कहीं दोनों में तेज हैं और कहीं दोनों में स्लैकनैस है। हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, क्या हमको मालूम नहीं है कि और जगह क्या हो रहा है। यह सारी चीजें हैं। लेकिन जितना काम हम कर सकते हैं, उसको हम करने के लिए तैयार हैं। हमने इतना ही नहीं किया। जरा इस चीज को सुन लीजिए। जो स्टेट अगर ज्यादा काम करती है, तो हम उस को और ज्यादा इसेंटिव देते हैं। हम कहते हैं कि आप खूब तेजी से काम कीजिए और फिर मेरे पास आइये। अपना काम तो कीजिए नहीं और सेन्टर से कहते हैं कि काम करो। ···(व्यवधान)···आप समझे नहीं। मैं जवाब तो इनको दे रहा था और गुस्सा उनको लग गया। हम उनको डिफेन्ड कर रहे थे। हम सी०पी०एम० को डिफेन्ड कर रहे थे और कह रहे थे कि भई इस किस्म का सवाल मत उठाइये, नहीं तो आल्रेडी हम लोग फंसे हुए हैं और भी प्राबलम आ जायेगी लेकिन ये मानते नहीं। ये समझते हैं कि बोल दो, अच्छा है। हमें सब चीजों की वाकफियत है। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को भी वाकफियत है और इनको भी है और हम सब लोग इस चीज की वाकफियत रखते हैं। और यह जो केलेमिटी आने वाली है, यह अभी उतनी आई नहीं है। ···(व्यवधान)···।

2.02 म० प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह

सूचित करता हूं कि सोमवार, 13 मई, 1985 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. संघ लोक सेवा आयोग के 32 वें और 33 वें प्रतिवेदनों पर आगे चर्चा।

3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :—

(1) एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, 1985

(2) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1985

(3) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1985

(4) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक, 1985

4. काली मिर्च पर निर्यात शुल्क में वृद्धि का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : इस बार जाड़े में पहाड़ों की ऊंचाइयों में बर्फ कम गिरी है जिससे जम्मू और कश्मीर में बिजली की समस्या और जटिल हो गई है। इसके परिणामस्वरूप इस बार गर्मी के मौसम में पर्यटन दस्तकारीउद्योग सहित लघु उद्योग पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। अतः केन्द्र को चाहिए कि सर्दी के मौसम में और बिजली की कमी के समय भी जम्मू और कश्मीर को वह उत्तरी ग्रिड से बिजली दिए जाने के अपने वायदे को निभाए, भारत सरकार को चाहिए कि बिजली के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य के अथाह स्रोत का इस्तेमाल करने पर विचार करे जिसका समुचित उपयोग करने से इस अत्यावश्यक वस्तु में अत्याधिक बढ़ोतरी की जा सकती है। केन्द्र सरकार उरी सलाल, दुल हस्ती, सूरू (कारगिल) आदि जैसी पन-बिजली परियोजनाओं को तेजी से कार्यान्वित करे। इन कुछ परियोजनाओं से ही यह राज्य इतनी बिजली पैदा कर सकता है जिससे राज अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद पड़ौसी राज्यों को भी बिजली दे सकता है। यदि इन परियोजनाओं को सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत पूरा करा दिया जाए तो इसमें 10,000 मेगावाट तक बिजली पैदा करने की क्षमता है।

श्री सोमनाथ रथ (आसुका) : उड़ीसा के जिला गंजम के बुगुडा, रामुंडा और भेटनोई के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 600 कृष्ण मृग बेधड़क घूम रहे हैं। वे आस पास के 20 गांवों में हैं जिसका कुल इलाका 30 वर्ग मील है। वे घास और खाद्यान्न फसलें खाते हैं जो 3000 हेक्टेयर

[श्री सोमनाथ रथ]

खेती योग्य और पर्वती भूमि में तथा सरकार की 300 हेक्टेयर बंजर भूमि में उगाई जाती है। वे 20 से 30 के झुंड में घूमते हैं उनकी औसतन उम्र 12 वर्ष है। उनके सींग लगभग 6 फुट के होते हैं और वे 60 मील प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। जब उनके झुंड के झुंड इस तरह दौड़ते हैं तो बड़ा अद्‌भुत दृश्य होता है।

बुगुडा, रामुंडा और भेटनोई के ग्रामीण राजस्थान के बिरनोइयों और गुजरात के खाड़ियों की तरह ही बड़े कट्टर रूढ़िवादी होते हैं। वे कृष्ण मृग को पवित्र जीव मानते हैं और वे किसी भी परिस्थिति में यहां तक कि अपनी फसलों का नुकसान होने पर भी वे उन्हें नुकसान नहीं होने देते हैं। किन्तु इन्हें बाहर से आए शिकारियों से खतरा हो गया है! इस बढ़ते हुए प्रतिकूल वातावरण में मुझे पूरा सन्देह है कि वे अपने स्वाभाविक प्राकृतिक वातावरण में जिंदा बचे रहेंगे भी या नहीं। इसलिए मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि इन दुर्लभ नस्लों के बचाव के लिए वह तुरंत उपाय करे। 'बघुआ स्टेट II' सिंचाई परियोजना को कार्यरूप दिए जाने से इन मृगों की रक्षा में काफी सहायता मिलेगी क्योंकि उन्हें काफी बड़ी चरागाह मिल जाएगी और उनके द्वारा फसलों की क्षति भी कम हो जाएगी। चूंकि इन दुर्लभ नस्लों की रक्षा करने पर सरकार द्वारा तुरंत ध्यान दिया जाना आवश्यक है इसलिए बघुआ सिंचाई परियोजना को यथाशीघ्र कार्यरूप दिया जाए। कृष्ण मृगों के लिए अविलम्ब राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) की व्यवस्था की जाए।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदया, देश में अणु बिजली घर की इकाइयां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही हैं जिसके कारण जिन राज्यों में अणु बिजली घर की इकाइयां हैं विद्युत का संकट बना रहता है। राजस्थान प्रान्त में कोटा में अणु बिजली घर की दोनों इकाइयां ठीक तरह से काम नहीं दे रही हैं जिसके कारण राजस्थान प्रांत में विद्युत का संकट बना रहता है। विद्युत संकट के कारण उद्योगों में 30 प्रतिशत से लगा कर 60 प्रतिशत तक कटौती की जाती है। कृषकों को दिन में 6 घंटे से अधिक बिजली नहीं मिलती है और पीने के पानी का संकट बना रहता। यह संकट रेगिस्तानी क्षेत्रों में और भी बढ जाता है।

कोटा के अणु बिजलीघर की प्रथम इकाई तीन वर्ष में बंद थी और ठीक करने के उपरान्त भी एक महीने में 15 दिन बन्द रहती है। दूसरी इकाई की भी यह स्थिति है।

अतः संसदीय मन्त्री से यह निवेदन है कि देश में अणु बिजलीघर की इकाइयों की स्थिति के बारे में बहस के लिए आगामी सप्ताह में यह विषय सम्मिलित करावें।

[अनुवाद]

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : आंध्र प्रदेश के 22 जिले में लगभग पूरी फसल बरबाद हो जाने के कारण छोटे और सीमांत किसानों के काफी बड़े वर्ग की घोर विपत्ति

का सामना करना पड़ रहा है। सूखा और फसल की बरबादी के कारण खेतिहर मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने 201 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। केन्द्र से कुल 51 करोड़ रुपये ऋण की राशि के अतिरिक्त सूखा राहत कार्य के लिये 366 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करने के लिये सूखे की स्थिति के बारे में केन्द्र को एक विस्तृत ज्ञापन भेजा गया था। केवल अप्रैल से जून 1985 की अवधि हेतु अधिकाधिक रोजगार वाले निर्माण कार्य के लिये 280 करोड़ रुपयें की जरूरत होती है जिसमें सामुदायिक सिंचाई सम्बन्धी निर्माण-कार्य, सिंचाई वाले कुओं को गहरा करने, लघु सिंचाई सम्बन्धी निर्माण-कार्य शामिल हैं।

प्रभावित आबादी के लिये जून के अन्त तक पेय जल की व्यवस्था हेतु एक बड़ा विस्तृत कार्यक्रम अपनाना होगा जिस पर 46 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह विशेष रूप के 300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान करे ताकि राज्य सरकार अप्रैल-जून 1985 की अवधि में जोर-शोर से एवं युद्ध-स्तर पर राहत कार्य जारी रख सके।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : सभापति महोदया, मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह के सरकारी कार्य के सम्बध में संसदीय कार्य मन्त्री के वक्तव्य में निम्न सम्मिलित किया जाये।

मध्यप्रदेश के 23 जिलों में भयंकर सूखे की स्थिति है। लगभग 35 जिलों में पीने के पानी की कमी से लोग त्रस्त हैं। आगामी माह और भी मुसीबत में होंगे।

मध्य प्रदेश सरकार अपने साधनों की समस्या का मुकाबला कर रही है, परन्तु एक और सूखे की समस्या है, भोपाल के गैस पीड़ित लोगों के पुनर्वास और सहायता पर भी बहुत खर्च करना पड़ रहा है। हाल ही में दंगा पीड़ितों को भी मदद दी है। यू० जी० सी० से किये गये कमिट-मेंट्स पर भी खर्च करना पड़ा है। छोटे किसानों के ऋण माफ किये हैं। अतिरिक्त शिक्षकों और स्कूलों की भी व्यवस्था में खर्च करना पड़ा है।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार के लिये इतना बड़ा बोझ उठाना कठिन होगा। उसे ओवरड्राफ्ट की सुविधा में केवल 30.48 करोड़ रुपये कर दी गई है जबकि केरल और आंध्र प्रदेश जैसे छोटे राज्यों को 100 करोड़ रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधायें दी गई हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने अपने साधन जुटाने में अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया है। वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखा है।

ऐसी स्थिति में इस पर विचार होना जरूरी है कि ओवरड्राफ्ट की सुविधा बढ़ाने के साथ-साथ कम से कम 80 करोड़ रु० मध्यप्रदेश सरकार को सूखा पीड़ित और पीने के पानी की व्य-

[श्री के० एम० प्रधान]

वस्था के लिए और भोपाल के गैस पीड़ित लोगों की सहायता के लिए मध्यप्रदेश राज्य सरकार को कम से कम 50 करोड़ रुपए तत्काल दिए जायें।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : दिल्ली शहर के बीच "ढलाव" यानी गंदा इकट्टा होने से प्रदूषण का बढ़ना और उसे रोकने की व्यवस्था—

श्रीमन् दिल्ली शहर में मानव-गर्भित प्रमुख प्रदूषण के कारण की ओर मैं माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये प्रदूषण का एक ऐसा कारण है, जिससे कि हम में से प्रत्येक नागरिक जाने-अनजाने में बंधा हुआ है। ये कारण हैं शहर की बीचोबीच, प्रमुख बाजारों में, करीब-करीब सभी रहने के स्थानों के साथ बने हुए "ढलाव" यानी कूड़ा इकट्ठा करने के केन्द्र।

इन ढलावों में लोग गन्दा कूड़ा डालते हैं। कई दफा ये कूड़ा सप्ताह भर पड़ा रहता है। मक्खियां, मच्छरों का यहां जमघट रहता है। आज के आधुनिकीकरण के युग में जबकि हरएक क्षेत्र में अनेक उपलब्धियों का बोलबाला हो, इस तरह के "ढलावस्थल" शहर के बीचोबीच न्यायोचित नही ठहराए जा सकते हैं।

मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि दिल्ली शहर को जहां प्रदूषण से बचाव के अनेक आधुनिक तौर-तरीके अपनाए जा रहे हैं, अनेक बोर्डों का गठन हुआ है, वहां इस ओर भी तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन ढलाव-स्थलों का आधुनिकीकरण हो, इनका स्थान शहर से दूर हो जिससे कि आस-पास होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके।

(2) दिल्ली शहर के चांदनी चौक व अन्य स्थानों पर जो सदियों पुराने कटरे बने हुए हैं, उनकी हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है। छोटे-छोटे कमरों में दस-दस आदमी इन कटरों में जानवरों की जिन्दगी जी रहे हैं। यहां पानी, बिजली, सफाई के साधन व अन्य सभी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में कतई नहीं हैं। इस तरह की लोगों की जिन्दगी देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, हृदय द्रवित हो जाता है। पता नहीं 21 वीं शताब्दी में जाने वाले भारत में इस तरह का इन लोगों का हाल कब तक चलता रहेगा। जब तक इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे इनकी जिन्दगी नही सुधर सकती है। इस सबके लिये हमें तुरन्त ही विशेष योजनाएं बनानी होंगी।

मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि वें इस मुद्दे को अगले सप्ताह सदन की कार्यवाही में रखा जायें।

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : यह सामान्यतः देखा जाता है कि विभिन्न केन्द्रीय सहायता

योजनाओं जैसे अहिंदी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षक, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा योजना, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम आदि के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विधियों राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के अन्त में दी जाती हैं। इससे स्कीमों के समुचित कार्यान्वयन और स्वीकृत निधियों के भरपूर उपयोग में बहुत गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि धन की स्वीकृति होने तक राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा स्वीकार्य निधि की मात्रा के बारे में भी नहीं बताया जाता जिससे राज्य सरकारें सम्बद्ध स्कीमें शुरु करने के लिए न तो तैयारी ही कर पाती है और न ही इस बारे में पहले से कोई वायदे ही कर पाती हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय बजट पास होते ही राज्य सरकारों के लिए स्वीकृत निधि उन्हे भेज दी जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : यह बात भली प्रकार मालूम है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन-पत्र के साथ पोस्टल आर्डर लगाना पड़ता है।

पश्चिम बंगाल के अधिकांश डाकघरों में पोस्टल आर्डरों की कमी रहती है। बेरोजगार युवाओं को पोस्टल आर्डर प्राप्त करने के लिए लम्बी कतारों में खड़े रहना पड़ता है और कई बार वह उसी दिन पोस्टल आर्डर प्राप्त भी नहीं कर पाते। सबसे बड़े दैनिक आनन्द बाजार पत्रिका में उनकी इस संबंधी व्यथा के बारे में छपा है।

अन्य राज्यों के लिए भी यह समस्या नई नहीं है। अगले सप्ताह सभा में इस पर चर्चा की जानी चाहिए ताकि इस कमी को दूर किया जा सके।

सारे देश के अखबारों में दहेज के कारण हो रही हत्याओं की खबरें आ रहीं हैं। स्पष्ट है कि बहुत से स्थानों पर पुलिस द्वारा अपराधिक कानून दूसरा संशोधन अधिनियम, 1983 ठीक से लागू नहीं किए जा रहे हैं। अगले सप्ताह सभा में इस समस्या और इसकी रोकथाम सम्बन्धी उपायों पर चर्चा की जानी चाहिए।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं यह बातें कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखूंगा।

2.14 म० प०

आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के उत्सादन के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : सदन को यह

[श्री एच० आर० भारद्वाज]

विदित है कि आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा ने 24 मार्च, 1983 को, राज्य की विधान परिषद के उत्सादन के लिए संविधान के अनुच्छेद 169 के अधीन एक संकल्प पारित किया था। ऐसा ही एक संकल्प 30 अप्रैल 1985 को पारित किया गया। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि संसद के चालू सत्र में उक्त राज्य की विधान परिषद् के उत्सादन के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा।

2.14 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 9 मई 1985 को सदन में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 9 मई 1985 को सदन में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.18 म० प०

वित्त विधेयक, 1985

—जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब वित्त मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

वित्त तथा वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदया हम वित्त विधेयक पर चर्चा करते रहे हैं और यह बजट को लगभग दूसरी बार पुनरावलोकन है और घाटे की अर्थ-व्यवस्था से लेकर ऋण तक कीमतों से सरकारी उद्यमों तक और ओवर ड्राफ्ट से लेकर समाजवाद तक अनेक विषयों पर चर्चा की गई है। मैं सभी माननीय सदस्यों को उनकी प्रशंसात्मक तथा आलोचनात्मक टिप्पणियों के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं दोनों प्रकार की टिप्पणियों से लाभान्वित हुआ हूं जो कि मेरे विचार में सही अर्थों में और सदाशयता से उन मुद्दों पर दूसरे परिप्रेक्ष्य में विचार करने के लिए की गई हैं जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं।

ब्यौरे में जाने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि एक मुख्य बात यह उठाई गई थी कि वर्तमान सरकार समाजवाद के रास्ते से हट रही है। विपक्षी दल के माननीय सदस्यों ने तिथि भी बताई है, 16 मार्च को शाम के 5 या 4 बजे—जो भी बजट पेश करने का समय था। उनके इस तर्क से कम से कम इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हम 16 मार्च तक समाजवाद के रास्ते पर थे और मुझे खुशी है कि वो नेता जो हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की आलोचना करते थे कम से कम आज इस बात को मानते हैं कि वे सही रास्ते पर थीं और समाज-वाद के रास्ते पर ही बढ़ रही थीं या अतः अब यह पता लगाना है कि क्या यह रास्ता केवल सात सप्ताह से बदला है, जैसा कि वह मानते हैं। केवल यही तर्क दिया जा सकता है। परन्तु अधिक न बोलते हुए मैं इस चर्चा के वैचारिक संदर्भ के बारे में बात करूंगा क्योंकि मेरे विचार में वह इसके ब्यौरे से अधिक महत्वपूर्ण है। इसी व्यापक वैचारिक संदर्भ में हम व्यक्तिगत विचारों को भी समझ सकते हैं क्योंकि छोटी-छोटी बातों में पड़कर हमें उसकी समग्रता को नहीं भूल जाना चाहिए। इस सारी चर्चा में मुख्य बात यही रही है कि हम समाजवाद के रास्ते पर चल रहे हैं या पूंजीवाद के रास्ते पर।

वास्तव में, जैसाकि मैं समझता हूं इस बात में दृष्टिकोण का अन्तर है न केवल सामाजिक अथवा राज्य तंत्र का अपितु दोनों का और स्वयं मनुष्य की अन्तरात्मा के दृष्टिकोण का। समाज वादी दर्शन मनुष्य और उसकी सहज अच्छाई पर विश्वास करता है। शोषणकारी ढांचे का अना-वरण करने पर मनुष्य की अच्छाई समानता लाने के लिए सामने आएगी जबकि पूंजीवादी व्यवस्था मनुष्य के लालची होने में विश्वास रखती है और यही दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं में अन्तर का एक बड़ा कारण है।

लेकिन यदि मोटे तौर पर देखा जाये तो समाजवाद पर चर्चा का निचोड़ है उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व। इन मुद्दों को सही रूप से उठाने और चर्चा की मुख्य बातों का जवाब देने के लिये जो बात महत्वपूर्ण है वह है समाज के स्वामित्व की सीमा और स्वरूप जिस पर कि हमारे देश के संस्थापकों ने विचार किया था—क्या हम उस रास्ते से हट गये हैं ? अतः आइए हम इस बात पर विचार करें कि स्वतन्त्रता के पश्चात् इसकी क्या सीमा थी और अब समाज के स्वामित्व का रूप क्या होगा ? क्या हमारा यह तर्क था कि कृषि समाज के स्वामित्व के अन्तर्गत आएगी ? नहीं। क्या यह धारणा थी कि हस्त-कला समाज के स्वामित्व के अन्तर्गत आएगी ?

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

नहीं। क्या यह मान लिया गया था कि लघु उद्योग सामाजिक स्वामित्व के अधीन हो ? नहीं। क्या यह सोचा गया था कि आधार भूत उद्योग समाज के स्वामित्व में होंगे ? जी हां, बिल्कुल यही बात है। ऐसी ही अवधारणा रही है।

इस सम्बन्ध में मैं स्वयं पंडित जवाहर लाल नेहरू को उद्धृत करना चाहता हूं :-

> भारत में जन जीवन का अधिकांश भाग और उद्योग गैर सरकारी उद्यमियों द्वारा ही शासित होंगे। भूमि को ही लीजिए। हमारा देश कृषि प्रधान हैं। लघु उद्योगों को देखिए। यह भारत में उद्योग का एक बड़ा हिस्सा है। यह सब गैर सरकारी क्षेत्र में और गैर सरकारी उद्योग में आता है।

और जब हम मूलभूत उद्योगों की बात करते हैं तो वह कहते हैं :

"हम सोचते हैं कि आधार भूत उद्योग राज्य के नियंत्रण में रहें"

यहां पर उन्होने साफ तौर पर उल्लेख किया है कि आधारभूत उद्योग राज्य के नियंत्रण में होंगें।

और 24 मई 1956, को इसी सदन में एक चर्चा में उन्होंने जो कहा मैं उसे उद्धृत करता हूं :

> "जब इतना अधिक काम हो तो सारा काम अपने हाथ में ले लेना मूर्खता है। विशेषतया तब जबकि आप सारा काम करने में असमर्थ हों।"

अत: समाज के स्वामित्व की सीमा आधारभूत उद्योगों और बड़े उद्योगों तक ही मानी गयी थी।

समाजवाद पर गम्भीर सैद्धान्तिक मतभेद हो सकते हैं। क्या सामूहिक मजदूरों वाली व्यवस्था होनी चाहिए अथवा संघ का स्वामित्व होना चाहिए अथवा मजदूर अपने स्वामित्व का और किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं हमने इस बारे में अभी तक यही सोचा था।

और मैं फिर उनका ही कथन उद्धृत करता हूं :

> "योजना की मुख्य नीति औद्योगिकरण है और इसका मतलब है आधारभूत उद्योगों को ही प्राथमिकता दी जाए।"

महोदया, मैं औद्योगिक नीति संकल्प से भी उद्धृत करता हूं क्योंकि हमें इस मुद्दे का उत्तर देना है। यह इस प्रकार है

> "समाजवादी पद्धति को राष्ट्रीय उद्देश्य और सुनियोजित तथा द्रुत विकास की आवश्यकता के रूप में अपनाए जाने के लिए यह अपेक्षित है कि मूल तथा सामरिक महत्व के

सभी उद्योग तथा जनोपयोगी उद्योग सरकारी क्षेत्र में हों। योजना आयोग के परामर्श से इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् भारत सरकार ने उद्योगों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है पहली श्रेणी ऐसी है जिसके भावी विकास की सारी जिम्मेदारी राज्यों की होगी। दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत ऐसे उद्योग आएगें जो अधिकतर राज्यों द्वारा शासित होंगे तथा जिनके नए उपक्रम राज्यों द्वारा स्थापित किये जायेंगे लेकिन इनमें गैर-सरकारी उद्यम राज्य के प्रयासों के पूरक के रूप में काम करेंगे। तीसरी श्रेणी में शेष सभी उद्योग आएगें और समान्य तौर पर उनके भाव विकास की जिम्मेदारी गैर-सरकारी उद्यमों पर होगी।"

अत: हमें इस ओर ध्यान देना है। क्या हमने औद्योगिक नीति संकल्प में उल्लिखित उद्देश्यों को उस रूप में प्राप्त कर लिया है और उन नीतियों का उसी प्रकार पालन किया है जैसा कि हमारे राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा, जवाहर लाल नेहरू द्वारा सोचा गया था और जिस प्रकार इसकी औद्योगिक नीति संकल्प में व्याख्या की गई थी? और उन उद्योगों में राज्य का स्वामित्व होना चाहिए तथा इन उद्योगों को उन ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें उस समय निश्चित किया गया था। वे उद्योग कौन से हैं? मैं अनुसूची "क" से पढ़ता हूं। वह हैं हथियार और बारूद परमाणु ऊर्जा लोहा तथा इस्पात, बिजली से चलने वाले भारी उद्योग तथा संयंत्र, कोयला तथा लिग्नाइट, खनिज तेल, तांबे का खनन तथा संसाधन, परमाणु ऊर्जा की अनुसूची में दिए गये खनिज, वायुयान, वायु-यातायात, रेल-यातायात, जहाज-निर्माण, टेलीफोन, बिजली का उत्पादन तथा आवंटन। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे दल और हमारे नेताओं ने इन क्षेत्रों में प्रत्येक स्थान पर सरकारी उद्योगों को उन बुलंदियों तक पहुंचाया है जिनके बारे में सोचा गया था और हमने समाजवाद की अवधारणा की तथा उसका आदर्श रूप को स्थापित किया है। हमारे देश में ऐसा केवल शब्दों में ही नहीं अपितु वास्तव में हुआ है। ऐसा जवाहर लाल नेहरू की बुद्धिमता के कारण हुआ है जिन्होंने आधुनिकता को पुरानी संस्कृति से जोड़ दिया, हठर्धामिता के लिए विकास का मार्ग अवरुद्ध नहीं किया और जो हमारे समाज के स्तर और आर्थिक अर्तद्वन्द्व तथा हितों की विभिन्नता के प्रति जागरूक थे। फिर भी उन्होंने इसे एक जन आंदोलन बनाने का साहस किया। उनके लिए राष्ट्र सर्वोच्च था और यही बात हमारे प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी के संदर्भ में भी सही है। उस समय सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया और उस समय यही सही था। यह आज भी सही है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : उतना सही नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे बोलने का अवसर दीजिए और मैं उठाए गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। वास्तव में इसीलिए मैंने विषय को पहले लिया है। हमने उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से शुरूआत की थी जहां हम संकट के बावजूद इस कार्य को कर रहे थे जो संभवत: उपस्थित हो गया है। उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का प्रतिमान यह है कि उपनिवेशवादी देश कच्चे

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

माल के नियमित तथा स्थायी सप्लायर्स होंगे। यद्यपि उन्होंने उत्पादन किया है, फिर भी यही उपभोक्ता वस्तुओं में होना चाहिए। भारी उद्योग को निरन्तर निरुत्साहित किया गया था और हम गैर-सरकारी क्षेत्र से यह आशा नहीं कर सकते थे कि वे ऐसी अर्थव्यवस्था में सुधार लाएं जो स्थिर थी और जहां गरीबी एक वास्तविकता थी। इसलिए, सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा परिणामतः सरकारी उपक्रमों की स्थापना की गई। अन्यथा, निवेश की मात्रा तथा अन्यानेक से गैर-सरकारी क्षेत्र हमारी अर्थ व्यवस्था के इन नाजुक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी पूंजी लगाने में हिचकता रहा है। सरकारी उपक्रमों ने हमारे विकास को गति प्रदान की है। यदि हम अपने सरकारी क्षेत्र का मूल्यांकन करें तो यह लेखा-परीक्षा की किताबों के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के पास लेखा-परीक्षा के लिए नकद शेष नहीं है। इसके पास अर्थव्यवस्था का शेष है, इसके पास जीव्यक्षम अर्थव्यवस्था है न कि धन सम्बन्धी जीव्यक्षमता जो देखी जानी है। क्या सरकारी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जैसा यह अब है। आज गैर-सरकारी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र का सहारा लेना चाहिए। इसके लाभ बड़े हैं। इसमें शुरू से ही लाभ हुआ है। जब सिविल निर्माण के ठेके शुरू हुए, सप्लाई की गई और जब सरकारी क्षेत्र को लाभ होता है तब भी गैर सरकारी क्षेत्र इससे लाभ प्राप्त करता है। कई बार सरकारी क्षेत्र में मूल्यों को कम किया जाता है उससे भी गैर-सरकारी क्षेत्र को लाभ होता है। आज गैर-सरकारी क्षेत्र क्या मुंह लेकर सामने आएगा और सरकारी क्षेत्र की आलोचना करेगा। लेकिन अब हमें यह देखना है कि हमें क्या भूमिका निभानी है। हमने सरकारी क्षेत्र को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया है यदि सुबह आप अपना हाथ एक स्विच पर रखें तो वह सरकारी क्षेत्र में निर्मित किया हुआ होगा। पानी के लिए अपना नल खोलिए, वह भी सरकारी क्षेत्र में बना हुआ। होगा अपना समाचार पत्र खोलिए, अखबारी कागज सरकारी क्षेत्र द्वारा तैयार किया जाता है। यदि आप एक प्याला चाय अथवा गैस चाहते हैं तो वह भी सरकारी क्षेत्र की मिलेगी। टेलीफोन तथा बैंक सरकारी क्षेत्र में हैं। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो वहां भी सरकारी क्षेत्र मौजूद है। आप पट्रोल पम्प तक स्कूटर पर जाएं तो वहां भी सरकारी क्षेत्र मौजूद है। सरकारी क्षेत्र हमारे जीवन के प्रत्येक हिस्से में मौजूद है और यह हमारे वर्तमान जीवन से एकीकृत हो गया है। यही पर शिखर है जहां हमने इसे पहुंचाया है और हम गर्व के साथ कहते हैं कि आपने जो आलोचना की है इसके बावजूद हमने इसे व्यवस्थित किया है। यह काल्पनिक नहीं है। हम ऐसा करते रहेंगे। इसमें कोई अनिश्चित बात नहीं है।

1960-61 में सामान्य कुल घरेलू उत्पाद में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा 11 प्रतिशत था। 1983-84 में यह 23 प्रतिशत तक पहुंच गया।

1950-51 में कुल निवेश में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा केवल 27 प्रतिशत था। 1983-84 में देश के कुल निवेश में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा 46.2 प्रतिशत तक पहुंच गया।

खानों, उत्खननों, बिजली, गैस, पानी की सप्लाई, बैंकिंग और बीमा के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की भूमिका 90 प्रतिशत से अधिक है।

इसमें 160 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं।

इन सब उपलब्धियों के बाद अब हमने यह देखना है कि इसके लिए क्या भावी नीतियां बनाई गई हैं। हमें न केवल इसके आकार में अथवा क्षेत्र जहां सूची 'ख' का सम्बन्ध है, वह भी उद्योग द्वारा निर्दिष्ट एक उद्देश्य है, में बढ़ोत्तरी करनी है, बल्कि हमें इसे सुदृढ़ भी बनाना है।

कल श्री दिनेश सिंह ने यह बात कही थी कि सरकारी क्षेत्र को संसाधनों के प्रति एक सकारात्मक योगदान देना है न कि नकारात्मक और सरकारी क्षेत्र से अब यह आशा की जाती है कि वह निवेश में लगने योग्य संसाधनों में वृद्धि करें।

35,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है, और इस कार्य को करने का प्रयास करना गलत नहीं है ऐसी बात नहीं है कि उन्हें संकट में डाला जाता है और ऐसा करने के लिए कहा जाता है। हम सभी इसमें शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम सब पर है कि यह आगे बढ़े और हमें इसमें योगदान देना है। इस वर्ष के 18,500 करोड़ रुपये के केन्द्रीय बजट में भी, 11,747 करोड़ रुपए करों तथा अन्य संसाधनों से प्राप्त होने की परिकल्पना की गई है और और 18,500 करोड़ रुपए में से 6,753 करोड़ रुपए की सरकारी क्षेत्र के आन्तरिक संसाधनों से होने वाली आय के रूप में कल्पना की गई है। सातवीं योजना पर्याप्त रूप से सरकारी क्षेत्र के कार्य निष्पादन पर निर्भर है। हम इसकी अवहेलना नहीं कर सकते; यद्यपि हम चाहें तो भी हम ऐसा नहीं कर सकते। यह इस पर ही निर्भर है क्योंकि कराधन के मामले में हम सीमा के पास पहुंच रहे हैं जो हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 20 या 19 प्रतिशत है। उधार ली गई धनराशि के बारे में हम सीमा के पास पहुंच रहे हैं—श्री इन्द्रजीत गुप्त, जो कल इसके बारे में चिन्तित थे, की जानकारी के लिए यह आन्तरिक उपाय के बारे में है न कि बाहर से ली गई उधार के बारे में, मैं उस विषय पर बाद में बोलूंगा। उधार ली गई धनराशि के बारे में हम सीमा के पास पहुंच रहे हैं। हम यह नहीं कर सकते कि घाटे बढ़ते जाएं। हमारी सातवीं योजना के लिए धन जुटाने के केवल दो ही रास्ते हैं; सरकारी क्षेत्र के आन्तरिक संसाधन और स्वयं अर्थव्यवस्था, स्वयं सकल राष्ट्रीय उत्पाद का विकास जो हमारे संसाधनों के स्रोतों में वृद्धि करेगा। हमारे लिए केवल दो ही रास्ते खुले हैं। अन्यथा, हम ऋणी बन जायेंगे। निश्चित रूप से हमारे सामने संसाधन सम्बन्धी अड़चन है। हमें प्रबन्ध में कुछ परिवर्तन करने होंगे; सम्भवतः, हमें सरकारी क्षेत्र को और अधिक स्वायत्तता देनी होगी तथा उन्हें उत्तरदायित्व सौंपना होगा। यह एक व्यापक प्रश्न है; उनके लिए एक भिन्न वाद-विवाद की आवश्यकता है कि इसके साथ कैसे निपटें और अपने सरकारी क्षेत्र में कैसे सुधार लाएं। लेकिन संसाधनों सम्बन्धी अड़चन के कारण हमें इस कार्य के पूर्ण होने की प्रतीक्षा रहती है ताकि हमें अपने निवेशों, संचित धनराशि और विद्यमान क्षमता उपयोग के परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाएं, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में अत्यधिक पूंजी निवेश अपेक्षित है। क्षमता का उपयोग न करने से निश्चित रूप से हानि होगी; यदि क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है तो हानि होनी अनिवार्य है। इसलिए जब हमारे सामने संसाधन सम्बन्धी अड़चन है तो हमें अधिक संसाधन जुटाने की बजाए उसमें से ही अधिक प्राप्त करना है। यदि हम

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

संयंत्र की कार्य क्षमता में कुछ प्रतिशत वृद्धि करते हैं तो यह नए संयंत्र लगाने के बराबर है जिसमें करोड़ों रुपये निवेश करने पड़ेंगे। हम यह कार्य आज प्रबन्ध में सुधार करके, विद्यमान क्षमता का उपयोग करके कर सकते हैं। जब हमारे सामने संसाधन सम्बन्धी अड़चन है, तो यह हमारी तकनीक होगी कि अधिक संसाधन जुटाने की बजाए विद्यमान संसाधनों से अधिक प्राप्त किया जाए। यह इसलिए नहीं है कि कोई ऐसा चाहता है, बल्कि क्योंकि उसमें वास्तविक सीमा है। और ऐसा क्यों है मैं इसके बारे में बाद में बोलूंगा।

आज सरकारी क्षेत्र को सप्लाई की अड़चन तथा मांग की अड़चन का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी क्षेत्र के अधिकांश मूल आदानों में, चाहे यह बिजली अथवा कोयला अथवा कभी कभी खुद परिवहन हो, हम एक समस्या का सामना कर रहे हैं और इसका समाधान ढूंढने का दायित्व हमारे ऊपर है। मांग के बारे में एक प्रमुख अड़चन है; हम इसे तीन भागों में विभाजित कर सकते है। एक, जहां सरकारी क्षेत्र के उत्पादन का खुद गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा उपभोग किया जाता है; सरकारी क्षेत्र का बाजार गैर-सरकारी क्षेत्र में है जहां इन सभी वस्तुओं की खपत है। दूसरा है पूंजीगत वस्तुएं, जिसकी मांग गैर-सरकारी क्षेत्र में होती है लेकिन यह अर्थ-व्यवस्था में समग्र निवेश के प्रति काफी संवेदनशील है। यदि समग्र निवेश किया जाता है तो मांगों में वृद्धि होनी है; और यदि समग्र निवेशों में कमी आती है तो मांग में वृद्धि नहीं होती है और हमारे सरकारी क्षेत्र पर प्रहार करती है। सरकारी क्षेत्र के तीसरी श्रेणी के उत्पाद वे हैं जिनका सरकारी क्षेत्र के अन्य एककों द्वारा उपभोग किया जाता है। यहां समन्वय की आवश्यकता है। कल श्री इन्द्रजीत गुप्त ने वैगन कारखाने के बारे में जिक्र किया था। यदि रेलवे के वैगनों की मांग कम होती है तो वैगन उद्योग पर इसका प्रभाव पड़ता है। इन सभी तीन, श्रेणियों में आप पायेंगे कि यह सुनिश्चित करने के लिए परस्पर सम्बन्ध आवश्यक है कि समग्र अर्थव्यवस्था चेतन है, सक्रिय तथा स्वस्थ है ताकि सरकारी क्षेत्र को बनाए रखा आ सके। क्योंकि एक क्षेत्र में रुग्णता आने में अन्य क्षेत्र के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना निश्चित है। यही आन्तरिक सम्बन्ध हमें रखना है। बजट तथा आर्थिक नीतियों में यही काम करने का प्रयास किया गया है, और सिवाए इस भावना के कि हम इस कार्य में आगे कार्यवाही करेंगे, किसी दूसरी भावना से इसका गलत अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। मैंने बताया है कि आगे और निवेश करने में क्या मजबूरियां तथा अड़चनें हैं। मैं आपके साथ हूं। श्री पेरूमान ने कल जिक्र किया था कि गैर-योजनागत खर्च में कमी करनी चाहिए। मेरे विचार में यह एक उत्तर हो सकता था मेरे विचार में, यदि यह गैर-योजनागत है, तो प्रत्येक व्यक्ति यह कहेगा कि जी हां, जी, हां, इसमें कटौती कर दीजिए। लेकिन मैं गैर-योजनागत खर्च के कुछ मुद्दों का जिक्र कर रहा हूं। रक्षा-क्या हमें इसके खर्च में कमी करनी चाहिए...।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जो ब्याज हमें देना है और जो किश्तें देनी हैं। क्या हम इसमें कमी कर सकते हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उर्वरकों तथा खाद्य सामग्री पर राज सहायता।

अनेक माननीय सदस्य : इसमें वृद्धि करनी चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय सदस्यगण आपने भी वही बजट बनाया है जो मैंने बनाया है। मुझे आपकी सहमति मिल गई है। इस तरह से हम, गणित में हिसाब लगाते हैं। 64 प्रतिशत गैर-योजनागत खर्च को आप छू नहीं सकते। शेष हम राज्यों की सामाजिक कल्याण सम्बन्धी गतिविधियों और अन्य कारकों की जहां आप इसमें कटौती कर सकते हैं और अंत में यह 4 अथवा 5 प्रतिशत तक का जायेगा, के लिए वचनबद्ध हैं। इससे आपकी संसाधन सम्बन्धी समस्या का समाधान नहीं होगा जो हजारों करोड़ों में हैं। वास्तव में क्या होता है ? जब हम ऐसे मामलों पर चर्चा करते हैं, तो होता यह है कि योजनेतर खर्चों पर इन कठिनाइयों का प्रभाव नहीं पड़ता। जब आप बजट और योजना पर बहस करते हैं, विकास पर चर्चा करते हैं उसमें वृद्धि क्यों नहीं हुई, ऐसा क्यों नहीं हुआ आदि-आदि, तो इसका उत्तर यह है-क्योंकि योजनेतर खर्च में कटौती नहीं की गई इसी लिए स्थिति ऐसी है। हम इस पर सरसरी नजर डाल रहे हैं जबकि हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमारी सीमाओं पर दबाव से जिसके लिए हम कुछ बड़े देशों के आभारी हैं—जो भी हों, उनका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। क्या होता है ? कम से कम संसाधनों सम्बन्धी प्रतिबद्धताएं इतने अधिक कभी नहीं थे। परन्तु कम से कम हमारी रक्षा के लिए, हमारे अपने संरक्षण के लिए संसाधन प्रतिबद्ध हो जाते हैं और यही वास्तविकता है। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि एक टैंक की कीमत से प्रत्येक अस्पताल में 100 बिस्तरों वाले 75 अस्पताल बनाए जा सकते हैं। एक आधुनिक बम वर्षक हमें 30,000 लड़कों को पढ़ाने के लिए 1000 कक्षाएं दे सकता है। और एक आधुनिक पनडुब्बी जो अभी हमारे पास नहीं है उसके लिए जितनी धनराशि खर्च की जाएगी उससे 4 लाख आवास बनाए जा सकते हैं जिससे 20 लाख लोगों को आवास मिल सकता है। फिर क्या होता ? जिस विकास के बारे में आप पूछ रहे हैं—ट्यूबवैल, सड़कें, अस्पताल, स्कूल सभी कुछ बारूद के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। हमारे देश के—सम्मुख न केवल हमारे देश अपितु बहुत से देशों के पास—केवल दो ही विकल्प हैं। विकास में कटौती करना। इसका क्या परिणाम होता है ? जैसा कि आप देखते हैं विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा देने वाले और सहायता देने वाले आन्दोलनों में राजनैतिक स्तर पर असन्तोष व्यक्त किया जाता है। दूसरी ओर जब आपके पास साधन कम होते हैं तो आप जाकर ऋण ले लेते हैं। दक्षिण अमरीकी देशों में क्या होता है ? आप ऋण के फन्दे में जकड़े जाते हैं। और इसका श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को है कि इसके बावजूद भी वह इस देश को विजय की ओर तथा आर्थिक स्वतन्त्रता की ओर ले गई हैं और यह देश अब मुश्किलों का सामना भी कर सकता है।

जहां तक गैर सरकारी क्षेत्र की बात है, प्रश्न यह है कि इसका क्या स्थान होना चाहिए

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

और यदि इसकी कोई भूमिका है तो वह क्या होनी चाहिए, परन्तु यह निश्चित है कि इसकी भूमिका सरकार की भांति नहीं हो सकती । यह हमारी चिरस्थाई नीति रही है कि निजी क्षेत्र में धन के संचय के हम सदा खिलाफ रहे हैं, और आज भी ऐसा ही है । किन्तु हमें अपने सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विकास के अतीत में जाना होगा और तभी हम उपाय और प्रतिक्रिया तक पहुंच सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी थी, विदेशी मुद्रा के संरक्षण के लिए हमें संरक्षणात्मक नीति को अपनाना पड़ा । आयात प्रतिस्थापन ही औद्योगीकरण एवं विकास का आधार बन गया; यह सही रास्ता था और यह मांग भी थी कि औद्योगीकरण का विकास हो' और इसी कारण हम यहां तक पहुंचे हैं । और आज उन्हीं लाइसेंस और संरक्षण रूपी साधनों से निजी क्षेत्र की वह इकाईयां जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं हमारी इस पद्धति के कारण वित्तीय रूप से आज भी व्यवहार्य हैं । यद्यपि उन एककों में उत्पादकता नहीं है फिर भी उन्हें बहुत लाभ होता है अधिक लाभ के कारण उन क्षेत्रों में पूंजी निवेश की जरूरत नहीं हैं । हमें उनके इस आर्थिक अन्याय का विरोध करना है—यह कि अब आप सरकार के सहारे नहीं चल सकते । आपको अपने पांवों पर खड़ा होना होगा । यदि आपको कुछ शिकायतें हैं तो भी आपको उन्हें सहन करना होगा और बिल्कुल यही हमारे द्वारा रखी विचारधारा में निहित है । इस प्रक्रिया में, हालांकि मैं यह नहीं कहता कि हम अपना नियंत्रण समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि एकाधिकार कम्पनियों के लिए हमें यह नियंत्रण जारी रखने होगें तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत कम्पनियों के लिए और कुछ प्रकार के आयात के लिए यह बनाए रखना होंगे, फिर भी समय ऐसा है कि हमें विवेकाधिकार के नियंत्रण की नीति को छोड़कर निर्धारित नियंत्रण की नीति को अपनाना है । क्योंकि विवेकाधिकार के नियंत्रण की नीति से बहुत भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है । मुझे हां या नहीं कहने का अधिकार है । लाइसेंस कोटा के सम्बन्ध में अगर मैं निर्णय लूं कि आपको संस्थागत वित्त मिलेगा या नहीं, अगर मैं बताऊं कि आपको विदेशी मुद्रा मिल सकती है या नहीं तो विभिन्न स्तरों पर विवेकाधिकार के अनुरूप निर्णय होता है । परन्तु यदि हम वित्त पोषण और विदेशी मुद्रा की प्राप्यता की प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकें, यह राष्ट्रीय प्राथमिकताएं है, यह आम आदमी के लिए है न कि विलासमय उपभोग के लिये और संस्थागत वित्त राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर मिलेगा; फिर तय हो जाएगा कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का एक परिष्कृत साधन विकसित कर लिया है । अब हमने स्वयं को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित कर लिया है। और मेरा विचार है कि ऋण नियंत्रण नीति, ब्याज नीति के परिष्कृत उपायों से, अबकि दूरस्थ नियन्त्रण का युग आ गया है, मैं समझता हूं कि इन्हीं विधियों को हमें अपनाना चाहिये । और धीरे-धीरे जिन भी क्षेत्रों में सम्भव हो विवेकाधिकार के नियंत्रण का स्थान निर्धारित नियन्त्रण को ले लेना चाहिये । यह एक अलग बात है । इसी आशय से रुग्ण औद्योगिक इकाईयों के विषय में कहा गया था, बीमारी की यथार्थपरक स्थितियां भी विद्यमान हो सकती हैं । कपड़ा या बिजली की कमी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वस्तुतः ऐसी स्थिति है । परन्तु जहां रुग्ण स्थिति धन को उद्योग से बाहर निकाल कर दुरुपयोग के कारण है—ऐसे कई मामले हैं—जहां अकारण ही कोई व्यक्ति

संस्थागत वित्त लेता है, धन को वहां से निकाल लेता है, एक और लाइसेंस प्राप्त करता है और फिर वित्तीय संस्था के पास जाता है कि उसे धन दिया जाये और उसे धन दे दिया जाता है। यही हम नहीं चाहते। हां, अगर बिजली चली जाए और औद्योगिक वित्त प्राप्त न हो तो इस नीति का अन्धाधुन्ध या यांत्रिक प्रयोग न किया जाए। अतः ये विचार ध्यान में रहेंगे। परन्तु जिन इकाइयों में धनराशि का उद्योग से निकाल कर दुरूपयोग किया जाता है वह इकाइयां उत्तरदायी होंगी और धनराशि को निकालने के जिम्मेदार प्रबन्धकों को संस्थागत वित्त की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। मैंने समाचार पत्रों में देखा है कि श्री मोदी ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। श्री बिरला ने भी इन बजट प्रस्तावों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। परन्तु मैं दृढ़तापूर्वक कहूंगा कि हम अपने संसाधनों का अपव्यय नहीं कर सकते। हम अस्थायी तरीकों से नहीं चल सकते कि कोई भी आए और कहीं भी लगा दे, हम प्राथमिकताएं निर्धारित करेंगे और सम्बन्धित अभ्यास जारी है। प्रो० मधु दंडवते ने घोषणा के औचित्य के बारे में एक प्रारम्भिक मुद्दे का उल्लेख किया है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्री रूसी मोदी के बाद आप आ गये हैं......

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अब मैं सम्बन्धित विषय पर आता हूं। आपके अतिरिक्त, श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने कहा है, और आप दोनों के लिए मैं संयुक्त रूप से उत्तर दे सकता हूं। एक बात दर्शन, बजट और आर्थिक नीति सम्बन्धी निर्णय और इसकी अवस्थिति के सम्बन्ध में कही गई है। प्रो० मधु दंडवते विशेष रूप से इन शब्दों का प्रयोग किया "यह धनाढ्य वर्ग के समर्थक हैं और यह सामाजिक नहीं है।

प्रो मधु दंडवते : बहुत कम लोगों की अत्याधिक भलाई का काम किया गया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सामाजिक सुरक्षा की योजना बहुत कम लोगों के लिए है और यह समाज विरोधी है ? फसल बीमा योजना बहुत कम लोगों के लिये है और क्या यह समाज क्या विरोधी है ? कामगारों को उनका समान प्राप्य प्रदान करने की सुरक्षा के लिए—यह बहुत कम लोगों के लिये है और क्या यह समाज विरोधी है ? बोनस की धनराशि की सीमा को 750 रु० से बढ़ाकर 1600 रु० बहुत कम लोगों के लिए है और क्या यह समाज विरोधी है।

अब स्टाक (शेयर) विकल्प की नीति को ही लें जहां भी यह सम्भव होने की बात करते हुए, जब सरकार ने अपने कर्मचारियों और नियोजकों शेयर खरीदने का अधिकार दिया है यह भी बहुत कम लोगों के लिए है और क्या यह समाज विरोधी है ? छंटनी भत्ते को 20,000 रु० से बढ़कर 50,000 रुपए करना बहुत कम लोगों के लिए है और क्या यह समाज विरोधी है ? औद्योगिक श्रम के श्रमिकों की मजदूरी की सुरक्षा के लिए यह मजदूरी 1.3 रुपये से बढ़ाकर 1.65 रुपए कर दी गई है, और यह क्या कम लोगों के लिए है और क्या यह समाज विरोधी है? यह सब बजट में प्रदान किए गए संसाधनों से आता है। हम कैसे कह सकते हैं कि यह उसका भाग नहीं है ? 1100 करोड़ रु० की खाद्य सहायता ठीक है यह बजट का अंग है—बहुत कम

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

लोगों के लिए है और समाज-विरोधी है ? राज्यों को 30 प्रतिशत के स्थान पर बढ़ाकर 35 प्रतिशत दी जाने वाली राज सहायता जो कृषि, शिक्षा, सिंचाई गरीबी कार्यक्रमों के लिए होगी यह बहुत कम लोगों के लिए है और क्या यह समाज-विरोधी है ? कृषि उपकरणों से उत्पाद-शुल्क हटाना भी बहुत कम लोगों के लिए है और 18 करोड़ रुपये की खाद-सहायता भी जो हमने प्रदान की है क्या बहुत कम लोगों के लिए है और क्या यह समाज विरोधी है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : मुझे आशा है कि आप श्री रीगन के बारे में कुछ बतायेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं श्री रीगन के बारे में भी कुछ जरूर कहूंगा। हमारे लिए केवल एक अंतर है। यह हमारे लिए समाजवादी उपाय है; यह ठोस-उपाय है। यह आपका सामान्य समाजवाद नहीं है, बल्कि यह हमारा ठोस समाजवाद है।

(व्यवधान)

क्योंकि हम कर की चोरी करने वालों का पता लगाने के लिए विशेष अदालतें बना रहे हैं, हम धनवान वर्ग के समर्थक हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : कर की चोरी करने वालों का पता लगाकर उन्हें विशेष अदालतों के सम्मुख पेश करने में समर्थ होने के लिए शायद आप चाहते हैं कि कर की चोरी करने वाले पैदा किए जाने चाहिए। इसे प्राथमिकता दी गई है। इसका परिणाम यही होगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : श्री दंडवते जी, मैं करों आदि की बात नहीं उठा रहा, यदि जो कुछ आप कह रहे हैं वह है तो अब आगे कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी।

श्रीमती फूलरेणु गुहा (कन्टई) : तस्करों पर भी मुकद्दमा चलाना होगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं अभी इस पर भी बात करूंगा। हमने इस वर्ष यह व्यवस्था की है कि यदि कोई व्यक्ति ऋण लेता है अथवा 10,000 रुपये से अधिक पूंजी जमा करता है और यदि यह धनराशि बैंक द्वारा जमा नहीं की जाती, और यदि कोई व्यक्ति दो बार ऐसा अपराध करता है तो उसे छह अथवा सात माह की कैद हो सकती है।

निगमित क्षेत्र से कुल प्राप्त राशि के सम्बन्ध में, इस वर्ष हम निगमित क्षेत्र से 251 करोड़ रुपये प्राप्त कर रहे हैं। बजट में इस पर विचार किया गया है। और आप कह रहे हैं कि हम सब कुछ निगमित क्षेत्र को दे रहे हैं। कानूनी सीमा को सिर्फ 1 प्रतिशत बढ़ा देने से बैंकों को एक निश्चित धनराशि अर्थात 100 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक के पास जमा करने पड़ेंगे इस

प्रकार जो राशि निजी क्षेत्र को उपलब्ध होती वह अब रिजर्व बैंक के पास आ गई। हमने इसे सिर्फ एक प्रतिशत ही बढ़ाया। और यही क्षेत्र है जहां सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रों की प्रतियोगिता की बात आती है। यह प्रतियोगिता संसाधनों के वितरण में है। यह बात अन्य क्षेत्रों में नहीं आती और अन्य क्षेत्रों में ये दोनों साथ साथ चलते हैं। आप सांस्थगित वित्त की उपलब्धता को देखें हैं कि हमारी सरकार के पास क्या है और हमारी विदेशी-मुद्रा कितनी है तथा विदेशों से हमें कितना प्राप्त होता है। हमें यहां संतुलन स्थापित करना है और इस बात का निर्णय करना है कि हमारा झुकाव किस तरफ होगा। इन दोनों में विरोध है। इस प्रकार से हमें सुनिश्चित करना है और वह बहुत जटिल हो जाता किन्तु वह अलग बात है।

इस बात का प्रदर्शन तथा ढिंढोरा पीटा जा रहा रहा है कि सरकार ने अपने राजकोष के दरवाजे निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिए हैं और हमने उन्हें एक बहुत उपहार दिया है। किन्तु 4000 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कराधान में से यह सिर्फ 116 करोड़ रुपये है। बस इतना ही है। इसका ही इस तरह में ढिंढोरा पीटा जा रहा है। आप इसका प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं।

यह भी कहा गया है कि आय कर की दर कम कर दी गई है और इस प्रकार समाजवादी मार्ग छोड़ दिया गया है। जहां तक आय कर का सम्बन्ध है हमने उसे 97 प्रतिशत से घटाकर 62 प्रतिशत कर दिया है। जब हम 35 प्रतिशत तक पहुंच गए थे तो हमें पूंजीवादी नहीं मान लिया गया था। हम अब भी समाजवादी हैं।

श्री नारायण चौबे : आप कभी भी समाजवादी नहीं रहे। हमने ऐसा कभी भी नहीं कहा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है अब आप अपनी बात बदल रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : हमने कभी नहीं कहा कि आप समाजवादी हैं। हमने ऐसा आरोप कभी नहीं लगाया।

2.59 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इस मामले में भी आपको निरुत्तर कर दूंगा। खैर, उनके पास समाजवाद के लिए एक पाकेट थर्मोमीटर है। जैसे ही टेक्स की दर 97 से 62 प्रतिशत आई उन्होंने अपना थर्मोमीटर इस्तेमाल करके तापमान देखकर यह कह दिया कि यह अब भी समाजवाद है। किन्तु जब यह 62 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हुआ तो थर्मोमीटर के तापमान ने बताया कि यह पूंजीवाद है।

वाद विवाद टेक्स के ढांचे के बारे में नहीं है। मूलभूत मामला सम्पत्ति के स्वामित्व के बारे में है। और इधर उधर टेक्स की दरों में फेर बदल करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने इस तरह नहीं बताया था। यही वाद विवाद का सार है। हमें सम्बन्धित विषय पर ही वाद विवाद करना चाहिए अन्य बातों पर नहीं।

3.00 म० प०

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : विवाद का रुख अधिक महत्व रखता है। आप किस दिशा में जा रहे हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कल श्री माधव रेड्डी ने दिशा का प्रश्न उठाया था। उन्होंने दावा किया था कि हमने निजी क्षेत्रों के लिए धनराशि की सीमा बिना किसी दिशा के बढ़ा दी है उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने लगेगा। और मूल्य बढ़ा देगा। यह उनका आधारभूत सिद्धान्त था। कल मैंने विद्युत तथा संचार क्षेत्रों के लिए कुछ बातें कही थी। हम उन चीजों को वहां दे रहे हैं जहां इस प्रकार कार्य हो सकता है और उसे यह दिशा दी जा सकती है। यह एक सही बात है, और ऐसा नहीं है कि हम उससे बेखबर है।

एक महिला सदस्य ने तस्करों के बारे में कहा है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष को पहले 4 महीनों में 20 करोड़ रुपये का सोना पकड़ा गया, जबकि पिछले पूरे वर्ष में 10 करोड़ रुपये का सोना पकड़ा गया था। तस्करी को रोकने की दिशा में हमने यह प्रगति की है। इसी प्रकार इन चार महीनों में 60 करोड़ रुपये का तस्करी का सामान पकड़ा गया है। जबकि गत वर्ष की पूरी अवधि में भी लगभग 60 करोड़ रुपये का तस्करी का माल पकड़ा गया था। जो उपलब्धि हमें पूरे एक वर्ष में होनी चाहिए थी वो हमें वर्ष के पहले चार महीनों में ही हो गई है। अर्थात यहां हमारी उपलब्धि बढ़ी है।

अब चीजों के मूल्यों का प्रश्न आता है। जो इस तरफ तथा उस तरफ दोनों ही तरफ के लोगों के भाषणों से इसका जिक्र किया गया है मैं भी इससे अलग नहीं हूं। जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है मैं भी आपके साथ हूं। मैं समझता हूं--हमें शान्ति से और मिलजुल कर इसका मुकाबला करना चाहिए किन्तु मैं बीमारी के पता लगाने के बारे में बात कहना चाहूंगा। मान लीजिए बुखार है तो उसका ठीक से पता लगाया जाना चाहिए। बुखार तो है किन्तु यदि आप टाइफायड के स्थान पर मलेरिया समझ लें तो आप कुनीन देंगे और बीमार मर जायेगा।

श्री नारायण चौबे : यह आन्त्र ज्वर है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : तो आपको पता लगाना है कि इसके विभिन्न कारण कौन-कौन से हैं। मैं यह नहीं कहता कि बजट का असर नहीं होता। मेरे विचार से 4 या 5 तत्व इसमें सम्मिलित हैं। एक कारण मौसम है। दूसरा बजट है। बजट में दो बातें होती हैं—कर तथा घाटा। इस समय घाटा कारण नहीं हो सकता क्योंकि पांच सप्ताहों में उसका ऐसा असर नहीं हो सकता। अतः कर ही वह कारण है जिसका मूल्यों पर प्रभाव पड़ा है।

अब नियंत्रित मूल्यों को देखें। इस्पात के मूल्य अथवा रेलवे भाड़े से, जिनका निर्धारक सरकार करती है, मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है।

इसके अलावा चीजों, जैसे कि चीनी आदि के उत्पादन में कमी होना भी एक कारण है। इस वर्ष चीनी के उत्पादन में 22 प्रतिशत की कमी आयी है। बजट हो या नहीं हो, उत्पादन में कमी आने के कारण मूल्यों पर दबाव पड़ेगा ही।

पांचवा कारण है मुनाफाखोरी मनोवैज्ञानिक कारणों से मुनाफा कमाना जैसे परिस्थिति का फायदा उठाना अथवा बजट को बहाना बना कर मूल्य बढ़ाना। इस प्रकार मूल्य वृद्धि के ये पांच कारण हैं।

पहले कारण अर्थात मौसम के बारे में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उन्हें दिए गए ग्राफ की तरफ आकर्षित करूंगा शायद उन्हें यह मिल गया है। यदि आप इस पर नजर मारें तो···

प्रो० मधु दण्डवते : मैं चाहता हूं कि आपको इसके साथ वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के भी आंकड़े देने चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : दण्डवते जी मैं समझता हूं कि इससे कोई अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने एक साल को अर्थात 1979-80 के जनता पार्टी के वर्ष के आंकड़े शामिल किए हैं। किन्तु वह एक सामान्य कारण है। आप इसे वर्षों तक देख सकते हैं। आप यदि इस ग्राफ को देखें तो 7 वर्ष तक के तथ्यों का पता लगा सकते हैं। यह सात वर्षों के थोक मूल्यों के आंकड़े हैं। आप देखेंगे कि मार्च से अगस्त तक सभी सातों वर्षों में थोक के मूल्यों में वृद्धि हुई है। और पिछले वर्ष में भी यही रूख रहा। अगस्त के बाद से ही मूल्यों में कमी आनी शुरू हुई। अतः, प्रत्येक बार बजट के कारण मूल्यों में वृद्धि होती है ये जो आम धारणा है बिल्कुल गलत है। यदि हम वित्त वर्ष को सितम्बर से आरम्भ करें तो वित्त मंत्री सबसे खुश व्यक्ति होगा क्योंकि इससे मौसम का अधिक प्रभाव बजट पर अवश्य ही पड़ेगा। किन्तु मैं नहीं कहता कि बजट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां मंत्रालय अथवा किसी दल का बचाव करने का प्रश्न नहीं है किन्तु इस मामले में मैं आपका भागीदार होना चाहता हूं और हमें यह पता लगाना चाहिए कि इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं।

कुछ बातें हमारे सामने आयी हैं—सब्जियों, दुग्ध पदार्थों, साबुन और गुड़ आदि के मूल्य बढ़े हैं। गुड़ के मूल्य पिछले वर्ष भी मार्च अगस्त के बीच की अवधि में बढ़े 60.9 प्रतिशत बढ़े थे। पिछले वर्ष पहले यह वृद्धि 37.1 प्रतिशत थी तथा इसके बाद 33.1 प्रतिशत। मैं इस विवरण में अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय हो रहा है।

अब की गई समीक्षा के अनुसार बजट का जो प्रभाव पड़ा है वह करों के कारण है। 16 मार्च और 20 अप्रैल के बीच में मूल्य सूचकांक में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है करों का प्रभाव 2.4 में से सिर्फ 1.53 है जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद ठंडे पेय, सिगरेट, सीमेंट तथा वनस्पति आदि शामिल हैं। मेरा मतलब यह है कि इन वस्तुओं पर कर लगाया गया है। ऐसी चीजें अधिक नहीं है।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

सरकार द्वार नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि का असर .56 है। अतः नियंत्रित मूल्यों का तथा करों का कुल प्रभाव 2.4 में से 1.10 है तथा अन्य कारण अर्थात मौसम का प्रभाव तथा मुनाफाखोरी का प्रभाव 1.30 है, इस प्रकार यह आधे से भी कम है, और मैं सोचता हूं कि मूल्यों में कुछ कमी भी हुई है—गेहूं तथा दालों के मूल्यों में कुछ कमी हुई है। यह विस्तृत जानकारी है। अब हम थोक के मूल्यों का सूचकांक की ओर देखें, इससे ज्ञात होता है कि बजट के अतिरिक्त भी ऐसे कारण हैं जिनके कारण मूल्यों में कमी आती है। एक विकल्प है व्यय में कटौती करना पर वह किस सम्बन्ध में की जाए। योजनागत मामलों में की जा सकती है या गैर-योजनागत मामलों में अन्यथा अधिक ऋण लेना होगा अधिक कर लगेंगे, अधिक कर होंगे तो मूल्य अधिक होंगे। और इस सम्बन्ध में मेरी आलोचनायें पहले ही हो चुकी है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागोआ) : उत्पादन बढ़ायें ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वही बात बजट में है। अन्य बात जो कही गई थी वह यह है कि दो महीनों में 2.4 गुणा 12 की वृद्धि हुई है। यह सच नहीं है। यदि आप इस ग्राफ के आंकड़े देखें तो पायेंगे कि जहां 1983-84 में पहले 6 महीनों में 7.3 की वृद्धि हुई किन्तु पूरे वर्ष में यह सिर्फ 5.2 थी तो इसमें बढ़ोत्तरी नहीं हुई है क्योंकि पहला प्रभाव इसमें निहित है। एक बार मूल्य ठीक हो जाते हैं तो इनमें कमी आ जाती है। अब इसका प्रभाव केवल घाटा है। उसका प्रभाव पूरे वर्ष पर हो सकता है और वही हमें सुव्यवस्थित तथा नियंत्रित करना है। इस वाद विवाद से मुझे और बल मिला है और मैं यह अनुभव करता हूं कि सभा इस बारे में एक मत है कि बहुत कड़े उपाय किये जायें।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यह समय से पहले प्रशंसा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हो सकता है। कुछ अप्रिय उपाय भी किए जायेंगे लेकिन यदि मूल्यों पर नियंत्रण करना है तो हमें वे उपाय करने पड़ेंगे। हमें ऐसे उपाय करने हेतु सभा की शक्ति प्राप्त है। मैं वह कदम उठा सकता हूं। क्योंकि किसी प्रस्ताव से लोग अधिक महत्वपूर्ण हैं। हर प्रस्ताव जनता के लिए ही किया जाता है और इस प्रयोजन हेतु मैं सोचता हूं हमें हर आवश्यक व्यवस्था करने के लिए लचीला रवैया अपनाना चाहिए।

ओवरड्राफ्टों के विषय में एक प्रश्न उठाया गया था और आठवें वित्त आयोग के विषय में भी। छठी योजना में राज्यों के बजट संसाधनों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। ठीक है, मैं राज्यों का नाम नहीं लूंगा पहले ही बहुतों का नाम लिया जा चुका है और हर व्यक्ति जानता है कि स्थिति क्या है। मूल रूप से राज्यों के बजट संसाधन और राज्यों के उद्यमों से प्राप्त अंशदान का आकलन छठी योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये किया गया था। लेकिन 26,000 करोड़ रुपये की तुलना में राज्यों से केवल 17,966 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जो 8,067 करोड़ रुपये का

कम था। जबकि ऋण की राशि में 160 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और केन्द्रीय सहायता राशि में 204 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई। रिजर्व बेंक आफ इण्डिया से लिया गया ओवर ड्राफ्ट, जो राज्यों के लिये एक स्रोत बन गया है, की राशि 6,128 करोड़ रुपये थी। तो स्थिति यह थी। अब जब ओवर ड्राफ्टों पर प्रतिबन्ध लगाया गया, मैंने यह मालूम किया कि एक दिन में ओवर ड्राफ्ट 30 करोड़ रुपये बढ़ गया है और अगले दिन यह 40 करोड़ रुपये बढ़ गया। इस वित्तीय स्थिति को बचाना आवश्यक था। इसलिए ओवर ड्राफ्ट 1850 करोड़ रुपये पर स्थिर करने के लिए यह प्रतिबन्ध लगाया गया। अतः इसे कम करना पड़ा था। हम इससे खुश नहीं हैं केवल यहीं नहीं। यदि राज्यों का विकास होता है तो देश का विकास होता है। लेकिन ऊपर से देख-रेख करने की एक पद्धति है। मैं आठवें वित्त आयोग तथा अन्य बातों के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि विद्यमान पद्धति के अंतर्गत आठवें वित्त आयोग ने 1984-85 में जो दिया गया था उसकी अपेक्षा 1985-86 में अधिक नहीं दिया होगा। 1984-85 के दौरान केन्द्र से भेजे गये फेन के आंकड़े दिये गये हैं।

अब एक चीज को बहुत स्पष्ट रूप से करना होगा। वह मद जिसके लिये राज्यों को धन आवंटित किया गया है उस पर निगरानी रखनी होगी। धन को किसी और मद में खर्च करने की अनुमति नहीं दी जा सकती योजना व्यय को गैर-योजना पर व्यय नहीं किया जायेगा ऐसा अनुशासन हमने किया है। अनुशासन होना ही चाहिए। जब मैं अनुशासन की बात करता हूं तो मैं स्वयं को भी अनुशासन बह करना चाहता हूं। मैं अपने लिए भी अनुशासन चाहता हूं।

श्री नारायण चौबे : कोई आपत्ति नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस सम्बन्ध में मैंने अपने हाथ मजबूत कर लिए हैं।

ऋण के विषय में एक प्रश्न कहा गया था। श्री इन्द्रजीत गुप्ता चले गये हैं। उन्होंने कहा था कि बहुत से विदेशी ऋण लिए गए हैं। श्री रामसिंह यादव ने कहा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर किश्तें स्वीकार नहीं की हैं। यह हमारी अर्थ व्यवस्था की शक्ति है। निर्यात से होने वाली आय का सम्बन्ध अवश्य ही विदेशी ऋण भुगतान से है। परोक्ष रूप से यह 12 से 13 प्रतिशत की सीमा में है जिसका अर्थ है भारत की विश्वसनीयता में वृद्धि हो रही है। देशी और विदेशी ऋणों के स्तर पर कोई समस्या नहीं है। 1970-71 में यह केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय का लगभग सात प्रतिशत था। 1985-86 में यह 4.5 प्रतिशत था। इस प्रकार इसका प्रबन्ध बहुत अच्छी तरह से हो रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आपको विश्वास है कि उपरोक्त आंकड़े सही हैं। मेरे विचार से 1970-71 में कुल व्यय लगभग 3 प्रतिशत था और 1985-86 में उधार का अनुपात 10 प्रतिशत था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यही आंकड़े मुझे दिए गए हैं। फिर भी मैं जांच करूंगा।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

यदि यह तीन प्रतिशत भी था तो अब यह 4 प्रतिशत है और तब भी तर्क मजूबत है। हमने स्थिति में सुधार किया है और देश ने इसका सुचारू प्रबन्ध किया है।

क्या आपने 10 प्रतिशत कहा या 3 प्रतिशत ?

प्रो० मधु दण्डवते : 10 प्रतिशत

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह मेरा आंकड़ा नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह 3 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मेरे विचार से यह 10 प्रतिशत नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह राशि मैंने नहीं बल्कि आपने खर्च की है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इसकी जांच करूंगा लेकिन इस अनुक्रम में हैं—4 प्रतिशत, 4.5 प्रतिशत या 5 प्रतिशत।

मैं व्यापार नीति के बारे में थोड़ा सा कह कर अपने भाषण को समाप्त करना चाहता हूं। इस विषय में बहुत कुछ कहा गया है कि यह उदारवादी व्यापार नीति है और इसके परिणामस्वरूप ऋण संकट पैदा हो जायेगा और विदेशी मुद्रा बाहर जायेगी। लेकिन यदि आप आयात नीति की ओर देखे या किसी ऐसी नीति की ओर न भी देखें जो स्वतन्त्र और प्रतिबन्धित हो आपके आयात का 65 प्रतिशत आपकी नीति से बाहर है। अधिकतर पेट्रोलियम, खाद्य तेल और सीमेंट का आयात किया जाता है तथा अलौह (नानफेरस) धातुओं का निर्यात किया जाता है। आयात सरकार के निर्णयों के अन्तर्गत किया जाता है। लेकिन ये नीति सम्बन्धी निर्णय नहीं होते। इसलिए 65 प्रतिशत आयात नीति के अन्तर्गत नहीं होता। यदि इस सहायता में आप यह जोड़ें जिसकी आपको परियोजनाओं के लिए आवश्यकता है और यदि आप उस आधे से अधिक भाग को देखें जिसके लिए ऋण की आवश्यकता है। तो यह पूंजीगत वस्तुओं और कच्ची सामग्री का 35 प्रतिशत है।

इसके लिए उदार नीति सम्बन्धी आपका वाद-विवाद आयात के केवल 10 प्रतिशत के लिए है। इस 10 प्रतिशत पर आप यह कह सकते हैं कि आपने इसे उदार रखा है या प्रतिबंधित बना दिया है। लेकिन यह 10 प्रतिशत कैंसर की तरह बढ़ना नहीं चाहिए। इस पर नजर रखिए और इस पर नियंत्रण रखिए।

यदि आप व्यापार के अन्तर को देखें तो उससे पता चलेगा कि प्रगति हुई है। व्यापार के अन्तर को अर्थ व्यवस्था की शक्ति के रूप में लिया जाना चाहिए। यदि हम व्यापार के अन्तर को सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में लें तो इसमें गिरावट आई है। 1981-82 में

व्यापार का अन्तर समग्र राष्ट्रीय उत्पाद का 5 प्रतिशत था और 1983-84 में यह समग्र राष्ट्र उत्पाद का 3 प्रतिशत था। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि हमारे व्यापार का अन्तर इतना है कि इसका कोई प्रबन्ध ही न किया जा सके।

विकासशील देश के बारे में कुछ मुद्दे यहां उठाये गये थे। यहां पर मुझे कहना पड़ेगा कि हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि निर्गुट आंदोलन के नेता के रूप में हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री और हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री ने इसमें पहल की है। यह सच है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। रियायती ऋणों के मिलने में कमी आ रही है और वाणिज्यिक ऋण लेने के लिए दबाव पड़ रहा है, जो बहुत मंहगा पड़ता है। और फिर ब्याज की दरें भी बहुत ज्यादा हैं। हमें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि ब्याज की दर में एक प्रतिशत वृद्धि के कारण विकासशील देशों पर 3 बिलियन डालर का भार पड़ता है। इन ऊंची दरों का भार बुरी तरह से तोड़ देने वाला होता है।

ऐसे क्षेत्र जिनमें हमारी तुलनात्मक स्थिति अच्छी है हमें टेरिफ और व्यापार के सामान्य करार के अन्तर्गत व्यापार समस्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों (जी०ए०टी०टी०) मुकाबले संरक्षणात्मक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। टेरिफ और व्यापार के सामान्य करार के अन्तर्गत अनुबंधित पार्टियां हैं। और बड़े-बड़े देश इसका पालन नहीं करते। कपड़ों के मामलों में हमारी स्थिति अच्छी है लेकिन हमें कपड़ा संरक्षणवाद का सामना करना पड़ता है। केवल हम ही यह नुकसान नहीं उठा रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में यह हिसाब लगाया गया है कि अपने कपड़ा उद्योग को विकासशील देशों से बचाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को कर्मचारियों की लागत के 7 सेंट के मुकाबले एक डालर खर्च करना पड़ता है। यह अनुपात 14:1 का है। कनाडा में यह अनुपात 70:1 है। सबके सब नुकसान उठा रहे हैं लेकिन वे संरक्षात्मक अवरोधों को समाप्त नहीं कर रहे हैं। यही मसला मैंने वाशिंगटन में उठाया था और अखबारों में कहा गया कि मैं एक उदास व्यक्ति के रूप में वापिस आया। मेरा विचार भारत अपनी बात पर अडिग रहा। टेरिफ और व्यापार के सामान्य करार पर वार्ता का दूसरा दौर शुरू होने वाला था। इस बात पर काफी दबाव था कि सेवाओं और अन्य सब बातों को वार्ता के दौर में उठाया जाये। यह भारत ही था जिसने इस विषय पर एक निश्चित राय बना ली और यह विकासशील देशों के लिए एक जुट हो जाने का मुद्दा बन गया। उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय बना ली और विकसित देशों को विकासशील देशों के हक में अपना प्रारूप बदलना पड़ा उसके अनुसार विकासशील देशों को पहले संरक्षणवाद को धीरे-धीरे समाप्त करना होगा और टोकियो वार्ता के पश्चात कार्यक्रम के अनुसार कपड़ा, कृषि आदि के क्षेत्र में संरक्षणात्मक अवरोध हटाने होंगे। केवल इसके बाद ही दूसरे दौर की बुनियाद पड़ेगी। हर व्यक्ति यह आशा कर रहा था कि वाशिंगटन में विकास समिति की बैठक हो जाने के पश्चात वहां दूसरा दौर आरम्भ करने की घोषणा की जायेगी लेकिन यह भारत की राय थी मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है और मुझे भारत के बल पर भी गर्व है और इस बात का भी गर्व है कि इस मतैक्य के कारण विकासशील देश एक-

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

जुट हो सके हैं इसके कारण यह परिवर्तन हो सका और दस्तावेज में विकासशील देशों का नाम दर्ज हो सका। इससे विकासशील देशों की इस मंच पर मतदान की शक्ति 96.2 प्रतिशत हो गई है, क्योंकि यह विश्व की धनराशि में दिये गये भाग के आधार पर होता है और समस्त विकसित देशों की कुल मतदान शक्ति केवल 3.8 प्रतिशत है। इस मंच पर हम अपने मुद्दे पर जोर दे सकते हैं। भारत की पहल पर ही हम यह प्राप्त कर सके और उन्हें दिलवा सके।

प्रो० मधु दंडवते : आपके द्वारा 2.20 पर अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं यह कहूंगा कि मैंने एक महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न उठाया था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इस पर आ रहा हूं। यदि मैं उस विषय पर न आऊं तो यह मेरे लिए बहुत अनुचित होगा।

प्रो० मधु दंडवते : कम से कम कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं होना चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं रीगन अर्थशास्त्र और अनौचित्य दोनों के उत्तर दूंगा। (**व्यवधान**) दण्डवते जी आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि अप्रत्यक्ष करों में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है और सभा के बाहर नियमित रूप से किया जाता है, यहां उन पर चर्चा नहीं होती।

प्रो० मधु दंडवते : कार्यकारी आदेश द्वारा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अब जबकि सरकार के पास पहले से शक्तियां हैं, तो क्या यह अधिक उचित नहीं है कि मैं सभा में आया हूं और आपको विश्वास में लिया है ? क्या आप मुझ पर अनौचित्य का आरोप लगा रहे हैं। मैं इसे ऐसे भी कर सकता था और इसकी यहां घोषणा ही न करता।

प्रो० मधु दंडवते : 1952 से लेकर 1985 तक मुझे कोई एक बजट बता दीजिए जिसमें वित्त विधेयक पर विचार करने से पहले वित्त मंत्री ने विचार विमर्श के समय उत्तर देने के स्तर पर कोई अतिरिक्त लेवी लगाई हो।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : दण्डवते जी, केवल इतिहास ही औचित्य की एक मात्र परीक्षा नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : भूगोल भी नहीं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां भूगोल भी। क्योंकि मैं सभा को बताये बगैर सभा से बाहर कुछ कर सकता हूं। मेरी गलती यह है कि मैं यहां आया हूं और मैंने सभा को बताया है। अप्रत्यक्ष कर मैं किसी समय भी लगा सकता हूं और इसको बजट में पारित करने की भी आवश्यकता नहीं है। सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क के बारे में मैंने यहां आकर आपको बताया यह मेरी गलती थी।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, क्या आप संतुष्ट हैं ?

श्री एडुआर्डो फलीरो : हमें महत्वपूर्ण मामलों को लेना चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मेरे विचार में केवल अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न……

प्रो० मधु दण्डवते : आपने परिपाटियों तथा परम्पराओं को तिलांजलि दे दी है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : दण्डवते जी, मैं अपना भाषण परम्पराओं तथा परिपाटियों के साथ समाप्त करूंगा।

आपनें व्यक्ति की प्रतिष्ठा का बुनियादी विषय उठाया है और वह मामला मशीन के अधीन नहीं होना चाहिए। वक्तव्य में यही बात कही गई है और यह कि संक्षिप्त रूप से व्यक्ति का प्रतिष्ठा को बनाए रखा जाना चाहिए, इसे बाजार में नहीं बेचा जाना चाहिए, यह कि व्यक्ति का प्रतिष्ठा को बनाए रखा जाना चाहिए और अधिकारवादी प्रणाली के अन्तर्गत पीसा नहीं जाना चाहिए, कि आदमी को एक वस्तु बना दिया गया है, इसे पैसे या ताकत का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। वस्तुत: यही हमारा समाजवाद है और यह इस बात का द्योतक है कि हम किस लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारी नीतियों का उद्देश्य मानव की प्रतिष्ठा को बनाये रखना है।

इन शब्दो के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों का प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी। खण्ड-2.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा उपस्थित नही है।

प्रश्न यह है :-

"कि खण्ड-2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड—3 (धारा-2 में संशोधन)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 47, "अन्तःस्थापित किया जाएगा" के पश्चात "और अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा," अन्तःस्थापित किया जाए। (2)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 35, अन्तःस्थापित किया जायेगा" के पश्चात "और अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा" अन्तःस्थापित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड 3 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड 4 और 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 6—(धारा 17 में संशोधन)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6 पंक्ति 31 "की मद" के स्थान पर "के पैरा" प्रतिस्थापित किया जाये। (3)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 31 "की मद" के स्थान पर "के पैरा" प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड 6 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 7—(नई धारा 33 क ख का अन्तःस्थापन)

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : सरकारी संशोधन जो उसी बारे में है जिसके बारे में मेरा संशोधन है, को देखते हुए मैं अपना संशोधन संख्या 1 का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6 पंक्ति 44, 45 के स्थान पर 'निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये' अर्थात :

"33 क ख (1) जहां किसी निर्धारिती ने, जो भारत में चाय उगाने और विनिर्मित करने का कारबार करता है, पूर्व वर्ष में किसी राष्ट्रीय बैंक के चाय विकास लेखे में राशि जमा की है" (4)

पृष्ठ 7, पंक्ति 1, "अपने" के स्थान पर "निर्धारिती प्रतिस्थापित किया जाये। (5)

पृष्ठ 7, पंक्ति 7, "उसके लाभ" के स्थान पर "ऐसे कारबार के लाभ" प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

पृष्ठ 7, पंक्ति 20, "अपने कारबार" के स्थान पर "उपधारा (1) में निर्दिष्ट कारबार" प्रतिस्थापित किया जाए। (7)

पृष्ठ 7, पंक्ति 25, "अपने कारबार" के स्थान पर "ऐसे कारबार" प्रतिस्थापित किया जाए। (8)

पृष्ठ 7, पंक्ति 30, "अपने कारबार" के स्थान पर "उपधारा (1) में निर्दिष्ट कारबार" प्रतिस्थापित किया जाए। (9)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 44 और 45 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात

"जहां किसी निर्धारिती ने, जो भारत में चाय उगाने और विनिर्मित करने का

कारबार करता है, पूर्व वर्ष में किसी राष्ट्रीय बैंक के चाय विकास लेखे में राशि जमा की है" (4)

पृष्ठ 7, पंक्ति 1, "अपने" के स्थान पर "निर्धारिती" प्रतिस्थापित किया जाये।(5)

पृष्ठ 7, पंक्ति 7, "उसके लाभ" के स्थान पर "ऐसे कारबार के लाभ" प्रतिस्थापित किया जाये। (6)

पृष्ठ 7, पंक्ति 20, "अपने कारबार" के स्थान पर "उपधारा (1) में निर्दिष्ट कारबार" प्रतिस्थापित किया जाये। (7)

पृष्ठ 7, पंक्ति 25 "अपने कारबार" के स्थान पर "ऐसे कारबार" प्रतिस्थापित किया जाये (8)

पृष्ठ 7, पंक्ति 30 "अपने कारबार" के स्थान पर "उपधारा (1) में निर्दिष्ट कारबार" प्रतिस्थापित किया जाये (9)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 8 और 9
प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 8 और 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 और 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 10—(धारा 36 में संशोधन)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 8, पंक्ति 41, "वहां" के पश्चात 'ऐसी कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी जब" अंतःस्थापित किया जाये। (10)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 8, पंक्ति 41 "वहां" के पश्चात् "ऐसी कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी जब" अन्तःस्थापित किया जाये। (10)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 11 प्रश्न यह कि :

"खण्ड 11 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12—(धारा 40 क में संशोधन)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 9, पंक्ति 3, "के खण्ड (ग)" का लोप किया जाए। (11)

पृष्ठ 9, पंक्ति10, "अनुज्ञात नहीं की जाएगी" के स्थान पर "किसी निर्धारण वर्ष के लिए दस हजार रुपए से अधिक अनुज्ञात की जाएगी" प्रतिस्थापित किया जाए। (12)

पृष्ठ 9, पंक्ति 15 और 16, "सेवाओं के लिए" के पश्चात् "(जो आय की विवरणी तैयार करने के रूप में सेवाएं नहीं हैं)" अंतःस्थापित किया जाए। (13)

पृष्ठ 9, पंक्ति 16 "के लिए; या" के स्थान पर "के लिए;" प्रतिस्थापित किया जाए। (14)

पृष्ठ 9, पंक्ति 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए। अर्थात :—
"कार्यवाही है ; और

(ग) इस अधिनियम के अधीन कर, शास्ति, ब्याज या किसी अन्य विषय के संबंध में किसी सलाह के लिए।"(15)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 9, पंक्ति 3 " के खण्ड (ग)" का लोप किया जाए । (11)

पृष्ठ 9, पंक्ति 10 और 11, अनुज्ञात नहीं की जायेगी" के स्थान पर "किसी निर्धारण वर्ष के लिये दस हजार रुपए से अधिक अनुज्ञात नहीं की जायेगी" प्रतिस्थापित किया जाए । (12)

पृष्ठ 9, पंक्ति 15 और 16, सेवाओं के लिये" के पश्चात् "(जो आय की विवरणी तैयार करने के रूप में सेवाएं नहीं हैं)" अंतःस्थापित किया जाए । (13)

पृष्ठ 9, पंक्ति 16, "के लिये; या" के स्थान पर "के लिये;" प्रतिस्थापित किया जाए । (14)

पृष्ठ 9, पंक्ति 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"कार्यवाही है ; और

(ग) इस अधिनियम के अधीन कर, शास्ति, ब्याज या किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में किसी सलाह के लिए ।" (15)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खण्ड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।"

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 13 से 18

प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 13 से 18 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 13 से 18 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करेंगे ।

कई माननीय सदस्य : विधेयक को पास होने दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : तीसरा वाचन सोमवार को होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसमें समय व्यय होगा और इसे राज्य सभा में भी भेजा जाना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य जो भी कहते हैं उसे मैं मानने के लिए तैयार हूं ।

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फलीरो : (मारमागाओ) : नियमों को नजरअन्दाज करके इसे पारित कर दो ।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : सभा की कार्यवाही में अन्तर लाना सभापति की शक्तियों में है । यदि गैर-सरकारी सदस्य विधेयक पांच मिनट बाद आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा । आसमान नहीं गिर पड़ेगा । हम गैर-सरकारी सदस्य भी हैं सिर्फ विपक्ष ही नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अभी आपको बताता हूं । हम समय बढ़ा सकते हैं ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) बुरी प्रथायें मत स्थापित करिए । यह एक गलत प्रथा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री कुछ कहना चाहते हैं । हम उनकी बात सुनते हैं ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल भगत) : विपक्षी सदस्यों से मैं विनती करता हूं । 'कार्य मंत्रणा समिति का यह निर्णय था कि वित्त विधेयक 10 मई, 1985 को पारित किया जायेगा ।' हमने हमेशा परस्पर सहयोग किया है । हम सभी ने प्रत्येक कार्य पूरे सहयोग से किया है । यदि आप चाहते हैं कि गैर सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य अभी ही शुरू किया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । ऐसा हो सकता है । किन्तु उस स्थिति में हमें वित्त विधेयक पर 6 बजे के बाद चर्चा शुरू करनी होगी और उसे आज ही पूर्ण करना होगा ।

श्री नारायण चौबे : गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पर चर्चा 3.30 बजे शुरू कर देनी चाहिए थी । पांच मिनट पहले ही व्यतीत हो गए हैं ।

(व्यवधान)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : 6 बजे आधे घंटे की चर्चा की जानी है । वह 6.30 तक चलेगी ।

[श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी]

पूरी कार्यवाही सोमवार को, यदि आवश्यक हुआ तो देर तक बैठकर भी, 6 बजे के बाद तक की जा सकती है।

श्री एच० के० एल० भगत : हमें कार्य मंत्रणा समिति के निर्णयों के अनुसार चलना चाहिए। कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय किया है कि वित्त विधेयक 10 मई को पारित किया जायेगा। प्रत्येक विषय पर हम आपके साथ रहे। आपको भी सहयोग चाहिए। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय किया गया था कि विधेयक को आज पारित किया जायेगा। जैसा कि कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं हमें गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए निर्धारित समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। मैं यह मानता हूं। अब हम गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य को लेंगे। लेकिन 6.30 बजे के बाद वित्त विधेयक लेना है तथा उस पर पूरी कार्यवाही करनी है।

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : वह हम सोमवार को कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं इसका निर्णय हम पहले ही ले चुके हैं। इसलिये मैंने सदस्यों से संक्षेप में बोलने के लिए कहा था। किन्तु सदस्यों ने पूरा समय लिया। मैं क्या कर सकता हूं।

श्री नारायण चौबे : यदि इस पर चर्चा सोमवार को प्रारम्भ कर उसी दिन पूरी कर ली जाती है तो आसमान नहीं गिर जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब दो ही विकल्प हैं। पहला है, यदि सभा सहमत हो तो, हम वित्त विधेयक पर चर्चा पूर्ण करके ढाई घंटे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को दें और उसके बाद आधे घंटे की चर्चा की जाए, यह तो है पहला विकल्प। दूसरा विकल्प यह है यदि सदस्य जोर डालते हैं कि गैर सरकारी सदस्यों का कार्य अभी लिया जाये, तो हम गैर सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य पर विचार कर सकते हैं, उसके बाद आधे घंटे की चर्चा और तब वित्त विधेयक पर चर्चा प्रारम्भ कर उसे पूर्ण करेंगे। अब आप इस पर निर्णय ले सकते हैं।

श्री एच० एम० पटेल (साबरकन्ठा) : गैर सरकारी सदस्यों का समय हमेशा ही से अमूल्य रहा है। उसका हमेशा ही ध्यान रखा गया है। मैं समझता हूं यदि आप अपवाद की स्थिति सामने लायेंगे तो···(व्यवधान) उन्हें एक उदाहरण देने देजिए।

श्री भगवत झा आजाद (भागलपुर) : ऐसा कई बार हुआ है।

श्री एच० एम० पटेल : कभी भी नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य चाहते हैं तो मैं स्वीकार करता हूं ।

अब हम गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा आरम्भ करेंगे । 6.30 बजे के बाद आधे घंटे की चर्चा हो जाने के बाद हम दुबारा वित्त विधेयक पर चर्चा करेंगे ।

———

3.42 म० प०

विधेयक

(1) संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 130 में संशोधन)

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

———

(2) कलकत्ता स्थित उच्च न्यायालय (सिलिगुड़ी में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कलकत्ता स्थित उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ सिलीगुडी में स्थापित करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

*दिनांक 10-5-1985 के भारत के आसाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कलकत्ता स्थित उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ सिलीगुड़ी में स्थापित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री पीयूष तिरकी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

———

(3) गोवा, दमण और दीव राज्य विधेयक*

श्री एडुआर्डो फलीरो (मारमागाओ) : यह गोवा को राज्य का दर्जा देने वाला विधेयक है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि गोवा, दमन और दीव राज्य की स्थापना करने के लिए और उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गोवा, दमन और दीव राज्य की स्थापना करने के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एडुआर्डो फलीरो : मैं विधेयक पुरः स्थापित** करता हूं ।

———

(4) ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) संशोधन विधेयक*

(धारा 1 में संशोधन, आदि)

श्री बसुदेव आचार्य (बाकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) विधेयक 1970 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) विधेयक 1970 में संशोधन करने वाले

---

* दिनांक 10-5-1905 के आसाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित ।

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री वासुदेव आचार्य : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

---

(5) सरकारी सेवाओं में पदों का और शिक्षण संस्थाओं में स्थानों का (समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण विधेयक

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं में पदों का और शिक्षण संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

> "कि समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं में पदों का और शिक्षण संस्थाओं में स्थानो का आरक्षण करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

]हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

---

(6) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए भाग 9 क का अन्तः स्थापन)

[अनुवाद]

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

---

* दिनांक 10-5-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस० एम० भट्टम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

(7) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 47 क का अन्तःस्थापन)

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्रनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

---

(8) न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक*

(धारा 2 में संशोधन, आदि)

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

*दिनांक 10-5-1985 के भारत के आसाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अजय विश्वास : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

(9) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 244 में संशोधन, आदि)

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पीयूष तिरकी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

(10) परिवार कल्याण विधेयक*

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्र नगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि योजनाबद्ध मातृपितृत्व के संवर्धन करने और तत्सम्बन्धी मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि योजनाबद्ध मातृपितृत्व के संवर्धन करने और तत्सम्बन्धी मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं। विधेयक को पुरःस्थापित करते हुए मैं सभा को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि विधेयक की धारा 8, 9 और 10 को मोटे अक्षरों में छापा जाना चाहिए था पर उन्हें ऐसे छापा नहीं गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसका ध्यान रखेंगे।

---

* दिनांक 10.5.1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

3.48 म०प०

श्रमजीवी महिला कल्याण विधेयक—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्रीमती बिभाघोष गोस्वामी द्वारा 26 अप्रैल, 1985 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि विभिन्न उद्योगों तथा स्थापनों में नियोजित महिलाओं के कल्याण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री मनोज पाण्डे अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री मनोज पाण्डे (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, देहातों में एग्रीकल्चरल लेबर के रूप में जो महिलाएं कार्यरत हैं, उनकी दशा के सम्बन्ध में मैंने कुछेक बातें कहीं थीं और कुछेक सुझाव भी मैंने दिये थे।

आज मैं सबसे पहले माननीय श्रम मन्त्री जी को यह बताना चाहता हूं कि जो महिलाएं स्किल्ड लेबर के रूप में ईन्ट के भट्टों में कार्यरत हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि ईंट के भट्टों में; ईंट बनाने के काम में काफी महिलाएं कार्यरत हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं और ये स्किल्ड लेबरर के रूप में मानी जाती हैं। कम समय में ज्यादा ईंटें बनाने का काम एक स्किल्ड काम है और इसमें उड़ीसा की कुछ महिलाएं और हमारे बिहार के संथाल परगना की कुछ महिलाएं बहुत ही स्किल्ड मानी जाती हैं और इन महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान ईंटों के बनाने में हुआ करता है और खासकर के हमारे बिहार में ईंटों के भट्टों की बड़ी पूछ है।

ईंटों के सम्बन्ध में आप जानते है कि हमारे देश में इनकी बहुत आवश्यकता है। लेकिन दुःख यह है कि इन ईन्टों के भट्टों में जो महिलाएं कार्यरत हैं उनको निम्नतम मजदूरी भी नहीं मिलती। उनका बहुत बड़ा शोषण हुआ करता है।

मैं व्यक्तिगत रूप से यह जानता हूं, कि जो महिलाएं कार्यरत हैं, ईंट के भट्टों में काम करती हैं उन्हें तीन रुपए से लेकर साढ़े तीन रुपए प्रतिदिन की मजदूरी आज भी दी जा रही है। इतना बड़ा शोषण जो हमारे समाज में है और यह सिर्फ बिहार में ही नहीं है, हमारे अड़ोस-पड़ोस के प्रांतों में भी यही महिलाएं जाती हैं और ईंट के भट्टों में वहां भी कार्य करती हैं, लेकिन उनको न्यूनतम मजदूरी आज तक नहीं मिल पा रही है। वैसे, यह तो सर्वे करवाने की बात है कि कितनी महिलाएं इन ईंट भट्टों में कार्य कर रही है, यह सर्वे की बात है, लेकिन मेरे अंदाज से

देहातों की करीब आधी पापूलेशन जो महिलाओं की है, खासकर छोटा नागपुर की, वह इन ईंट के भट्टों में कार्यरत हैं और उनके पास जाने का साधन सिर्फ एक ही हुनर है और वह है ईंट बनाने का काम। मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इन महिलाओं के प्रति भी हमारी कुछ योजनाएं होनी चाहिये, कम से कम न्यूनतम मजदूरी दिलाने के सम्बन्ध में। इसके लिए वे राज्य सरकारों से बात करें और खासकर के श्रम मंत्रियों को बुलाकर उनसे यह जरूर पूछें कि क्या न्यूनतम मजदूरी इन महिलाओं को मिल रही है या नहीं।

दूसरी चीज मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। हमारी जो महिलाएं आज भी एग्रो-इंडस्ट्रीज में काम करती हैं, उनकी ओर भी हमारा कुछ ध्यान जाना चाहिए। वैसे तो जहां से मैं आता हूं, बिहार से, वहां एग्रो-इण्डस्ट्रीज अभी इतनी योजनाबद्ध कार्यक्रम से डेवलप नहीं हो पाई हैं, लेकिन जहां एग्रो-इण्डस्ट्रीज डेवलप्ड है, वहां जो महिलाएं कार्यरत हैं, उनमें उन्हीं महिलाओं को काम मिलना चाहिए, जो उस सेक्टर से संबधित हों। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई मक्के से सामान बनाना हो, जैसे मक्के का तेल बन रहा है तो मक्के की फील्ड में जो महिलाएं कार्यरत हैं, उन्हीं को मक्के का तेल बनने की इण्डस्ट्री में प्रिफरेंस मिलना चाहिए, ताकि इन महिलाओं को मक्के की फील्ड में काम करते हुए उसकी इन्डस्ट्री में भी काम करने का मौका मिल सके। इससे बहुत हद तक हमारी जो महिलाओं की समस्या है, एग्रीकल्चरल लेबरर की समस्याएं है, उनके लिये हम कुछ कर सकेंगे।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान उन महिलाओं की ओर दिलाना चाहता हूं जो विडोज हैं। हम एक योजनाबद्ध तरीके से विडोज की मदद करना चाहते हैं, इस तरीके के बिल्स भी आए हैं, हमारा कार्यक्रम भी है इस आधार पर, परन्तु देखने में यह आता है कि जो महिलाएं विधवाएं हैं, उनको सही रूप में सिक्यूरिटी पेंशन नहीं मिल पाती। हम लोग कहते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल रही है, खासकर के हमारे बिहार मे मैंने देखा है कि जब भी सिक्यूरिटी पेंशन का दिन होता है उसके पहले उनको खबर नहीं दी जाती और उनके नाम पर जो सिक्यूरिटी पेंशन आती है, वह दूसरे लोगों को दे दी जाती है। इसमें बहुत गड़बड़ी होती हं, यह अक्सर देखने में आता है। तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन विधवाओं के लिए, उन विडोज के लिए हमारा जो कार्यक्रम है, वह सही तौर से लागू हो, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए।

मैंने अपनी सारी स्पीच के दौरान सिर्फ एग्रीकल्चरल लेबरर के बारे में ही कहा है, जिसमें मेरा सबसे पहला निवेदन था कि उसको आर्गनाइज सेक्टर में कार्य करने का मौका मिलना चाहिए। आज वह अनआर्गनाइज सेक्टर हैं और अन-अनर्गनाइज सेक्टर होने के नाते कोई भी योजना उन तक नही पहुंच पा रही है। तो इसमें पहला तो कदम हमको यह उठाना चाहिए कि इस सेक्टर को आर्गनाइज सेक्टर बनाएं, ताकि जो सुविधाएं इण्डस्ट्रियल सेक्टर में कार्यरत महिलाओं को मिल रही हैं, वही सुविधाएं इस अन आर्गनाइज सेक्टर के लोगों को भी मिल सकें। इसमें कुछ चीजें और हैं जो कि मैं आपके माध्यम से श्रम मन्त्री जी को कहना चाहता हूं। मैटरनिटी और चाइल्ड हैल्थ एण्ड वैलफेयर के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं। हमारे प्राईमरी

[श्री मनोज पाण्डे]

हैल्थ सेन्टर में सुविधाएं दी जानी चाहिए। जो कार्यरत महिलाएं हैं, उनको मेटरनिटी लीव दिलाने के विषय में हमारे पास कोई योजना नहीं है। चूंकि यह अन-आरगेनाइज्ड सैक्टर है और बार-बार यह कहकर कि यह अन-आरगेनाइज्ड सैक्टर है इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, इतना ही कह देना काफी नहीं है बल्कि उसके विषय में प्राईमरी हैल्थ सेन्टर में ऐसी महिलाओं का जो कि एग्रीकल्चरल लेबर हैं उनका रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए। उनको वह सुविधाएं हम देने की कोशिश करे जो इण्डस्ट्रीयल सैक्टर की महिलाओं को दी जाती हैं मसलन उनके बच्चों को इम्युनाइजेशन प्रोग्राम के तहत ले आएं और सही समय पर उनको सही-सही टीके का इस्तेमाल करने का मौका मिले। इससे हमारी वह आबादी, जिनके बच्चे फ्लोरिश नहीं कर पाते, उनको मौका नहीं मिल पाता, उन्हें भी सही समय पर मौका मिले और उनको पढ़ाने की व्यवस्था भी हो सके। मैं समझता हूं कि इससे हमारी एक बहुत बड़ी जवाबदेही पूरी होगी। अन्त में एक बात कहना चाहूंगा: कोई भी महिला कहीं भी कार्यरत है तो कम से कम जो हमारी योजना है, न्यूनतम मजदूरी दिलाने की, इसे तो हम अवश्य ही लागू कराएं। इसके लिए हमें स्टेट्स की जो सरकारें हैं उनकी एक मीटिंग बुलानी चाहिए और हमें पहल करनी चाहिए। महिलाओं को जो मजदूरी मिलती है, वह किसी मायने में पुरुषों की मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारा समाज महिला और पुरुष दोनों का ही बना हुआ है और समाज दोनों को ही एक रूप मानता है।

[अनुवाद]

श्रीमती फूलरेणु गुहा (कन्टई): सबसे पहले मैं श्रीमती घोष गोस्वामी को श्रमजीवी महिला कल्याण विधेयक सभा में पेश करने के लिए बधाई देती हूं। वस्तुतः यह काफी सुविचारित विधेयक है। फिर भी मैं कुछ मुद्दों के बारे में अपनी राय जाहिर करना चाहती हूं कि हमारे देश में अधिकांश महिलाएं भारी कष्ट उठा रही हैं।। वे समाज से पीड़ित हैं। मैं बाद में उसके बारे में चर्चा करूंगी।

मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे देश में अधिकांश महिलाएं भारी कष्ट उठा रही हैं वे समाज से पीड़ित हैं, अपने परिवारों से पीड़ित हैं और जहां वे काम करती हैं वहां भी उन्हें कष्ट दिये जाते हैं। हालांकि समान कार्य के लिए समान वेतन हेतु कानून बने हुए हैं फिर भी अधिकांश जगहों पर सरकारी क्षेत्र के अलावा यही देखने में आया है कि उन्हें समान वेतन नहीं दिया जाता। नियोक्ता कोई न कोई कमी पर दोष ढूंढ ही लेते हैं परिणामस्वरूप महिलाएं अपने अधिकार से वंचित रह जाती हैं। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि अधिकांशतः महिलाएं संगठित नहीं हैं इसीलिए वे संघर्ष नहीं कर पाती हैं और समुचित लाभ आदि से वंचित रह जाती हैं।

4.00 म०प०

मेरी इच्छा है कि इस विधेयक को और व्यापक होना चाहिए था, हालांकि यह काफी अच्छा है। सबसे पहले तो मैंने कहा ही था यह सुविचारित विधेयक है और इसलिए बधाई भी दी थी। साथ ही मैं यह भी कहूंगी कि कुछ क्षेत्र में इस विधेयक को और विस्तृत बनाया जाना ही चाहिए। खण्ड (2) के अन्तर्गत पृष्ठ दो पर खेती, निर्माण-कार्य तथा ईंट बनाने के काम में में लगी महिला मजदूरों के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं निर्माण

सम्बन्धी कार्य में काफी भारी संख्या में महिला मजदूर काम करती हैं। इससे पहले एक वक्ता ने ईंटों के भट्टों के बारे में पहले ही बताया है इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं लोक निर्माण विकास के ठेकेदारों के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूं। लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को लोक-निर्माण विभाग अर्थात् सरकार द्वारा ही ठेका दिया जाता है। किन्तु जब कभी हम सरकार के पास जाते हैं तो सरकार यही कहती है कि वे उनके पास काम नहीं करते हैं। और अधिकांश राज्यों में यही होता है।

मैं विधेयक के पृष्ठ 2 के खंड-3 में उल्लिखित एक अन्य मुद्दे का उल्लेख करना चाहती हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी माननीय मित्र मुझे क्षमा करेंगी यदि मैं उनकी इस बात से असहमत होऊं कि महिला कर्मचारियों के लिए अंशदान करना अपेक्षित नहीं होना चाहिए। बल्कि मेरी यह राय है कि उन्हें अंशदान करना ही चाहिए। हां, राशि जरूर कम हो सकती है यहां तक कि एक प्रतिशत ही हो फिर भी अंशदान अवश्यमेव किया जाना चाहिए ताकि उनके प्रति सम्मान की भावना बनी रहे। राशि थोड़ी ही हो किन्तु उन्हें अंशदान करना ही चाहिए। नियोक्ता तथा अन्य को भी अंशदान करना चाहिए तथा महिलाओं को भी चाहिए कि अंशदान करें चाहे राशि थोड़ी ही क्यों न हो।

अब मैं पृष्ठ 3 के उप-खण्ड (पन्द्रह) के बारे में चर्चा करूंगी, जिसमें माननीय सदस्या ने सुझाव दिया है कि कार्य स्थल के पास विवाहित और अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को छात्रावास की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। यहां मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी महिलाओं के लिए देश में इस समय उपलब्ध होस्टल सुविधाओं के मानदण्डों के अनुसार सभी महिला कर्मचारियों के लिए पति और बच्चों के साथ होस्टलों में रहना कठिन होगा। अतः इसमें परिवर्तन करना होगा ताकि महिलाएं अपने परिवार सहित होस्टलों में रह सकें।

खंड 5 में श्रमजीवी वर्ग के लिए गठित मजदूर संघों में महिला कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बारे में तो मैं भी कुछ दुविधा में हूं। यदि मजदूर संघ में सिर्फ पुरुष ही हों तो महिलाओं के लिए कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है, सचमुच यह बड़े दुःख की बात है। मैं मजदूर संघ की कार्यकर्त्ता तो नहीं हूं। किन्तु मैंने इसके बारे में अध्ययन किया है। भारत में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए हम यह देख चुके हैं कि हमारी महिला कामगारों को कोई सुविधा नहीं दी जाती है और कुछेक जो संघर्ष कर पाती हैं और समुचित स्तर तक आ पाती हैं, को छोड़कर के मजदूर संघों में आमतौर से कोई महत्वपूर्ण पद पर नहीं पहुंच पाती हैं। अतः मैं यह कहना चाहती हूं कि इस खंड में परिवर्तन करना चाहिए। अन्यथा महिलाओं को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा और मिलेगा भी तो वह बहुत थोड़ा होगा। अतः इसे कोई दूसरा रूप दिया जाए। कृपया विधेयक के पृष्ठ 3 पर पैरा 5 देखिए। कानून के अनुसार स्थिति जो है वह मुझे नहीं मालूम। किन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि इसे राज्य सरकारों तथा राज्य सरकारों के सरकारी उपक्रमों तक बढ़ाया जाए और इसका खास तौर से उल्लेख किया जाना चाहिए। यह ज्यादा स्पष्ट नहीं है; मुझे खेद है कि यह मेरे लिए भी स्पष्ट नहीं है।

फिर आप पृष्ट 3 पर विधेयक आया पैरा 15 देखिए। इसके लिए भिन्न मानदंड हैं, किंतु

[श्रीमती फूल रेणु गुहा]

उनका प्रशिक्षित कामगारों के रूप में सम्मान नहीं होता है। मेरा ख्याल है कि इस शब्द को बदल दिया जाना चाहिए। महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, वे सभी क्षेत्रों में कष्ट उठाती हैं खासतौर से जहां वे काम करती हैं। मैं उनके विपक्ष के बारे में कहना चाहती हूं। मैं भारत सरकार के एक उपक्रम में काम करती थी, वहां एक महिला अधिकारी भी कार्यरत थी, वह सुशिक्षित थी और काफी अच्छे पद पद पर थी किन्तु वह अकेली थी। उसने मुझे बताया कि मकान मालिक द्वारा तंग किए जाने के कारण उसे एक मकान छोड़ना पड़ा है। पुरुषों का अधिकांशतः यही रवैया रहता है, बेशक इसके अपवाद भी हैं। मकान मालिक द्वारा परेशान किए जाने पर उस महिला को वह मकान छोड़ना पड़ा; अब वह अपने एक सम्बन्धी के घर पर रह रही हैं। इस सम्बन्ध में हम सभी पहलुओं से महिलाओं की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि इसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो, मैं चाहती हूं कि इस विधेयक को व्यापक बनाया जाए, इसे और अधिक व्यापक बनाया भी जा सकता है और मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि वे इस पर विचार करें तथा और व्यापक विधेयक पेश करें। मैं यह भी चाहती हूं कि सरकार सभा को यह आश्वासन दे कि एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेंगे क्योंकि एक कार्यकर्त्ता होने के नाते मेरा ख्याल है कि इस प्रकार का विधेयक सरकार की ओर से ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इसे गैर सरकारी सदस्य का विधेयक नहीं होना चाहिए; इसे सरकारी विधेयक ही होना चाहिए, मैं अपने सहकर्मी से यह विधेयक वापस लेने और सरकार को एक व्यापक विधेयक पेश करने के लिए अवसर देने का अनुरोध करती हूं।

महिलाओं के कष्ट के बारे में बहुत कुछ कहा जाना है किंतु समय की कमी के कारण मैं केवल इसी बात का उल्लेख करना चाहती हूं कि क्या त्रुटियां है और किन मुद्दों को समग्र विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए जो कि सरकार द्वारा पेश किया जाए। अनेक मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। परन्तु मेरा ख्याल है कि इस विधेयक में उन महिलाओं के लिए भी उपबन्ध किया जाना चाहिए जिन्हें परिवार-नियोजन सम्बन्धी आपरेशन या उपचार के बाद देख-भाल की जरूरत है। उनकी भलाई के लिए कुछ न कुछ किया जाना बहुत जरूरी है। हमें अपने देश के लिए परिवार-नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम की सख्त जरूरत है, अतः हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी महिलाओं को उपचार के बाद कुछ न कुछ सुविधाएं अवश्य दी जाएं। मैं यही कहना चाहती हूं, और मैं फिर यही कहती हूं कि मैं श्रीमती विभागोस्वामी की आभारी हूं क्योंकि उन्होंने कामकाजी महिलाओं के कल्याण के बारे में विचार किया और यह विधेयक पेश किया। मैं सरकार से भी अनुरोध करती हूं कि वे खेतिहर महिला मजदूरों सहित सभी कामकाजी महिलाओं के कल्याण के लिए अधिक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करे क्योंकि वे समूहों में काम नहीं करती हालांकि कभी-कभार वे समूहों में भी काम करती है। मैं समझती हूं कि कुछ स्कीम ऐसी होती हैं जिन्हें कार्य रूप देना किसी संगठन या प्रशासन के लिए मुश्किल होता है। फिर आपको इसके बारे में विचार करना होगा। हम सभी इसके बारे में निर्णय लेकर इसे कार्यरूप दे सकते है; आखिरकार खेतिहर महिला मजदूर हमारे लिए खाद्यान्न का उत्पादन करती हैं। हम उन्हें भूल नहीं सकते।

वस्तुतः वही खाद्यान्न पैदा करते हैं। संभव है हम इस समय उनके लिए कुछ न कर पाएं किन्तु साथ ही हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। जब कभी सुविधा दी जानी हो तो हमें उन्हें देनी ही चाहिए। हम खेतिहर महिला मजदूरों को भूल नहीं सकते जो वास्तव में हमारे देश का आधार हैं और हमारे लिए भोजन उपलब्ध करवा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए० सी० षण्मुख।

***श्री ए० सी० शनमुगम :** (वेल्लोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभारी हूं क्योंकि आपने मुझे श्रमजीवी महिला कल्याण विधेयक, 1985 के बारे में कुछ शब्द बोलने का अवसर दिया है जिसे माननीय महिला सदस्य श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी ने प्रस्तुत किया है। जो महिला सदस्य मुझसे पहले बोल रही थी, उन्होंने बताया कि सरकार को चाहिए कि देश में कामकाजी महिलाओं के कल्याण के लिए इसी प्रकार का व्यापक विधेयक पेश करे। मैं भी इसी राय से सहमत हूं कि सरकार यथाशीघ्र इस प्रकार का विधेयक लाए जिसमें सभा में होने वाली चर्चा को ध्यान में रखते हुए कुछ और उपबन्ध किए जाएं।

सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं दोषारोपण नहीं कर रहा, बल्कि सुझाव दे रहा हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार इस प्रकार के कानून का कार्यान्वियन करे और क्योंकि वहां मार्क्स-वादी दल की सरकार है जो कि दलित और गरीब लोगों के प्रति वचनबद्ध है, यदि इसी प्रकार के कानून का कार्यान्वियन पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा किया जाएगा तो यह देश के अन्य भागों में तेजी से हो सकेगा। मैं इस विधेयक के प्रस्तुतकर्त्ता से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, जहां से वे निर्वाचित होकर आई हैं।

1981 की जनगणना के अनुसार, यदि 100 पुरुष हों तो 93 महिलायें होती हैं; दूसरे शब्दों में देश की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या महिलायें हैं।

पहली बार छठी पंचवर्षीय योजना में, हमारे देश में महिलाओं की समस्यायों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए "महिला और विकास" अध्याय शामिल किया गया। इस अध्याय में हमारे देश की महिलाओं की शिक्षा, रोजगार तथा स्वास्थ्य के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। हमारे माननीय प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी ने हाल ही में घोषणा की है कि हायर सैकेंडरी स्तर तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। मैं इस अवसर पर यह मांग करता हूं कि अगले शैक्षणिक वर्ष से इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए। तमिलनाडु में बहुत समय पहले से ही लड़कियों को हायर सैकंडरी स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। वस्तुतः लड़कियों की शिक्षा के मामले में तमिलनाडू का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मैं बाद में अपने भाषण में अपने प्रिय नेता डा०एम०जी०आर० के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई अग्रिम धनराशि का उल्लेख करूंगा।

---

*तमिलनाडु में दिए गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री ए० सी शनमुगम]

मार्च 1984 के अन्त तक संगठित क्षेत्र में 30.55 लाख महिला कर्मचारी थे। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का संबंध है, महिलाओं में रोजगार में 4.5% की दर से वृद्धि हुई, दुर्भाग्यवश निजी क्षेत्र में 0.5% कमी आई। मैं इसका कारण नहीं जानता। मैं मांग करता हूं कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निजी क्षेत्रों में महिलाओं से लिए रोजगार के अवसर कम न हीं हो ; वास्तव में महिलाओं को निजी क्षेत्र में अधिक अवसर मिलने चाहिए।

वर्ष 1984 के अन्त तक देश के सभी रोजगार कार्यालयों में 40.02 लाख महिलाओं ने रोजगार के लिए अपने नाम दर्ज करवाए है।

अवश्य ही यहां विशेष काउन्टर हैं और पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को सहायता देने के लिए महिला अधिकारी भी हैं। परन्तु महिला उम्मीदवारों को नौकरी प्राप्त करने में असंख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय श्रम मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन्हे पंजीकरण कराने वाली महिलाओं की सामान्य शिकायतों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए और उन्हे नौकरीयां उपलब्ध कराने में सभी प्रकार की सहायता देनी चाहिए।

महोदय, देश में इस समय कामकाजी महिलाओं के लिए 1000 होस्टल हैं। परन्तु सरकारी उपक्रमों और नगरपालिकाओं, नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों में कार्य कर रहीं लाखों महिलाओं को देखते हुए यह संख्या बहुत कम है। और अधिक होस्टल बनाए जाने चाहिए। मेरा सुझाव है विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों का निर्माण करने तथा उनका रखरखाव करने के लिए एक स्वतन्त्र प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए युद्ध स्तर पर और अधिक होस्टल बनाए जाने चाहिए। कामकाजी महिलाओं के लिए ऐसे होस्टलों को बनाने तथा उन्हें चलाने के काम में लगे स्वैच्छिक संगठन सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि उन्हें दी जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें बड़े पैमाने पर होस्टलों के निर्माण करने की प्रेरणा मिल सके।

यदि किसी पुरुष को निर्धारित आयु सीमा के भीतर नौकरी प्राप्त नहीं होती तो वह मुश्किल से जीविका चला सकता है। परन्तु महिलाओं के लिए यह आसान नहीं है। मेरी यह मांग है कि महिलाओं के लिए रोजगार के सम्बन्ध में कोई अधिकतम आयु-सीमा नही होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय श्रम मन्त्री शीघ्र ही महिलाओं के लिए आयु की सीमा को समाप्त कर दें।

मुझे मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन से यह पता चला है कि कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए देश में लगभग 5000 शिशु गृह हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि संगठित क्षेत्र में 31 लाख महिला कर्मचारी हैं, उनकी संख्या को देखते हुए यह संख्या बहुत कम है। हमें शिशु गृहों की संख्या बढ़ानी चाहिए।

महिलाओं के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, हमारे पास वैज्ञानिक और तकनीकी योजना है जिसके अन्तर्गत देश भर में 40 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। ये योजनायें मुख्य रूप से वैज्ञानिक तकनीकों को शुरू करके देश की महिलाओं के दैनिक कार्यों की नीरसता को कम करने के लिए हैं। देश में महिलाओं के हित्त के लिए इस योजना का और विस्तार किया जाना चाहिए।

मुझ से पहले बोलने वाली माननीय महिला सदस्य ने असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाली कृषि महिला श्रमिकों की दुर्दशा का उल्लेख किया। इस विधेयक को पेश करने वाली सदस्य ने अपने इस विधेयक में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने में बहुत-सी कठिनाइयां आयेंगी। आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के 38 वर्षों बाद भी यदि महिला कृषि श्रमिकों, जिनकी संख्या 11 करोड़ के लगभग है, की समस्या के प्रति ऐसा दृष्टिकोण है, तो तब मैं कह सकता हूं कि असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिला श्रमिकों पर सदा अन्याय होता रहेगा। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राज्य समाज कल्याण बोर्डों के प्रयास बहुत कम हैं, वस्तुतः मुझे कहना चाहिए कि इस सम्बन्ध में उनके प्रयास निराशाजनक हैं। यदि हम 5.6 लाख गांवों में रहने वाली तथा कृषि का कार्य करने वाली महिला 11 करोड़ महिला श्रमिकों की समस्याओं पर शीघ्र ध्यान नहीं देते, तो हम मानवता के प्रति अपराध कर रहे हैं। मैं सम्माननीय सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाऊंगा कि 30 साल पहले न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई थी और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में अभी तक संशोधन नहीं किया गया। क्या आप सोचते हैं कि आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों के इस दुखद वातावरण में कर्मचारियों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिदिन 11 रुपए या 10 रु० की दैनिक मजदूरी पर्याप्त है ? मैं मांग करता हूं कि श्रमिकों की प्रतिदिन की मजदूरी बढ़ाकर 25 रु० कर दी जाये और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जाये।

महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में यह आम देखने में आता है कि कृषि कार्य करने वाली महिला श्रमिकों के बच्चे तपती धूप और मूसलाधार वर्षा में पेड़ों से बंधे कपड़ों में सोते रहते हैं। जहरीले कीड़े और सांप उनके साथी होते हैं जब यह बच्चे भूमि पर होते हैं और इनकी मातायें खेतों में काम करती हैं। मेरी इच्छा है कि माननीय श्रम मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों की महिला श्रमिकों के जीवन की दयनीय स्थिति को देखने की कोशिश करें। मैं मांग करता हूं कि शहरी क्षेत्रों में जैसे शिशुगृह हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे शिशुगृह खोले जाने चाहिए।

समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता। महिला श्रमिकों के प्रति भेदभाव बरता जाता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। यदि पुरुष श्रमिक को प्रतिदिन 10 रुपए मजदूरी मिलती है तो महिला श्रमिक को प्रतिदिन 7 रु० मिलते हैं यदि पुरुष की दैनिक मजदूरी 15 रु० हो तो महिला श्रमिक के लिए 10 रुपए है। समान पारिश्रमिक अधिनियम के उपबन्धों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

शहरों तथा नगरों में निर्माण कार्यों में लगी हुई महिला मजदूरों की दुर्दशा भी इससे भिन्न

[श्री ए०सी० षणमुगम]

नहीं है । आप मुझसे सहमत होंगे, यदि मैं यह कहूं 20 मन्जिली और 30 मन्जिली इमारतों के निर्माण कार्य में लगी महिला श्रमिकों का खून-पसीना बहता है । उनके बच्चे नालियों के पास सोते रहते हैं वे छप्परों में और पटरियों पर रहते हैं यदि वे बिल्कुल नंगे नहीं तो अर्ध नग्न होते हैं । यह वास्तव में हमारे समाज पर कलंक है कि समृद्धि और अपव्यय के मध्य ये लोग अमानवीय स्थिति में रहते हैं । इन कामकाजी महिलाओं की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, कपड़ा और रहने का स्थान है । केंद्रीय और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला श्रमिकों की ये मूल भूत आवश्यकताएं पूरी हों ।

अब मैं सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि देश में एक राज्य सरकार है जो अभागी महिला श्रमिकों के उत्थान में पूरी तरह लगी हुई है और वह मद्रास सरकार है जिसका नेतृत्व डा० एम० जी० आर० पुरतची थलईवर कर रहे हैं । मुझे यहां यह कहने में गर्व हो रहा है कि तमिलनाडु में महिलाओं की स्थिति वास्तव में अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है । कृषि कार्य करने वाली महिला मज़दूर जब काम पर जाती हैं तो उन्हें अपने बच्चों की बिल्कुल चिन्ता नहीं होती । उनके बच्चों को दिन में पौष्टिक भोजन दिया जाता है । 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, तमिलनाडु में बालगृह हैं जिन्हें ग्रामीण बाल बिहार कहा जा सकता है । प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक इन बच्चों का उचित रूप से ध्यान रखा जाता है । हमारे मुख्य मन्त्री ने जिन्होंने यह सब व्यवस्था की है, महिला श्रमिकों की उनके बच्चों के बारे में चिन्ता समाप्त कर दी गयी है । उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया है कि निस्सहाय औरतें और पति द्वारा परित्यक्त महिलाओं और विधवा महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाये । उन्हें पुनः सुखद वातावरण में बसाया जाता है । उन्हें उचित और प्रतिष्ठित आजीविका प्रदान की जाती है ।

यहां वृद्ध और विकलांग महिलाओं को 35 रु० प्रति माह वृद्धावस्था अनुदान और प्रत्येक वर्ष साड़ी और चावल दिए जाते हैं । राज्य सरकार इसकी व्यवस्था करती है । पौष्टिक आहार केन्द्रों में 1,76,000 विधवा महिलाओं को नौकरी दी गई है । ये नौकरियां केवल इन महिलाओं के लिए आरक्षित हैं । उन्होने तमिलनाडु राज्य में पंचायतों, पंचायत यूनियनों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए नौकरियों में 15 प्रतिशत आरक्षण करने के लिए सम्बन्धित अधिनियम में संशोधन किया है । दुर्भाग्य वश, अदालत से स्थगन आदेश ले लिया गया है और इस समय राज्य सरकार द्वारा इसका क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है ।

कोडाईकनाल में तमिलनाडु सरकार ने केवल महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की है जोकि ऐसा पहला विश्वविद्यालय है । मदर टरेसा ने इसका उद्घाटन किया और हमारे मुख्य मंत्री जी ने समारोह की अध्यक्षता की । राज्य में महिलाओं की तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए यह किया गया है । मैं चाहता हूं कि अन्य सभी राज्योंमें भी केवल महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए । मुझे यहां खुले आम यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि तमिलनाडु सरकार के पीछे राज्य में हुई महिलाओं की प्रगति की नैतिक, आध्यात्मिक,

सामाजिक शक्ति है। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने राज्य में महिलाओं की प्रगति के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। जब हाल ही में वह बीमार हुए, तो राज्य की लाखों महिलाओं ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए मन्दिरों में प्रार्थना की। इनमें से बहुत सी महिलाओं ने अपनी जिन्दगी न्योछावर करने में हिचकिचाहट नहीं की ताकि मुख्य मन्त्री जी की जिन्दगी बचाई जा सके। उनके लिए हमारे मुख्य मन्त्री जी इस भूमि पर चलते-फिरते भगवान का रूप, उनके भाई और उनके लिए प्रकाश स्तम्भ हैं। हमारे मुख्य मन्त्री जी बार-बार इस बात पर बल देते रहे हैं कि अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम सिर्फ औरतों पर ही लागू किया गया है। वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि पुरुष भी बराबर के दोषी हैं और इस अमानवीय कार्य के लिए उन्हें भी दण्डित किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय इस पर भी विचार करेंगे और तदनुसार अधिनियम में संशोधन करेंगे।

मेरा सुझाव है कि श्रमजीवी महिला कल्याण निधि के स्थान पर कृषि श्रमजीवी महिला कल्याण निधि बनाई जाये, मैं मांग करता हूं कि देश में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों की कामकाजी महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार स्वयं आवश्यक परिवर्तनों के साथ एक व्यापक विधेयक सभा में प्रस्तुत करे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में दी गई धाराओं से साफ जाहिर होता है कि आपको सारे अधिकार दिए गए हैं। इस बिल में लाने में कुछ गलतियां हुई हैं, मैं इसकी भावना का स्वागत करते हुए कुछ सुझाव दूंगा।

[अनुवाद]

संविधान की धारा 14 में यह कहा गया है—

"भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा।"

अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है—

"(1) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इसमें से किसी के आधर पर कोई विभेद नहीं करेगा।"

अनुच्छेद 16 में यह कहा गया है—

"(1) राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

[श्री मूल चन्द डागा]

(2) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव जन्म स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जाएगा।"

अनुच्छेद 23 (1) में यह कहा गया है:--

"मानव का पण्य और बेट बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उलंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।"

संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। अनुच्छेद 39 में यह कहा गया है:—

"राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—

(क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो ;

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो ;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण न हो ;

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो ;

(ङ) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति में अनुकूल न हों ;

अनुच्छेद 42 में यह कहा गया है:—

"राज्य काम की न्याय्य और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति-सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।"

अनुच्छेद 44 में यह कहा गया है:—

"भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र में नागरिकों के लिए राज्य एक समान व्यवहार-संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।"

अनुच्छेद 325 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर निर्वाचक-नामावलि में सम्मिलत किए जाने के लिए अपात्र न होगा अथवा किसी विशेष निर्वाचक नामावलि में सम्मिलित किये जाने का दावा न करेगा।

[हिन्दी]

संविधान में और भी आर्टिकल्स हैं, जिनको मैं कोट कर सकती हूं। औरतों को बराबर के अधिकार दिए गए हैं कि उनमें किसी भी प्रकार का फर्क नहीं रहना चाहिए।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्स गंज) : बताया गया है, लेकिन किया क्या गया है यह बताइए।

श्री मूलचन्द डागा : इस बिल को पढ़ें, तो मालूम होगा······

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : औरतों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : कुछ औरतें तो इतनी ज्यादा जबरदस्त होती है। मैं कह रहा था कि इस बिल में सजा का प्रोविजन ही नहीं है।

4.29 म०प०

[श्री एम० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए]

सभापति जी, आप यह बताइए कि किसको सजा दी जाएगी। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे एक ऐसा बिल लाये जिससे औरतों के हितों की रक्षा हो सके। लेकिन आपने जो कमेटीज बनाने की बात कही है, सारा पैसा कमेटियों में ही चला जाएगा। आपने एडवाइजरी कमेटीज बनाने की बात कही है। जो आपने मेहनत की है, उसके लिए आपकी सराहना होगी और आपकी इज्जत बढ़ गई और महिला जगत में आप का नाम रोशन होगा। आपने इस में लिखा है।

[अनुवाद]

> "केन्द्र सरकार प्रत्येक क्षेत्र, जहां उद्योग और प्रतिष्ठान स्थित हैं, के लिए शहरी स्तर पर, जिला स्तर पर परामर्शदात्री समितियों का तथा राज्य स्तर पर एक शीर्षस्थ निकास का गठन करेगी।"

कितनी परामर्शदात्री समितियां हैं? एक शहरी स्तर पर, दूसरी जिला स्तर पर तथा तीसरी राज्य स्तर पर है।

[श्री मूल चन्द डागा]

उन्हें कोई कानूनी समर्थन प्राप्त नहीं है।

[हिन्दी]

सारा पैसा कमेटीज खा जाएंगीं, और आप इन कमेटियों के चक्कर में पड़ गई। और ये कमेटी बनाने की आपने बात कही है, इनसे लाभ क्या होगा।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : इसकी विषय वस्तु पर गौर कीजिए न कि उसके स्वरूप पर।

श्री मूलचन्द डागा : यह प्रभावकारी होना चाहिए।

श्री नारायण चौबे : सरकार को आश्वासन देने दीजिए……।

श्री मूलचन्द डागा : आप अपने घर जा सकते हैं और अपनी पत्नि को यह बता सकते हैं कि अमुक विधेयक पास हो गया है। वह आपसे कतिपय प्रश्न पूछेंगी और आपको उत्तर देना होगा।

श्री नारायण चौबे : मैं अपनी पत्नि को समझाने में आपकी सहायता ले लूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : कृपया सुनिये और समझने की कोशिश कीजिए।

श्री नारायण चौबे : मैं समझता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया भाषण जारी रखें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना भाषण दे रहा हूं। आप कृपया मेरी सुरक्षा करें।

सभापति महोदय : मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने भाषण में कमी न करें।

श्री मूलचन्द डागा : वहां जिला स्तर समितियां तथा शीर्षस्थ निकाय हैं। इस प्रकार वहां तीन परामर्शदात्री समितियां हैं। उनका उद्देश्य क्या है? वे क्या करेंगी?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया अपना भाषण जारी रखिए। ऐसा प्रतीत होता है कि आप चर्चा करने के इच्छुक हैं, भाषण जारी रखिए।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने अभी संविधान के खण्ड 3 तथा अनुच्छेदों का उल्लेख किया है।

[हिन्दी]

अब इन एडवाइजरी कमेटी का क्या पीरियड होगा, क्या समय होगा, कितने समय वे फंक्शन करेंगी, उन के मैम्बरर्स कौन होगें, उनकी क्या क्वालीफिकेशन्स होंगीं, यह नहीं बताया। उन के काम करने का तरीका क्या होगा, यह भी आप ने नहीं बताया । आप चाहती क्या हैं, यह इस से पता नहीं चलता है।

[अनुवाद]

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी (नवद्वीप) : कृपया आप अनुच्छेद 2 देखिए।

श्री मूलचन्द डागा : "किसी भी उद्योग अथवा प्रतिष्ठान में महिला कर्मचारियों के लिए काम करने का अधिकार सुनिश्चित करना।"

[हिन्दी]

इस कानून के अन्दर कोई प्रोविजन नहीं है कि कानून का उल्लघंन करने के बाद केस किस के पास ले जाया जाएगा।

अभी परसों सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट आया था।

[अनुवाद]

"यह साबित हो गया है । लेकिन मेरे सामने कुछ नहीं है । मैं किस नियम के अन्तर्गत, किस कानून के अन्तर्गत उस अपराध के लिए दण्ड दे सकता हूं।"

[हिन्दी]

इससे मुझे यह नहीं मालूम हुआ कि अगर लॉ का ब्रीच हो गया था आप किसके पास जाएंगी ?

[अनुवाद]

क्या श्रम निरीक्षक इसकी जांच करेगा? या, क्या श्रमायुक्त इसकी जांच करेगा? इस काम को कौन करेगा?

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : क्या मैं इस संदेह को स्पष्ट कर सकता हूं ? अधिकार नागरिकों को प्रदत्त हैं। नागरिक को यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उन व्यक्तियों के खिलाफ, जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं, एक परमादेश रिट के लिए उच्च न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत नागरिकों को हमेशा यह अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय उन्हें लागू कर रहे हैं । इसमें कोई कठिनाई नहीं है। उसमें ऐसा कोई खण्ड नहीं है जो उसे किसी दण्ड न्यायालय में दण्डनीय बनाता है । प्रत्येक कानून में एक दण्डनीय खण्ड का होना आवश्यक नहीं है।

श्री मूल चन्द डागा : लेकिन ऐसा कोई तंत्र होना चाहिए जहां नियोक्ता के खिलाफ शिकायत की जा सके।

(व्यवधान)

श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी : आप विधेयक को ध्यानपूर्वक पढ़िए; तभी आपको जानकारी होगी।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : यह जो बिल आपने बनाया है इसमें पांच करोड़ रुपया गवर्नमेंट का खर्च हो जाएगा ओर पांच लाख रुपये का नान-रेकरिंग खर्चा भी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। जब पहले से ही संविधान में इससे ज्यादा अधिकार दिये हुए हैं तो फिर इस बिल की क्या जरूरत है। आप जो इस बिल के द्वारा अधिकार मांग रही हैं उससे ज्यादा अधिकार तो पहले ही दिये हुए हैं जिनके बारे में मैंने आपको एक-एक आर्टिकल पढ़ कर सुनाया है।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे एक कम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन ले कर आयें जो कि ज्यादा यूजफुल हो। जहां पर औरतों के साथ सोशल दमन होता है उसके लिए तो पहले से ही लॉ है फिर सैप्रेट लेजिस्लेशन की क्या जरूरत है। पहले ही औरतों के जिए ज्यादा फेसिलिटीज के कानून बने हुए हैं फिर यह डुप्लीकेसी क्यों हो? मैं चाहूंगा कि आप इस बिल को वापस ले लीजिए।

मैं मन्त्री जी से भी चाहूंगा कि वे एक कम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन ले कर आयें जिससे कि औरतों को ज्यादा लाभ मिल जाएं। अब लड़कियों के कपड़ों का इंतजाम कौन करेगा? आपने इसके लिए भी गवर्नमेंट को दस परसेंट एम्पलाईज को देने के लिए कह दिया। गवर्नमेंट कितना रुपया देना चाहेगी?

आपने जो मेमोरेण्डम दिया है उससे बात क्लीयर नहीं होती है। मेरे ख्याल से आपने बहुत जल्दी में यह बिल पेश कर दिया है। इस बिल से मुझे नहीं लगता कि औरतों का कोई परपज सर्व होगा। इससे ज्यादा तो संविधान के आर्टिकल में पावर्स दिये हुए हैं। उन्हीं के आधार पर हमारे लेबर मिनिस्टर एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाएं। फिर उस बिल के पास होने के बाद एक मशीनरी ऐसी होनी चाहिए जो उस बिल को एक्टीवली लागू करवाये। तभी औरतों को लाभ हो सकता है अन्यथा नहीं।

आपने आर्टिकल 226 के अन्तर्गत हाई कोर्ट में जाने के बारे में कहा। उसके लिए कोई कोर्ट होनी चाहिए, कोर्ट के अन्दर जाने का अधिकार होना चाहिए। कौन सुनवाई करेगा, कौन दावे कर सकेगा, कितनी सजा मिलेगी, कैसे उनको मुआवजा मिलेगा, यह सब साफ होना चाहिए। यह जो आपने यहां बिल रख दिया है मेरे ख्याल से यह बिल्कुल लाभप्रद नहीं होगा।

श्री राम आश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति जी, श्रमजीवी महिलाओं के लिए जो यह बिल हमारी माननीय सदस्या लाई हैं, वह बहुत धन्यवाद का पात्र हैं। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हमारी सरकार के वित्त मंत्री जी ने कुछ दिन पहले इस बात को जोरदार शब्दों में कहा कि हम देश को समाजवादी रास्ते पर ले जा रहे हैं, चाहे विरोध पक्ष निन्दा भी करे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस बिल से साफ जाहिर होता है, उनका पर्दाफाश होता है। जब आप स्त्री और पुरुष में समानता नहीं ला सकते तो समाजवाद की बात करना आपके लिए एक ढोंग ही माना जाएगा। आज जो काम करने वाली महिलाएं हैं संगठित क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र में, उनकी क्या हालत है। आज० बी० सी० सी० एल० में क्या हो रहा है, वहां पर एक सर्कुलर निकालकर उनको वालेंटरी रिटायरमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि वे खदान में काम नहीं कर सकतीं, इसलिए अपनी जगह अपने पति, पुत्र या किसी रिश्तेदार को वहां पर रखें। यह कार्यवाही अभी तक जारी है तो मैं पूछना चाहता हूं कि कोई विधवा महिला अगर वहां पर काम करती हो और उसका परिवार न हो तो उसको वालेंटरी रिटायर कर दिया जाएगा, ऐसे में उसकी क्या स्थिति होगी। अगर वे अंदर काम नहीं कर सकतीं तो उनको बाहर काम दिया जा सकता है, इस बारे में आपको सोचना चाहिए, बी० सी० सी० एल० में जो सर्कुलर निकालकर महिलाओं को वालेंटरी रिटायरमेंट दिया जा रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। यह केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आता है। इसके साथ-साथ जो असंगठित क्षेत्र में महिलाएं काम करती हैं, उनकी क्या हालत है। अभी एक माननीय सदस्य ने ईंट के भट्ठों में काम करने वाली महिलाओं की दुर्दशा की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया। वहां पर महिलाएं बहुत तादाद में काम कर रही हैं, उसको न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए और साथ-साथ जो उनके बच्चे हैं, उनके लिए शिशु सुरक्षागार नहीं है। इसका नतीजा यह होता है। कि वे तो भट्टे पर ईंटें बनाने का काम करती हैं और उनका बच्चा गंगा में डूबकर मर जाता है या सड़क दुर्घटना में मर जाता है। उनके लिए शिशु सुरक्षागार की व्यवस्था होनी चाहिए। आप कहते हैं कि कल्याणकारी सरकार है, अगर है तो उनके लिए शिशु सुरक्षागार बनवाए जाएं, कम्पनी की तरफ से बनवाए जाएं या सरकार स्वयं व्यवस्था करे, जहां पर हजार पांच सौ महिलाएं ईंट भट्टे में काम कर रही हों।

मैं देहाती क्षेत्र से आता हूं इसलिए अब मैं देहाती क्षेत्र की बात करूंगा। जो महिलाएं खेतों में काम करती हैं, वहां पर भी स्त्री और पुरुष को समान मजदूरी नहीं दी जाती, यह शर्म की बात है। जब आपने कानून बना दिया है, लेकिन वह लागू नहीं हो पा रहा है। आज भी वहां पर स्त्री और पुरुषों की मजदूरी में अन्तर है। उन महिलाओं के बच्चों को देखने वाला कोई भी नहीं है। वे घर में बच्चों को बन्द कर जाती हैं जो वहां पर रेंगते रहते हैं। यह जो विषमता की हालत है, इसको दूर करना चाहिए। जो यह कहते हैं कि हम समाजवादी रास्ते पर चल रहे हैं, उनको मैं ये उदाहरण देकर कहना चाहता हूं कि वे ढोंग करते हैं, अभी तक महिलाओं की हालत में कोई सुधार नहीं कर सके हैं।

जो महिलाएं कारखानों में काम करती हैं, बड़ी-बड़ी मिलों में काम करता है, उनको भी उचित मजदूरी नहीं दी जाती। मुझे एक बार कलकत्ता जाने का मौका मिला।

[श्री राम आश्रय प्रसाद सिंह]

वहां पर बिहार के बहुत से ऐसे मजदूर थे, जिनसे मैंने बात की। उन्होंने यह बताया कि इससे पहले जो सरकार थी कांग्रेस सरकार, उस समय हमारी कुत्ते की तरह भी इज्जत नहीं थी। वामपंथी की सरकार बनने से हम लोगों की इतनी इज्जत बढ़ गई है कि कम से कम रेग्यूलर मजदूरों में गिनती होने लगी है। वे चाहे सीमेंट गोदाम या किसी भी गोदाम में काम करती हो। प्राईवेट तरीके से जो महिलाएं काम करती हैं उनको मजदूरी नहीं मिलती है। अगर मजदूरी मांगती हैं तो उनको हटा दिया जाता है। जब उनको दिक्कत होती है या उनके बाल-बच्चे भूखे मरने हैं तो वे इतनी मजदूरी पर ही काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेबर विभाग में बड़े-बड़े आफिसर्स हैं, उनको तथा हमारे लेबर मिनिस्टर साहब को इस बात पर गौर करना चाहिए कि श्रम करने वाली महिलाओं की हालत जो दिन पर दिन बदतर होती चली आ रही है, उसको सुधार सकें। इसके लिये आपको अवश्य कोशिश करनी चाहिए। हमारे माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है······(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : दिया गया समय समाप्त हो गया है। क्या हम सभी की स्वीकृति से इसे एक घण्टा और बढ़ा लें?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोनानी) : आप इसके लिये समय बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगले विधेयक के बारे में आपकी क्या राय है? अगले विधेयक के लिए आप कम से कम 5 मिनट या उससे ज्यादा समय छोड़ें।

सभापति महोदय : अगले विधेयक पर निश्चित रूप से यहां बहस होगी। इसमें सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम आश्रय प्रसाद सिंह : उनके हित की रक्षा के लिये सरकार को एक बिल लाना चाहिए जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं अपनी आदरणीय बहन श्रीमती विभा घोष गोस्वामी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश का ध्यान इस बिल के माध्यम से महिलाओं के कल्याण के सम्बन्ध में खींचा है। वैसे बिल का उद्देश्य सीमित है। यह बात सही है कि हम उस देश के रहने वाले हैं जहां यह कहा जाता रहा है कि 'यत्र नार्यास्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता'। उस भारत देश में हम रह रहे हैं और जहां हम गौरवान्वित हैं। लेकिन दुःख की बात यह है कि पिछले सैकड़ों वर्षों से स्थिति बदल गई है। महिलाओं की ऐसी स्थिति है अगर आंकड़ों को देखें तो पता लगेगा कि उनका कोई स्थान नहीं रह गया है। यह बात सही है कि जब संविधान बना

निर्माण हुआ। और डागा जी ने भी अभी उन आर्टिकल्स का उल्लेख किया जिसमें विभिन्न रूप से उनके कल्याण की बात कही गई है। मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि केवल संविधान में और कानून में समता का अवसर प्रदान से महिलाओं का कल्याण नहीं हो जाता। समता के जो अवसर हैं, उनको प्राप्त करने के साधनों में जब तक समानता नहीं है तब तक कोई मायने नहीं है। देश की पचास फीसदी आबादी महिलाओं की है। निश्चित तौर से देश की वह गाड़ी तब तक तेज नहीं चल सकती जब तक उसके दोनों चक्के बराबर न हो। केवल यही नहीं कि महिलाओं को विभिन्न इण्डस्ट्रीज में विभिन्न सुविधाएं दें बल्कि नए सिरे से हमें इस पर विचार करना होगा। यह बात सही है कि नए प्रधान मंत्री जी ने और इस सरकार ने बधाई का काम किया है। उन्होंने समाज कल्याण मंत्रालय के साथ महिला नाम भी जोड़ दिया है। इससे यह नीयत साफ होती है कि सरकार चाहती है कि महिलाओं के सम्बन्ध में अवश्य कुछ करें। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 37-38 वर्षों में कुछ कार्य अवश्य हुए हैं। लेकिन ये काम ऐसे हैं जिनको कि यह नहीं कहा जा सकता कि काफी काम हुआ है, चाहे वह प्रौढ़ शिक्षा के बारे में हुआ हो, चाहे श्रमजीवी महिलाओं के लिए हुआ हो, उनके लिये होस्टल वगैरह खोलने के बारे में हुआ हो अथवा कुछ पिछड़े तबके की महिलाओं, अनुसूचित जाति और असुसूचित जनजाति की महिलाओं के उत्थान के लिए हुआ हो। उनके लिये ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसके आधार पर कहा जा सके कि काफी काम हुआ है।

हमने 1975 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया और वह कार्यक्रम 10 वर्षों तक चला उन 10 सालों में हिन्दुस्तान में ही नहीं, दुयिया भर में ऐसा दिखाई देने लगा कि महिलाओं के लिए अब कुछ काम होगा। फिर भी जैसा मैंने कहा, हमारे देश में लगभग 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है और हमने अपने संविधान में उनको जितने हक दे रखे हैं, हमें सबसे पहले तो संविधान निर्माताओ को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने देश में महिलाओं को समान अधिकार देने के विषय में सोचा और प्रावधान किया, लेकिन उसका दूसरा पक्ष उनकी इम्पलीमेंटेशन का है। हमें चाहिए कि हम अच्छी नीयत से, अच्छे उद्देश्य से उन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करें जिससे कि वे पुरुषों के समकक्ष आ जाएं तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

जैसा मैंने कहा, 1975 के बाद 10 सालों तक लगातार अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया, परन्तु उसमें भी महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम होना चाहिए था, वह नहीं हो सका। यह जरूर है कि भारत ने अपने संसाधनों के अनुसार उसमें पूरा योगदान दिया और यह बड़ी प्रसन्नता की बात है, जैसा यहां पर अभी कहा गया कि उन्होंने 20 हजार यू० एस० डालर अंतर्राष्ट्रीय महिला कल्याण कोष में दिए हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन इन 20 हजार यू० एस० डालर्स से भी काम बनने वाला नहीं है। परन्तु इतना जरूर है कि हमारा ध्यान उस तरफ गया है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम महिलाओं के लिए शिक्षा की समान व्यवस्था करें, महिलाओ के लिये हम समाम अवसर प्रदान करें। कुछ हमारे काम ऐसे हैं, जैसे शिक्षक का

[श्री राम प्यारे पनिका]

काम आदि, जो उनको अधिक मात्रा में दिए जा सकते हैं, वे अच्छी क्लर्क्स सिद्ध हो सकती हैं, अच्छी टेलीफोन आपरेटर्स तो होती ही हैं इसलिये आज यह बात माने नहीं रखती कि महिलाओं में एफ्यीश्येंसी नहीं है। हमारी बहुत सी महिलायें आजकल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आई हैं, आई. पी. एस. बनी हैं, आई. ए. एस. बनी हैं, और सभी फील्ड्स में सफल सिद्ध हुई हैं...(व्यवधान)... मंत्री तो क्या प्रधान मंत्री भी बनी हैं और उन पर सारी दुनिया को गौरव है। आज तक सारे जगत में स्व० श्रीमती इंदिरा गांधी जैसा व्यक्तित्व कभी नहीं उभरा था, जो गौरव उनको प्राप्त हुआ। यदि हम अपने पुराणों, शास्त्रों और भारतीय संस्कृति की ओर देखें तो हमारे शास्त्र और पुराण महिलाओं की वीरता से, गौरव-गाथाओं से भरे पड़े हैं। फिर भी जैसा कहते हैं कि हमारे पुरखे तो शुद्ध घी खाया करते थे, हम तो उनके हाथों को सूंघने वाली बात करते हैं, किन्तु हम उन पुरानी बातों को लेकर आज की वास्तविकता से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। महिलाओं के सम्बन्ध में आज बहुत गम्भीर समस्या हमारे सामने है। आये दिन महिलाओं पर अत्याचार की खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। पिछले 5-7 सालों में हमने उनके लिए काफी कानून बनाये परन्तु फिर भी वह समस्या हल नहीं हो सकी। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को समाज में उचित स्थान दिया जाए। वह केवल मजदूरी की सूरत में ही नहीं बल्कि जैसा हमारे डागा जी अभी पढ़ रहे थे कि समान काम के लिए समान वेतन की नीति हमें अपने देश में लागू करनी चाहिये। हमारे श्रम मन्त्री जी यहां बैठे हैं। अच्छा होता कि हमारी समाज कल्याण मंत्री भी यहां बैठी होतीं और वे भी सुनतीं। आपको महिलाओं के सम्बन्ध में बड़े व्यापक काम करने हैं। यह तो मात्र उसका एक अंग है। आपने कानून तो बहुत से बना दिए लेकिन आजादी के 37-38 सालों के बाद भी समाज में उनको जो स्थान मिलना चाहिए था, वह अब तक नहीं मिल सका, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। प्राईवेट सेक्टर में जहां आप कहते हैं कि महिलाओं का शोषण होता है, लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर में भी उनके साथ न्याय नहीं किया जाता। इसके अलावा जितने गवर्नमेंट के दूसरे काम हैं, उदाहरण के लिए फोरेस्ट डिपार्टमेंट में प्लान्टेशन के कार्य को ही ले लीजिए, उसमें भी महिलाओं के लिए अलग मजदूरी निर्धारित है, पुरुषों को कुछ और पारिश्रमिक मिलता है जबकि दोनों को एक ही काम करना होता है। कई क्षेत्रों में तो महिलायें पुरुषों की अपेक्षा अच्छा काम कर लेती हैं, लोग उनको एम्पलोय भी करना चाहते हैं, परन्तु उनको पारिश्रमिक कम दिया जाता है। आज समय आ गया है कि हमको प्राईवेट सेक्टर के किसी भी उद्योग को लायसेंस देते समय स्पष्ट कर देना चाहिए कि तुमको इतने प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये सुरक्षित रखने होंगे। वे कई तरह के अच्छे काम कर सकती हैं, दफ्तर का काम कर सकती हैं, क्लर्क का कार्य कर सकती हैं। आज तो महिलाओं ने इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कोर्स करके इस दिशा में भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं और वे हर फील्ड में सफल सिद्ध हो रही हैं। इसलिए श्रम मंत्री जी आपको कोई ऐसा प्रावधान कर देना चाहिए कि जब भी कोई नया उद्योग लगाने के लिए आवेदन करे और उसको लाइसेंस दिया जाए, तो केवल ऐसे उद्योगों को ही लाइसेंस दें उनके साथ पहली शर्त यह लगा दी जाए कि इतने प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित रखने

होंगे। पब्लिक सेक्टर में तो आप कीजिए ही, प्राईवेट सेक्टर के उद्योगों के सम्बन्ध में भी आप यह शर्त लगाइए कि देश में जो शिक्षा का स्तर है·······

उतने प्रतिशत तो आपको महिलाओं को काम देना पड़ेगा और आज प्रस्ताव करते समय माननीय आदरणीय बहन जी ने ठीक ही कहा है कि जहां पर महिलाओं को काम पर लगाया जाता है वहां पर भी उनका शोषण होता है। वहां पर उनको अलग से लैट्रीन की सुविधा, उनको अलग से कैंटीन की सुविधा, उनको अलग से आराम करने की सुविधा, ये सारी सुविधायें जो उनके स्वभाव के अनुसार उनको मिलनी चाहिएं, जो जरूरी भी हैं, ये सुविधायें नहीं दी जाती हैं। जो भारतीय महिलायें अच्छा काम कर सकती हैं, उनको आज ये बड़े-बड़े पूंजीपति लोग, बिग हाउसेंस जितने भी देश में हैं, कभी काम करने के अवसर नहीं देते। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि सरकार ऐसे नियम बनाए ऐसे, कानून बनाए कि इनको अधिक से अधिक काम में लगाया जाए। यदि हम देश में संतुलित विकास चाहते हैं, देश के विकास में बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर महिलाओं को बराबर के हिस्से से काम देना पड़ेगा। जब दोनों पहिए बराबर मजबूत होंगे तभी तो देश मजबूत होगा। इसलिए गाड़ी कहीं बीच में रुक न जाए, इसके लिए महिलाओं को अधिक से अधिक काम देना पड़ेगा तभी देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ सकेगा।

हमारी आदरणीय सदस्या, श्रीमती फूलरेणु गुहा ने सही कहा है कि आज हमारे देश में करोड़ों की संख्या में खेतिहर मजदूर महिलायें हैं जिनकी बड़ी ही दयनीय स्थिति है। हम बच्चों की बात करते हैं, यहां उनके बारे में चर्चा भी हुई, किन्तु मैं लड़कियों के बारे में कहना चाहता हूं जो घरों में काम करती हैं। न उनको शिक्षा मिलती है, न उनको कोई और सुविधायें मिलती हैं, इतना ही नहीं उनका जीवन बड़ा ही कठिन है। वे तो बस ईंटें बनाने का काम करती हैं और दिन भर बस ईण्टा ही ईण्टा, उनको और कुछ पता नहीं है। और जैसे ही ईंटें बनाने का काम खत्म करती हैं, जुलाई में तो पुनः वे खेतों में जाकर काम पर लग जाती हैं। ईंट भट्टा मालिक उनका सही हिसाब भी नहीं देते हैं। जब वे जाती हैं, तो उनको चोरी में फंसा देते हैं। कभी किसी के ऊपर बैलेंस बता देते हैं कि तुमने इतना पैसा उधार लिया था, वह अभी चुकता नहीं हुआ है। इस प्रकार उनको पूरा हिसाब न दे कर उनके पैसे भी ये भट्टा मालिक मार जाते हैं। इस सम्बन्ध में एक कानून आपके यहां बन रहा है, उस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप उस कानून को बनाने लगें, तब श्रमिक महिलाओं के बारे में एक ऐसा प्रावधान जरूर करें जिसकी वजह से ईंट भट्टा मालिक ईंट बनाने वाली महिलाओं को रहने के लिए सुविधा दे सकें और हिसाब करते समय उनका पूरा हिसाब उनको मिल सके, उनको किसी चोरी इत्यादि में न फंसाया जाए। यदि ऐसा हो जायेगा, तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये मालिक लोग इनके कल्याण की बात सोचते ही नहीं हैं, बस अपना पैसा बनाने में लगे रहते हैं।

मान्यवर, आप जानते हैं कि श्रमिक महिलायें अपना श्रम भी करती हैं और साथ-साथ अपने बच्चों का भी पालती हैं। इनके छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनको नरिशमेंट की अच्छी सुविधा

[श्री राम प्यारे पनिका]

होनी चाहिए और इसके साथ-साथ आज जो पब्लिक स्कूल हैं, उनमें क्या जो बड़े लोग हैं, उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे ? जो आम लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनके बच्चों को पढ़ने की अच्छी सुविधायें होनी चाहिएं। तभी समता आएगी। आप कहते हैं कि समता होनी चाहिए, मैं तो कहना चाहता हूं कि समता का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि समता प्राप्त करने का अवसर हरेक में समाहित न हो। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम आगे आयें और महिलाओं को ऊपर उठाने का काम करें क्योंकि वे केवल महिलाएं ही नहीं, बल्कि बच्चों की गुरू भी हैं, जो भविष्य के निमाता हैं। जैसी महिला होगी वैसे ही उसके बच्चे होंगे, इसलिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, आज देश भर में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र चल रहे हैं। इनमें बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। स्टेट के लोग और कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं, जो उनसे मिलकर सारा पैसा खा जाते हैं। इसलिए आज केवल नौकरी की बात करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जहां पर भी हम काम कर रहे हैं वहां पर मानिटरिंग भी करें। जैसा मैंने पहले कहा कि महिला कल्याण मंत्रालय अलग हो गया है, तो मैं चाहता था कि महिला कल्याण मंत्री भी यहां उपस्थित होतीं, तो ज्यादा अच्छा होता। लेबर का हाथ मान्यवर बहुत मजबूत होता है और देश की अर्थ-व्यवस्था

5.00 म० प०

आगे बढ़ी है, तो जिन्होंने देश का निर्माण किया है, देश की रचना की है। धूप, पानी, हवा तूफान आदि सब जगहों में रहकर वह काम करती है। रात दिन काम करती हैं तब पैसा मिलता है। हमारे लेबर मिनिस्टर के हाथ बहुत मजबूत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महिला कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं, खासकर जो श्रम से सम्बन्धित हैं, उनके लिए एक मोनिटरिंग सैल होना चाहिये।

महिलाएं घरों में भी काम करती हैं। आप देखिए दिल्ली में वे किस तरह से जीवन बिता रही हैं ? एम० पीज के फ्लैट में सीढ़ियों में वह रहती हैं, कौन देखता है ? आज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वह बर्तन मांजती हैं, और लोगों के घरों का काम करती हैं। आज इस बात की आवश्यकता है कि महिलाओं का किसी स्तर पर शोषण न हो। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की बहुत सारी महिलाएं दिल्ली में काम कर रही हैं, वह इज्जतदार हैं फिर भी उन्हें इज्जतदार मानने को कोई तैयार नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी क्या हम आज इस पर निगाह नहीं डालेंगे ? महिला चाहे घरों में काम करती है या दुकान पर काम करती है सबके वेतन और सुख-सुविधा का ध्यान हमें रखना होगा। अगर कोई घर में काम करती है तो उसे रहने के लिए स्थान देना चाहिए। क्या यह अच्छा लगता है कि वह फूटपाथ या सीढ़ियों पर रहें ? मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यह देश वह रहा है जहां नारियों की पूजा होती रही है। हमें भारत को गौरवमय बनाना है तो महिलाओं को समान इज्जत, समान काम में समान मजदूरी देनी चाहिए।

मैं पुन: एक बार अपनी बहिन विभा घोष गोस्वामी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा बिल रखा और हमें इस पर विचार करने का मौका मिला। मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि वह एक कम्प्रीहैंसिव बिल लायें और श्रीमती गोस्वामी से निवेदन करता हूं कि वह इस बिल को वापिस लें।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, श्रमजीवी महिला कल्याण विधेयक, 1985 यहां पर श्रीमती विभा घोष गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

हमारी संस्कृति में महिलाओं को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। महिलाओं को नामों के सम्बोधन में भी प्राथमिकता दी गई है जैसे सीता राम, राधेश्याम। सीताराम में सीता और राधेश्याम में राधा को महत्व दिया गया है। इसी प्रकार हमारे धर्म और संस्कृति में महिलाओं को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। इसके बावजूद भी महिलाओं का बराबर शोषण होता जा रहा है। जिन महिलाओं की स्थिति कमजोर है, उन्हें अपने भरण-पोषण के लिए बर्तन मांजने का काम, चक्की पीसने का काम और बहुत सारे इस प्रकार का काम करने पड़ते हैं जोकि उसकी पोजीशन के माफिक नहीं है, परन्तु अपने भरण-पोषण की दृष्टि से ये कार्य उसे करने पड़ते हैं।

हमारे देश में अभी भी 75 प्रतिशत महिलाओं में पर्दे की प्रथा प्रचलित है। वह अभी तक घूंघट निकालती हैं। हमारे जिले में करीब 90 प्रतिशत महिलाएं घूंघट निकालती हैं।

घूंघट की कुप्रथा अभी तक हमारे यहां है और भी देवदासी की प्रथा चल रही है। महिलायें दहेज का शिकार तो होती ही हैं, इसके बारे में बराबर घटनायें होती हैं, उनके साथ भयंकर अन्याय और जुल्म होता है जिससे उनको मृत्यु का शिकार होना पड़ता है।

अब यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इस पर मैं आता हूं। यह विधेयक जो महिलायें कारखानों में काम करती हैं, संस्थाओं में काम करती हैं, उनके कल्याण के लिए आया है। इस विधेयक में उनके कल्याण के लिए करीब 16 विशेष कार्य बताये गये हैं। अगर इनको यह तमाम सुविधायें प्राप्त हो जायें तो महिलाओं का बहुत ही अच्छा कल्याण हो जायेगा और यह कानून आदर्श कानून बन जायेगा। इस प्रकार की आज की परिस्थितियों में अगर व्यवस्था हो जाती है तो यह हमारे लिए बहुत ही प्रगति और विकास का सूचक होगा, परन्तु हमारे पास जिस प्रकार साधन हैं और जो कारखाने और संस्थायें चलाते हैं, उनके पास जो साधन हैं, यह सब देना बहुत ही कठिन है। अगर वह सब साधन या सुविधायें महिलाओं को प्रदान कर दी जायें तो मैं समझता हूं कि यह उनके प्रति बहुत न्याय होगा। अगर हम यह कहें कि हमने जो अन्याय किया है, उसके प्रति प्रायश्चित होगा।

अभी तक महिलाओं को भर्ती करते समय यही कोशिश की जाती है कि किसी प्रकार कि महिला मजदूर इन कारखानों में भर्ती न हों। अगर किसी तरह भर्ती हो भी जाती है तो उन्हें पुरुषों के बराबर समान मजदूरी नहीं मिलती है। जवाब में यही कहा जाता है कि वे इतना काम नहीं

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

कर सकती । इसलिए आवश्यक है कि आप महिलाओं के लिए समान मजदूरी निश्चित करें। यह स्थिति केवल कारखानों और संस्थाओं में ही नहीं है, बल्कि अगर कोई ठेकेदार किसी महिला को काम में लगाता है तो वह भी उसको पुरुषों के बराबर वेतन नहीं देता है, इसलिए समान काम के लिए समान वेतन मिलना आवश्यक है । इसके लिए फैमीन कोड में कानून बना है उसमें भी प्रावीजन यही है कि मनुष्य को जो मजदूरी दी जाती है, उससे कम महिला को दी जाती है, जबकि हमने देखा है कि आदमी काम नहीं करता है, वह बेईमानी से अपनी रोजी कमाता है और महिला पूरी दिलचस्पी से काम करती है। फिर भी मालूम नहीं क्यों उसको मजदूरी कम मिलती है । हमारे राजस्थान में भी ऐसा है, वहां पर भी महिलाओं को पुरुषों से कम मजदूरी मिलती है । तो समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए । यह उसका अधिकार है । इसके बारे में पूरे तौर पर कहीं पर भी इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर किसी कानून में इसका उल्लंघन करने वाला प्राविजन हो तो उन कानूनों में परिवर्तन करना चाहिए, उनमें संशोधन करना चाहिए ताकि उन्हें समान काम के लिए समान वेतन मिले ।

"समस्त कर्मचारीवृन्द में महिला कर्मचारियों की संख्या में निरन्तर तथा निश्चित वृद्धि सुनिश्चित करना ।

किसी भी कारखाने, उद्योग या संस्था में महिलाओं की एक संख्या, 20 प्रतिशत या 25 प्रतिशत निर्धारित कर देनी चाहिए कि इतनी महिलाओं को लेना ही पड़ेगा । तब जा कर उनको कहीं स्थान मिल पायेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसलिए यह जो प्रावधान है, इसका समर्थन करते हुए मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं :

"महिला कर्मचारियों के लाभार्थ विद्यमान श्रम कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने के पश्चात उनको समुचित रूप से लागू किया जाना सुनिश्चित करना ।"

श्रम कानूनों के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान रख कर इस बात की सुनिश्चितता प्रदान करना आवश्यक है ताकि उन राइट्स का समुचित रूप से उनको लाभ मिल सके ।

"महिला कर्मचारियों के लिए शिशु-देखभाल की सुविधाएं, जिनके अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकताओं, जैसे दूध मध्याह्न भोजन, कपड़ों, खिलौनों तथा शिशुओं की देख रेख हेतु प्रशिक्षित आयाओं की व्यवस्था हो, सुनिश्चित करना।"

इस सम्बन्ध में अगर आप देखें तो जो बड़े-बड़े कारखाने चलते हैं उनमें भी इस तरह की सुविधा नहीं है । यह ठीक है, हमने कुछ बिरला और टाटा की इंडस्ट्रीज देखी हैं जिनमें कुछ व्यवस्था है । उनके लिए खेल कूद और उनके बच्चों के लालन पालन की तथा खिलौनों आदि की भी व्यवस्था है । लेकिन हमारी पब्लिक सैक्टर की भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी इस प्रकार की व्यवस्था होना बहुत ही जरूरी है । इस प्रकार का प्राविजन होना चाहिए और उस का परिपालन करना बहुत जरूरी है ।

"खेतिहर महिला कर्मचारियों के लिए, शिशु देख-भाल हेतु चलती फिरती सुविधाएं सुनिश्चित करना है ।"

यह व्यवस्था तो कहीं भी नहीं है। खेत पर काम करने वाली महिलाओं की स्थिति तो बहुत ही खराब है। भूमिहीन किसान महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। भूमिहीन किसान महिलाओं को दस दिन के लिए रखते हैं, फिर उसको निकाल दिया जाता है। उसके लिए तो कोई भी सुनिश्चितता नहीं है। इस प्रकार की सुविधा उनको दिया जाना नितान्त आवश्यक है।

"महिला कर्मचारियों के लिए कार्य-स्थल पर विश्राम-कक्ष जिन में स्नान-गृह, शौचालय आदि की पर्याप्त सुविधाएं हों, सुनिश्चित करना ।"

जितने भी उद्योग या संस्थान हैं या जितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनमें इस प्रकार की व्यवस्था बहुत कम स्थानों में है। इस प्रकार की व्यवस्था सब जगह होनी चाहिए। आज के प्रजातांत्रिक युग में महिलाओं को यह सुविधा निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। महिलाओं के साथ-साथ और मजदूरों को भी मिलनी चाहिए। इसके लिए तो पूरी तरह से कोशिश करके यह सुविधा प्रदान करनी चाहिए। लेबर लाज के अन्दर इस प्रकार के प्राविजन्स हैं लेकिन उन का परिपालन नहीं होता है। सख्ती के साथ इन प्राविजन्स का परिपालन करना चाहिए।

"महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल से निकटतम स्थान पर रिहायशी सुविधाएं सुनिश्चित करना ।"

आज तो टूटी फूटी झोपड़ियों में वह रहती हैं। उनके लिए ठीक तरह से मकान बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके रहने योग्य मकान उनके कार्य-स्थल से निकटतम स्थान पर बना कर उन्हे यह सुविधा देनी चाहिए।

"महिला कर्मचारियों के शिशुओं के लिए शिशु-देखभाल केन्द्रों में मनोरंजन की सुविधाएं सुनिश्चित करना ।"

लेबर लाज के अन्दर इस के लिए प्राविजन है। उनका कार्यान्वयन कराने की आवश्यकता है।

> महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर तथा उनके निवास स्थानों से कार्यस्थल तक और कार्यस्थल से निवास स्थानों तक उनको सुरक्षा की समुचित तथा पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना।

उनकी सुरक्षा समुचित और सुनिश्चित हो, इसका तो भगवान पर ही भरोसा है। उनको अपने घर से आने तक के लिए साधन नहीं है; कहीं-कहीं जिसकी स्थिति मजबूत हुई है, उनको तो जरूर साईकिल की सुविधा है। साईकिल सस्ते होने के कारण मजदूरों को इसकी सुविधा

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

मिली हुई है। इसमें भी जो सुविधायें उनको मिलनी चाहिए, जैसे कन्सैशन्स, लोन पर रेट आफ इन्टरैस्ट कम से कम हो। मेरे कहने का अर्थ यह है कि मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। जब हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, साइंस और टैक्टनालॉजी की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो यह आवश्यक और जरूरी है कि लेबर-लॉज को स्ट्रीक्ट बनाकर उनका अनुपालन करने की कोशिश करें। महिलाओं के कल्याण के लिए जितना कुछ कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। हम उनका विकास करें, उनकी उन्नति करें और उनकी प्रगति करें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्या, श्रीमती विभा घोष गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत बिल श्रमजीवी महिला कल्याण विधेयक, 1985 का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री राजमंगल पांडे (देवरिया) : मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि यदि पृथ्वी से अन्यायों को मिटाने के लिए कानून बनाना ही पर्याप्त होता तो स्वाभाविक रूप से यह विश्व स्वर्ग बन गया होता। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि हमें इस बात की अधिक चिन्ता है कि हम समाचार पत्रों की नजरों में आये और इस मामले पर संसद भवन से बाहर जन-समर्थन प्राप्त करें।

हम महिला कल्याण के बारे में काफी बोल चुके हैं। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। महिला कामगार और पुरुष कामगार में कोई अन्तर नहीं है। यदि प्रकृति ने इतना अधिक अन्तर किया है तो सरकार या कोई अन्य एजेन्सी अन्यथा सहायता नहीं कर सकती। यदि शारीरिक रूप से वे काफी कमजोर हैं और ऐसा श्रमसाध्य या मेहनती काम नहीं कर सकती, जिसे करने की उनसे आशा की जाती है, तो कोई सरकार इसमें कैसे सहायता कर सकती है? स्वाभाविक रूप में हमें उन्हें उससे अधिक देना चाहिए। जितना कि वे इस समय प्राप्त कर रही है। हमारी परम्परा कुछ ऐसी रही है कि हम अपने यहां की महिलाओं का आदर और श्रृंगार किया है। वास्तविक रूप में वे घर की मालकिन हैं। इस बात से हम भली भांति यह देख सकते हैं कि उनका हमारे घरों में कितना प्रभुत्व होता है। घरों में उनकी ही इच्छाओं की पूर्ति होती है और पुरुष तो केवल दब्बू होते हैं और अपने घरों में उनकी नहीं चलती।

यहां इस विधेयक में यह कहा गया है कि अधिक सामाजिक न्याय दिए जाने की आवश्यकता है, अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए, उनकी बीमारी की हालत में अधिक गहन निगरानी एकक स्थापित किए जाने चाहिए, उनके बच्चों को सुविधाएं तथा सभी चीजें दी जानी चाहिए। कोई भी इन्हें ये सुविधाएं देने से इन्कार नहीं करेगा। लेकिन कठिनाई यह है कि विधेयक में की गई 50 प्रतिशत मांगें इतनी अव्यवहारिक हैं कि कोई भी सरकार चाहे वह कितनी भी परोपकारी क्यों न हो, उन्हें पूरा नहीं कर सकती। भट्टा उद्योग में उन्हें मुश्किल से दो या तीन महीने के लिए ठेके के आधार पर रोजगार दिया जाता है और उन्हें इतने ही समय में उससे कहीं अधिक पैसा मिल जाता है, जितना सरकारी सेवा में एक नैमित्तिक श्रमिक को एक वर्ष में मिलता है। लेकिन विधेयक में यह मांग की गई है कि उनको मकान अस्पताल तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए।

यह कैसे संभव हो सकता है जब वे वास्तव में मुश्किल से 3 महीने काम करती हैं ? इसलिए इससे उन्हें अधिक मदद नहीं मिलेगी ।

मैं उत्तर प्रदेश में श्रम मंत्री था । मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में श्रमिक समस्या इतनी जटिल है कि यदि बिहार के श्रमिक हमारी फसल की कटाई के लिए न आएं तो 50 प्रतिशत फसल खेतों में पड़ी रहेगी और नष्ट हो जाएगी । त्रासदी तो केवल शिक्षित युवाओं के मामले में है जिनके लिए कोई नौकरी नहीं है । यहां दिल्ली अथवा किसी अन्य बड़े शहर में आपको किसी भी कीमत अथवा उस वेतन पर, जो आप देना चाहें, कोई खाना पकाने वाली महिला अथवा नौकरानी के काम में कोई महिला कामगार नहीं मिलेगी । यह बात नहीं है कि महिला वर्ग अधिक कष्ट उठा रहा है । वही महिलाएं हैं अधिक कष्ट उठा रही हैं जो शिक्षित हैं और जिन्हें काम नहीं मिला है । महिला श्रमिकों के लिए इतना अधिक काम है कि यदि वे करना चाहें तो मेरे विचार में कोई भी महिला बेरोजगार नहीं रह सकती । मेरे विचार में मुश्किल से ही कोई ऐसा आदमी होगा जो मांगी गई सुविधाओं के हक में नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसी किस्म की मांगों के विरोध में हूं जो अव्यवहारिक हैं और जिन्हें कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी परोपकारी क्यों न हो, पूरा न कर सके । हम अपनी परम्पराओं और महिलाओं की हर प्रकार से सराहना करते हैं, लेकिन हमारी परम्पराओं को महिलाओं को उनके घरों से बाहर निकालने में काफी समय लगेगा । उनकी शिक्षा बहुत ही कम है । यहां तक कि उन महिलाओं, जो शिक्षित हैं, में भी खुले क्षेत्र में आने की हिम्मत नहीं है । देश के कई राज्यों में, केरल और कुछ अन्य राज्यों को छोड़कर अभी भी उनकी शिक्षा की प्रतिशतता मुश्किल से 12 से 13 प्रतिशत तक है और उनमें से भी 8 से 9 प्रतिशत तक वे महिलाएं हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी हैं । इसलिए यदि हम उन्हें समानता देना भी चाहें, जिसे हर व्यक्ति देना चाहेगा, तो प्रश्न यह उठता है कि आप उन्हें किस किस्म की नौकरियां दे सकेंगे । ज्यादा से ज्यादा वे एक क्लर्क टेलीफोन आपरेटर बन सकती हैं । उन्हें सेना में नहीं भेजा जा सकता है, उन्हें श्रमसाध्य कार्य नहीं दिया जा सकता है, उन्हें इस प्रकार का कार्य नहीं दिया जा सकता है जिसमें अधिक शारीरिक मेहनत करनी पड़े । फिर उन्हें करने के लिए किस प्रकार का काम सौंपा जा सकता है ? मेरे विचार में सरकार पहले ही अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास कर रही है । हमें यह देखना चाहिए कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो । अब समाज बदल रहा है और महिलाएं तीव्र गति से प्रगति कर रही हैं । मैं नहीं समझता कि पुरुषों अथवा सरकार की ओर से किसी प्रकार का अन्याय किया गया है । इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कानून, जिसमें उससे अधिक की मांग की गई है जितना कोई व्यक्ति या सरकार दे सकती है, को छोड़ दिया जाना चाहिए और सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे महिलाओं को ऐसी मदद मिल सके जो सम्भव हो और जिसे सरकार दे सकती हो ।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्ता (मोतीहारी) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्रीमती गीता घोष द्वारा जो विधेयक लाया गया है, मैं उसका स्वागत करती हूं और श्री राज

[श्रीमती प्रभावती गुप्ता]

मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारी व्यक्ति, जो अपने प्रदेश में श्रममंत्री रहे हों, से ऐसी बातें सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं बोलना नहीं चाहती थी और उनकी बात सुन कर मुझे मनु स्मृति की यह श्लोक याद आ जाती है :

"यत्र नार्यस्तु पूज्यते
रमन्ते तत्र देवता :"

और प्रसाद जी ने अपनी कामायनी कविता में कहा है :

"नारी तुम केवल श्रद्धा हो
जीवन के अन्त:स्थल में
पीयूष स्रोत सी बहा करो।"

इतना कहने से ही काम नहीं चलेगा । आप महिलाओं की तारीफ करते हैं, आप सराहना करते हैं और उनकी प्रशंसा में काफी लेख लिखें या काफी कविता लिखें, इससे क्या काम होगा। आज आधुनिक भारत में और आधुनिक दुनिया में देखते हैं कि महिला पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला कर काम कर रही हैं। और आजादी की लड़ाई में, जब देश गुलाम था, उस समय भी महिलाओं ने महान योगदान तथा बलिदान दिया और हर एक तरह का और कठिन से कठिन काम किया। श्रीमती इंदिरा गांधी, परम पूज्यनीय हैं, वे आज हमारे बीच में नहीं हैं । उन्होंने कौन सा काम नहीं किया और क्या एक आदर्श उपस्थित नहीं किया ? कौन सा काम जो पुरुष कर सकता है, वह उन्होंने नहीं किया। रानी लक्ष्मीबाई और यहां तक कि यदि हम प्राचीन इतिहास को देखें और चाहे वह एक कल्पना की बात ही हो, रामायण को देखें और रामचरित मानस को देखें, तो क्या यह नहीं पाते हैं कि जब युद्ध हुआ तो रानी कैकेयी राजा दशरथ के साथ युद्ध स्थल पर गई। वीरांगना लक्ष्मीबाई भी युद्ध स्थल पर गई थी। वे सारी बातें क्या बताती हैं। आप कहते हैं कि सेना का काम कठिन है। सेना में क्या महिलाएं नहीं हैं। महिला डाक्टर वहां पर भी है और नर्सें भी हैं और बहुत सारे काम वहां हो रहे हैं, जिनमें महिला हाथ बंटाती हैं। इसके साथ साथ मैं यह नहीं चाहती कि सारे काम महिलाओं के दे दिए जाएं लेकिन कुछ काम हैं, जिनको महिलाओं के लिए सुरक्षित रखना चाहिए जैसे प्राइमरी ऐजूकेशन है, उसमें स्थान सुरक्षित रखें। बड़े बड़े संस्थानों में और औद्योगिक घरानों में उनके लिए स्थान होने चाहिए। अस्पताल हैं या छोटी छोटी ऍक्सचेंज हैं या टेलीफोन का काम है, महिलाएं वहां पर काम करती हैं और बेखूबी और बढ़िया काम कर रही हैं। महिलाएं पुरुषों से किसी भी प्रकार से कम दक्षता से काम नहीं कर रही हैं। इस लिए यह जो विधेयक लाया गया है इसका मैं स्वागत करती हूं क्योंकि यह महिलाओं के हितों की रक्षा करने वाला विधेयक है। इसको सरकार को मान लेना चाहिए। महिलाओं का जितना शोषण होता है उतना किसी का नहीं होता। सबसे अधिक शोषित वर्ग महिलाओं का है।

सभापति महोदय, मैं 1952 से चुनाव लड़ती आ रही हूं और गांवों में जाने का अवसर मिला है। आज मैं लोक सभा में चुन कर आ गई हूं। आप देखिए यह इतना बड़ा हाऊस है।

इसमें पांच सौ सदस्य होंगे लेकिन इस सारे हाऊस में केवल 30-35 महिलाएं जीत कर आई हैं। फिर हमारे पांडे जी समानता की बात करते हैं। आप मंत्रिमंडल की बात को ही ले लीजिये। चाहे प्रदेश के मंत्रिमंडल हो, चाहे केन्द्र का मंत्रिमंडल हो। उनमें कितनी महिलाएं हैं। नाममात्र की महिलाएं हैं।

श्री राज मंगल पांडे : एम० एल० ए० और एम० पी० के चुनाव में महिलाओं को 20 परसेंट स्थान दिए गए और उनमें से ये साढ़े सात परसेंट ही जीत कर आई हैं। फिर भी ये 50 परसेंट की मांग कर रही हैं।

श्रीमती प्रभावती गुप्ता : मैं समझती हूं कि महिलाएं बुद्धि और मेरिट में पुरुषों से किसी प्रकार से कम नहीं हैं। किसी भी क्षेत्र में चाहे वह राजनीति हो या अन्य क्षेत्र हों महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। फिर भी उनको समान वेतन नहीं मिलता है। महिलाओं पर दोहरा भार है। वे नौकरी भी करती हैं और फिर घर पर आ कर सारा काम करती हैं। पुरुष बाहर ही काम करते हैं और घर का कोई काम नहीं करते हैं। मैं यह नहीं कहती कि महिलाओं को घर का काम नहीं करना चाहिए। मैं समझती हूं कि यह हमारी संस्कृति और सभ्यता है कि महिलाएं घर का काम करें। पुरुष तो केवल बाहर काम कर के आये और आराम से घर में बैठते हैं। उनकी देखभाल भी मां, बहिन या पत्नि ही घर में करती हैं।

मैं तो चाहती हूं कि जो महिलाएं, घरों पर ही रहती हैं, केवल हाऊस वाईव्ज हैं उन्हें अनएम्लाएमेंट अलाउंऊस देना चाहिए। यह मेरी मांग है जिसको कि सरकार को मान लेना चाहिए।

मैं यह कहती हूं कि यह विधेयक जनहित में है और इसे पास किया जाना चाहिए। इससे सरकार के ऊपर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। इससे कारखाने के मालिकों के ऊपर भार पड़ेगा। इसमें जो दस प्रतिशत की व्यवस्था की गई है, मैं कहती हूं कि वह 25 प्रतिशत होना चाहिए और उद्योगपतियों और कारखाने के मालिकों को इसका भार वहन करना चाहिए।

मैंने जब राज मंगल पांडे जी जैसे क्रांतिकारी के इस बिल के बारे में विचार सुने तो मुझे भी इस बिल पर बोलना पड़ा और इसलिए बोलना पड़ा कि मैं इन्हें बताऊं कि महिलाओं की क्या स्थिति है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : सभापति महोदय, जहां तक श्रमजीवी महिला कल्याण विधेयक के मूल उद्देश्यों और कारणों का सम्बन्ध है, मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि उन उद्देश्यों के तथा कारणों का स्वागत किया जाना चाहिये परन्तु मैं समझता हूं कि हम सबके लिए यह अनुभव करना अनिवार्य है कि महिलायें विनीत हो सकती हैं परन्तु यह

[श्री पी० आर० कुमार मंगलम]

निश्चित है कि वे कमजोर नहीं हैं। भेदभाव के मामले पर विचार किए बिना मेरे सामने अभी-अभी दिए गए भाषण से इस बात का निश्चित रूप से पता चल जाता है कि पुरुषों और महिलाओं में कौन कमजोर है ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आपके भाषण से ऐसा लगता है कि आप कमजोर हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा। प्रो० साहब, मैं यह स्वीकार करता हूं। लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद महिलायें आगे आई हैं तथा उन्होंने तरक्की की है और वास्तव में वे सभी क्षेत्रों में आगे आई हैं। चाहे वह व्यवसायिक क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र और चाहे इन्जीनियरी का क्षेत्र हो या उच्च प्रौद्योगिकी का अथवा दैनिक शारीरिक श्रम का क्षेत्र है, वे आगे आई हैं और रोजगार के जो अवसर उपलब्ध हैं उनमें महिलाओं का अधिक से अधिक हिस्सा रहा है।

जहां तक राजनीति का सम्बन्ध है, निस्सन्देह भारतीय महिलाओं ने विश्व पर विशेष रूप से अपना प्रभाव जमाया है कि वे बड़ी राजनेता बन सकती हैं और वे विश्व में पुरुषों से निश्चित रूप से पीछे नहीं है। आखिरकार, हमारी महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी निस्सन्देह एक महिला तथा बहुत सुन्दर महिला और उन्होंने अपनी योग्यता तथा राजनीतियता के बल पर विश्व पर अपना प्रभाव जमाया था। इसलिए, कोई वास्तव में यह नहीं कह सकता कि भारत में महिलाओं ने यह नहीं सिद्ध किया है कि वे न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी किसी पुरुष से कम नहीं हैं।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यह एक ऐसा विधेयक है जिसमें श्रमजीवी महिला कल्याण निधि बनाने की और अधिनियम के उद्देश्य पूरे करने की बात कही गई है। यह केवल श्रमजीवी महिला कल्याण के लिए ही क्यों बनाया जाए श्रमिकों के कल्याण के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हमें पुरुषों तथा महिलाओं को समान मानना चाहिए। आखिरकार, कामकाजी पुरुषों को भी तो बहुत सी मदद, बहुत सी सुविधाएं चाहिए। जब हम कामकाजी महिलाओं को बेकारी अनुदान देने की बात करते हैं तो हम कामकाजी पुरुषों को भी बेकारी अनुदान देने की बात क्यों नहीं करते ? सभापति महोदय, निस्सन्देह भारत में श्रमिक वर्ग को वे सुविधायें नहीं मिल रही हैं जो उन्नत देशों तथा विकसित देशों में श्रमिक वर्ग को मिलती हैं यह सच है कि यद्यपि श्रमिकों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए ही आलोचना की जाती है परन्तु उन्हें अपने अधिकार नहीं मिले हैं। इसलिए जब हम श्रमिकों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि चाहे श्रमिक पुरुष हैं या महिलायें, उनको उपलब्ध कराई गई सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं और निस्सन्देह उनके लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है। वास्तव में, सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को भी, चाहे वे पुरुष हैं या महिलाएं, वे सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं जिन्हें हमने संविधान के निदेशक सिद्धान्तों में देने का वायदा किया है। निदेशक सिद्धांतों में जीवन निर्वाह मजदूरी देने का वायदा किया गया है। उनमें कहा गया है कि 'हम जीवन निर्वाह मजदूरी देने का प्रयास करेंगे'। क्या हम जीवन निर्वाह मजदूरी दे पाये हैं ? हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए हैं ? क्या यह आवश्यक नहीं कि हम न

केवल महिलाओं के बारे में सोचें अपितु मानव जाति के बारे में सोचें ? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि श्रमिक हमारे देश के वैसे ही नागरिक तथा मानव हैं जैसे अन्य वर्ग के लोग हैं और श्रमिक वर्ग ही हमारे देश की रीढ़ है। यदि किसी देश का श्रमिक वर्ग ······सभापति महोदय, श्रमिक वर्ग ही क्यों ? मेरा यह कहना है कि श्रमिक वर्ग में न केवल संगठित मजदूर, उद्योगों में काम करने वाले असंगठित मजदूर आते हैं बल्कि इसमें ऐसा प्रत्येक व्यक्ति आता है जो अपने जीवन निर्वाह के लिए काम करता है और अपने जीवन यापन के लिए पूंजी नहीं लगाता तथा शोषण नहीं करता और निस्सन्देह ऐसे लोगों की ही संख्या अधिक है। (व्यवधान)

सभापति महोदय, मुझे विश्वास है कि श्रम मंत्री द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए ऐसा विधेयक लाने का स्वागत किया जायेगा। जिसमें श्रमिकों के लिए बेहतर सुविधाएं देने, उन्हें जीवन के उचित अवसर प्रदान करने तथा जीवन निर्वाह मजदूरी देने तथा जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने का प्रावधान हो और इसके लिए मैं उनका आभारी रहूंगा।

5.33 म० प०

[श्री शरद डिघे पीठासीन हुए]

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लाभप्रद निजी क्षेत्र में ही हम देखते हैं कि श्रमिक जीवन यापन मजदूरी की थोड़ी बहुत बात करते हैं।

सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ ही मैं श्रम मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे सभा में एक ऐसा विधेयक लाने पर विचार करें जिसमें सामान्य तौर पर सभी श्रमिकों के कल्याण की बात की गई हो।

[हिन्दी]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : सभापति जी, इस बिल पर काफी सदस्य बोले हैं। कोई नई बात नहीं है कि महिलाओं के लिए जो बातें कही गई हैं उनकी जो मुश्किलात हैं उनको हम सब महसूस करते हैं। इस देश में हम लोगों ने जितनी तरक्की की है, उससे महिलाओं को काफी इज्जत मिली है और वह हम बराबर दिन पर दिन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। गांवों में जो परिस्थिति है वह सभी लोगों के लिए वहां पर वैसी ही हैं क्योंकि हमारे मुल्क के लोग ज्यादातर कृषि पर ही निर्भर हैं। इसमें उन लोगों को दिक्कतें आती हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारी जो महिलायें हैं वह बहुत आगे बढ़ रही हैं। भारत देश में उनकी काफी इज्जत की जाती है। बहुत सी जगह पर कुछ मसायल खड़े होते हैं। कुछ औरतें शिकायत भी करती हैं कि इंडस्ट्रीज में टीजिंग किया जाता है और इक्वल रेम्युनरेशन-इक्वल वर्क भी नहीं दिया जाता। इस सम्बन्ध में एक कमेटी भी बनाई गई है। बीड़ी वर्कर्स की कुछ और दिक्कतें हैं। केन्द्र सरकार ने वहां पर कुछ एक्साइज ड्यूटी पर सैस लगाया है ताकि उससे उन लोगों को कुछ फायदा हो। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर सिर्फ महिलाएं ही हैं। आप जानते हैं कि महिलायें बहुत मेहनत से काम

[श्री टी० अंजैया]

करती हैं। यह कहना गलत है कि भारत में महिलाओं की इज्जत नहीं है। हमने दूसरी कण्ट्रीज में भी घूमकर देखा है। आज सियासत में कई बातें की जाती हैं। महिलाओं की इज्जत करना हमारा पहला धर्म है। आप जानते हैं कि इस देश को भारत, हिन्दुस्तान और भारत माता के नाम से भी पुकारा जाता है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने श्रम देवी अवार्ड औरतों के लिए रखा है। इस तरह बहुत से कामों में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि रोजगार में महिलाओं की संख्या घटी है। मेरे पास आंकड़े हैं। यह बात सही है कि रात को काम करने में उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं मिलती है। औरतें जा नहीं सकती हैं इसलिए उन इंडस्ट्रीज को हम कह रहे हैं कि वे या तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करें अथवा उनकी नाइट शिफ्ट बन्द की जाए। कुछ इस तरह का प्रबन्ध हो जाए कि वे अपने काम में अपने आपको सेफ अनुभव करें क्योंकि उनके सामने बहुत सी दिक्कतें हैं। फिर भी आज इण्डस्ट्रीज में उनको कम वेतन मिलने का जहां तक सम्बन्ध है, हम हर स्टेट गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल रेमुनरेशन देने के लिए अपने यहां एक एडवाइजरी बोर्ड गठित करें और उसी में प्रोसीक्यूशन वगैरह करने का अधिकार भी दिया गया है। उस आदेश पर प्रोपर अमल हो रहा है या नहीं, इसके बारे में कहना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि कल हमारे लेबर मिनिस्टर्स की एक कांफ्रेंस होने वाली है और उसमें हम यह सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे।

यहां महिलाओं के विषय में कई दूसरी बातें कही गई हैं। उनको सहूलियतें देने की बात कही गई है, इन सब में जहां तक मैं समझता हूं वेजेज का प्रश्न ही सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे यहां महिलाओं को बहुत कम वेजेज दिए जाते हैं, मगर जहां तक पब्लिक सेक्टर का ताल्लुक है उनमें महिलाओं के साथ किसी प्रकार का अन्याय होता हो, ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है क्योंकि हमने पब्लिक सेक्टर के सम्बन्ध में एक डिसीजन लिया हुआ है। सिर्फ प्राईवेट सेक्टर के उद्योगों में ही उनके सामने दिक्कतें हैं, जैसे टैक्सटाइल मिल्स हैं, जूट मिल्स हैं या दूसरे कारखाने हैं। उनमें महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा बहुत ही कम वेजेज दिए जाते हैं। ऐसी शिकायतें भी हमारे पास आई हैं कि कुछ पूंजीपति, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, बच्चों और महिलाओं से ज्यादा काम लेते हैं परन्तु उनको तनख्वाह कम देते हैं और यह चल रहा है। उसको रोकने के लिए हम बराबर कोशिश कर रहे हैं, कानून बनाए गए हैं, लॉ के जरिए और दूसरी तरह हम चाहते हैं कि उनके साथ होने वाले अन्याय को रोका जाए। इसके अलावा हमारे देश में जितनी इंडस्ट्रीज हैं, मैं कभी-कभी सोचता हूं कि उनमें महिलाओं से लाइट वर्क लिया जाए जैसे टेलीफोन का है, इलेक्ट्रानिक्स का कार्य है, शौप्स हैं, टाइपिंग कार्य हैं और ऐसे कार्यों के लिए इनडायरेक्टली उनको रिजर्वेशन दी जाए। मगर जैसा आप जानते हैं जब-जब रिजर्वेशन देने की बात सामने आती है, तो हमारे सामने कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। यह बात अलग है कि सोशयलिस्ट मुल्कों में हालात कुछ अलग हैं, वहां औरतों को इंडस्ट्रीज में बहुत आगे बढ़ने का मौका प्राप्त है और वे हमसे बहुत आगे हैं, यह बात मैं मानता हूं मगर हमारे देश में भी कुछ कम नहीं है। हम भी धीरे-धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी जैसा आप जानते हैं बहुत सी

औरतें ट्रेडीशनल और कन्जर्वेटिव टाइप की होती हैं फिर भी हम चाहते हैं कि वे इतनी फार्वर्ड न आयें, जैसा हम अखबारों में विज्ञापनों में उनको देखते हैं, मैगजीन्स में पिक्चर्स में उनको देखते हैं। हमारे देश में कुछ पूंजीपति लोग उनका एक्सप्लायटेशन करने में लगे हुए हैं, उनकी फोटो लेकर मैगजीन्स में प्रकाशित करते हैं, फिल्में बनाते हैं और चन्द पैसों से उनकी फोटो ले लेते हैं। इस तरह के एक्सप्लायटेशन को रोकने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, हम उसे कन्डेम करना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। उसका कारण यह भी है कि हमारे भारत देश की हिस्ट्री ऐसी है कि एक ज़माने से हम महिलाओं को किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्शन देते आए हैं। आपने रामायण में भी देखा होगा कि किस तरह से सीता जी के लिए बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया। इसी तरह द्रौपदी के लिए भी हुआ। जहां तक औरतों का सवाल है, इस मुल्क में महात्मा गांधी से लेकर और दूसरे कई लोगों ने इस बात की कोशिश की है……

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आपने रामायण देखी है……

श्री टी० अन्जैया : जी हां, मैंने रामायण देखी है……(**व्यवधान**)…एक दूसरी बात यह है कि हम अपने यहां रामलीला तो खेलते ही हैं।

हमारे यहां तो रामायण से लोग इंस्पायर होते हैं। यह कहना कि चन्द लोग ऐसे होते हैं, तो ये तो हर जगह होते हैं। आप चाहे जिस कण्ट्री में देखें, समाज में बुराइयां हर जगह हैं, हर कन्ट्री में है। लेकिन सवाल यह है कि जो बात हमारी बहन विभा घोष जी ने कही है, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। ये तो होम मिनिस्टर हैं, घर में तो होम मिनिस्टर होती हैं। बाजी औरतें तो ऐसी होती हैं, जो रूल भी करती हैं और आदमी की बात कम मानती हैं।

जो इन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए अलग से एक्ट लाने की बात कही है, उसको हम देख रहे हैं। इस बिल के अन्दर काफी बातें हैं, जिसमें हमको काफी दिक्कतें आती हैं। इस सम्बन्ध में हम एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाकर इसको पेश करेंगे और हमारा इरादा है कि औरतों के लिए हम सैपरेट बिल बनाएं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। हम लेबर डिपार्टमेंट से बात करेंगे और एक ऐसा बिल जिसमें 'औरतों को कुछ इंडिपेण्डेंट करें, दूसरों को रखकर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार का जो बिल बनेगा उसको फिर हमें ला-डिपार्टमेंट को लीगल ओपिनियन के लिए भेजना भी पड़ेगा, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग जायेगा। इसलिए मैं बहन जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने बिल को वापिस ले लें।

[अनुवाद]

***श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** (नवद्वीप) : सभापति महोदय, सर्व प्रथम, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मेरे विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लिया। कुछ

* बंगाली में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

[श्रीमती विभा घोष गोस्वामी]

सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है तथा कुछ ने इसकी आलोचना की है या विरोध किया है। अधिकांश सदस्यों ने इस विधेयक में निहित भावनाओं तथा सिद्धान्तों का समर्थन किया है और कुल मिलाकर उनके भाषणों से यह स्पष्ट हो गया है कि इस विषय से संबंधित विद्यमान कानून पर्याप्त नहीं हैं तथा उनसे कामकाजी महिलाओं के कल्याण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती और कामकाजी महिलाओं को अपेक्षित कल्याण लाभ देने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन करना तथा नया विधान बनना भी आवश्यक है। श्री शांताराम नायक ने इस सम्बन्ध में व्यापक कानून बनाने की बात कही है तथा माननीय श्रम मन्त्री जी ने भी यही बात कही है। श्री हरीश रावत तथा श्री नायक ने कहा है कि कुछ उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों में केवल महिलाओं को ही लगाया जाना चाहिए। इस विधेयक के 'उद्देश्यों' के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। कम से कम मैं तो ऐसा नहीं समझती। श्री नायक ने कहा है कि महिला श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने देने के मामले में मौजूदा नियमों तथा कानूनों में कुछ ढील या छूट देना जरूरी है। मैं इस विचार का समर्थन करती हूं परन्तु विधेयक में श्रमिक महिलाओं को ट्रेड यूनियनें बनाने या उनके ट्रेड यूनियन सम्बन्धी अधिकारों के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। श्री नायक ने कहा है कि महिलाओं की परामर्शदात्री समिति का गठन अवश्य किया जाना चाहिए। इस मामले में मैं उनसे सहमत नहीं हूं। क्योंकि मेरा विचार है कि समाज का आधा भाग महिलाएं हैं जोकि समाज का अभिन्न अंग है। हम उस समाज के अंग के रूप में ही महिलाओं का कल्याण चाहते हैं। समाज में पुरुष न केवल उसके अंग हैं बल्कि वे सह-कर्मी हैं तथा साथ-साथ हमदर्दी जताने वाले हैं। मेरी यह बात अधिकांश उन पुरुष सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों से स्पष्ट हो जाती है जो इस विधेयक पर बोले हैं। चूंकि श्रम मन्त्री जी ने एक स्पष्ट आश्वासन दिया है कि वे इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक लायेंगे। मैं इस विधेयक के विभिन्न खण्डों के बारे में विस्तृत चर्चा नहीं करूंगी। श्री डागा जी ने शास्तिक उपबंधों का प्रश्न उठाया है। यदि नियोक्ता अपेक्षित जानकारी नहीं देता तो तब उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ? मेरा विचार है कि जब किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को लाइसेंस दिये जाते हैं तो वे उस समय ही ऐसी जानकारी दें जो सरकार द्वारा मांगी गई है। नियोक्ताओं को इस प्रकार की सारी जानकारी देने के लिए बाध्य किया है। अतः मैं समझती हूं कि इस विधेयक की दण्डात्मक अपेक्षाएं उसी के अंतर्गत आ जाएंगी। श्री हरीश रावत ने बताया कि इस समय कामकाजी महिलाओं के लिए 350 होस्टल हैं। ये पर्याप्त नहीं हैं। और अधिक हास्टलों की जरूरत है। मैं इस बात का पूरी तरह समर्थन करती हूं। श्री मनोज पाण्डेय तथा कई अन्य सदस्यों ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र विशेष कर कृषि क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के हितों को देखने या उन शिकायतों को सामने लाने वाला कोई नहीं है। यह बहुत जरूरी है कि उनको संगठित किया जाये। मैं श्री मनोज पाण्डेय के इस विचार से पूर्णतया सहमत हूं। इसके साथ ही मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगी कि हम लोकतांत्रिक आंदोलनों के कार्यकर्ता महिलाओं को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां कहीं मजबूत वामपंथी लोकतांत्रिक आन्दोलन विद्यमान हैं, वहां हमने मजबूत महिला संगठन भी बनाये हैं। हमने उन्हें सुदृढ़ बनाया है। यह पश्चिम बंगाल, केरल,

त्रिपुरा आदि में देखा जा सकता है। वहां ग्रामीण महिलाएं बहुत अधिक संख्या में संगठित होती जा रही हैं और अधिक मजदूरी ले पाने में सफल हो रही हैं। संगठित होना सभी क्षेत्रों के लिए अच्छा है। यदि महिलाएं संगठित हो जाएं तो वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या समान काम के लिये समान वेतन आदि अधिनियम के उपबन्धों को लागू करवाने में सफल होंगी। श्री मनोज पाण्डेय सभा में उपस्थित नहीं हैं, परन्तु मैं उनको तथा सभी अन्य माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं को संगठित करने का प्रयास करें। उनसे कहें कि वे अपने अधिकार मांगे ताकि वे न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी अपनी मांगों तथा अधिकारों को प्राप्त कर सकें। संगठित हुये बिना, महिलाओं की तो बात ही छोड़िये पुरुष भी न्यूनतम मजदूरी नहीं ले सकते। इसलिए संगठित होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं माननीया श्रीमती फूलरेणु गुहा जी की आभारी हूं जिन्होंने मेरे विधेयक का समर्थन किया है। उन्होंने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों, भट्टा श्रमिकों आदि के बारे में भी कहा है तथा यह भी कहा है कि वे विधेयक के इस उपबन्ध से सहमत नहीं हैं कि श्रमिक महिलाओं को खुद कोई अंशदान नहीं करना चाहिये। उन्होंने कहा है कि वे नही चाहती कि महिलाओं को भीख मांगते ही रहना चाहिये। लेकिन यहां तो भीख मांगने की बात उठती ही नहीं। इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि कामकाजी महिलाओं का कल्याण तथा उनके बच्चों के कल्याण सम्बन्धी कार्य सरकार राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में शुरू करेगी और इस प्रकार उनको 10 प्रतिशत अंशदान करना होगा। इसमें भीख मांगने की कोई बात नहीं है। इसमें महिलाओं को अमानवोचित करने की कोई बात नहीं है। श्रीमती फूलरेणु गुहा ने विधेयक के 5 खण्डों का उल्लेख किया है। मैं समझती हूं कि ये क्रमानुसार हैं। इसमें कहा गया है कि सरकार श्रमिक वर्ग के लिये बनी ट्रेड यूनियनों का अलग-अलग समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी।" केवल महिला कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के लिये उपबन्ध किया गया है। अतः, मैं नहीं समझती कि फूलरेणु दी को इस पर कोई अपत्ति होगी। श्री षण्मुख ने पूछा है कि क्या राज्य सरकार ने इसी प्रकार का कोई विधेयक तैयार किया है। मैं उनको बताना चाहती हूं कि केवल केन्द्र सरकार ही ऐसा विधान पारित कर सकती है। किसी भी राज्य सरकार को विधान पारित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। उन्होंने बताया है कि तमिल नाडु सरकार ने शिक्षा निःशुल्क कर दी है और कुछ अन्य कल्याण-कारी उपाय किये हैं। इन सभी कदमों का स्वागत है तथा प्रत्येक सदस्य उनका समर्थन करेगा। बहुत से अन्य राज्यों ने भी इसी प्रकार के कदम उठाये हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने लड़कों तथा लड़कियों दोनों के लिए 12 वीं तक निःशुल्क शिक्षा कर दी है तथा प्राथमिक श्रेणी के बहुत से बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जा रहा है। उन्होंने कृषि में लगी 11 करोड़ महिलाओं की समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है। इस मामले में मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। तथा उनका समर्थन करती हूं। श्री डागा ने संविधान से काफी उद्धरण दिये हैं और कहा कि इन सभी अधिकारों तथा लाभों का संविधान में पहले से ही उपबंध किया गया है। हम सब जानते हैं कि इस बारे में संविधान में उपबंध किये गये हैं। तो फिर अन्य विधान या कानून बनाने की क्या जरूरत है? संविधान में इसका उपबंध हैं लेकिन वास्तव में ये लाभ महिलाओं को नहीं दिलाए जाते। इसीलिए इस विधेयक की आव-

[श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी]

श्यकता महसूस हुई हैं। मन्त्री महोदय को भी यह स्थिति स्वीकार करनी होगी और इस संबंध में एक विस्तृत विधेयक लाना होगा। श्री राम प्यारे जी ने श्री डागा को सही उत्तर दिया है और उन्होंने अनुसूचित जाति। अनुसूचित जन जाति की महिलाओं का प्रश्न उठा कर ठीक ही किया हैं। जैसा कि मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन भी दिया गया था यदि विस्तृत विधेयक लाया जाता है तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को बराबर लाभ मिल सकेगा। इस विधेयक का प्रारूप इस प्रकार तैयार किया गया है कि उन्हें बराबर लाभ मिलेगा। मैं श्री जैन का इस विधेयक का समर्थन करने के लिए और जो उन्होंने इस सम्बन्ध में कहा है, उसके लिए धन्यवाद करती हूं। उन्होंने सामाजिक क्रांति के बारे में भी ठीक ही कहा है। सामाजिक क्रांति के बिना महिलाओं को कभी भी समान अधिकार नहीं प्राप्त हो सकते। मैं समान कार्य के लिए समान-वेतन देने की हामी हूं। जो उन्होंने कहा है मैं उसका पूरी तरह समर्थन करती हूं। श्री राज मंगल पांडे ने कुछ प्रश्न उठाए हैं। आदरणीय श्रीमती प्रभावती गुप्त ने उन्हें उपयुक्त उत्तर दिए है। पांडे जी ने कहा कि यदि महिलाएं शारीरिक रूप से इतनी कमजोर हैं कि वह कडी मेहनत वाला काम नहीं कर सकतीं तो इसमें सरकार का क्या दोष है? मैं जानती हूं कि देश के बहुत से भागों में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों में काफी समय से ऐसी धारणा रही है। यह धारणा आज भी है। 'भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान' सम्बन्धी समिति ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों की ऐसी मानसिकता का उल्लेख किया है। इस प्रतिवेदन में बताया गया है कि एक समय ऐसा था कि उत्तर प्रदेश से ऐसा अनुरोध किया था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा संवर्ग में महिला प्रशिक्षणार्थियों को न लिया जाए। यदि उन्हें प्रशिक्षणार्थी के रूप में ले भी लिया जाता है तो प्रशिक्षण की समाप्ति पर उन्हें उत्तर प्रदेश में नियुक्त न किया जाए। यहां पर श्री राज मंगल पांडे द्वारा उस वर्ग विशेष की महिला-विरोधी मानसिकता का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। श्रीमती प्रभावती गुप्त ने पहले ही उन्हें सही उत्तर दे दिया है। इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। जब तक महिलाओं के विरुद्ध इस प्रकार की मानसिकता हमारे समाज और इस सदन में रहेगी तब तक हम महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिला सकेंगे। श्री कुमार मंगलम ने कहा है कि वह महिलाओं को अलग नहीं मानते। उनका कहना सही है लेकिन जब तक हमारे समाज में यह भेद-भाव रहेगा, हमें महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से बात करनी ही होगी। हमें पहले उनके पिछड़ेपन को दूर करना होगा अन्यथा केवल कहने से ही उन्हें समान अधिकार नहीं मिल जायेंगे। इस प्रकार उन्हें समान अधिकार नहीं मिल सकते।

अन्त में मैं माननीय, श्रम मंत्री का धन्यवाद करूंगी। उन्होंने स्वीकार किया है कि नौकरी पेशा महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके अनुसार सरकारी गैर-सरकारी क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान वेतन के प्रश्न पर विचार कर रही है। लेकिन गैर-सरकारी क्षेत्र में महिलाओं को बहुत से स्थानों पर समान वेतन नहीं दिया जाता। वह इस स्थिति से जल्दी निबटने के लिए एक विस्तृत विधान बनाने पर विचार कर रहे हैं।

महोदय अन्त में मैं एक बात और कहना चाहती हूं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वह असंगठित विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए अलग से विधान बनाने पर विचार करें। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वह महिला कल्याण मंत्रालय से परामर्श करके इस पर विचार करें। इस सम्बन्ध में मेरा एक स्पष्ट सुझाव है। मैंने इसका जिक्र पहले भी महिला कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलते हुए किया था कि समूचे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओ को पूरे वेतन के साथ प्रसव अवकाश दिलाने की जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिए। एक सदस्य ने प्रश्न उठाया था कि इंटों के भट्टों में काम करने वाले मजदूर वर्ष में केवल 3 माह काम करते हैं। यह कल्याण सम्बन्धी उपबंध उन पर किस प्रकार लागू किए जा सकते हैं। किन्तु मेरी मांग यह है कि देश के किसी भी भाग में काम करने वाली प्रत्येक महिला को चाहे वह फैक्टरी में काम करती हो या मिल में, खेतों में या किसी अन्य स्थान पर वेतन सहित प्रसव अवकाश दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। तभी इस समस्या को सुलझाया जा सकेगा। ऐसे कानून किस प्रकार बनाए जा सकते हैं यह देखना है। हम भी इस पर विचार कर रहे हैं। महोदय, माननीय श्रम मंत्री द्वारा दिए गए ठोस आश्वासन को देखते हुए, कि वह इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक बनायेंगे, मैं अपना विधेयक वापिस लेती हूं।

6.00 म० प०

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विभिन्न उद्योगों और प्रतिष्ठानों में नियोजित महिलाओं के कल्याण के लिए व्यवस्था करने सम्बन्धी विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी : मैं विधेयक को वापस लेती हूं।

सभापति महोदय : कार्यसूची की अगली मद पर विचार करने से पहले श्री खुर्शीद आलम खां श्रीलंका पर एक वक्तव्य देंगे।

6.01 म० प०

श्रीलंका पर वक्तव्य

[अनुवाद]

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : महोदय, जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, कोलम्बो में प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के संवाददाता श्री के० आनन्द को

[श्री खुर्शीद आलम खान]

कल सुबह श्री लंका के प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। प्राप्त सूचना के अनुसार उन्हें सुबह 9 बजे के करीब ले जाया गया था और श्रीलंका की पुलिस ने उन्हें भारतीय हाई कमीशन से संपर्क नहीं करने दिया। उन्हें पूछताछ के केन्द्र में साढ़े पांच घंटे तक रोके रखा। उनके अनुरोध करने पर ही उन्हें दिन के ढाई बजे कोलम्बो में भारत के उच्चायुक्त से बहुत संक्षेप में बात करने की इजाजत मिली। श्री आनन्द की गिरफ्तारी के बारे में जैसे ही हाई कमीशन को सूचना मिली, उसने श्रीलंका की सरकार से कड़ा विरोध प्रगट किया। बाद में शाम को श्री आनन्द को न्यायिक रिमांड पर रखकर कोलम्बो में वैलीकैड जेल ले जाया गया। आज सुबह श्रीलंका के प्राधिकारियों ने कोंसली प्रवेश की इजाजत दे दी है। हमारा ख्याल है कि श्री आनन्द पर श्रीलंका की सरकार ने आपात कालीन विनिमयों के अन्तर्गत आरोप लगाया गया है। अब उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

सरकार ने इस मामले को सख्ती के साथ नई दिल्ली में और कोलम्बो में भी श्रीलंका की सरकार के साथ उठाया है और श्री आनन्द की गिरफ्तारी पर तथा उनकी निजी सुरक्षा के लिए भी गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है। हमने श्रीलंका की सरकार से यह कहा है कि विख्यात भारतीय प्रेस एजेन्सी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक भारतीय नागरिक को इस तरह गिरफ्तार करना और उसके साथ इस तरह का सलूक करना बहुत अनुचित और निन्दनीय है।

श्री लंका स्थित हमारे हाई कमिश्नर स्थानान्तरण पर कल ही वहां से जाने वाले थे लेकिन उनसे कहा गया है कि वे वहां रूकें और स्थिति पर निगाह रखें। हमारा हाई कमीशन श्री आनन्द को कानूनी और दूसरी सहायता देने के लिये हर मुमकिन कोशिश कर रहा है तथा विदेश मंत्रालय के साथ निरंन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं और जैसे ही हमें और सूचना मिलेगी हम सदन को सूचित करेंगे।

राज्य सभा में बहस के दौरान मैंने जो जवाब दिये थे उन्हें लेकर परसों श्रीलंका के राज्य मन्त्री और सरकार के प्रवक्ता ने कुछ खेदजनक टिप्पणियां की थीं। श्रीलंका के मन्त्री के इस बयान पर हमने अपनी अप्रसन्नता से श्रीलंका की सरकार को अवगत करा दिया है। जैसा कि मान्य सदस्यों को ज्ञात है हमने हमेशा ही रचनात्मक और ठोस सुझाव दिए हैं और बराबर यही कोशिश की है कि श्रीलंका की इस जातीय समस्या का कोई राजनीतिक समाधान उसकी एकता, प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता की रूपरेखा के अन्दर निकल आए। इसलिए यह बड़े दुर्भाग्य और निराशा की बात है कि श्रीलंका की सरकार के वरिष्ठ और जिम्मेदार सदस्यों के बयानों से श्रीलंका में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया जा रहा है।

———

6.04 म० प०

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक
(धारा 125 और 127 में संशोधन)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम श्री जी० एम० बनातवाला के दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पर विचार करेंगे। विधेयक पर विचार आरम्भ करने से पहले हम इसके लिए दो घंटे का समय निश्चित कर लेते हैं। इसके बाद देखा जाएगा।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में कुछ मामलों पर लिए गए निर्णयों के कारण दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन करने वाले विधेयक की आवश्यकता महसूस हुई है। महोदय 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 (3) के अन्तर्गत दाण्डिक न्यायालयों को उन पत्नियों के पक्ष में जीवन-निर्वाह के लिए धन देने के आदेश देने की शक्ति दी गई है जिनके पति उन्हें ये धन नहीं देते। इस दंड प्रक्रिया संहिता में वर्ष 1973 में संशोधन किया गया था और धारा 488(3) को महत्त्वपूर्ण संशोधनों के साथ पुनः अधिनियमित किया गया था। 'पत्नी' शब्द की परिभाषा में ऐसी महिला जिसे उसके पति ने तलाक दे दिया हो अथवा जिसने पत्नी से तलाक ले लिया हो और उसने दोबारा शादी न की हो, को शामिल किया गया।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यह प्रत्येक पत्नी की परिभाषा है।

श्री जी० एम० बनातवाला : इसलिए आपको आश्चर्य हुआ है।

इस प्रकार न्यायलय भी तलाकशुदा पत्नी के तब तक जीवन निर्वाह के लिए धन देने के आदेश दे सकता है जब तक वह शादी न कर ले अथवा उसकी मृत्यु न हो जाए। सभापति महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि इस संशोधन का मुसलमानों द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया था कि इस्लाम के कानून के अन्तर्गत पति तलाक शुदा पत्नी को केवल इद्दत की अवधि में जीवन-निर्वाह के लिए धन देने को बाध्य है जो कि लगभग 3 माह है और उसके बाद नहीं। इसके बारे में अखबारों में कई लेख छपे थे। मुस्लिम लोगों में हलचल मच गई थी। परिणाम-स्वरूप, मुसलमानों की राय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए यह मुद्दा संसद में चर्चा करने के लिए लाया गया। मैं इस बात पर बल देता हूं कि एक अत्यन्त असामान्य अवस्था में यह मुद्दा संसद के समक्ष रखना भारत के विधि निर्माण इतिहास में अनूठा उदाहरण है और ऐसा मुस्लिम कानून को बरकरार रखने और सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। मुस्लिम कानून के संरक्षण के लिए धारा 127 की उपधारा (3) में खासतौर पर खण्ड (ख)

[श्री जी० एम० बनातवाला]

जोड़ा गया है । इस संशोधन में दूसरी शादी अथवा मृत्यु तक जीवन निर्वाह के लिए धन देने के आदेशों को उन मामलों में रद्द करने का प्रावधान है जहां तलाकशुदा पत्नी ने ऐसे आदेश की तारीख तक या उससे पहले ऐसे आदेशों से सम्बन्धित पक्षों पर लागू व्यक्तिगत अथवा परम्परागत कानून के अधीन समस्त देय राशि प्राप्त कर ली हो ।

मैं इस पर अगली बार बोलूंगा ।

सभापति महोदय : हम अगली बार इस पर चर्चा जारी रखेंगे ।

6.08 म० प०

आधे घंटे की चर्चा

रोजगार कार्यालयों में दर्ज शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री जितेन्द्र प्रसाद आधे घंटे की चर्चा शुरू करेंगे ।

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शाहजहांपुर) : मैं अपने तारांकित प्रश्न संख्या 334 के बारे में मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से उत्पन्न होने वाले कुछ प्रश्नों पर चर्चा शुरू करता हूं।

महोदय, इससे पहले कि मैं इस विषय पर बोलना शुरू करूं, मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जिसका देश को सामना करना पड़ रहा है । श्री राजीव गांधी की सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए वचनबद्ध है । माननीय श्रम मन्त्री एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री भी रह चुके हैं । अब वह एक महत्वपूर्ण पद पर हैं । लेकिन अपने प्रश्न का उत्तर सुनने के पश्चात और श्रम मन्त्रालय की मांगों की बहस में उनके उत्तर सुनने के पश्चात मेरा यह विचार है कि उन्होंने इस समस्या को गम्भीरता से नहीं लिया है ।

मैं श्रम मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों के उत्तर में दिए गए उनके भाषण का अंश उद्धृत करता हूं । उन्होंने रोजगार केन्द्रों के बारे में कुछ कहा है :—

[हिन्दी]

"दो करोड़ लोगों के नाम एम्पलायमेंट एक्सचेंज में दर्ज हैं, यानि इतने लोग बेरोजगार हैं । लोग कहते हैं कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज क्या करती है । हर स्टेट गवर्नमेंट को आज इस बात का चैलेंज है कि वह बेरोजगारी को नहीं बचा सकती । किसी ने यह पूछा था कि एम्लायमेंट एक्सचेंज में क्या रखा हुआ है । प्राईवेट सैक्टर वाले कहते हैं कि हमारे ऊपर कानून नहीं लगाना । पब्लिक सैक्टर वाले कहते हैं कि हम एडवरटाइजमेंट से ले लेंगे । इसी तरीके से बैंक्स और पोस्टल डिपार्टमेंट भी बोलते हैं । आज एम्पलायमेंट एक्सचेंज सिर्फ पीअन्स का दफ्तर बन गए हैं ।"

[अनुवाद]

यदि यही दृष्टिकोण है, तो यह चर्चा करना व्यर्थ है। यदि मन्त्री महोदय स्वयं यह मान रहे हैं कि देश में रोजगार केन्द्र कोई काम नहीं कर रहे रहे हैं, तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि चर्चा से सभा का समय ही बरबाद होगा।

मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि मेरे द्वारा तथा अन्य सदस्यों के द्वारा पूछी गई बातों के संगत उत्तर दें तथा सभा में निश्चित निर्णयों की घोषणा करें ताकि इस महत्त्वपूर्ण चीज में कुछ किया जा सकें।

मैंने एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाया है जिसका हमारे समूचे देश के लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के लिए काफी महत्त्व है। वह प्रश्न युवकों तथा युवतियों में बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण से सम्बन्धित है। मैं इस चर्चा के दौरान इसे ही उठाना चाहता हूं।

जहां तक मैंने अनुभव किया है रोजगार कार्यालय सरकार का एक ऐसा विभाग बन गए है जो मन्दगति से काम करते हैं तथा ऐसी व्यवस्था है, जो कुछ नहीं कर सकती। क्या ऐसा ही चलता रहेगा, अथवा क्या हम आशा कर सकते हैं कि रोजगार कार्यालय रोजगार पैदा करने, और रोजगार ढूंढने की संभावनाओं में प्रभावी कार्य करेंगे तथा हमारे युवक और युवतियों को रोजगार जीविका प्रदान करेंगे ? इस चर्चा में यह मूल प्रश्न है।

मैं मंत्री महोदय द्वारा अपने उत्तर में दिए गए आंकड़ों को उद्धृत करूंगा। स्थिति संतोषजनक नहीं है। वास्तव में यह चिन्तनीय है। नवम्बर 1983 में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत 2 करोड़ 17 लाख बेरोजगारों की तुलना में नवम्बर 1984 में, जिसके लिए नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं। यह संख्या बढ़कर 2 करोड़ 36 लाख 50 हजार हो गई है। यह 9 प्रतिशत की वृद्धि है। वास्तव में एक वित्त वर्ष में, अर्थात् 1983-84 में बेरोजगार लोगों की संख्या में 12 प्रतिशत, वृद्धि हुई। आंकड़े उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं। हम रोजगार नहीं दे सकते, किन्तु पंजीकृत लोगों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। यह स्थिति रोजगार कार्यालयों की है और जब आप शिक्षित बेरोजगारों की समस्या के बारे में सोचते हैं तो स्थिति इससे भी गम्भीर लगती है क्योंकि उनकी, उनके माता पिता की तथा उनके परिवार के सदस्यों की कुछ अपेक्षायें हैं और जब वे रोजगार कार्यालयों में जाते हैं तो उन्हें कोई आशा नहीं दिखती। मैं आशा करता हूं कि कम से कम आज माननीय मंत्री महोदय आगे आकर यह बतायेंगे कि इस समस्या के समाधान के लिए क्या योजनायें हैं तथा बेरोजगार कार्यालयों से बहुसंख्य बेरोजगार कार्यालयों में रिक्त स्थान ज्ञात करने तथा लोगों को कार्य के लाभप्रद अवसर प्रदान करने में किस प्रकार की सक्रियता की अपेक्षा करते हैं। मैं इस बात को सामने लाना चाहता हूं और मन्त्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 334 (अप्रैल 1985) के उत्तर में मात्र सरकारी आंकड़ों को दोहराया गया था तथा निष्कर्ष यह निकाला गया था कि नाम के भेजे जाने से पहले प्रतीक्षा की एक अवधि होती है।

[श्री जितेन्द्र प्रसाद]

प्रतीक्षा की यह अवधि कितनी है ? क्या यह एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग है। यह पांच वर्ष है अथवा दस वर्ष ? किस राज्य में प्रतीक्षा की अवधि सबसे अधिक है। और किस राज्य में यह अवधि सबसे कम है जब मैंने इसके बारे में विस्तृत विवरण मांगा, तो मुझे उत्तर नहीं मिला और माननीय अध्यक्ष महोदय ने कृपा पूर्वक इस पर आधे घंटे की चर्चा करने की अनुमति दे दी थी। अत: मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस विषय पर विचार व्यक्त करें।

अब हम मेरे प्रश्न के (घ) भाग के लिए दिए गए उत्तर को देखेंगे। मुझे बताया गया था कि, मैं उद्धृत करता हूं "यह संभव नहीं है कि उन लोगों को प्राथमिकता दी जाये जो—आयुसीमा पार कर जाने वाले हैं—क्योंकि रोजगार कार्यालयों को चालू रजिस्टर में उनके स्थान के आधार पर तथा नियोक्ता की आवश्यकताओं के आधार पर ही नाम को भेजना होता है। यह सच है कि रोस्टर के अनुसार चलना चाहिए तथा नियोक्ता की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए किन्तु इन सब बातों को ध्यान में रखने के बावजूद भी क्या यह संभव नहीं है कि अपेक्षाकृत मानवीय दृष्टिकोण रखा जाये क्योंकि कुछ लोग शीघ्र ही रोजगार प्राप्ति के अवसरों को अपनी आयु की अधिकता के कारण खो देंगे ? क्या हम इस समस्या को इन्सानियत की दृष्टि से नहीं देख सकते क्योंकि हम प्रतिदिन देश में हर जगह देखते हैं कि अधिकांश पंजीकृत लोग कम से कम सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित आयु को पार कर चुके हैं ? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं हो सकता जिससे उनके नाम भेजे जाने का अवसर मिल सकें ताकि वे सरकारी नौकरियों के लिए निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु के न हो जायें ? रोजगार कार्यालयों को बेरोजगार लोगों की आवश्यकता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। उन्हें नौकरशाही रवैये के स्थान पर अधिक मानवीय, सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाना चाहिए।

1978 में एक मैथ्यू आयोग था। जनता पार्टी ने इसे नियुक्त किया था। उन्होंने राष्ट्रीय रोजगार सेवा के मामले को देखा। रिपोर्ट के पृष्ठ 77 में यह लिखा है :

> "रोजगार कार्यालय संगठन को चाहिए कि वे प्रक्रिया सम्बन्धी लाल फीता शाही से बंधे हुए नौकरशाही संगठन की अपनी छवि को बदलने का हर संभव प्रयत्न करें। उसे एक ऐसी एजेन्सी की छवि बनानी चाहिए जो नियोक्ताओं उम्मीदवारों की आवश्यकताओं का अध्ययन करे और आवश्यक विशेषता रखने वाले कर्मचारियों का चयन करके उन्हें सहायता प्रदान करे तथा इस बात का प्रयत्न करें कि उन्हें उच्च श्रेणी की सेवायें दक्षता से तथा तुरंत प्राप्त हो सकें।"

यह रिपोर्ट के कुछ इस विषय से सम्बद्ध अंश थे जिन्हें मैंने उद्धृत किया। उन्होंने यह भी कहा है कि रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। स्थिति से सभी अवगत हैं। आज यदि आप अपना नाम पंजीकृत करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी। अथवा यदि आप कार्यालय में यह पता करने के लिए जाते हैं कि आपका

नाम कब प्रेषित किया जायेगा तब भी आपको यह सूचना प्राप्त करने के लिए कुछ देना पड़ेगा आपका नाम प्रेषित किया जाये इसके लिए भी आपको कुछ देना पड़ेगा ।

महोदय नौकरशाही तथा कार्यालयी व्यवहार ऐसे हैं कि किसी गरीब व्यक्ति के लिए यह मुश्किल है कि वह रोजगार कार्यालय तक जा सके । इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए । यह उचित समय है कि हम इस मामले को देखें तथा मैं सुझाव देता हूं कि रोजगार कार्यालयों से जन प्रतिनिधियों को सम्बद्ध किया जाना ही इसका उपाय है। कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाना चाहिए कि इसमें जन प्रतिनिधि भी भाग ले सकें, अर्थात लोगों के प्रतिनिधि रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण से सम्बद्ध रहें ।

मैं दो प्रश्न पूछना चाहूंगा : क्या सरकार रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण की भली भांति जांच करने को आदेश देंगी ताकि पंजीकृत अभ्यर्थियों, विशेषकर उनको जो आयु की अधिकतम सीमा को पार करने वाले हैं, को रोजगार दिलाने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दिया जा सके ताकि 1 करोड़ 23 लाख । शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में कमी लायी जा सके और सरकार तथा सरकारी क्षेत्रों के द्वारा पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी क्षेत्र को हाल ही में नये स्नातकों को नियुक्त करने के लिए कहा गया है ? क्या वे सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के लिए यह आवश्यक बना रहे हैं कि वे अपने यहां की रिक्तियों की सूचना तथा उनके लिए नियुक्तियां रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ही करें ।

पहले दिए गए उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि बैंक उनके अनुसार नहीं चलते, निजी क्षेत्र उनके कहे के अनुसार नहीं चलते तथा अन्य संगठन भी ऐसा ही करते हैं । किन्तु एक अधिनियम है 1959 का अधिनियम । नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि निजी क्षेत्रों के सभी संस्थान निजी क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे गैर कृषि सम्बन्धी संस्थान जो 25 या अधिक श्रमिकों को नियुक्त कर रहे हैं, अपनी रिक्तियों की सूचना रोजगार कार्यालयों को दें तथा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में बतायी गयी सूचनाओं को दें या अपनाएं ।

मुझे यह नहीं समझ में आता कि संगठन इस अधिसूचना के होने के बावजूद भी नियुक्ति के अपने ही तरीके अपनाते हैं । मैं समझता हूं इसे लागू नहीं किया जा रहा । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण दें ।

अन्य बात ये है कि क्या नियमों को इस ढंग से संशोधित किया जायेगा कि ऐसे लोग जो निर्धारित आयु सीमा को पार करने वाले हैं उनका नाम उस सीमा को पार करने से पहले ही प्रेषित कर दिया जाये और क्या माननीय मंत्री जी रोजगार कार्यालयों की भली भांति जांच करने के लिए आदेश जारी करेंगे ।

मैं इच्छा व्यक्त करता हूं कि वे एक रोजगार कार्यालय में जायें ताकि वे स्वयं यह देख सकें कि वे कैसे कार्य कर रहे हैं ताकि वे रोजगार प्रदान करने के प्रभावशाली माध्यम बन सकें

[श्री जितेन्द्र प्रसाद]

तथा लोक हित की बड़ी बात को ध्यान में रखते हुए सभी बुराइयों को दूर कर सकें । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस समस्या तथा मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दें ।

सभापति महोदय : माननीय श्रममंत्री ।

[हिन्दी]

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : मान्यवर, अभी अनारेबल मेंबर ने बहुत सारी बातें बताई, वे कोई नई बातें नहीं हैं, मैं जानता हूं इसलिए एप्लायमेंट एक्सचेंज की वर्किंग के बारे में आप जो कुछ कहेंगे वह मैं सुनने को तैयार हूं । वहां का जो एफिशेंसी है या ब्यूरोक्रेसी और स्टाफ किस तरीके से काम कर रहा है, इसके बारे में आप जो भी प्रपोजल देंगे, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं । मैं आंध्र प्रदेश में लेबर मिनिस्टर था तो एप्लायमेंट एक्सचेंज में करप्शन को दूर करने के लिए दो-तीन काम किए थे, आल इंडिया लेवल के लिए भी सोच रहे हैं, कल लेबर मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस है । एक तो कंप्यूटर सिस्टम करने का डिसीजन लिया है और दूसरा फोटो सिस्टम बनाने की बात सोची जा रही है । आंध्र प्रदेश के एप्लायमेंट एक्सचेंज में अगर किसी का नाम राम प्रकाश है तो दूसरे रामप्रकाश को भेज देते हैं इसलिए फोटो रहने से रजिस्टर करने वाले कैन्डीडेट से पास भी और डिपार्टमेंट के पास भी फोटो रहेगा तो उससे असुविधा नहीं होगी । रोजाना हम लोग पेपर्स में निकालते थे कि इस साल के ग्रुप वालों को स्पान्सर कर रहे हैं । इस सिस्टम को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं । इंक्वायरी के लिए आप कहेंगे तो हम इसके लिए भी तैयार हैं । जो भी गड़बड़ है उसको ठीक कर सकते हैं । एप्लायमेंट एक्सचेंज की परफार्मेंस ठीक करने के लिए आप जो भी प्रपोजल्स भेजेंगे······ (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र प्रसाद : आप कह रहे हैं कि हम सब करेंगे तो आप कैसे करेंगे । ···(व्यवधान)

श्री टी० अंजैया : आपको सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं तो मैं क्या करूं । डिस्ट्रीक्ट लेवल पर एम०पी०,एम०एल०एज और ट्रेड यूनियन के लोगों को हम लेते थे । वह सिस्टम आंध्रा में चल रहा था । आप लोग चाहें तो मैं करने के लिए तैयार हूं । डिस्ट्रीक्ट और स्टेट लेवल पर एडवाइजरी बोर्ड भी बनाने के लिए तैयार हूं । इस तरीके से हम लोग कमेटी बनाते थे जिसमें डिस्ट्रीक्ट लेवल पर कलैक्टर चेयरमैन, स्टेट लेवल पर लेबर मिनिस्टर चेयरमैन और नेशनल लेवल पर केन्द्र के लेबर मिनिस्टर चेयरमैन रहते थे । आपने यह कहा कि मैनेजमेंट नोटिफाइ करने के लिए तैयार है तो प्राईवेट और पब्लिक सैक्टर वाले बराबर नोटिफाई करते हैं । कम्पलसरी एम्पलायमेंट एक्चेंज में से लेना जरूरी है, वह कहीं भी नहीं है । एडमिनिस्ट्रेटिव इंसट्रक्शन दी गई हैं । मैं कोई भी चीज छिपाने को तैयार नहीं हूं । मैं चाहता हूं कि बैंक्स, रेलवेज और पोस्टल डिपार्टमेंट्स वगैरह में कम्पलसरी एप्लायमेंट एक्सचेन्ज में से लिया जाए । लेकिन एक जमाने से एक्जम्पशन चला आ रहा है । उसको निकालना है । उसके लिए अमेंडमेंट या एक्ट बनाना पड़ता है और जिसमें एडवाइजरी बोर्ड वगैरह जैसी चीजें करनी पड़ती हैं । जहां तक आंध्र प्रदेश का

सवाल है, जब मैं वहां था तो मैंने कम्पलसरी करवाया। वहां तो रेलवे या पोस्टल डिपार्टमेंट नहीं था। वहां तो हम लोग कम्पलसरी प्राईवेट वालों को कहते थे कि जब आपको जमीन, लाइट और पानी दे रहे हैं तो आपको एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से लेना चाहिए। इनडाइरेक्टली उनको दबाकर बात करते थे। नेशनल लेवल पर जब हम आते हैं तो फिर रेलवे मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री, बैंक्स वाले तमाम जो बड़े-बड़े रिक्रूटमेंट होते हैं··· (व्यवधान)

श्री जुल्फिकार अली खां (रामपुर) : सेन्टर में गड़बड़ है।···(व्यवधान)

श्री टी० अंजैया : मैं क्या करूं। आप लोग जरा समझने की कोशिश कीजिए। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज का नाम तो अंग्रेजों के जमाने में रखा गया था। मैं भी 1942 में एम्पलायमेंट एक्सचेंज से वर्कर बना था।··· (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र प्रसाद : एक्सचेंज 1945 में बने हैं।···(व्यवधान)

श्री टी० अंजैया : अंग्रेजों के जमाने में भी थे। आपको शायद नहीं मालूम। ··· (व्यवधान) इसलिए जब वार के जमाने में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को कायम करने की आवश्यकता महसूस हुई, रिक्रूटमैंट के लिए, तो उनको स्थापित किया गया। उस समय कुछ ट्रेनिंग सैन्टर हमारे देश में खोले गए और कुछ एम्प्लामेंट एक्सचेंज खुले।

मैं आपसे कहना चाह रहा था कि इसमें आप किस तरह से चाहते हैं कि करप्शन को रोका जाये, वेटिंग लिस्ट न हो और दूसरी चीजों को रोका जाए क्योंकि हमारे यहां कानून में लिखा हुआ है कि एक वैकेन्सी के लिए 20 आदमियों को बुलाया जाए। मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि एक वैकेन्सी के लिए 20 आदमियों को बुलाया जाना उचित नहीं है, यह सिस्टम गलत है क्योंकि यदि एक पोस्ट के लिए 20 व्यक्ति आयेंगे तो उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, बसों के किराये में उनका कुछ पैसा खर्च होगा, यदि वे साइकल से आयेंगे तो साइकल स्टैंड पर साइकल खड़ी करने के लिए भी उन्हें कुछ पैसा देना होगा और उन 20 में से सिर्फ एक व्यक्ति का चयन होगा, बाकी सारे लोगों को खाली हाथ जाना होगा। इसलिए मैं भी इस राय का हूं कि बहुत कम लोगों को एक वैकेन्सी के लिए बुलाया जाए। मगर हमारे यहां एक वैकेन्सी के अगेन्स्ट 20 आदमियों को बुलाने का सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा एम्पलायमेंट एक्सचेंज सारी जगहों की वैकेन्सीज के लिए आदमियों को स्पोन्सर नहीं करती हैं, सिर्फ उन्हीं कारखानों के लिए स्पोंसर करते हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसलिए इन सारी कमियों को दूर करने के उद्देश्य से, हम एक नया एक्ट लाने की सोच रहे हैं। इसमें हम क्या-क्या सुधार ला सकते हैं, उसके लिए तमाम मिनिस्ट्रीज से हमको बात करनी होगी और तमाम चीजों की गहराई में हमको जाना होगा। जहां तक एम्पलायमेंट बढ़ाने का सवाल है, उसके लिए बेहतर हो कि आप प्लानिंग मिनिस्टर से बात करें, वे आइन्दा के लिए ऐसी प्लानिंग करें कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लायमेंट मिल सके। जहां तक एम्पलायमेंट एक्सचेंज की

[श्री टी० अंजैया]

संचालन में सुधार लाने का प्रश्न है, उनकी पावर्स को बढ़ाने का प्रश्न है, उसके लिए आप हमसे बात कीजिए और हम उसके लिए सदा तैयार हैं ।

[अनुवाद]

श्री जुल्फिकार अली खां : मैं आपको श्री जितेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का सुझाव देता हूं ।

[हिन्दी]

श्री टी० अंजैया : यदि आप चाहें तो आपको हम एडवाइजरी बोर्ड में डाल देंगे ।

...(व्यवधान)

कोई अलग से कमेटी बनाने का सवाल नहीं है...नेशनल लेवल पर...यह बनने वाली है, आप उसमें आ जाईये...(व्यवधान)...

(व्यवधान)

यदि आप नहीं भी आयेंगे तो मैं आपको जरूर बुलाने वाला हूं क्योंकि हम इसमें कुछ छिपाना नहीं चाहते हैं । ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जुल्फिकार अली खां : वे आपसे क्षमा चाहते हैं, महोदय ।

[हिन्दी]

श्री टी० अंजैया : एम्पलायमेंट एक्सचेंज के बारे में तो मैं सक्षम हूं, जहां तक कारखाने लगाने की बात है, वह मेरे हाथ में नहीं है । एम्पलायमेंट बढ़ाना मेरे हाथ में नहीं है । उसके लिए आप फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहिए, इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब से कहिए । यदि इनके पास फण्ड्स हैं...(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, आप हिन्दुस्तान में 745 आपके नियोजन विभाग हैं और सिर्फ 1984 वर्ष में 62.19 लाख लोगों ने आपको नौकरी दिलाने के लिए दरख्वास्तें दीं । जब कि नौकरी सिर्फ 4.7 लाख आदमियों को ही मिली । इसलिए आपके एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में जहां तक प्लेसमेंट का सम्बन्ध है, मेरा ख्याल है कि इसका कारण यह नहीं है—

[अनुवाद]

वर्ष 1980 में रोजगार पर लगाये जाने की प्रतिशतता 2.59 थी जो 1979 की तुलना में तीव्रता से कम हो रही थी, और तब से उत्तरोत्तर कम होते हुए 1981 में 2.8, 1982 में 2.4 और 1983 में 2.2 थी ।

[हिन्दी]

आपके एम्पलायमेंट एक्सचेंज के अन्दर जितने लोग नौकरी के लिए आते हैं उनका पर-सैन्टेज बराबर कम होता जा रहा है। अब मैं जब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं तो इधर से तो आपको कुछ वित्त मंत्री जी बता रहे हैं और उधर से गृह मंत्री जी, आप बीच में हैं और बड़ी आफत में फंस गए हैं। यानी आपके दो तरफ बड़े मंत्री लोग बैठे हैं··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप प्रश्न पूछ सकते हैं, वे उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : श्रीमन्, आप बात को पहले सुनियेगा क्योंकि यह बेकारी का सवाल है जो पूरे देश के लिए अभिशाप है और आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। यह सवाल कोई आसान नहीं है, यह सवाल देश की बेकारी को दूर करने का है। इस बारे में मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आपके एम्पलायमेंट एक्सचेंज में नौकरी कैसे मिलती है, उसका उदाहरण देना चाहता हूं। जब कोई कलैक्टर या बड़ा अधिकारी चाहता है कि मैं इस लड़के को अपने घर पर काम करने के लिए रख लूं तो पहले तो वह उसे वैसे ही अपने घर पर रख लेता है और रखने के बाद एम्पलायमेंट आफिसर को कहता है कि तुम इसका नाम भेज दो, मैं उसको रैगुलराइज कर दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके अधिकार क्या हैं। बड़े अधिकारी लोग जो चाहते हैं।

कोई जांच कर ले इस बात की कि हिन्दुस्तान में जो गवर्नमेंट सर्वेण्ट आलरेडी हैं, उनके लोगों को 40 परसेण्ट नौकरी मिलती है। वे अपना नाम लिखा देते हैं एम्पलायमेंट एक्सचेंज में, उनके ऊपर आप कोई कानून लागू कर नहीं सकते। आपका इस सम्बन्ध में जो कानून है जिसमें यह है कि वह डिपार्टमेंट गुनेहगार होगा जो बिना एम्पलायमेंट एक्सचेंज से नाम आए किसी को नौकरी में रखेगा, चाहे वह रेल विभाग हो, चाहे वह म्यूनिसिपैलिटी का दफ्तर हो, चाहे वह कलैक्टर का कार्यालय हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, क्या आप कानून की इस धारा को एन्फोर्स करेंगे और जिन्होंने बिना कार्ड के लोगों को नौकरी पर रखा है, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और क्या उन्हें आप जेल भेजेंगे? पहला प्रश्न तो मेरा यह है।

सभापतिजी, दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि 1961 से लेकर आज तक आप यह बताने की कृपा करें कि कितने ऐसे विभाग हैं जिन्होंने बिना एम्पलायमेंट एक्सचेंज के कार्ड के, कितने लोगों को नौकरी में रखा है। ईयरवाइज ये फीगर्स आप मुझे बताएं।

तीसरी बात सभापति जी मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने निर्णय लिया है डी०आई०सी० के बारे में कि जहां बैनिफिश्यरीज हैं, जहां गरीब लोगों को, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, उन बेनिफिश्यरीज को जब एम्पलायमेंट आफिसर रिकमेंड करेगा, तो लोन मिलेगा। इस सम्बन्ध में मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1981, 82, 83, 84 में

[श्री मूल चन्द डागा]

आपके कितने एम्प्लायमेंट आफिसर्स ने गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले कितने व्यक्तियों के नाम रिकमेंड किए हैं और उस रिकमेंडेशन के आधार पर किन-किन लोगों को लोन मिल गया है ? ये एम्पलायमेंट एकसचेंज आपकी पावर में हैं और जब आप इनके ऊपर कोई नियम और कानून लागू नहीं कर सकते, तो मेहरबानी करके इनको आप बन्द कीजिए। कम से कम इनके ऊपर जो इतना खर्च हो रहा है, वह तो बचेगा और वहां जाने पर आदमी को जो परेशानी होती है, उससे वह सोच सकेगा ···घंटी···आप घंटी बजाइए। किसी सवाल का कोई रेलेवेण्ट आंसर नहीं मिल रहा है, और घंटी बजा रहे हैं। बार-बार मैं यह कह रहा हूं कि जो परसेंटेज आपने बताया , क्या उस परसेण्टेज के आधार पर नौकरी मिलती है ? इसके अलावा जो मैंने और प्रश्न किए हैं, उनके बारे में भी आप बतलाएं। यदि कानून में तब्दीली करनी है, तो आप उसको करिए और हमें बताइए कि कब तक तब्दीली करेंगे, ताकि लोगो को न्याय मिल सके।

[अनुवाद]

श्री सोभनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि श्रम मंत्री जी ने गम्भीर स्थिति से निबटने में असमर्थता व्यक्त की है। यह आम बात है कि निजी उद्योगों तथा संस्थानों में प्रबन्धक तथा वे लोग जी मामलों के संचालक हैं, अपनी पसन्द के लोगों को लेते हैं उनके रिश्तेदार तथा वे लोग जिनमें वे रुचि रखते है और उन लोगों को छोड़ देते हैं जो रोजगार कार्यालियों में दस अथवा अधिक वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अधिकांश पंजीकृत लोगों को साक्षात्कार के लिए भी पत्र तक नहीं प्राप्त होते, रोजगार प्राप्त करना तो दूर की बात है। यह एक साधारण सी बात है। वर्तमान नियमों का पालन न किए जाने के विरुद्ध सरकार क्या कदम विशेष रूप से उठाने जा रही है और उन अभागे शिक्षित बेरोजगार लोगों के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? मंत्री जी ने स्वयं बताया है कि यहां 1 करोड़ 23 लाख बेरोजगार लोग हैं और यह उनका दोष नहीं है। उन्होंने अपना बहुत सा धन खर्च किया ? उन्होंने अपना बहुत सा अमूल्य समय पढ़ने में व्यतीत किया और उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता। यह केवल उनका ही नुकसान नहीं है अपितु यह राष्ट्रीय हानि भी है। इनमें से अधिकतर मध्यवर्गीय परिवारों के सामान्य लोग हैं। अत: मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने जा रही है ताकि उन लोगों के सम्बन्ध में जिन्होंने बहुत पहले से रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत करवाया हुआ है उन्हें आयु सीमा की छूट दी जाए। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सरकार रोजगार सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर क्या कदम उठा रही है, जिसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और रोजगार और जनशक्ति योजना सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की स्थापना की सिफारिश की है जो जनशक्ति, रोजगार और बेरोजगारी सम्बन्धी स्थितियों के बारे में सुझाव देगी और समय-समय पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में श्रमिक शक्ति के संरक्षण तथा नीति सम्बन्धी मामलों की समीक्षा कर विभिन्न मन्त्रालयों को सलाह देगी। महोदय, मैं

माननीय मन्त्री महोदय से आपके द्वारा यह जानना चाहूंगा कि सरकार उन सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या करने जा रही है ?

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, मेरे मित्र ने जो कुछ कहा है, एम्पलायमेंट एक्सचेंज में जो अकर्मण्यता की नीति है, वहां भ्रष्टाचार के जो आरोप उन्होंने लगाये हैं, उनके साथ मैं अपने आपको जोड़ता ही हूं और साथ ही मंत्री महोदय की जो तकलीफ है, मैं समझता हूं कि वह कुछ अधिक कर सकने की स्थिति में नहीं हैं मगर एक बात वह जरूर कर सकते हैं कि वह ऐसा प्रबन्ध करें जिससे लोगों को अपना नाम दर्ज कराने के लिए दूर न जाना पड़े । इसके लिए वह विद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में हर ब्लाक में एम्पलायमेंट एक्सचेंज के आफिस खोलेंगे तो लोगों को चाहे नौकरी मिले या न मिले, कम से कम नाम दर्ज करवाने में तो उनको सहूलियत हो सकेगी । यही मेरा प्रश्न है कि क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे ?

श्री टी० अन्जैया : यह सब कुछ कर सकते हैं, हो सकता है । समिति लेवल पर ब्लाक लेवल पर नाम दर्ज करने के लिये कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है । इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी को-आपरेट करना जरूरी है ।

डागा साहब ने जो कहा है कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज एक्ट में चेन्जेज करें, यह कम्पलसरी किया जाए कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एक्जाम होते हैं, रेलवे और पोस्टल सर्विसेज में या प्राईवेट सेक्टर में एम्पलायमैंट होती है उसके लिये भी एम्पलायमैंट एक्सचेंज से लोगों को लिया जाये तो उसकी पोजीशन कुछ ऊंची हो सकती है । भ्रष्टाचार के बारे में जो आपने कहा तो आप जो कहेंगे वह हम करने के लिए तैयार हैं । जिस किस्म की तरमीम एक्ट में लाना चाहते हैं वह कर सकते हैं । आप चाहें तो 600 एम० पी० हैं, और लगभग इतने ही एम्पलायमेंट एक्सचेंज होंगे, एक-एक में एक-एक एम० पी० को डालना चाहें तो हम उसके लिये भी तैयार हैं । आप किस-किस स्टेट में रहते हैं, वहां के एम्पलायमैंट एक्सचेंज को कहेंगे कि ये एम० पी० हैं, हर महीने बातचीत करके तय करेंगे कि किस तरह फंक्शन करना है । हम उसमें कोई बात छिपाना नहीं चाहते हैं । आप चाहते हैं तो नाम दीजिये, जिस एम्पलायमेंट में चाहते हैं, हम आर्डर निकालेंगे कि आपकी कैसी फंक्शनिंग हो रही है यह पार्लियामेंट मेम्बर्स को आप बताइये । उसमें बिल्कुल हम कोई चीज छिपाकर नहीं चलना चाहते या अगर वहां करप्शन हो रहा है उसको छिपाकर नहीं चलना चाहते हैं । हम तो इस एक्ट में तरमीम लाने के लिए सोच रहे हैं और उसमें सब पब्लिक रेप्रेजन्टेटिव को इन्वाल्व करने के लिए सोच रहे हैं । जब यह ऐक्ट आएगा तो आप उस वक्त हम को सपोर्ट कीजिए । इसके अन्दर बहुत सारे लूपहोल्स हैं । ये एम्पलायमैंट एक्सचैंज तो ऐसे बने हुये है कि जिसके अन्दर कुछ भी कर नहीं सकते हैं । लेकिन यह पहले जमाने से चला आ रहा है । मेरे जमाने में तो यह एम्पलायमेंट एक्सचेंज नहीं आया । यह तो जनता पार्टी के जमाने में भी रहा है । ये तो पहले से चले आ रहे हैं । मेरे जमाने में या नये प्रधान मंत्री के जमाने से नहीं आया ।

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र प्रसाद : मेरा ख्याल है कि मंत्री जी उलझ गए हैं। इस तरफ बैठे लोग भी कांग्रेस दल के सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री टी० अन्जैया : इन एम्पलायमेंट एक्सचेंज के बारे में जो आप कह रहे हैं और जो भी उसमें सुधार करने के लिये आपने कहा है, डागा जी ने कई बड़ी अच्छी बातें कही हैं उनके सजेशंस बिल्कुल ठीक हैं, हम उनको लाने की कोशिश करेंगे।

अब रहा यह कि एम्पलायमेंट के लिए बैंक से हम लोग बोल सकते हैं। कुछ उन लोगों की सोसीयटीं बनायें, यह कर सकते हैं। मगर कारखाने लगाना, यह तो मेरे हाथ में नहीं है। मैं कोई लाइसेंस देने वाला नहीं हूं, लाइसेंसिग एथारिटी मैं नहीं हूं। हां, मेरे दिमाग में जो कुछ है वह प्लानिंग डिपार्टमेंट को और फाइनेंस को हम कह सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र प्रसाद : आप माननीय वित्त मंत्री जी से क्यों नहीं पूछते ?

[हिन्दी]

श्री टी० अन्जैया : तो आप लोग कीजिये। मुझसे क्यों पूछते हैं ? मुझसे आप हमारे एम्पलायमेंट एक्सचेंज के परफार्मेंस के बारे में पूछिए, मैं बताने को तैयार हूं। लेकिन पूरे लोगों को एम्पलायमेंट देने का सवाल हमारे हाथ में नहीं है। यह मुझसे खामख्वाह आप पूछते हैं। मेरे पास तो बेरोजगार जो सिक इण्डस्ट्रीज के पड़े हुए हैं, जो कारखाने क्लोज्ड पड़े हुए हैं उनका काम ही मेरे लिए हैडक बना हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : जो मैं फिगर्स पढ़ रहा था वह आपकी परफार्मेंस के बारे में ही पढ़ रहा था।

श्री टी० अन्जैया : आपने जो कहा है वह मेरे पास है। अब रहा यह कि जो एडवाइजरी बोर्ड बनाने के बारे में हम कह रहे हैं नेशनल लेवल पर भी बनायेंगे, स्टेट लेवल पर भी उसको बनाने की कोशिश करेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ऐडवाइजरी बोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें पार्लियामेंट के मेम्बर को और एम. एल. ए. को भी मेम्बर बनाने के लिए हम कहेंगे।

जहां तक रिलेक्सेशन का सवाल है, मैं तो रिलेक्स कर दूंगा। लेकिन फिर उसमें जो सीनियारिटी वाले हैं 20 साल या दस साल से वह तो आने वाले नहीं है। उनका तो सवाल आने वाला नहीं है। मैं तो कहूंगा कि 35 तक कर दो लेकिन जो मंगाने वाला है वह तो कहेगा 20 से 25 या 18 से 25 चाहिए तो हम क्या करेंगे ? जो डिमांड आएगी फैक्टरी से उसमें वह जो

मांगेंगे उसमें हम क्या करेंगे ? हम अगर रिलैक्स कर भी दें तो उससे क्या होगा ? हरिजनों के लिये 7 ईयर्स का दे सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिये कुछ कर सकते हैं। लेकिन यह एज रिलेक्शेशन का सवाल तो फैक्ट्रियों के ऊपर है।

यह जो अनएम्पलायमेंट का सवाल है इसका हल तो दूसरे तरीके से ही हो सकता है। हम को लोकल रिसोर्सेज को लाना है......

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीसवरा राव : उनके लिये निर्धारित आयु सीमा के कारण, वह इस आयु सीमा में नहीं आ पाते।

श्री टी० अन्जैया : हम आयु सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। यह प्रबन्ध व्यवस्था की इच्छा पर निर्भर है। वह 18 से 25 वर्ष आयु के अभ्यर्थी चाहते हैं। वह अपनी आवश्यकताएं इस अनुरूप भेजते हैं।

[हिन्दी]

इस तरीके से वह लोग जो चाहते हैं वह हम लोग भेजते हैं। बाकी जो रिसोर्सेज हैं उसको अगर टेप करेंगे तभी यह अनएम्पलायमेंट का प्राब्लम हल हो सकता है।

6.50 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना देनी है :—

> "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 9 मई, 1985 को हुई अपनी बैठक में पारित बोनस का भुगतान (संशोधन) विधेयक, 1985, की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथापारित बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक को सभा-पटल पर रखता हूं।

6.52 म० प०

वित्त विधेयक, 1985—जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम वित्त विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे।

सभापति महोदय : खंड 19. प्रो० एम० आर० हाल्दर-उपस्थित नहीं हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : विधेयक को आज पारित करना है। खंड 19 में श्री एच० आर० हाल्दर का एक संशोधन पेश करना था। वह उपस्थित नहीं है। मैं 19 से 27 खंडों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19 से 27 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 से 27 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 28—(धारा 136 में संशोधन)

वित्त तथा वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 11, पंक्ति 21, "और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा" **के स्थान पर** "के प्रयोजनों के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा किन्तु अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए नहीं" **प्रतिस्थापित किया जाए।**"(16)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा" **के स्थान पर** "के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा किन्तु अध्याय 26 के प्रयोजनों के किए नहीं" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 28, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 28, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 29—(धारा 139 में संशोधन)

(संशोधन हिन्दी पर लागू नहीं होता।)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 29 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खंड 30 से खंड 35 तक में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 30 से 35 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30 से 35 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 36—(अनुवर्ती संशोधन)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"पृष्ठ 13, पंक्ति 17 "लोप किया जाएगा" के स्थान पर "लोप किया जाएगा और", "धारा 80 ञ—और धारा 80ञ—1ञ—1" शब्द, अंक और अक्षरों के स्थान पर "और धारा 80 ञ —1" शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएं। (18)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"लोप किया जाएगा" के स्थान पर "लोप किया जाएगा और 80", धार "ञ—और धारा 80 ञ—1ञ—1" शब्द, अंक और अक्षरों के स्थान पर "और धारा 80 ञ—1" शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित जाएं।" (18)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 36, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 36 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।"

खंड 37—(धारा 5 में संशोधन)

सभापति महोदय : खंड 37 में एक संशोधन है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

पृष्ठ 13, पंक्ति 32, के स्थान पर "पृथक लेखा बहियां रखी जाती हैं या ऐसे कारबार के अनुरूप है जो उस अधि- नियम की धारा 10 के खंड (22) या खंड (22 क) या खंड 23 (ख) या खंड (23 ग) में निर्दिष्ट संस्था, निधि या न्याय द्वारा किया जाता है" प्रतिस्थापित जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ 13, पंक्ति 32 के स्थान पर "पृथक लेखा बहियां रखी जाती हैं या ऐसे कारबार के अनुरूप है जो उस अधिनियम की धारा 10 के खंड (22) या खंड (22 क) या खंड (23 ख) या खंड (23 ग) में निर्दिष्ट संस्था, निधि या न्याय द्वारा किया जाता है" प्रतिस्थापित किया जाए। (19)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 37 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 37 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खंड 38 से 50 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 38 से 50 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 38 से 50 विधेयक में जोड़ दिए गए।

प्रथम अनुसूची

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 20, पंक्ति 34, "30 प्रतिशत" के स्थान पर "25 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए। (20)

पृष्ठ 20 पंक्ति 34, "और वर्ग पहेली" का लोप किया जाए। (21)

पृष्ठ 20, पंक्ति 36 "घुड़ दौड़" के पश्चात् "वर्ग पहेली" अन्तःस्थापित किया जाए" (22)

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रथम सूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई ।

दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू :

"विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"यथा संशोधित पारित किया जाये ।"

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : महोदय मेरे लिये इस सभा के सदस्यों को भाषण देना उचित नहीं होगा। अतः मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें कहूंगा ।

मेरा पहला सुझाव यह है कि वित्तीय वर्ष पहली जनवरी से शुरू किया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में पहले ही । एक समिति ने सिफारिश भी की है । बजट चर्चा के लिए पहली अप्रैल— 31 मार्च अवास्तविक है तथा मई नितांत अनुपयुक्त है । केन्द्रीय सरकार का बजट पहले आना चाहिये। केवल तभी राज्य अपने बजट सही ढंग से तैयार कर सकते हैं । आजकल राज्य सरकारें अपने बजट प्रस्तावों को पहले पेश करती हैं और उसके बाद केन्द्रीय बजट रखा जाता है जिससे आप देख सकते हैं कि इस्पात, सीमेंट आदि की कीमतों में वृद्धि हो जाती है । तत्पश्चात राज्य सरकारों के बजट प्रस्ताव अवास्तविक हो जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि वित्तीय वर्ष में परिवर्तन किया जाये और केन्द्रीय बजट को राज्य सरकारों के बजट से पहले प्रस्तुत करने की बात को एक परम्परा के रूप में माना जाये ।

मेरा अगला प्रश्न हमारे दृष्टिकोण के बारे में है । वास्तविक रूप में हमारा झुकाव किस तरफ है क्या यह झुकाव समाजवाद अथवा पूंजीवाद अथवा मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ है । इसमें किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिये । हमारे उद्देश्य स्पष्ट हैं और ये हमारे संविधान में अन्तर्विष्ट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लिखित हैं । मैं केवल उन व्यक्तियों से अनुरोध करूंगा जो हमारे बजट प्रस्तावों को तैयार करते हैं कि वे निदेशक सिद्धान्तों को पढ़ें और यह सुनिश्चित करें कि क्या वे संविधान में दिये गये निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दे रहे हैं ।

[श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी]

जिस समय संविधान तैयार किया जा रहा था हमारे संविधान निर्माताओं ने 'समाजवादी राज्य' शब्द इसमें शामिल नहीं किया था। वे निर्देशक सिद्धांतों में एक कल्याणकारी राज्य के मुख्य सिद्धांतों को रख देने मात्र से सन्तुष्ट थे। हमें अभी उन निर्देशक सिद्धांतों को कार्यान्वित करना है। (व्यवधान)' समाजवादी गणराज्य' वाक्यांश 42वां संशोधन करके जोड़ा गया। जब हम यह कहते हैं कि आपका दृष्टिकोण समाजवादी नहीं है और बजट में धनाढ्य वर्ग को प्राथमिकता दी गई है तो आपको ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिये। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारत में आयकर दाताओं को कुछ राहत दी गई है। कुछ क्षेत्रों में इसका स्वागत भी किया गया है। हर कोई जानता है कि श्री एन० पालकीवाला की, जो एक महान विधिवेत्ता और भारत में उच्च कोटि के विधिवक्ताओं में से एक हैं, बजट प्रस्ताव तैयार करने के लिए भरपूर प्रशंसा की गई है। श्री पालकीवाला के लिये मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। इसमें कोई शक नहीं है कि वह समाजवाद के समर्थक नहीं हैं। वह निस्सन्देह स्वतन्त्र उद्यम संकल्पना के समर्थक रहे हैं। इसीलिये कुछ लोगों ने यह सोचा और कुछ लोग ऐसा महसूस भी करते हैं कि हम समाजवाद के रास्ते से हट गये हैं और हमने पूंजीवाद का रास्ता अपना लिया है। हमें इन 'वादों' की परवाह नहीं करनी चाहिये। सरकार बनाने के लिये हमें झगड़ना नहीं चाहिये। हमें देखना चाहिये कि हम जिस गन्तव्य तक पहुंचना चाहते हैं वह उसी दिशा में हैं कि नहीं। संविधान में दिए गए उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं अथवा नहीं।

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : प्रक्रिया नियमों के नियम 94 के अन्तर्गत व्यवस्था के प्रश्न पर हम यह जानना चाहते हैं कि क्या वह विधेयक को स्वीकार कर रहे हैं अथवा अस्वीकार। उन को इस विषय से हटकर बात नहीं करनी चाहिए। वह इस विषय से हट रहे हैं। उन्हें या तो विधेयक का समर्थन करना चाहिए अथवा इसे अस्वीकार कर देना चाहिये।

7.00 म० प०

सभापति महोदय : उनका भाषण उचित है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : यदि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दक्षिण पंथी होना आवश्यक है तो उन्हें स्वतन्त्र रूप से दक्षिण पंथी होने दीजिए। इन 'वादों' के बारे में उन्हें अति संवेदनशील नहीं होना चाहिए। अन्ततः इसका उद्देश्य जनता तथा सारे राष्ट्र का कल्याण करना है। हमें रासाबलंका के बालक की तरह नहीं करना चाहिए जो जलते हुए डेक से वापिस आने से मना कर देता है। हमें संविधान की भावना को समझना चाहिए और 'वादों' के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।

उसी विधिवेत्ता ने एक प्रमुख समस्या का भी उल्लेख किया है। आज भारत में मुख्य समस्या बेरोजगारी की है। गुजरात में आंदोलन मुख्य रूप से बेरोजगारी के कारण ही शुरू हुआ है। मैंने उसी पुस्तिका से पालकीवाला का उल्लेख किया है जिसमें उसने केन्द्रीय बजट की प्रशंसा

कीं है। उन्होंने कहा है :

"आज बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 4 करोड़ 50 लाख तथा बेघरबार व्यक्तियों की संख्या 2 करोड़ 90 लाख है। यह मौखिक रूप से असंगत, आर्थिक रूप से हानिकर तथा सामाजिक रूप से खतरनाक······"

गुजरात में यह सिद्ध हो गया है कि यह स्थिति सामाजिक रूप से खतरनाक है। अब हम इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि गांधी जी के दर्शन में गरीबों को अधिक महत्त्व दिया गया है। इस बात पर भी बल दिया गया है कि उनको अधिक से अधिक रोजगार दिया जाये। आपकी योजना भारत की जनशक्ति पर आधारित होनी चाहिए। हमें विलासिता की वस्तुयें नहीं चाहिए।

सभापति महोदय : नियम 94 के अन्तर्गत आप सामान्य भाषण नहीं दे सकते।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैं अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं। वित्तीय ज्ञान देश की समस्या हो सकती है लेकिन इस समय बेरोजगारी देश की मुख्य समस्या है। इसी कारण यहां वहां अन्दोलन हो रहे हैं। आरक्षण, अन्दोलन, भ्रष्टाचार का बोल बाला है। इन सब बातों का मुख्य कारण बेरोजगरी है। अतः बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मेरा तीसरा निवेदन यह है कि हम जो कुछ निवेश कर रहे हैं उसका लाभ हमें नहीं मिल रहा है। हम अपनी नदी परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं तथा औद्योगिक परियोजनाओं पर भारी धनराशि खर्च कर रहे हैं। निस्सन्देह यहां पर सार्वजनिक क्षेत्र भी है। खर्च की गई धनराशि पर हमें साधारण ब्याज भी नहीं मिल पाता है। उदाहरण के तौर पर मैं अपने राज्य की नगार्जुनसागर परियोजना का उल्लेख करता हूं। राज्य ने इस परियोजना के लिए भारी धनराशि उधार ली है······

सभापति महोदय : इस समय आप इन सब बातों पर नहीं बोल सकते हैं। आप विधेयक का विरोध कर सकते हैं।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : अतः निवेश करने की कठिनाई को समाप्त करने के लिए, जिसकी वापसी नहीं होती है, इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि यह कठिनाई लम्बी अवधि, नौकरशाहों द्वारा की गई देरी तथा इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का अधूरे मन से कार्यान्वयन के कारण है। हम सिद्धान्तों को भूल रहे हैं। राज्य सरकारें भी इन सिद्धान्तों को भूल रही हैं।···

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : नियम 94 के अन्तर्गत माननीय सदस्य इस समय उन सब बातों पर बहस नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय : नियम 94 बहुत सीमित है। बजट के बारे में अब कोई आम बहस नहीं होगी। आप या तो विधेयक का समर्थन कीजिये या इसका विरोध कीजिए।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैं केवल यह कह रहा हूं कि हमने जो धन राशि खर्च की है उस का लाभ मिलना चाहिए । यह लाभ एक के बाद एक परियोजना आरम्भ करके प्राप्त किया जा सकता है । यदि कोई परियोजना सही ढंग से पूर्ण हो गई हो तो आपको उसी समय दूसरी योजना को आरम्भ कर देना चाहिए । केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा यह सिद्धान्त कड़ाई से लागू करना होगा ।

सभी परियोजनाओं पर सारी धन राशि खर्च करने के बजाय उनको कुछ परियोजनाओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और इसके परिणाम देखने चाहिए ।

मेरा आखरी निवेदन यह है कि जो धन राशि हम दे रहे हैं या खर्च कर रहे हैं उनके संबंध में लेखा परीक्षा विभाग सदैव अपत्ति उठाता है, नुकसान तथा दुरूपयोग के बारे में बताता है । इसके लिए एक बहुत बड़ा लेखा परीक्षा विभाग है । प्रत्येक राज्य में लेखा परीक्षा विभाग है । और हमारे यहां भी केन्द्रीय लेखा परिक्षा विभाग है लेकिन इन लेखा परीक्षण आपत्तियों पर व्यवहारिक रूप में किसी तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा है । अत: मेरा अनुरोध है कि .....

एडुआर्डो फलीरो (मारमागाओ) : तब आप लोक लेखा समिति के सभापति बन जाईये ।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैं सभापति बनने में रुचि नहीं रखता । मैं सिर्फ यह कह रहा हूं । किसी कमी को दूर करने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए । आपको धन के दुरुपयोग तथा हानि पर रोक लगानी चाहिए । प्रशासनिक सुधार जरूरी है । इन सब बातों के बिना इस सम्बन्ध में किये गए हमारे सभी कार्य, सारे प्रयास असफल हैं । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि आप इस देश में काले धन को समाप्त करेंगे और आर्थिक विषमता जो बढ़ रही है उसको दूर करेंगे । एक तरफ तो धन के अंबार लग रहे हैं और दूसरी तरफ गरीबी बढ़ रही है । इस विषमता को मिटाने की कोशिश करेंगे और तीसरा जो सरकार का प्रशासन ढीला और निकम्मा चल रहा है उसको दुरस्त करने के लिए कदम उठायेंगे ताकि गरीब लोगों को राहत मिले । यह नहीं कि आपका पैसा देश के काम न आए । जैसा हमारे युवा प्रधान मंत्री ने पहली स्पीच में कहा था कि देश के एक-एक पैसे का हिसाब देखा जाएगा । लेकिन आज केन्द्र सरकार जो पैसा विकास के कामों के लिए देती है. वह 50 परसेंट कुछ लोगों की पाकेट में चला जाता है और वे पैसा हड़प लेते हैं । वह पैसा ठीक जगह काम में लाया जाएगा । यह हमारी मांग है । हम तीन बातें मागते हैं, एक तो काले धन की समाप्ति और दूसरा आर्थिक विषमता का दूर किया जाना और प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त किया जाए । एक बात और सोच लीजिए, यह जो आप दो दिन की छुट्टी करने जा रहे हैं, कहीं इससे और काम ठप्प न हो जाए, इसलिए इस पर पुनर्विचार करें ।

अन्त में मैं धन्यवाद देता हूं आप मेहनत करके बिल लाये हैं लेकिन कार्यक्रमों को अमली रूप नहीं दिया जा रहा है। आज दीवारों पर लिखा हुआ है कि आने वाले जमाने के लोगों की पैनी नजर से कोई बच नहीं सकता, काम बताएगा कि देश को कितना आगे बढ़ाया गया है और कितना काले धन का नाश किया गया है और कितना गरीबों के लिए काम किया गया है। गरीब कितना ऊंचा आ गया है और धनवान कितना नीचे आ गया है, तभी फायदा होगा।

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : श्रीमन् मैं सदस्यों पर अधिक कर नहीं लगाना चाहता हूं। मैं पहले ही कर लगा चुका हूं। केवल एक बात है। वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है। बजट के आम सिद्धांतों के सापेक्ष महत्व तथा उसके प्रभाव के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। भावुकता के बारे में मैं कहूंगा कि हमारी तरफ से कोई भावुकता नहीं है। भावुकता वाली बात विरोधी पक्ष के लिए है। क्योंकि जो कुछ हमने किया है वह उसको समझ नहीं पा रहे हैं।

जलते हुए डेक के बारे में मैं कहूंगा कि यहां जलते हुए डेक जैसी कोई बात नहीं है। हमारा तैरने वाला डेक है। हम जलते हुए डेक पर नहीं हैं हम तो तैरते हुए डेक पर हैं। बेरोजगारी के सम्बन्ध में हमारे पास गरीबी दूर करने के कार्यक्रम है। हम इनके लिए वचन बद्ध हैं। निस्संदेह हम औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करके तथा सामान्य कल्याण उपायों को अपनाकर बेरोजगारी को समाप्त अथवा कम कर सकते हैं। जहां तक कुछ परियोजनाओं की ओर ध्यान देने और उन्हें पूर्ण करने का प्रश्न है यह कार्य सही रूप में किया जा रहा है। संसाधनों की कमी बनी हुई है। हम कार्यकुशलता में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की केवल वित्तीय परिणामों के आधार पर जांच नहीं की जानी चाहिए। इसके सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। ऋण आदि के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। धन के दुरुपयोग के मामले में हम कार्यवाही करते हैं। काले धन तथा असमानता आदि को रोकना और प्रशासन को चुस्त बनाना निसन्देह, अच्छे सुझाव हैं। हम इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7.10 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा, सोमवार 13 मई, 1985/23 वैशाख, 1907 (शक) के 11.00 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिन्टर्स, 20 दरियागंज नई दिल्ली-2,